

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए
(सिविल एवं वाणिज्यिक)

छत्तीसगढ़ शासन

| विषय सूची | | |
|--|--------|-------|
| विवरण | संदर्भ | |
| | कंडीका | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | | ix |
| विहंगावलोकन | | xi |
| पहला अध्याय- राज्य शासन का वित्त | | |
| प्रस्तावना | 1.1 | 1 |
| राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई क्रियापद्धति | 1.2 | 3 |
| समग्र प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन | 1.3 | 6 |
| संसाधनों का उपयोग | 1.4 | 10 |
| आवंटित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय | 1.5 | 16 |
| परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ | 1.6 | 21 |
| बकाया देयताएँ | 1.7 | 23 |
| ऋण धारणीयता | 1.8 | 24 |
| घाटों का प्रबन्धन | 1.9 | 27 |
| राजकोषीय अनुपात | 1.10 | 30 |
| निष्कर्ष | 1.11 | 31 |
| दूसरा अध्याय- विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण | | |
| प्रस्तावना | 2.1 | 33 |
| विनियोग लेखे का सारांश | 2.2 | 33 |
| आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति | 2.3 | 34 |
| पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ | 2.4 | 40 |
| व्यय की अधिकता | 2.5 | 40 |
| पाँच अनुदानों की नमूना जाँच के परिणाम | 2.6 | 40 |
| तीसरा अध्याय- निष्पादन लेखापरीक्षा | | |
| कॉरीडोर योजना | 3.1 | 43 |
| प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मधयान्ह भोजन योजना) | 3.2 | 58 |
| गतिवर्धित ग्रामिण जल प्रदाय योजना | 3.3 | 79 |
| कोषालयों की ई-कोष आनलाईन कम्प्यूटरिकण | 3.4 | 96 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|------------|------------|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| चौथा अध्याय- लेन देनों की लेखापरीक्षा | | |
| कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/अधिक भुगतान | 4.1 | 107 |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | |
| उपकरणों का कपटपूर्ण प्रदाय | 4.1.1 | 107 |
| उच्च दरों पर क्रय के कारण हानि तथा अधिक भुगतान | 4.1.2 | 112 |
| लोक निर्माण विभाग | | |
| परिहार्य अधिक भुगतान तथा शासन को हानि | 4.1.3 | 113 |
| अधिक भुगतान/निष्फल/निरर्थक व्यय | 4.2 | 116 |
| जल संसाधन विभाग | | |
| सब्सिडी की अधिक प्रतिपूर्ति | 4.2.1 | 116 |
| संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष/परिहार्य व्यय | 4.3 | 117 |
| जल संसाधन विभाग | | |
| ठेकेदारों को अनाधिकृत लाभ | 4.3.1 | 117 |
| लोक निर्माण विभाग | | |
| सड़क कार्य का सन्देहास्पद निष्पादन | 4.3.2 | 119 |
| निविदा की प्रक्रियाओं में असंगताएँ एवं रूपांकन में बारंबार परिवर्तन के कारण अतिरिक्त लागत | 4.3.3 | 120 |
| ठेकेदार को अनुचित लाभ | 4.3.4 | 122 |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | | |
| ठेकेदार को अनुचित लाभ एवं शासन को हानि | 4.3.5 | 123 |
| प्राक्कलन स्फीति के कारण अतिरिक्त लागत | 4.3.6 | 125 |
| आदिम जाति कल्याण विभाग | | |
| गैस चुल्हे एवं सिलेण्डरों के क्रय में निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन | 4.3.7 | 127 |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | |
| विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय | 4.3.8 | 129 |
| वन विभाग | | |
| परिहार्य व्यय | 4.3.9 | 130 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|--------|-------|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु | 4.4 | 132 |
| लोक निर्माण विभाग | | |
| परिहार्य अतिरिक्त लागत | 4.4.1 | 132 |
| सड़क कार्यों का अनियमित निष्पादन | 4.4.2 | 133 |
| वन विभाग | | |
| अनियमित व्यय | 4.4.3 | 135 |
| पाँचवा अध्याय -सरकारी विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र | | |
| पशुपालन विभाग | | |
| पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण | 5.1 | 137 |
| छठवाँ अध्याय- सरकारी वाणिज्यक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ | | |
| सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन | 6.1 | 147 |
| निष्पादन लेखापरीक्षा | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | | |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन | 6.2 | 155 |
| लेन देन की लेखापरीक्षा | 6.3 | 176 |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | | |
| आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष लेने के कारण हानि | 6.3.1 | 176 |
| अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता | 6.3.2 | 177 |
| निविदा के धारा लागू न करने के कारण हानि | 6.3.3 | 178 |
| देयों की वसूली न होना | 6.3.4 | 179 |
| छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम | | |
| निविदा प्रक्रिया में हेरफेर (मैनीपुलेशन) | 6.3.5 | 180 |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|----------------|---|--------------|-------|
| | | कंडिका क्रं. | पृष्ठ |
| 1.1 | शासकीय लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा | 1.1 एवं 1.2 | 183 |
| 1.2 | 31 मार्च 2007 को छत्तीसगढ़ शासन के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति | 1.2 एवं 1.6 | 187 |
| 1.3 | वर्ष 2006-07 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 1.2 | 188 |
| 1.4 | निधियों के स्रोत एवं उपयोग | 1.2 | 191 |
| 1.5 | राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण | 1.2 एवं 1.6 | 192 |
| 1.6 | वर्ष 2006-07 में उपयोग न किए गए अनुदानों/ऋणों का विवरण पत्रक | 1.5.4 | 195 |
| 2.1 | वे प्रकरण जिसमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा | 2.3.1 | 196 |
| 2.2 | प्रकरण जिसमें अनुदान को योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही | 2.3.1 | 199 |
| 2.3 | प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा | 2.3.1 | 204 |
| 2.4 | प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए | 2.3.4 | 206 |
| 2.5 | प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए | 2.3.4 | 209 |
| 2.6 | प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था | 2.3.4 | 211 |
| 2.7 | योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण | 2.3.5 | 212 |
| 2.8 | कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 2.3.6 | 215 |
| 2.9 | गलत पुनर्विनियोग | 2.3.6 | 217 |
| 2.10 | बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण दर्शाने वाला पत्रक | 2.3.6 | 220 |
| 2.11 | प्रकरण जिसमें अधिक व्यय को आवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अत्याधिक आवर्धन हुआ | 2.3.6 | 222 |
| 2.12 | बजट प्रावधानों का व्यपगत होना | 2.3.7 | 226 |
| 2.13 | निधियों का समर्पण | 2.3.7 | 228 |
| 2.14 | अविवेकपूर्ण अवास्तविक समर्पण प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया | 2.3.8 | 230 |

| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|----------------|--|--------------|-------|
| | | कंडिका क्रं. | पृष्ठ |
| 2.15 | पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ | 2.4 | 231 |
| 2.16 | व्यय की अधिकता | 2.5 | 232 |
| 2.17 | प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही | 2.6.2 | 233 |
| 3.1 | विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से प्राक्कलन में अंतर दर्शानेवाला विवरण पत्रक | 3.1.6.1 | 234 |
| 3.2 | कॉरीडोर योजनान्तर्गत अनुबंधों का ब्यौरा | 3.1.6.2 | 235 |
| 3.3 | विनाशवान मदों पर प्रतिभूत अग्रिम की स्वीकृति के कारण ठेकेदार को अनुचित सहायता को दर्शानेवाला विवरणपत्रक | 3.1.8.1 | 237 |
| 3.4 | कॉरीडोर योजना पर मदों हेतु परीक्षणों की आवृत्ति को दर्शानेवाला विवरण पत्रक | 3.1.9.1 | 239 |
| 3.5 | मार्ग के डूबने के कारण शासन को हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 3.1.9.4 | 241 |
| 3.6 | स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग का संगठनात्मक संरचना | 3.2.3 | 242 |
| 3.7 | मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए यदिक्षित चयन किए गए नमूना स्कूलों की सूची | 3.2.6 | 243 |
| 3.8 | निधियों की जारी में विलम्ब दर्शाने वाली विवरण पत्रक | 3.3.6 | 245 |
| 4.1 | आदेशित एवं प्राप्त उपकरणों का विवरण पत्रक | 4.1.1 | 247 |
| 4.2 (अ) | मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिज एवं मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड और महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दरों के बीच तुलना | 4.1.2 | 248 |
| (ब) | विवरण जहां सामग्री का क्रय महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दरों की तुलना में उच्च दरों पर मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिज एवं मेडिकल डिवाइसेस के साथ हुए संविदा के अनुसार किया गया था | | |
| 4.3 (अ) | महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान से दरों संविदा अंतर्गत पंजीकृत फर्मों जिन्हें चार प्रतिशत के दर से वाणिज्यिक कर के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण पत्रक | 4.1.2 | 249 |
| (ब) | संचालक के साथ दर संविदा किए गए फर्मों को वाणिज्यिक कर के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण पत्रक | | |

| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|----------------|---|-------------------------|-------|
| | | कंडिका क्रं. | पृष्ठ |
| 4.4 | महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान से दर संविदा के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों से एक एम.एल.डिस्पोसेबल सिरिज के क्रय के विरुद्ध छूट का लाभ न लेने के कारण भुगतान की गई अधिक राशि का विवरण पत्रक | 4.1.2 | 251 |
| 4.5 (अ) | ठेकेदार "अ" द्वारा प्राप्त की गई छूट का विवरण पत्रक | 4.3.5 | 252 |
| (ब) | ठेकेदार द्वारा प्राप्त किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वाणिज्य कर पर छूट का गणना पत्रक | | |
| 4.6 | यू.एस.ओ.आर. एवं सी.एस.आई.डि.सि. दरों के मध्य डी.आई. (के-9) पाइप के लागत के अंतर | 4.3.6 | 253 |
| 4.7 | सी.एस.आई.डी.सी. दर अनुबंध के अनुसार डी.आई. (के-9) पाइप के प्रचलित दर (3/2005) का विवरण पत्रक | 4.3.6 | 254 |
| 4.8 | 700 बिस्तरीय अस्पताल (उपभोक्ता क्रं. 900058) के उच्च दाब कनेक्शन पर विद्युत घटक अधिभागों के कारण अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण पत्रक | 4.3.8 | 255 |
| 4.9 | बाह्य रोगी विभाग (उपभोक्ता क्रं. 800054) के उच्च दाब कनेक्शन पर संविदा माँग कम न करने के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण पत्रक | 4.3.8 | 257 |
| 5.1 | व्यय की अधिकता | 5.1.5.4 | 259 |
| 5.2 | महालेखाकार के आंकड़े से विभागीय व्यय का पुर्नमिलान न होना | 5.1.5.5 | 260 |
| 5.3 | टीकाकरण शुल्क का कम बसूली होना | 5.1.5.7 | 261 |
| 5.4 | टीका का प्रदाय एवं प्राप्ति में भिन्नता | 5.1.8.1 | 262 |
| 6.1 | सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संबध में 31 मार्च 2007 को बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण अंश पूंजी अन्य ऋण एवं लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 6.1.3, 6.1.4 एवं: 6.1.5 | 263 |
| 6.2 | सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिए, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम | 6.1.7 | 265 |
| 6.3 | वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2007 के अंत तक लंबित प्राप्त सहायता तथा लंबित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 6.1.5 | 267 |

| परिशिष्ट क्रं. | विवरण | संदर्भ | |
|----------------|---|------------------------|-------|
| | | कंडिका क्रं. | पृष्ठ |
| 6.4 | अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार मानी गयी सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी | 6.1.14 | 268 |
| 6.5 | विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 6.1.15 | 269 |
| 6.6 | विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार भागवार प्रावधानों का ब्यौरा और मार्च 2007 तक की उपलब्धियाँ | 6.2.15 | 270 |
| 6.7 | फ्रीडर ट्रीपिंग ,आउटगेज की अवधि और ए.पी.डी.आर.पी.में उपभोक्ता शिकायतों के वृत्तों और नगरों | 6.2.2.7 एवं 6.2.2.9 | 271 |

- 1 संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।
- 3 शेष अध्याय लोक निर्माण विभाग, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों सहित विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेनदेनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में है।
- 4 राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रेक्षणों को समाविष्ट करने वाली प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत है।
- 5 इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2006-07 की अवधि के दौरान लेखों की नमूना जांच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; 2006-07 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।
- 6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षाएँ निष्पादित हुईं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय सम्मिलित हैं, प्रथम दो अध्यायों में छत्तीसगढ़ के वित्त एवं विनियोग लेखों पर टिप्पणियों तथा शेष चार अध्यायों में, पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लेखापरीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित छः निष्पादन समीक्षाएं तथा विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय लेनदेनों पर 21 कंडिकाएँ सम्मिलित है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के साथ-साथ निष्कर्ष के आधार पर लिए गए। कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए जिन विशिष्ट लेखापरीक्षा मानदण्ड को अपनाया गया है उनका उल्लेख समीक्षाओं में किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुसंशाएँ शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय की तुलनात्मक वृद्धि (18 प्रतिशत) कम थी। परिणाम स्वरूप 2005-06 के दौरान 1,381 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य से राज्य ने 2,651 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। राज्य के स्वयं के स्रोत जिसमें कर एवं कर भिन्न राजस्व सम्मिलित है, का अंशदान राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत था।

वर्ष 2006-07 में पूँजीगत व्यय 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2005-06 के 1,497 करोड़ रुपये से 2,198 करोड़ रुपये हो गया एवं राजकोषीय घाटा 2005-06 के 435 करोड़ रुपये से घटकर 2006-07 में 37 करोड़ रुपये का राजकोषीय आधिक्य रहा। वेतन (मजदूरी सहित) एवं पेंशन (3,080 करोड़ रुपये) तथा ब्याज भुगतान (1,026 करोड़ रुपये) इन दोनों ने राज्य की कुल प्राप्तियों का 36 प्रतिशत उपभोग किया। राजकोषीय देयताएँ भी 2001-02 के 7,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 14,113 करोड़ रुपये हो गई।

समग्र बचतें 3,106.62 करोड़ रुपये मूल अनुदानों/विनियोजनों की 23.50 प्रतिशत थीं। यह बचत, अनुदान एवं विनियोजनों के 158 प्रकरणों में 3,111.75 करोड़ रुपये की बचतों अनुदानों एवं विनियोजनों की कुल पाँच प्रकरणों में 5.13 करोड़ रुपये के आधिक्य को कम करने के परिणाम स्वरूप थी।

(कंडिकाएँ 1.1 से 2.6.5)

2. कॉरीडोर योजना

छः कॉरीडोर के विकास हेतु शासन ने वर्ष 2002-07 के दौरान 266.21 करोड़ रुपये निवेशित किए। योजना की पूर्णता के लिये निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को बनाने के पश्चात् निविदायें जारी की गईं किन्तु उनके अनुरूप नहीं थी तथा प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृती के पूर्व ही जारी की गई थी। निर्धारित आवृत्ति में कार्यों के विभिन्न मदों की गुणवत्ता परीक्षणों में अत्यधिक कमी थी जिससे मार्ग की उपयुक्त गुणवत्ता को आश्वस्त किया जाता है। ठेका-कुप्रबन्ध तथा कार्यों के दोषपूर्ण निष्पादन के उदाहरणें थे।

(कंडिका 3.1)

3. प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मुख्यतः "मध्याह्न भोजन" कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है जो 1995 में राज्य के सभी 146 विकासखण्डों को सम्मिलित करते हुए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन, उपस्थिति, छात्रों को विद्यालय में बनाये रखने तथा शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ 6-11 वर्ष के विद्यार्थियों के पोषण स्थिति में वृद्धि करना है। राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा में बहुत सी कमियां पाई गईं। प्रावधानित बजट में बचतें, निधियों का व्यपवर्तन एवं विभाग द्वारा प्रबंधन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन के मद में भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। नोडल विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग किये गये चावल की जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(कंडिका 3.2)

4. गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम

भारत सरकार ने सभी ग्रामीण बसाहटों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु 1972-73 में गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने वर्ष 2002-07 के दौरान 239.63 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जिसमें से राज्य सरकार 58.78 करोड़ रूपयों का उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2003 में किये नये सर्वे में 17,968 नये बसाहटों को सम्मिलित किया गया जिनमें से फरवरी 2007 तक 14,471 बसाहटें असमावेशित तथा 3,507 बसाहटें समावेशन हेतु शेष थीं। परिचालन एवं रख रखाव, स्रोत की स्थिरता तथा गुणवत्ता के लिए राज्य द्वारा किया गया आवंटन कम था।

(कंडिका 3.3)

5. ई-कोष आनलाईन कोषालयों की कम्प्यूटीकरण प्रणाली

छत्तीसगढ़ शासन ने भुगतानों, निर्माण लेखाकरण, जमा लेखे, प्राप्तियों, पेंशन तथा कोषालय में स्टाम्प लेखाकरण की नई व्यवस्था विकसित करने की दृष्टिकोण से एक आनलाईन कम्प्युटरीकरण व्यवस्था "ई-कोष" दो चरणों में प्रारंभ किया तथा योजना नवम्बर 2004 से क्रियान्वित हुई। व्यवस्था विकास की विभिन्न सोपानों को पर्याप्त लेखाबद्ध नहीं किए। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण आहरण संवितरण अधिकारी आवंटन जाँच की अनदेखी की गई। आहरण संवितरण अधिकारी, प्रपत्र, बजट मास्टर्स तथा विभिन्न सुरक्षा उपायों की संधारण में कमियाँ थी।

(कंडिका 3.4)

6. पशुपालन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण विशेषताएँ

पशुपालन विभाग के आन्तरिक नियंत्रण की समीक्षा में प्रकट हुआ कि पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार करने से अवास्तविक बजट प्राक्कलन एवं वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में योजना शीर्ष में भारी बचत होना। अस्थायी अग्रिम 11.83 लाख रुपये का समायोजन न होना एवं रोकड़ वही के संधारण में कोषालय नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण न किया जाना। नियमानुसार स्कंध एवं भंडारों का नियमित भौतिक सत्यापन ना होना एवं टीकाओं के वितरण में भिन्नता परिविक्षित हुए।

(कंडिका 5.1)

7. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा, शासन के विभिन्न विभागों तथा उसकी क्षेत्रीय इकाईयों की विषयांकित नमूना जांच में संदिग्ध गबन अधिक व्यय, अधिक भुगतानों तथा 26.28 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएँ पाई गई, उनमें से कुछ को नीचे दर्शाए गए हैं:

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा उपकरण मूल्य 7.84 करोड़ रुपये का कपटपूर्ण प्रदाय तथा उच्च दरों पर क्रय और अधिक भुगतान से रुपये 77.67 लाख हानि। लोक निर्माण विभाग में परिहार्य अधिक भुगतान तथा शासन को 73.00 लाख रुपये की हानि पाई गई।

जल संसाधन विभाग में नलकूपों की खनन पर नियमों से परे 35.01 लाख रुपये की अधिक सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई।

ठेका दायित्वों, क्रय नियमों की अवहेलना तथा इसके फलस्वरूप 6.69 करोड़ रुपये की परिहार्य व्यय हुई (जल संसाधन विभाग 50.87 लाख रुपये, लोक निर्माण विभाग 1.95 करोड़ रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 2.89 करोड़ रुपये, आदिवासी कल्याण विभाग 43.80 लाख रुपये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 73.83 लाख रुपये वन विभाग 16.73 लाख रुपये)।

इसी तरह, ठेका अनुबंधों के संहितीय प्रावधान की अवहेलना करने से नियमों की

अवहेलना होने से 9.21 करोड़ रुपये (लोक निर्माण विभाग-9.06 करोड़ रुपये, वन विभाग- 15.30 लाख रुपये) अनाधिकृत व्यय तथा लोक निर्माण विभाग में संभावित अधिक व्यय 66.51 लाख रुपये पाये गए।

(कंडिका 4.1 से 4.4)

8. शासकीय वाणिज्यिक एवं व्यापार गतिविधियाँ

राज्य शासन के नियंत्रण में 31 मार्च 2006 की स्थिति में आठ सरकारी कम्पनियाँ, तीन सरकारी मानी गई कम्पनियाँ, एक विद्युत नियामक आयोग तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। 10 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आठ सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम) में 2,320.17 करोड़ रूपयों का कुल निवेश था। दस सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2006-07 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था। नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार तीन कार्यरत कम्पनियों ने 11.62 करोड़ रुपये की सकल हानि उठाई तथा चार सरकारी कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों ने 149.10 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

(कंडिका 6.1)

9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा समीक्षा ।

केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय, अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य 415.86 करोड़ रुपये की परिव्यय सहित छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नौ योजनाओं को स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (मंडल) ने छः योजनाओं को प्रारंभ किया तथा मार्च 2007 तक 195.13 करोड़ रुपये की व्यय हुई।

(कंडिका 6.2.1)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में कमियों के कारण परियोजना निरूपण एवं नियोजन प्रभावी नहीं हुए तथा छः त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम योजनाओं में से कोई भी पूर्ण नहीं हुआ, यद्यपि पूर्ण होने की अनुसूचित समयावधि फरवरी 2004 एवं नवम्बर 2005 था।

(कंडिका 6.2.12 और 6.2.15)

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ को कम करके विहित स्तर 15 प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया तथा वर्ष 2006-07 के दौरान हानियाँ 15.65 से 47.66 प्रतिशत के मध्य रहा।

(कंडिका 6.2.21)

निरंतर उच्च दर पर फीडर ट्रिपिंग एवं वितरण ट्रांसफार्मर के असफल होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता को प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिकायें 6.2.26 से 6.2.28)

वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की धीमी प्रगति के कारण ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रभावी नहीं थी।

(कंडिका 6.2.22)

10. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

निर्वात परिपथ अवरोधकों के क्रय में आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष लेने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) को 81.37 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 6.3.1)

दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिलों में कर्मचारी आवास गृहों के निर्माण में अशुद्ध आवश्यकता निर्धारण से निविदा के अंतिमीकरण में हुई विलंब के कारण मण्डल को 57.77 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता उठाना पड़ा।

(कंडिका 6.3.2)

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी.एस.पिनों की आपूर्ति न करने के कारण तथा तत्पश्चात दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध लागत एवं जोखिम धारा लागू किये बिना मण्डल द्वारा उच्च दरों पर खरीदी के कारण मण्डल को 16.82 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 6.3.3)

मण्डल द्वारा, दोषी उच्च दाब उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने में असाधारण विलम्ब के परिणामतः 27.55 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 6.3.4)

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण निगम के दीमक रोधी उपचार की कार्य आदेश एवं क्रियान्वयन के निविदा प्रक्रिया में अनियमितता के फलस्वरूप संदेहात्मक व्यय 20.69 लाख रुपये हुआ।

(कंडिका 6.3.5)

पहला अध्याय

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा (परिशिष्ट-1.1- भाग अ) रखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 19 विवरणों में निहित हैं, जिनमें राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय के साथ ही पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय प्रदर्शित हैं। वित्त लेखों की रूप रेखा परिशिष्ट-1.1- भाग ब में प्रदर्शित किया गया है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

वित्त लेखे के विवरण-1 और अन्य विस्तृत विवरणों में प्रदर्शित राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ और व्यय तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरणों को सम्मिलित करते हुए, वर्ष 2006-07 के लिए छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति को तालिका 1 में सारांशिकृत किया गया है।

तालिका-1: वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपये में)

| प्राप्तियाँ | | | | संवितरण | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|--------------|--------|--------|
| 2005-06 | | 2006-07 | 2005-06 | | 2006-07 | | |
| अनुभाग - अ: राजस्व | | | | | | | |
| 8,838 | I- राजस्व प्राप्तियाँ | 11,453 | 7,457 | I- राजस्व व्यय | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग |
| | | | | | 6,194 | 2,608 | 8,802 |
| 4,052 | कर-राजस्व | 5,046 | 2,186 | सामान्य सेवायें | 2,629 | 10 | 2,639 |
| 1,229 | कर-भिन्न राजस्व | 1,451 | 2,848 | सामाजिक सेवायें | 1,750 | 1,709 | 3,459 |
| 2,508 | संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा | 3,199 | 2,090 | आर्थिक सेवायें | 1,358 | 870 | 2,228 |
| 1,049 | भारत सरकार से अनुदान | 1,757 | 333 | सहायतार्थ- अनुदान/अंशदान | 457 | 19 | 476 |
| अनुभाग-ब: पूँजीगत | | | | | | | |
| - | II- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ | - | 1,497 | II- पूँजीगत परिव्यय | 29 | 2,169 | 2,198 |
| 18 | III- कर्जों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ* | 357 | 337 | III- संवितरित कर्जें तथा अग्रिम* | 3 | 770 | 773 |
| 1,234 | IV- लोक ऋण प्राप्तियाँ# | 937 | 444 | IV- लोक ऋण की वापस अदायगी# | 219 | - | 219 |
| - | V- आकस्मिकता निधि | - | - | V- आकस्मिकता निधि से विनियोग | - | - | - |
| | | | | V- आकस्मिकता निधि | 3 | - | 3 |
| 10,807 | VI- लोक लेखा प्राप्तियाँ | 13,982 | 10,551 | VI- लोक लेखा संवितरण | 13,744 | - | 13,744 |
| 701 | प्रारम्भिक रोकड़ शेष | 1,312 | 1,312 | अन्तिम रोकड़ शेष | 2,302 | - | 2,302 |
| 21,598 | योग | 28,041 | 21,598 | योग | 22,494 | 5,547 | 28,041 |

* अंतर्राज्यीय समाशोधन 2 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए

निवल मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर

गत वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय परिवर्तन हुये:

- गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ 2,615 करोड़ रुपये बढ़ी। वृद्धि में मुख्यतः कर-राजस्व (994 करोड़ रुपये), कर-भिन्न राजस्व (222 करोड़ रुपये), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (691 करोड़ रुपये) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (708 करोड़ रुपये) का योगदान रहा।
- गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में क्रमशः 1,345 करोड़ रुपये एवं 701 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष (18 करोड़ रुपये) की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (357 करोड़ रुपये) कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली में तेज वृद्धि पायी गई।
- गत वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में 297 करोड़ रुपये की कमी हुई।
- गत वर्ष की तुलना में लोक लेखे की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों में क्रमशः 3,175 करोड़ रुपये एवं 3,193 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में राज्य का नगद शेष में 990 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

1.1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति मुख्य सूचकों द्वारा

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति जैसी कि मुख्य राजकोषीय सूचकों द्वारा प्रतिबिम्बित हुई तालिका 2 में दी गयी है।

तालिका-2

(करोड़ रुपये में)

| 2005-06 | क्र.सं. | मुख्य संकलन | 2006-07 |
|-----------|---------|--|-----------|
| 8,838 | 1. | राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4) | 11,453 |
| 4,052 | 2. | कर-राजस्व | 5,046 |
| 1,229 | 3. | कर-भिन्न राजस्व | 1,451 |
| 3,557 | 4. | अन्य प्राप्तियाँ | 4,956 |
| 18 | 5. | गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ | 357 |
| 18 | 6. | जिसमें ऋणों की वसूली | 355 |
| 8,856 | 7. | कुल प्राप्तियाँ (1+ 5) | 11,810 |
| 5,478 | 8. | आयोजना-भिन्न व्यय (9 +11 +12) | 6,226 |
| 5,449 | 9. | राजस्व लेखा पर | 6,194 |
| 962 | 10. | जिसमें से ब्याज अदायगियाँ | 1,026 |
| 4 | 11. | पूँजीगत लेखा पर | 29 |
| 25 | 12. | ऋण संवितरण पर | 3 |
| 3,813 | 13. | आयोजना व्यय (14+15+16) | 5,547 |
| 2,008 | 14. | राजस्व लेखा पर | 2,608 |
| 1,493 | 15. | पूँजीगत लेखा पर | 2,169 |
| 312 | 16. | ऋण संवितरण पर* | 770 |
| 9,291 | 17. | कुल व्यय (8+13) | 11,773 |
| (+) 1,381 | 18. | राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)[(1-(9 + 14)] | (+) 2,651 |
| (-) 435 | 19. | राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (1 + 5-17) | (+) 37 |
| (+)527 | 20. | प्रारम्भिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (19-10) | (+) 1,063 |

* अंतर्राज्यीय समाशोधन 2 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए

वर्ष 2006-07 में राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत (1,345 करोड़ रुपये) की वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 29.6 प्रतिशत (2,615 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप राज्य का राजस्व आधिक्य, वर्ष 2005-06 के 1,381 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में बढ़कर 2,651 करोड़ रुपये हुई जो कि 1,270 करोड़ रुपये अधिक था। राजस्व आधिक्य में 1,270 करोड़ रुपये की वृद्धि, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 339 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ संवितरण ऋण एवं अग्रिमों में 434 करोड़ रुपये की वृद्धि एवं पूंजीगत व्यय में 701 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण 435 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे 37 करोड़ रुपये के राजकोषीय आधिक्य में बदल गया। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय आधिक्य एवं ब्याज भुगतानों में 64 करोड़ रुपये के वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रारंभिक आधिक्य वर्ष 2005-06 के 527 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1,063 करोड़ रुपये हुई जो 536 करोड़ रुपये अधिक था।

बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में ऋण सुदृढीकरण एवं राहत सुविधा¹ के अंतर्गत अपने राजकोषीय निष्पादकता के कारण राज्य शासन को प्रतिवर्ष 93.26 करोड़ रुपये ऋण में छूट की प्राप्ति हुई। संबंधित पुस्तकीय समायोजन अगले वित्त वर्ष में प्रभावी होगा। अगर पुस्तकीय समायोजन संबंधित वर्षों में ही किया जाता तो कर-भिन्न राजस्व में 1,322 करोड़ रुपये एवं 1,544 करोड़ रुपये क्रमशः वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में वृद्धि हो जाती एवं राजस्व प्राप्तियाँ बढ़कर क्रमशः 8,931 करोड़ रुपये एवं 11,546 करोड़ रुपये हो जाते। परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य भी बढ़कर 1,474 करोड़ रुपये एवं 2,744 करोड़ रुपये क्रमशः वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में हो जाता, वर्ष 2005-06 में राजकोषीय घाटा घटकर 342 करोड़ रुपये हो जाता एवं राजकोषीय आधिक्य वर्ष 2006-07 में बढ़कर 130 करोड़ रुपये हो जाता, लोक ऋण घट कर वर्ष 2005-06 में 1,141 करोड़ रुपये हो जाता एवं वर्ष 2006-07 में 844 करोड़ रुपये होता एवं राजकोषीय देयताओं में वर्ष 2005-06 में 13,180 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 14,020 करोड़ रुपये की कमी होती।

1.2 राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई क्रियापद्धति

वित्त लेखाओं के विवरणों से प्रकट हो रहे प्राप्तियों और व्यय के मुख्य राजकोषीय संचय में प्रवृत्तियों का 2001-07 की अवधि का विश्लेषण जहाँ आवश्यक था, किया गया और उनके व्यवहार पर टिप्पणी की गई। राज्य वित्त की पुर्नसंरचना योजना में, बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा कुछ राजकोषीय समूहों के लिए मानकों/अधिकतम सीमा की अनुशंसा की गई तथा अन्य के लिए मानकी प्रक्षेपण बनाये। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई कि सभी राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व (रा.उ.) अधिनियम बनाया जाए तथा तदनुसार पाँच वर्ष की अवधि

¹ राज्य के राजकोषीय सुदृढीकरण एवं राजस्व घाटे के विलोपन के लिए बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) की अनुशंसा की अनुपालन में भारत सरकार ने एक योजना 'राज्य ऋण सुदृढीकरण एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) (2005-06 से 2009-10)' प्रतिपादित की। जिसके अन्तर्गत राज्यों को एफआरबीएम अधिनियम बनाने पर दिये गये केन्द्रीय ऋणों का ब्याज की पर्याप्त कम दर पर सुदृढीकरण और पुनर्निर्धारण कर सामान्य ऋण राहत दी जाती है एवं राज्य के राजस्व घाटे में कमी से सम्बन्धित राजकोषीय निष्पादकता पर आधारित छूट प्रदान की जाती है।

(2005-06 से 2009-10) के लिए अपना राजकोषीय सुधार पथ बनाया जाय जिससे राज्य की राजकोषीय स्थिति में मध्यम से लम्बे समय के दौरान सुधार हो सके जैसी कि उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमों में प्रतिबद्धता है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों/अधिकतम सीमा के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानमण्डल में रखे जाने वाले विवरणों में दी गई प्रतिबद्धता/प्रक्षेपणों के साथ राजकोषीय संचयों के लिए उसके प्रक्षेपणों का उपयोग चालू वर्ष के दौरान मुख्य संचयों की प्रवृत्तियों और पैटर्न का गुणात्मक आंकलन करने में किया गया। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)² राज्य की आर्थिक स्थिति की निष्पादकता का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय संचयों यथा कर एवं गैर-कर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के उत्प्लावकता गुणांक भी जीएसडीपी के आधार के संदर्भ में निकाले गए जिससे यह आंकलन किया जा सके कि संसाधनों के संग्रहण, व्यय के प्रवृत्ति इत्यादि, आधार के परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाये हुए है अथवा क्या राजकोषीय संचय जीएसडीपी के अलावा अन्य से भी प्रभावित हो रहे हैं। जीएसडीपी में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ जैसाकि आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई, को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| जीएसडीपी (रुपये करोड़ में) | 29,545 | 31,588 | 38,610 | 45,999 (त्वरीत) | 51,921 (त्वरीत) | 57,782 (अग्रिम) |
| जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में) | * | 6.91 | 22.23 | 19.14 | 12.87 | 11.29 |

श्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

इन उद्देश्यों हेतु मुख्य राजकोषीय संचयों को चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत समूहबद्ध किया गया है: (i) संचयित प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन, (ii) संसाधनों का उपयोग, (iii) परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं तथा (iv) घाटों का प्रबंधन (परिशिष्ट-1.2 से 1.5)। राजकोषीय संचय की सापेक्ष व्याख्या के लिए सामान्यतः अंगीकृत अनुपात-समुच्चय के प्रयोग से निगम निकाय के रूप में राज्य सरकार के समग्र वित्तीय निष्पादन को दर्शाया गया है। राजकोषीय संचयों के तरीकों एवं प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयोग की गई कुछ चुनी हुई मदों की परिभाषाओं को परिशिष्ट-1.1 - भाग स में दिया गया है:

1.2.1 छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005

राज्य में राजकोषीय प्रबन्धन में विवेक सुनिश्चित करने, राजस्व घाटे का उत्तरोत्तर विलोपन कर और राजकोषीय स्थिरता को बनाये रखने, राजकोषीय घाटे में कमी,

² जीएसडीपी को राज्य की कुल आय अथवा श्रमिकों एवं उत्पादन के सभी अन्य घटकों का उपयोग कर राज्य की सीमा के भीतर उत्पादित माल एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

राजकोषीय स्थिरता में संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजकोषीय पारदर्शिता लाने तथा मध्यमकालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति संचालन करने और उससे संसक्त या उसके विषयों हेतु प्रावधान के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 बनाया गया। अधिनियम और/अथवा इसके अधीन बने नियमों में (फरवरी 2006) उल्लेखित राजकोषीय प्रबंध सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार हेतु निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

- राज्य शासन 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए समुचित उपाय करेगी। वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर प्रत्येक वर्ष साधारण राजस्व आधिक्य को बनाये रखने के लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा तथापि किन्हीं भी परिस्थितियों में राज्य निम्नलिखित से अधिक राजस्व घाटे से आगे नहीं बढ़ेगा:-

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपये में) |
|-----------------------|------------------------|
| 2005-06 | 253.20 |
| 2006-07 | 168.80 |
| 2007-08 | 84.40 |
| 2008-09 तथा तत्पश्चात | शून्य राजस्व घाटा |

- राज्य शासन वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2004-05 के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की 3 प्रतिशत से अधिक की राशि में से कम से कम एक चौथाई राशि के बराबर राजकोषीय घाटे को कम करेगा ताकि मार्च 2009 के अंत तक राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक न हो;
- राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर सामान्य नियमों पर जीएसडीपी के 1.5 प्रतिशत तथा जोखिम भारित पर 0.5 प्रतिशत दोनों में जो कम हो से अधिक के लिए कोई नई गारंटी नहीं देगा; तथा
- राज्य शासन वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर जीएसडीपी के पाँच प्रतिशत से अधिक कोई अतिरिक्त दायित्व ग्रहण नहीं करेगा।

1.2.1.1 राजकोषीय नीति विवरण 2006-07

राज्य सरकार द्वारा 2006-07 के दौरान बजट के साथ वृहद आर्थिक ढांचा संबंधित विवरण (एमएफएस), मध्य कालिन राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) एवं राजकोषीय नीति युक्ति विवरण विधानमण्डल के समक्ष रखा गया जैसाकि अधिनियम में निर्धारित है। राज्य सरकार एमटीएफपीएस में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एनपीआरई) 6,712 करोड़ रुपये, राजस्व आधिक्य 1,200 करोड़ रुपये, राजकोषीय घाटा 1,439 करोड़ रुपये एवं प्रारंभिक घाटा 290 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

1.2.1.2 राजकोषीय स्थिति की मध्यकालीन समीक्षा

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के रूप में 2006-07 के दौरान राज्य की निष्पादकता तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका 4 : वर्ष 2006-07 के लिए, मुख्य राजकोषीय पैमाने/प्रक्षेपण की तुलना में चल की प्रवृत्तियाँ
(करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

| राजकोषीय प्रक्षेपण | 2006-07 | | |
|---|------------------|------------|-------------------|
| | एफआरबीएम अधिनियम | बजट अनुमान | वास्तविक |
| राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में) | (-) 168.80 | (+) 1,200 | (+) 2,651 |
| राजस्व घाटा/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में) | - | (+) 11.11 | 23.14 |
| राजकोषीय घाटा (राघा) (करोड़ रुपये में) | - | 1438.75 | (+)37 |
| राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी अनुपात (2008-09 तक) | 3.00 | 3.00 | 0.00 ³ |
| वृद्धिजन्य राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में) | 5 प्रतिशत से कम | -- | 1.45 |
| बकाया ऋण देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में) | उपलब्ध नहीं | 29.96 | 24.42 |

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक स्थिति से प्रकट होता है कि राज्य ने वर्ष 2006-07 के लिए एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के साथ-साथ बजट अनुमान में प्रावधानित राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। एफआरबीएम अधिनियम में प्रावधानित लक्ष्यों, 2,651 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य एवं 37 करोड़ रुपये का राजकोषीय आधिक्य को चालू वर्ष की समाप्ति की तय समय सीमा से काफी पहले प्राप्त कर लिया गया था। राजस्व आधिक्य में बजट अनुमान से 1,451 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (656 करोड़ रुपये) के कारण रही। शासन द्वारा बजट अनुमान में अत्यधिक कुल व्यय प्रक्षेपण के बावजूद यह देखा गया कि बजट अनुमान में प्रक्षेपित राजकोषीय घाटा (1,438 करोड़ रुपये) की तुलना में 37 करोड़ रुपये का राजकोषीय आधिक्य बजट में अनुमानित 1,200 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य में तीव्र वृद्धि (1,451 करोड़ रुपये) के कारण हुई।

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार वृद्धिजन्य राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो कि इस अवधि में पूर्णतः सीमा में रहा (1.45 प्रतिशत)। वर्ष 2006-07 की अवधि में बकाया ऋण देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 24.42 प्रतिशत था जो कि बजट अनुमान की 29.96 प्रतिशत की सीमा में रहा। परिणामस्वरूप, राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से ऋण सुदृढीकरण एवं राहत सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए 93.26 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्राप्त की गई।

1.3 समग्र प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन

राज्य की समग्र प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार (भास) से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्ज और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंक से उधार) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे से

³ राज्य ने वर्ष 2006-07 के दौरान आधिक्य हासिल किया

प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 5 प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2006-07 की राज्य की कुल प्राप्तियाँ 26,729 करोड़ रुपये थी। इसमें राजस्व प्राप्तियाँ 11,453 करोड़ रुपये थी जो कुल प्राप्तियों की 43 प्रतिशत थी। शेष, पूँजीगत प्राप्तियों, उधारों एवं लोक लेखा प्राप्तियों से आयी थी।

तालिका 5: समग्र प्राप्तियों के संयोजन एवं वृद्धि में प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

| राज्य प्राप्तियों के संसाधन | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I राजस्व प्राप्तियाँ | 4,376 | 5,417 | 5,959 | 7,249 | 8,838 | 11,453 |
| II पूँजीगत प्राप्तियाँ | 1,004 | 1,632 | 2,443 | 1,925 | 1,252 | 1,294 |
| कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली* | 9 | 19 | 11 | 15 | 18 | 357 |
| लोक ऋण प्राप्तियाँ | 995 | 1,632 | 2,432 | 1,910 | 1,234 | 937 |
| विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ | - | - | - | - | - | - |
| III आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ | - | - | - | - | - | - |
| IV लोक लेखा प्राप्तियाँ | 5,620 | 6,924 | 7,071 | 9,295 | 10,807 | 13,982 |
| क अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | 428 | 375 | 474 | 449 | 380 | 409 |
| ख आरक्षित निधि | 149 | 256 | 158 | 301 | 247 | 405 |
| ग जमा तथा अग्रिम | 902 | 1,058 | 771 | 900 | 1,020 | 1,675 |
| घ उचन्त तथा विविध | 2,785 | 3,389 | 3,612 | 5,428 | 6,581 | 7,904 |
| ड प्रेषण | 1,356 | 1,846 | 2,056 | 2,217 | 2,579 | 3,589 |
| कुल प्राप्तियाँ | 11,000 | 13,973 | 15,473 | 18,469 | 20,897 | 26,729 |

* अंतर्राज्यीय समाशोधन को शामिल करते हुए

वर्ष 2006-07 की अवधि में राज्य की कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों (52 प्रतिशत) के साथ साथ राजस्व प्राप्तियाँ (43 प्रतिशत) तथा लोक ऋण प्राप्तियों (4 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा। राजस्व एवं पूँजीगत (लोक लेखे की प्राप्तियाँ सहित) प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों का क्रमशः 43 एवं 57 प्रतिशत थी। राज्य की कुल प्राप्तियाँ 2001-02 में 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 26,729 करोड़ रुपये हो गई। पूँजीगत ऋण प्राप्तियाँ जो भविष्य की दायित्वों की अदायगी उत्पन्न करती हैं; वर्ष 2001-02 में 995 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006-07 में 937 करोड़ रुपये हो गया। गत वर्ष की तुलना में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 339 करोड़ रुपये का सुधार हुआ। लोक लेखा के अंतर्गत कुल प्राप्तियों में उचन्त तथा विविध एवं जमा तथा अग्रिम का योगदान क्रमशः 57 और 12 प्रतिशत रहा।

1.3.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल हैं। समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि दर, उन प्राप्तियों का जीएसडीपी से अनुपात तथा उनकी उत्प्लावकता को तालिका 6 में दर्शाया गया है।


तालिका 6: राजस्व प्राप्तियाँ-आधारभूत पैमाने

(मूल्य: करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| राजस्व प्राप्तियाँ (राप्र) | 4,376 | 5,417 | 5,959 | 7,249 | 8,838 | 11,453 |
| स्व-कर (प्रतिशत) | 1,993 (45.5) | 2,327 (43.0) | 2,588 (43.4) | 3,228 (44.5) | 4,052 (45.8) | 5,046 (44.1) |
| कर-भिन्न राजस्व (प्रतिशत) | 722 (16.5) | 957 (17.7) | 1,124 (18.9) | 1,244 (17.2) | 1,229 (13.9) | 1,451 (12.7) |
| केन्द्रीय कर हस्तान्तरण (प्रतिशत) | 1,176 (26.9) | 1,350 (24.9) | 1,570 (26.3) | 1,876 (25.9) | 2,508 (28.4) | 3,199 (27.9) |
| सहायता-अनुदान (प्रतिशत) | 485 (11) | 783 (14.5) | 677 (11.4) | 901 (12.4) | 1,049 (11.9) | 1,757 (15.3) |
| राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत) | * | 23.8 | 10.0 | 21.6 | 21.9 | 29.6 |
| राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत) | 14.8 | 17.15 | 15.43 | 15.76 | 17.02 | 19.82 |
| राजस्व उत्पावकता (अनुपात) | * | 3.44 | 0.45 | 1.13 | 1.70 | 2.62 |
| राज्य स्व-कर उत्पावकता (अनुपात) | * | 2.42 | 0.5 | 1.29 | 1.98 | 2.17 |
| राज्य स्व-कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पावकता (अनुपात) | * | 1.42 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 1.20 |
| जीएसडीपी वृद्धि (प्रतिशत) | * | 6.91 | 22.23 | 19.14 | 12.87 | 11.29 |

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

चार्ट - 1.1



राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 21 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि के साथ वर्ष 2001-02 में 4,376 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 11,453 करोड़ रुपये हो गई। राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 की अवधि में 29.6 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः राज्य के स्वसंसाधनों में वृद्धि, केन्द्र द्वारा हस्तांतरित संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण हुई। जबकि 2006-07 की अवधि में 57 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वसंसाधनों से तथा कुल प्राप्तियों का 43 प्रतिशत का योगदान कर एवं कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों के हस्तांतरणों तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान को मिलाकर रहा। 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों में 2,615 करोड़ रुपये की वृद्धि प्राथमिक तौर पर 25 प्रतिशत (994 करोड़ रुपये) की कर राजस्व में वृद्धि, 18 प्रतिशत (222 करोड़ रुपये) कर भिन्न राजस्व में वृद्धि तथा भारत सरकार के

द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के राज्यांशों में 28 प्रतिशत (691 करोड़ रुपये) की वृद्धि के कारण रही। राजस्व प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि तथा जीएसडीपी की वृद्धि दर में मामूली कमी के कारण राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2005-06 में 1.7 से बढ़कर 2006-07 की अविध में 2.62 हो गई।

कर-राजस्व : चालू वर्ष के दौरान (5,046 करोड़ रुपये) कर-राजस्व में गत वर्ष (4,052 करोड़ रुपये) की तुलना में 25 प्रतिशत (994 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई। 2001-07 के दौरान कर राजस्व के संयोजन एवं प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 7** में दर्शाया गया है।

तालिका 7: कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| व्यापार एवं विक्रय पर कर | 940 | 1,102 | 1,299 | 1,674 | 2,089 | 2,843 |
| राज्य आबकारी | 314 | 362 | 402 | 458 | 635 | 707 |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 121 | 148 | 171 | 248 | 313 | 390 |
| माल तथा यात्रा कर | 196 | 252 | 230 | 287 | 395 | 302 |
| अन्य कर | 422 | 463 | 486 | 561 | 620 | 804 |
| योग | 1,993 | 2,327 | 2,588 | 3,228 | 4,052 | 5,046 |

वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही से विक्रय, व्यापार आदि पर करों से विगत वर्ष की तुलना में 754 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि हुई; एलकोहल के विक्रय में वृद्धि तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण एवं प्रक्रिया शुल्क में वृद्धि के कारण राज्य आबकारी शुल्क में 72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

कर-भिन्न राजस्व- कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोतों 56 प्रतिशत (813 करोड़ रुपये) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों से, 14 प्रतिशत (206 करोड़ रुपये) वानिकी एवं वन्य जीवन से, आठ प्रतिशत (115 करोड़ रुपये) वृहद् मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं से रही। कर-भिन्न राजस्व में 2005-06 में 1,229 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2006-07 में 1,451 करोड़ रुपये की 18 प्रतिशत (222 करोड़ रुपये) की वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों से रायल्टी के रूप में राजस्व में वृद्धि (92 करोड़ रुपये) तथा वृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई एवं घरेलू उपयोग हेतु जल विक्रय से प्राप्ति (69 करोड़ रुपये) रही।

राज्य के कर एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में बाविआ तथा राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान में किये गये निर्धारण को नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

| | बारहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण | बजट अनुमान | वास्तविक |
|------------------------------|---|------------|----------|
| राज्य के कर-राजस्व | 3,901 | 4,796 | 5,046 |
| राज्य के स्व कर-भिन्न राजस्व | 1,402 | 1,469 | 1,451 |

वर्ष 2006-07 में कर-राजस्व साथ ही साथ कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारित मानकों से क्रमशः 29.35 प्रतिशत एवं 3.49 प्रतिशत अधिक थीं। कर राजस्व के वास्तविक प्राप्तियाँ राज्य सरकार द्वारा 2006-07 के लिए बजट अनुमानों में किये गये निर्धारणों से अधिक थी, पर कर-भिन्न राजस्व के मामले में प्राप्तियाँ कम थी।

केन्द्रीय कर हस्तांतरण- केन्द्रीय कर हस्तांतरण में 691 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) की वृद्धि वर्ष 2005-06 में 2,508 करोड़ रुपये से 2006-07 में 3,199 करोड़ रुपये मुख्यतः निगम कर में 306 करोड़ रुपये (44 प्रतिशत), निगम कर के अतिरिक्त आय के करों में 118 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत), सीमा शुल्क में 135 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) एवं सेवा कर में 122 करोड़ रुपये (66 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान- भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2005-06 में 1,049 करोड़ रुपये के तुलना में वर्ष 2006-07 में 1,757 करोड़ रुपये रहा, जो कि गत वर्ष की तुलना में 708 करोड़ रुपये (67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः आयोजना-भिन्न अनुदानों 125 करोड़ रुपये (56 प्रतिशत), राज्य योजनागत योजनाओं में 331 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं में 135 करोड़ रुपये (67 प्रतिशत) के कारण हुई (तालिका 8)। आयोजना-भिन्न अनुदान के अंतर्गत मुख्य योगदान आपदा राहत निधि (150 करोड़ रुपये) के लिए थी। राज्य आयोजना योजनाओं के अंतर्गत, खण्ड अनुदान में 281 करोड़ रुपये एवं अन्य अनुदान में 120 करोड़ रुपये की बढ़त थी। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सड़क एवं सेतु में 73 करोड़ रुपये, वन एवं वन्य जीव में 13 करोड़ रुपये तथा नागरिक आपूर्ति अनुदान में छः करोड़ रुपये की वृद्धि थी।

तालिका 8: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 148.03 | 263.69 | 308.33 | 441.72 | 525.48 | 856.39 |
| आयोजना-भिन्न अनुदान | 180.88 | 195.15 | 135.09 | 182.32 | 224.95 | 350.44 |
| केन्द्र, केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं तथा विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 155.47 | 324.55 | 233.54 | 276.81 | 298.80 | 550.57 |
| योग | 484.38 | 783.39 | 676.96 | 900.85 | 1,049.23 | 1,757.40 |
| गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता | * | 62 | (-)14 | 33 | 16 | 67 |

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया

राजस्व बकाया - राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2007 की स्थिति में राजस्व बकाया की राशि 299.35 करोड़ रुपये थी जिसमें से 216.50 करोड़ रुपये (72 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (156.51 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (19.93 करोड़ रुपये), विद्युत शुल्क पर कर (10.51 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (5.77 करोड़ रुपये), मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (2.87 करोड़ रुपये), भूगर्भ एवं खनिज (1.84 करोड़ रुपये) तथा जल संसाधन विभाग (101.92 करोड़ रुपये) से संबंधित थे।

1.4 संसाधनों का उपयोग

1.4.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण-12 राजस्व व्यय को लघु लेखा शीर्षवार तथा पूँजीगत व्यय को मुख्य लेखाशीर्षवार दर्शाता है। राज्यों द्वारा अपने सार्वभौमिक प्रयोजनों के निष्पादन, वर्तमान प्रवृत्ति की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को बनाये रखने, इन सेवाओं के तंत्र को पूँजीगत व्यय एवं निवेश द्वारा विस्तारित करने तथा ऋण सेवाओं के दायित्व के

निर्वाहन हेतु अपने संसाधनों की वृद्धि की जाती है। राज्य का कुल व्यय 2001-02 में 5,502 करोड़ रुपये से 2006-07 में बढ़कर 11,773 करोड़ रुपये हो गया। राज्य का कुल व्यय, उसकी वार्षिक वृद्धि एवं राज्य की व्यय से जीडीपी का अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियों से व्यय एवं जीएसडीपी का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में इसकी उत्प्लावकता तालिका 9 में दर्शायी गई है।

तालिका 9: कुल व्यय-आधारभूत पैमाने

(मूल्य करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कुल व्यय* (करोड़ रुपये में) | 5,502 | 6,409 | 8,174 | 8,495 | 9,291 | 11,773 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | ** | 16.5 | 27.5 | 3.9 | 9.4 | 26.7 |
| राजस्व व्यय (करोड़ रुपये में) | 4,945 | 5,530 | 6,600 | 7,103 | 7,457 | 8,802 |
| पूँजीगत व्यय (करोड़ रुपये में) | 476 | 820 | 1,016 | 1,279 | 1,497 | 2,198 |
| कर्ज एवं अग्रिम# (करोड़ रुपये में) | 81 | 59 | 558 | 113 | 337 | 773 |
| कु.व्य./जीएसडीपी (अनुपात) | 18.6 | 20.3 | 21.2 | 18.47 | 17.9 | 20.4 |
| राजस्व प्राप्तियाँ /कु.व्य (अनुपात) | 79.5 | 84.5 | 72.9 | 85.3 | 95.1 | 97.3 |
| कुल व्यय की उत्प्लावकता निम्न के संदर्भ में: | | | | | | |
| जीएसडीपी (अनुपात) | ** | 2.38 | 1.24 | 0.20 | 0.73 | 2.36 |
| राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) | ** | 0.69 | 2.75 | 0.18 | 0.4 | 0.90 |

* कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज एवं अग्रिम शामिल है।

** राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

अंतर्राज्यीय समाशोधन शामिल है।

कुल व्यय 11,773 करोड़ रूपयों में से राजस्व व्यय का अंश 75 प्रतिशत (8,802 करोड़ रूपये) था तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिमों को मिलाकर पूँजीगत व्यय का अंश 25 प्रतिशत (2,971 करोड़ रूपये) था। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में 2,482 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जिसमें से राजस्व व्यय का अंश 1,345 करोड़ रूपये तथा पूँजीगत व्यय का अंशदान 701 करोड़ रूपये (मुख्यतः आयोजना शीर्ष के अन्तर्गत 676 करोड़ रूपये) तथा कर्ज एवं अग्रिमों की अदायगी में 436 करोड़ रूपये की वृद्धि थी। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में से आयोजना-भिन्न मद में 748 करोड़ रूपये की वृद्धि के साथ 6,226 करोड़ रूपये तथा योजना मद में 1,734 करोड़ रूपये की वृद्धि के साथ 5,547 करोड़ रूपये व्यय किये गये। चालू वर्ष के दौरान, कुल व्यय के 97 प्रतिशत (11,453 करोड़ रूपये) की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से एवं शेष की पूर्ति पूँजीगत प्राप्तियों तथा उधार ली गई निधियों से की गई। राज्य के पास 37 करोड़ रूपये का राजकोषीय आधिक्य अभी भी उपलब्ध था। वर्ष 2006-07 में कुल व्यय की जीएसडीपी से उत्प्लावकता 2.36 थी जो आय में वृद्धि से अधिक व्यय तथा जीएसडीपी के संबंध में कुल व्यय की उच्चतर लोचता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

पूँजीगत व्यय राज्य शासन द्वारा बजट में अनुमानित व्यय से 433 करोड़ रूपये की कमी के साथ 2,198 करोड़ रूपये रहा। अवधि 2005-06 के दौरान किये गये 1,497 करोड़ रूपये के व्यय पर 701 करोड़ रूपये की वृद्धि के साथ 2006-07 की अवधि में 2,198 करोड़ रूपये की पूँजीगत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण परिवहन व्यय में 268 करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास में 110 करोड़ रूपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 89 करोड़ रूपये तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं पर 55 करोड़ रूपये के व्ययों की वृद्धि रही।

कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्ति


कार्यकलापों के संदर्भ में कुल व्यय, ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ-अनुदान तथा कर्ज एवं अग्रिमों पर व्यय को सम्मिलित कर देखा जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सम्बन्धित अंश को तालिका 10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10 : व्यय के घटक- संबंधित अंश

(प्रतिशत में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| सामान्य सेवाएं | 32.1 | 29.0 | 26.6 | 29.7 | 23.8 | 23.05 |
| जिसमें, ब्याज अदायगियाँ | 13.29 | 12.64 | 12.89 | 13.56 | 10.34 | 8.71 |
| सामाजिक सेवाएं | 36.7 | 34.7 | 30.0 | 31.6 | 34.6 | 33.66 |
| आर्थिक सेवाएं | 27.3 | 32.9 | 33.3 | 34.4 | 34.4 | 32.69 |
| सहायतार्थ-अनुदान | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 4.04 |
| कर्ज एवं अग्रिम | 1.5 | 0.9 | 6.8 | 1.3 | 3.6 | 6.6 |

चार्ट-1.2



वर्ष 2006-07 के दौरान कुल व्यय में से गैर-विकासात्मक व्यय (सामान्य सेवायें ब्याज अदायगियाँ सहित) 23 प्रतिशत, विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर) 66 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिम और सहायता अनुदान 11 प्रतिशत था। सामान्य सेवाओं, ब्याज अदायगियाँ सहित, पर व्यय का अंश वर्ष 2001-07 के दौरान कुल मिलाकर घटाव की प्रवृत्ति दर्शाता था किन्तु विकासात्मक व्यय का अंश संपूर्ण अवधि में उगमगति प्रवृत्ति तथा 63 से 69 प्रतिशत के मध्य प्रदर्शित रहा। सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय के संबंधित अंशों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी।

1.4.2 राजस्व व्यय का प्रभाव क्षेत्र

कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रमुख अंश रहा। राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पूर्व की देयताओं के लिए किया जाता है अतः यह राज्य के आधारभूत

ढाँचे एवं सेवा तंत्र में वृद्धि नहीं करता है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय का जीएसडीपी तथा राजस्व प्राप्तियों से अनुपात एवं इसकी उत्प्लावकता को तालिका 11 में दर्शाया गया है।

तालिका 11: राजस्व व्यय: आधारभूत पैमाने

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजस्व व्यय | 4,945 | 5,530 | 6,600 | 7,103 | 7,457 | 8,802 |
| जिसमें | | | | | | |
| आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) | 3,928 | 4,260 | 5,059 | 5,483 | 5,449 | 6,194 |
| आयोजनागत राजस्व व्यय (आराव्य) | 1,017 | 1,270 | 1,541 | 1,620 | 2,008 | 2,608 |
| वृद्धि दर एवं अनुपात (प्रतिशत) | | | | | | |
| राजस्व व्यय की वृद्धि दर | * | 11.83 | 19.35 | 7.62 | 4.98 | 18.04 |
| आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर | * | 8.45 | 18.76 | 8.38 | (-)0.62 | 13.67 |
| आयोजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर | * | 24.88 | 21.34 | 5.13 | 23.95 | 29.88 |
| आयोजनेत्तर राजस्व व्यय /जीएसडीपी (प्रतिशत) | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 11.91 | 10.49 | 10.72 |
| आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में | 71.4 | 66.47 | 61.9 | 64.54 | 58.65 | 52.62 |
| आयोजनेत्तर राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में | 89.76 | 78.64 | 84.9 | 75.60 | 61.65 | 54.08 |
| राजस्व व्यय का उत्प्लावका के रूप में | | | | | | |
| जीएसडीपी (अनुपात) | * | 1.71 | 0.87 | 0.40 | 0.39 | 1.60 |
| राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) | * | 0.5 | 1.93 | 0.35 | 0.23 | 0.61 |

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

राजस्व व्यय 2001-02 में 4,945 करोड़ रुपये से 2006-07 में 8,802 करोड़ रुपये हो गया जिसमें आयोजना-भिन्न व्ययों में 58 प्रतिशत तथा आयोजना व्ययों में 156 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्ययों में से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एनपीआरई) का अंशदान 2001-02 में 79 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 70 प्रतिशत रह गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर में 2006-07 में वृद्धि (13.67 प्रतिशत) का प्रमुख कारण सामान्य सेवाओं के व्ययों में 447 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं में 179 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) तथा सहायतार्थ अनुदान में 124 करोड़ रुपये (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजना राजस्व व्ययों का अंश जो कि सामान्यतः सेवाओं पर किए गए संधारण व्यय को अंतर्निहित करता है में 2001-07 की अवधि में अंशों को कुल राजस्व व्ययों के 21 से 30 प्रतिशत के बीच रखते हुए 1,591 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान एवं बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए निर्धारणों की तुलना वास्तविक आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

| | बारहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण | राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान | वास्तविक |
|--------------------------|---|-------------------------------|----------|
| आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय | 5,363 | 6,712 | 6,194 |

वास्तविक आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए मानक निर्धारण से 831 करोड़ रुपये अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में अपने बजट अनुमान में किये गए निर्धारण से 518 करोड़ रुपये कम रही।

1.4.3 प्रतिबद्ध व्यय

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय- वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2001-02 में 1,953 करोड़ रुपये से 2006-07 में बढ़कर 2,534 करोड़ रुपये हो गया जो तालिका 12 में दर्शाया गया है।

तालिका 12: वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

| शीर्ष | 2001-02# | 2002-03# | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| वेतन एवं मजदूरी पर व्यय* जिसमें | 1,953.16 | 1,947.05 | 2,061.68 | 2,118.56 | 2,339.01 | 2,534.16 |
| आयोजना भिन्न शीर्ष | 1,619.86 | 1,615.7 | 1,708.91 | 1,782.26 | 1,888.50 | 2030.83 |
| आयोजनागत शीर्ष | 333.30 | 331.35 | 352.77 | 336.30 | 450.51 | 503.33 |
| जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में | 6.61 | 6.16 | 5.34 | 4.60 | 4.50 | 4.39 |
| राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में | 44.63 | 35.94 | 34.6 | 29.22 | 26.46 | 22.13 |

* स्रोत: महालेखाकार लेखा एवं हक के व्हीएलसी आंकड़े।

वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के आंकड़े संशोधित किया गया है क्योंकि पहले के आंकड़ों में मजदूरी शामिल नहीं था।

2006-07 की अवधि में वेतन एवं मजदूरी, राज्य के जीडीपी का चार प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत लेखाकृत किए गए। वेतन एवं मजदूरी के कुल व्ययों का अस्सी प्रतिशत आयोजनेत्तर शीर्ष से तथा 20 प्रतिशत योजनागत शीर्ष से किया गया। वेतन एवं मजदूरी पर व्यय ब्याज एवं भुगतानों के अलावा कुल व्यय बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 35 प्रतिशत के मानक के अनुसार रहा।

पेंशन भुगतान में व्यय: वर्ष 2005-06 में पेंशन भुगतान में 540 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2006-07 में एक प्रतिशत वृद्धि के साथ 546 करोड़ रुपये रही। 2001-07 अवधि के वर्षवार पेंशन भुगतानों का व्यय तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13: पेंशन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

| शीर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06** | 2006-07** |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| पेंशन पर व्यय | 457.22 | 390.57 | 456.01 | 539.73 | 540.18 | 546.08 |
| जीएसडीपी से प्रतिशत के रूप में | 1.55 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.04 | 0.94 |
| राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत के रूप में | 10.45 | 7.21 | 7.65 | 7.44 | 6.11 | 4.77 |

** वित्त लेखे वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में पेंशन भुगतान के आंकड़े क्रमशः 461.57 करोड़ रुपये एवं 624.69 करोड़ रुपये हैं। पेंशन भुगतान की दर्ज की गई छ.ग. अंश की राशि 78.61 करोड़ रुपये की जानकारी म.प्र.शासन से देर से प्राप्त होने के कारण यह राशि वर्ष 2005-06 में शामिल नहीं किया जा सका जो कि वर्ष 2006-07 में शामिल किया गया। यह राशि दोनों वर्षों में समायोजन कर तुलना हेतु 540.18 करोड़ रुपये एवं 546.08 करोड़ रुपये लिया गया।

वर्ष 2006-07 में पेंशन भुगतान का राज्य सकल घरेलु उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियाँ के साथ का अनुपात क्रमशः 0.94 एवं 4.77 प्रतिशत रहा। पेंशन भुगतान का राज्य सकल घरेलु उत्पाद से अनुपात 2001-07 की अवधि में घटती हुई प्रवृत्ति थी, जबकी राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष में यह 2001-07 अवधि में घटती-बढ़ती हुए 10.45 प्रतिशत से 4.77 प्रतिशत मध्य रही। वर्ष 2006-07 के पेंशन भुगतान (546.08 करोड़ रुपये), राज्य के निर्धारित मध्यकालीन राजकोषीय नीति(एम टी एफ सी) विवरण (730.99 करोड़ रुपये) से कम था। मध्य कालिन राजकोषीय नीति विवरण के 17 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2015-16 तक अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं कुल 3003.21 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य शासन ने 17 प्रतिशत वृद्धि पिछले तीन वर्ष के आधार पर माना है, परंतु पिछले तीन वर्ष का पेंशन भुगतान का वास्तविक वृद्धि 13 प्रतिशत रहा।

ब्याज भुगतान- वर्ष 2001-07 के दौरान ब्याज अदायगी एवं उनका राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय से अनुपात विवरण **तालिका 14** में दिया गया है।

तालिका 14: ब्याज अदायगियाँ

| वर्ष | कुल राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रुपये में) | ब्याज अदायगियाँ | ब्याज अदायगी की प्रतिशतता | |
|---------|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में | राजस्व व्यय के संदर्भ में |
| 2001-02 | 4,376 | 731 | 16.7 | 14.8 |
| 2002-03 | 5,417 | 810 | 15.0 | 14.6 |
| 2003-04 | 5,959 | 1,054 | 17.7 | 16.0 |
| 2004-05 | 7,249 | 1,152 | 15.9 | 16.2 |
| 2005-06 | 8,838 | 962 | 10.9 | 12.9 |
| 2006-07 | 11,453 | 1,026 | 9.0 | 11.7 |

ब्याज भुगतान वर्ष 2005-06 में 962 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 1,026 करोड़ रुपये हो गया, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में ब्याज भुगतान का अंश 11 प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत हो गई, जो की बारवहें वित्त आयोग के 15 प्रतिशत मापदण्ड से नीचे रहा। ब्याज भुगतान आंतरिक ऋण पर (645 करोड़ रुपये), केंद्रीय सरकार से उठाया गया ऋण (176 करोड़ रुपये) तथा अन्य दायित्व (85 करोड़ रुपये) रहा।

अर्थ-साहाय्य: राज्य सरकार द्वारा दिए गए अर्थ-साहाय्य का विवरण **तालिका 15** में दर्शाया गया है।

तालिका 15 : अर्थ-साहाय्य

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपये में) | गत वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि अधिक (+)/कमी (-) | कुल व्यय में सहाय्य का प्रतिशत |
|---------|------------------------|--|--------------------------------|
| 2005-06 | 502.32 | लागू नहीं | 5.41 |
| 2006-07 | 361.07 | (-) 28.12 | 3.07 |

* वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2005-06 में अर्थ-साहाय्य 502 करोड़ रुपये से 28 प्रतिशत (141 करोड़ रुपये) घट कर वर्ष 2006-07 में 361 करोड़ रुपये रह गया। कुल व्यय में अर्थ-साहाय्य वर्ष 2005-06 में 5.41 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2006-07 में 3.07 प्रतिशत हो गया। अर्थ-साहाय्य में कमी का मुख्य कारण खाद्य, आवास एवं भण्डारण में 154.46 करोड़ रुपये की तीव्र कमी के कारण हुआ। परंतु उर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले 19.42 करोड़ रुपये की अर्थ-साहाय्य में वृद्धि हुई है।

1.5 आवंटित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.5.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढांचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। अतः पूँजीगत व्यय का कुल व्यय साथ ही साथ जीएसडीपी से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी संचालन हेतु किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपातिक व्यय की गुणवत्ता निर्धारित करता है। इन घटकों का कुल व्यय एवं जीएसडीपी से अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। 2001-07 के दौरान इनके अनुपातों को तालिका 16 में दिया गया है।

तालिका 16: व्यय की गुणवत्ता के सूचक

| | (करोड़ रुपये में) | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| पूँजीगत व्यय | 476 | 820 | 1,016 | 1,279 | 1,497 | 2,198 |
| राजस्व व्यय | 4,945 | 5,530 | 6,600 | 7,103 | 7,457 | 8,802 |
| जिसमें | | | | | | |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के साथ | 3,065 | 3,530 | 4,186 | 4,357 | 4,938 | 5,687 |
| वेतन एवं मजदूरी घटक | 1,569 | 1,558 | 1,636 | 1,675 | 1,849 | 1,995 |
| गैर वेतन एवं मजदूरी घटक | 1,496 | 1,972 | 2,550 | 2,682 | 3,089 | 3,692 |
| कुल व्यय से प्रतिशतता ⁴ | | | | | | |
| पूँजीगत व्यय | 8.78 | 12.91 | 13.34 | 15.26 | 16.72 | 19.98 |
| राजस्व व्यय | 91.22 | 87.09 | 86.66 | 84.74 | 83.28 | 80.02 |
| जीएसडीपी से प्रतिशतता | | | | | | |
| पूँजीगत व्यय | 1.61 | 2.60 | 2.63 | 2.78 | 2.88 | 3.80 |
| राजस्व व्यय | 16.74 | 17.51 | 17.09 | 15.44 | 14.36 | 15.23 |

वर्ष 2001-07 की अवधि में पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई एवं कुल व्यय में से राजस्व व्यय के अंश में वर्ष 2001-02 के 91 प्रतिशत से कमी आई फिर भी कुल व्यय में से राजस्व व्यय का अंश प्रभावी रहा जो 2006-07 में 80 प्रतिशत रहा। गत वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 47 प्रतिशत (701 करोड़ रुपये) की तीव्र वृद्धि हुई जो कुल व्यय का 20 प्रतिशत रहा। 2001-07 की अवधि में

⁴ केवल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय शामिल है।

कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति इंगित करती है कि राज्य शासन द्वारा राज्य उत्पादक संपत्तियों के ढांचे का विकास करने को वरीयता प्रदान की गई।

आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर हुए राजस्व व्यय में, वेतन एवं मजदूरी तत्व का घटक 2001-02 में 51 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 35 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-वेतन घटकों के अंश में 2001-02 में 49 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह इंगित करता है राज्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय तथा उनके रखरखाव एवं प्रदान पर केंद्रीत है।

1.5.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

यह तथ्य कि मानव विकास सूचकों जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, तथा पेयजल और सफाई सुविधाओं इत्यादि की उपलब्धता का गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक प्रगति के साथ प्रबल सम्बन्ध है अतः यह विवेकपूर्ण होगा कि राज्य में इन सेवाओं के विस्तार एवं कुशल प्रबन्ध के सम्बन्ध में आकलन किया जावे। राज्य में 2001-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का सारांश तालिका 17 में दिया गया है।

तालिका 17 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 695.44 | 744.25 | 932.40 | 1136.41 | 1224.07 | 1408.07 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 569.23 | 565.22 | 624.13 | 663.56 | 680.91 | 714.08 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 126.21 | 179.03 | 308.27 | 472.85 | 543.16 | 693.99 |
| पूंजीगत व्यय | 2.05 | 6.22 | 37.02 | 53.28 | 77.26 | 133.85 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 231.54 | 251.91 | 258.37 | 277.60 | 292.87 | 341.97 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 170.89 | 175.62 | 185.71 | 193.60 | 200.68 | 223.58 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 60.65 | 76.29 | 72.66 | 84.00 | 92.19 | 118.39 |
| पूंजीगत व्यय | 12.41 | 19.62 | 33.71 | 38.62 | 38.48 | 75.63 |
| जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 197.67 | 233.44 | 243.12 | 228.22 | 311.51 | 577.62 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 32.33 | 32.31 | 33.33 | 34.72 | 37.25 | 49.98 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 165.34 | 210.13 | 209.79 | 193.50 | 274.26 | 527.64 |
| पूंजीगत व्यय | 56.18 | 47.80 | 44.12 | 50.73 | 43.07 | 114.48 |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 790.10 | 856.85 | 834.58 | 788.72 | 1019.28 | 1131.24 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 409.32 | 396.56 | 380.11 | 362.31 | 396.70 | 715.53 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 380.78 | 460.29 | 454.47 | 426.41 | 622.58 | 415.71 |
| पूंजीगत व्यय | 35.82 | 63.18 | 70.61 | 113.09 | 208.51 | 179.01 |
| कुल योग (सामाजिक सेवाएं) | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 1914.75 | 2086.45 | 2268.47 | 2430.95 | 2847.73 | 3458.90 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 1181.77 | 1169.71 | 1223.28 | 1254.19 | 1315.54 | 1703.17 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 732.98 | 916.74 | 1045.19 | 1176.76 | 1532.19 | 1755.73 |
| पूंजीगत व्यय | 106.46 | 136.82 | 185.46 | 255.72 | 367.32 | 502.97 |
| कुल योग | 2021.21 | 2223.27 | 2453.93 | 2686.67 | 3215.05 | 3961.87 |

सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2001-02 में 2,021 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 3,962 करोड़ रुपये हो गया एवं 2006-07 में कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 36 प्रतिशत (11,000 करोड़ रुपये) रहा। शिक्षा स्वास्थ्य सेवायें, जल प्रदाय, विकास इत्यादी पर व्यय वर्ष 2006-07 में सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का 67 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2001-07 की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति से प्रकट हुआ कि पूंजीगत व्यय का अंश 5 से 13 प्रतिशत के सीमा में रहा जो यह दर्शाता है कि राजस्व व्यय प्रभावी रहा। सामाजिक सेवाओं के कुल राजस्व व्यय में से वेतन एवं मजदूरी घटक का अंश 2001-02 में 62 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 49 प्रतिशत रहा इसका तात्पर्य है कि गैर-वैतनिक घटकों पर अधिक व्यय बेहतर गुणवत्ता की सेवाओं देने की ओर इंगित करता है। तथापि वेतन एवं मजदूरी घटक का अंश 2005-06 में 46 प्रतिशत से 2006-07 में बढ़कर 49 प्रतिशत रहा। सामाजिक सेवाओं में गैर-वैतनिक एवं मजदूरी के व्यय में 2001-07 की अवधि में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 733 करोड़ रुपये से वर्ष 2006-07 में 1,756 करोड़ रुपये रहा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के लिए, बारवहें वित्त आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अन्तर्गत आयोजनेत्तर वेतन व्यय पाँच से छः प्रतिशत बढ़े जबकि आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत गैर-वेतन व्यय उक्त अवधि के दौरान 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ना चाहिए था। तथापि शिक्षा में आयोजना-भिन्न (वेतन एवं मजदूरी) में 4.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पाँच प्रतिशत के करीब है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 11.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बारवहें वित्त आयोग के छः प्रतिशत की अनुशंसा से अधिक रहा परन्तु गैर वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में शिक्षा के अंतर्गत 27.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 28.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बारवहें वित्त आयोग के 30 प्रतिशत के मानक से थोड़ा कम रहा।

1.5.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं हेतु व्यय में ऐसे सभी व्यय शामिल होते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादक क्षमता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करते हैं। वर्ष 2006-07 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय (3,848 करोड़ रुपये) कुल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय (11,000 करोड़ रुपये) का 35 प्रतिशत रहा इनमें से आर्थिक सेवाओं पर हुए व्यय का लगभग 74 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उर्जा एवं परिवहन पर उपयोग किया गया (तालिका 18)।

तालिका 18 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 467.37 | 656.92 | 1041.06 | 965.57 | 989.88 | 910.73 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 251.30 | 253.34 | 269.12 | 271.76 | 349.13 | 362.15 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 216.07 | 403.58 | 771.94 | 693.81 | 640.75 | 540.58 |
| पूँजीगत व्यय | 18.87 | 23.18 | 23.34 | 34.64 | 26.30 | 80.64 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 84.35 | 158.83 | 132.62 | 120.51 | 123.00 | 136.24 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 52.72 | 54.14 | 58.48 | 59.34 | 68.42 | 75.35 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 31.63 | 104.69 | 74.14 | 61.17 | 54.58 | 60.89 |
| पूँजीगत व्यय | 204.19 | 365.88 | 417.24 | 621.49 | 547.07 | 636.41 |
| उर्जा एवं शक्ति | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 82.43 | 86.22 | 93.43 | 153.97 | 136.68 | 183.49 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | - | - | - | - | - | - |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 82.43 | 86.22 | 93.43 | 153.97 | 136.68 | 183.49 |
| पूँजीगत व्यय | - | - | - | - | 25.00 | 0.02 |
| परिवहन | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 131.38 | 181.70 | 172.04 | 161.62 | 161.65 | 230.52 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | - | - | - | - | 24.29 | 44.69 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 131.38 | 181.70 | 172.04 | 161.62 | 137.36 | 185.83 |
| पूँजीगत व्यय | 101.12 | 246.59 | 311.80 | 284.38 | 403.98 | 672.25 |
| अन्य आर्थिक सेवाएं | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 385.06 | 359.39 | 478.08 | 523.95 | 678.64 | 767.08 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 83.06 | 80.46 | 84.91 | 89.87 | 91.80 | 97.51 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 302.00 | 278.93 | 393.17 | 434.08 | 586.84 | 669.57 |
| पूँजीगत व्यय | 25.53 | 28.10 | 55.85 | 53.63 | 99.67 | 231.03 |
| कुल योग (आर्थिक सेवाएं) | | | | | | |
| राजस्व व्यय जिसमें | 1,150.59 | 1,443.06 | 1,917.23 | 1,925.62 | 2,089.85 | 2,228.06 |
| (अ) वेतन एवं मजदूरी घटक | 387.08 | 387.94 | 412.51 | 420.97 | 533.64 | 579.70 |
| (ब) गैर-वेतन एवं मजदूरी घटक | 763.51 | 1,055.12 | 1,504.72 | 1,504.65 | 1,556.21 | 1,648.36 |
| कुल पूँजीगत व्यय | 349.71 | 663.75 | 808.23 | 994.14 | 1,102.02 | 1,620.35 |

आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय 2001-02 में 1,151 करोड़ रुपये से 2006-07 में बढ़कर 2,228 करोड़ रुपये हो गया जबकि पूँजीगत व्यय 350 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,620 करोड़ रुपये हो गया।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति 2001-07 की अवधि में यह दर्शाती है कि पूँजीगत व्यय 2001-02 में 349.71 करोड़ रुपये (23 प्रतिशत) से बढ़कर 2006-07 में 1,620.35 करोड़ रुपये (42 प्रतिशत) हो गया, जबकि राजस्व व्यय

2001-02 में 1,150.59 करोड़ रुपये (77 प्रतिशत) से बढ़कर 2006-07 में 2,228.06 करोड़ रुपये (58 प्रतिशत) हो गया परन्तु कुल व्यय में इसका अंश घटा। गत वर्ष की तुलना में 2006-07 के पूंजीगत व्यय में 518 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः परिवहन (268 करोड़ रुपये), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (89 करोड़ रुपये) एवं कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों (55 करोड़ रुपये) के शीर्ष के अंतर्गत हुई। राजस्व व्यय में से वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2001-02 में 387 करोड़ रुपये (34 प्रतिशत) से बढ़कर 2006-07 में 580 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) एवं गैर वेतन घटक 764 करोड़ (66 प्रतिशत) से बढ़कर 1648 करोड़ रुपये (74 प्रतिशत) हो गया जो कि सेवा की बेहतर गुणवत्ता तथा रखरखाव के लिए आवंटित प्राथमिकताओं को इंगित करता है।

1.5.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

2001-07 की छः वर्ष की समयावधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान तथा ऋण के रूप में प्रदत्त आर्थिक सहायता की मात्रा तालिका 19 में प्रस्तुत है।

तालिका 19: स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | सहायता | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | शिक्षा | 86.75 | 89.94 | 118.06 | 145.87 | 143.00 | 75.91 |
| 2. | उर्जा/शक्ति | 64.25 | 65.00 | 88.27 | 146.72 | 165.67 | 572.13 |
| 3 | कृषि | 15.60 | 16.46 | 12.16 | 15.13 | 22.67 | 25.31 |
| 4 | नगरीय प्रशासन एवं विकास* | 7.72 | 8.24 | 24.60 | 23.69 | 22.29 | 289.72 |
| 5 | नगर निगम एवं नगर पालिका* | 179.91 | 215.96 | 331.16 | 319.74 | 426.99 | 581.59 |
| 6 | पंचायती राज संस्थाओं* | 345.03 | 398.58 | 485.04 | 517.28 | 660.74 | 857.10 |
| 7 | अन्य संस्थायें | 2.03 | 4.96 | 0.86 | 27.27 | 484.24 | 219.79 |
| योग | | 701.29 | 799.14 | 1060.15 | 1195.70 | 1925.60 | 2621.55 |
| गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि (+)/ कमी (-) | | # | 13.95 | 32.66 | 12.79 | 61.04 | 36.14 |
| राजस्व प्राप्तियों का सहायता प्रतिशत | | 16.03 | 14.75 | 17.79 | 16.49 | 21.79 | 22.89 |
| राजस्व व्यय का सहायता प्रतिशत | | 14.18 | 14.45 | 16.06 | 16.83 | 25.82 | 29.78 |

* स्रोत: विनियोग लेखे

राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

वर्ष 2006-07 की अवधि में तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए जारी अनुदानों में कमी के कारण शिक्षा के लिए जारी अनुदानों में 67 करोड़ रुपये की कमी आई। उर्जा क्षेत्र में जारी अनुदान राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई यह वर्ष 2005-06 के 165.67 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 572.13 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि देखी गई इसका मुख्य कारण निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु पंपसेटों के उर्जाकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के विद्युतीकरण कार्य के लिए जारी अधिक अनुदान राशि रहा। नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को जारी अनुदान राशि में 154.60 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

सहायता अनुदानों के नियमों एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में अपेक्षित है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदान का उसी वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह उपयोग होना चाहिए। शेष यदि कोई हो, तो उसे शासन को अतिशीघ्र वापस कर देना चाहिए। तथापि वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/निकायों को जारी किए गए अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। वर्ष में कुल 2,621.55 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया जिसमें से 220.82 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया गया (**परिशिष्ट 1.6**)। विभाग वार अनुपयोगी अनुदान का विवरण शासन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

1.6 परिसम्पत्तियाँ और देयतायें

सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों तथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2006 के तदनुसृत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2007 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट-1.2** प्रकट करता है। जबकि देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है। **परिशिष्ट-1.5**, 2001-07 की अवधि के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आंकड़े दर्शाता है।

1.6.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

20 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनायें जिनमें 2,145.74 करोड़ रुपये की लगी पूँजी के वित्तीय परिणाम देखने से वर्ष 2006-07 की अवधि में 85.18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो पूँजी निवेश का मात्र चार प्रतिशत है।

1.6.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2007 तक जल संसाधन विभाग से संबंधित 63 अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्णता से संबंधित जानकारी विभाग से अपेक्षित है।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2007 तक राज्य शासन द्वारा 159.64 करोड़ रुपये 11 सांविधिक निगमों एक सरकारी कंपनी, दो संयुक्त पूँजी कंपनियों, दो सहकारी समितियों में निवेश किए गए (**तालिका 20**) गत तीन वर्षों से निवेश पर घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

तालिका 20: निवेश एवं प्रतिफल

| वर्ष | वर्ष के अंत पर निवेश | प्रतिफल | सरकारी उधारों पर ब्याज पर औसत दर | ब्याज दर एवं प्रतिफल का अंतर |
|---------|----------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| | (करोड़ रुपये में) | | | |
| 2001-02 | 15.29 | 5.00 | -- | |
| 2002-03 | 35.94 | 25.57 | 9.72 | 15.85 |
| 2003-04 | 56.94 | 34.82 | 10.34 | 24.48 |
| 2004-05 | 87.86 | - | 9.85 | - |
| 2005-06 | 103.24 | - | 7.54 | - |
| 2006-07 | 159.64 | - | 7.49 | - |

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नवम्बर 2000 में अपने निर्माण के पश्चात निवेश किया गया; अतः लाभांश के प्रतिशत का आकलन नहीं किया जा सकता जैसे कि राज्य निर्माण से पूर्व किये गये निवेश को दो राज्यों के बीच अभी तक विभाजित नहीं किया गया है।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इनके बहुत से संगठनों/संस्थाओं को कर्ज तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2007 को रुपये 1,604.61 करोड़ (तालिका 21) दिये गये। इन कर्जों के समक्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त ब्याज गत वर्ष के 5.20 प्रतिशत की तुलना में 6.12 प्रतिशत था।

तालिका 21: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------|
| प्रारम्भिक शेष | 138.33 | 184.34 | 223.58 | 770.62 | 868.87 | 1,188.43 |
| वर्ष के दौरान दी गयी राशि | 49.52 | 57.70 | 557.68 | 113.04 | 337.48 | 771.13 |
| वर्ष के दौरान चुकायी गयी राशि | 3.51 | 18.46 | 10.64 | 14.79 | 17.92 | 354.95 |
| अन्त शेष | 184.34 | 223.58 | 770.62 | 868.87 | 1,188.43 | 1,604.61 |
| निवल वृद्धि | 46.01 | 39.24 | 547.04 | 98.25 | 319.56 | 416.18 |
| प्राप्त ब्याज | 0.03 | 31.54 | # | 45.81 | 53.66 ⁵ | 85.50 |
| प्राप्त ब्याज का बकाया कर्ज तथा अग्रिम से प्रतिशत | 0.02 | 15.46 | - | 5.6 | 5.2 | 6.12 |
| राज्य सरकार द्वारा उधारों पर चुकाई गई औसत ब्याज दर (प्रतिशत में) | -- | 9.72 | 10.34 | 9.85 | 7.54 | 7.49 |
| प्राप्त तथा चुकाये गये औसत ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत) | -- | 5.74 | -- | (-)4.25 | (-)2.34 | (-) 1.37 |

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि के मुख्य कारण आवास एवं शहरी विकास में 511.67 करोड़ रुपये एवं खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग में 199.60 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि के कारण रहा।

1.6.5 नकद शेष का प्रबंधन

सामान्यतः यह वांछनीय है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्वों के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, संसाधनों के प्रवाह एवं व्यय के दायित्वों में किसी भी अस्थायी असंगति का ध्यान रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम

⁵ ये आंकड़े गलती से वित्त लेखे में 5.49 करोड़ रुपये दर्शाया गया था जो वर्तमान में सुधार कर 53.66 करोड़ रुपये किया गया।

(डब्ल्यू एम ए), साधारण एवं विशेष की एक प्रक्रिया रखी गयी है। राज्य सरकार द्वारा 2001-07 के दौरान न ही मार्गोपाय अग्रिम और न ही ओवरड्राफ्ट लिया गया।

1.7 बकाया देयतायें

1.7.1 राजकोषीय देयतायें-लोक ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ

लोक ऋण एवं अन्य देयताएं नाम से दो तरह की देयताएं होती हैं। लोक ऋण में राज्य के आन्तरिक ऋण शामिल होते हैं और समेकित निधि- पूँजीगत लेखे के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किये जाते हैं। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य उसकी विधायिका के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अपनी समेकित निधि की प्रत्याभूति पर भारत की सीमा के अन्दर उधार ले सकता है एवं निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है।

अन्य देयताएं, जो लोक लेखों की भाग होती हैं, में अल्प बचत योजना में निक्षेप, भविष्य निधि तथा अन्य प्राप्ति सम्मिलित हैं।

तालिका 22 में राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, इन देयताओं का जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों एवं स्व-संसाधनों का अनुपात तथा राजकोषीय देयताओं की इन पैमानों के सम्बन्ध में उत्प्लावकता भी दी गयी है।

तालिका 22: राजकोषीय देयतायें-आधारभूत पैमाने

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 ⁶ | 2006-07 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|
| राजकोषीय देयताएं (करोड़ रुपये में) | 7,421 | 9,245 | 11,144 | 12,240 | 13,273 | 14,113 |
| वृद्धि दर (प्रतिशत) | * | 24.6 | 20.5 | 9.8 | 8.4 | 6.3 |
| राजकोषीय देयताओं का अनुपात (के साथ) | | | | | | |
| जीएसडीपी (प्रतिशत) | 25.12 | 29.27 | 28.86 | 26.61 | 25.56 | 24.42 |
| राजस्व प्राप्तियों (प्रतिशत) | 169.6 | 170.7 | 187.0 | 168.9 | 150.2 | 123.2 |
| स्व-संसाधनों (प्रतिशत) | 273.3 | 281.52 | 300.2 | 273.7 | 251.3 | 217.2 |
| राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता (के साथ) | | | | | | |
| जीएसडीपी (अनुपात) | * | 3.55 | 0.92 | 0.51 | 0.65 | 0.56 |
| राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) | * | 1.03 | 2.05 | 0.45 | 0.38 | 0.21 |
| स्व-संसाधनों (अनुपात) | * | 1.17 | 1.57 | 0.48 | 0.46 | 0.27 |

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

राज्यों के कुल राजकोषीय देयताओं 2001-02 में 7421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 14,113 करोड़ रुपये हो गया। गत वर्ष के तुलना में 2006-07 में वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत था। जीएसडीपी में वर्ष 2006-07 में वृद्धि के कारण राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 2001-02 में 25.12 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 24.42 प्रतिशत रह गया। 2006-07 के अंत तक यह देयतायें राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 1.23 गुणा एवं स्व-संसाधनों का 2.17 गुणा रहा। जीएसडीपी के संबंध में ये देयताओं की उत्प्लावकता में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई परन्तु 2002-03 में 3.55 से

⁶ वर्ष 2005-06 के लिए कुल देयताएं का पुननिर्धारण रु 13,273.18 करोड़ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को रुपये 3.28 करोड़ का प्रोफार्मा हस्तांतरण करने के कारण किया गया।

घटकर चालू वर्ष में 0.56 रहा जो यह इंगित करता है कि जीएसडीपी में हर एक प्रतिशत की वृद्धि पर राजकोषीय देयताओं में 0.56 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

राज्य शासन ने गैर-वापसी योग्य बाजार ऋण से तीन प्रतिशत राशि को स्थानांतरित कर वर्ष 2001-02 से एक निक्षेप निधि का निर्माण एवं संधारण किया है। निक्षेप निधि के निर्माण के पश्चात् इसमें से कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2007 के अंत तक कुल 446.94 करोड़ रुपये शेष उपलब्ध था। निक्षेप निधि की कुल शेष राशि भारत सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

1.7.2 प्रतिभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

राज्य के समेकित निधि के ऊपर प्रत्याभूतियाँ वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा अदायगी न करने के कारण उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखे के विवरण-6 के अनुसार वर्ष 2001-02 से राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ जो वर्ष के अन्त में रही, तालिका 23 में दी गई है।

तालिका 23: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गयी प्रतिभूतियाँ

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | प्रतिभूति की अधिकतम राशि | प्रतिभूति की बकाया राशि |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| 2001-02 | 508 | 466 |
| 2002-03 | 309 | 266 |
| 2003-04 | 807 | 295 |
| 2004-05 | 1,343 | 620 |
| 2005-06 | 1,782 | 855 |
| 2006-07 | 2,483 | 486 |

राज्य शासन के प्रतिभूति पर विभिन्न निगमों एवं अन्य के द्वारा उठाये गये ऋण, वर्ष 2006-07 के अंत तक 486 करोड़ रुपये रहे। प्रतिभूति का बकाया राशि आकस्मिक देयताएं के रूप में हैं जो राज्य के राजस्व प्राप्तियों का लगभग चार प्रतिशत रहा। विधान सभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ एफआरबीएम अधिनियम (संशोधित) 2006 द्वारा नियत किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में सामान्य नियमों पर जीएसडीपी का 1.5 प्रतिशत तथा जोखिम भारित पर 0.5 प्रतिशत दोनों में जो कम हो, से अधिक के लिए कोई नई गारंटी नहीं देगा। 2006-07 की अवधि में राज्य शासन द्वारा 701 करोड़ रुपये की प्रतिभूति दिया गया है जो जीएसडीपी का 1.21 प्रतिशत है।

1.8 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी सम्बन्ध है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में

वृद्धि के समरूप होनी चाहिए। ऋण-जीएसडीपी अनुपात के रूप में ऋण स्थिरीकरण ऋण धारणीयता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

1.8.1 ऋण स्थिरीकरण

स्थायित्वता की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण * दर विस्तार), ऋण टिकाऊन की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी आयेगी। ऋण- स्थिरीकरण की प्रगति को प्रदर्शित करने वाले राजकोषीय चलों की प्रवृत्तियों को तालिका 24 में इंगित किया गया है।

तालिका 24: ऋण स्थिरता-ब्याज दर एवं जीएसडीपी वृद्धि

(प्रतिशत में)

| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|------------|----------|----------|---------|-----------|
| औसत ब्याज दर | 9.72 | 10.34 | 9.85 | 7.54 | 7.49 |
| जीएसडीपी वृद्धि | 6.91 | 22.23 | 19.14 | 12.87 | 11.29 |
| ब्याज विस्तार | (-) 2.81 | 11.89 | 9.29 | 5.33 | 3.8 |
| बकाया ऋण (करोड़ रुपये में) | 7,421 | 9,245 | 11,144 | 12,240 | 13,273 |
| प्रमात्रा विस्तार (करोड़ रुपये में) | (-) 208.17 | 1,099.23 | 1,035.00 | 652.90 | 504.15 |
| प्रारम्भिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (करोड़ रुपये में) | (-) 163 | (-) 1150 | (-) 79 | (+) 527 | (+) 1,063 |

तालिका 24 में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि 2002-03 एवं 2003-04 में प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार ऋणात्मक था परिणामस्वरूप राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 2001-02 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 29 प्रतिशत हो गया। प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग 2004-05 से सकारात्मक रहा, परिणामस्वरूप राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात में निरंतर गिरावट आई जो 2006-07 में 24 प्रतिशत तक पहुंच गया। ये प्रवृत्तियाँ राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी के साथ अनुपात इंगित करता है कि व्यवहार के साथ आगामी वर्ष में राज्य के ऋण स्थिरीकरण की ओर अग्रसर एवं ऋण धारणीयता की स्थिति में सुधार इंगित करता है।

1.8.2 गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण की स्थिरता एवं इसके धारणीयता के लिए दूसरा सूचक राज्य की वृद्धिजन्य ब्याज देयताएं एवं वृद्धिजन्य प्रारंभिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-

ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके। 2001-07 की अवधि के लिए परिभाषित संसाधन अंतराल **तालिका 25** में प्रदर्शित है।

तालिका 25: वृद्धिजन्य राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये में)

| अवधि | वृद्धिजन्य | | | | संसाधन अंतराल |
|---------|--------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|
| | गैर-ऋण प्राप्तियाँ | प्रारंभिक व्यय | ब्याज अदायगियाँ | कुल व्यय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3.4) | 6 (2-5) |
| 2002-03 | 1,051 | 828 | 79 | 907 | 144 |
| 2003-04 | 534 | 1,521 | 244 | 1,765 | (-)1,231 |
| 2004-05 | 1,294 | 223 | 98 | 321 | 973 |
| 2005-06 | 1,592 | 986 | (-)190 | 796 | 796 |
| 2006-07 | 2,954 | 2,418 | 64 | 2482 | 472 |

निरंतर ऋणात्मक संसाधन अंतराल ऋण के गैर-धारणीयता को प्रदर्शित करता है जबकि धनात्मक संसाधन अंतराल ऋण को सहन करने में राज्य की क्षमता को बल प्रदान करता है। **तालिका 25** यह दर्शाता है कि वर्ष 2003-04 को छोड़कर वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिए वृद्धिजन्य प्राप्ति पर्याप्त थी एवं इस तरह राज्य द्वारा ऋणात्मक संसाधन अंतराल अनुभव किया गया। बाद के वर्षों में जबकि गैर-ऋण प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि हुई परंतु वृद्धि जन्य प्राथमिक व्यय के साथ-साथ ब्याज अदायगी सीमांत रहा अथवा ऋणात्मक रहा परिणामस्वरूप 2004-07 की अवधि में संसाधन अंतराल धनात्मक रहा। ये प्रवृत्ति ऋण धारणीयता में सुधार को इंगित करता है कि जो पिछले तीन वर्षों में (2004-07) राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात में गिरावट की संपुष्टि करता है।

1.8.3 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

राज्य का ऋण धारणीयता (i) ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) का कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात एवं (ii) उपलब्ध उधार ली गई निधियों के उपयोग पर भी निर्भर करता है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात, ऋण प्राप्तियों की मात्रा जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण विमोचन में उपयोग आयी सूचित करती है, जो उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाती है। शासन की ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के उपयोग में निहित है जिसके परिणामस्वरूप शासन के राजस्व में वृद्धि हो जैसे (अ) इनका उपयोग राजस्व व्यय के वित्त पोषण में नहीं किया जा रहा है; एवं (ब) पूँजीगत व्यय जो कि प्रत्यक्ष रूप से परिणाम दे अथवा सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम दे, के लिए दक्ष एवं उत्पादक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है।

राज्य के विगत पाँच वर्षों में आन्तरिक ऋण एवं अन्य राजकोषीय देयताओं की प्राप्तियों एवं पुर्नभुगतान के साथ ही साथ उधार ली गई निधियों की उपलब्धता की स्थिति **तालिका 26** में दी गई है।

तालिका 26: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| आन्तरिक ऋण | | | | | | |
| प्राप्तियाँ | 653.17 | 1179.19 | 1977.60 | 1480.61 | 1178.07 | 881.84 |
| पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज) | 341.51 | 417.09 | 588.53 | 860.14 | 918.45 | 850.81 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ | (+)311.66 | (+)762.10 | (+)1389.07 | (+)620.47 | (+)259.62 | (+) 31.03 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत) | (+)48 | (+)65 | (+)70 | (+)42 | (+)22 | (+)4 |
| भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम | | | | | | |
| प्राप्तियाँ | 340.86 | 434.12 | 454.39 | 429.20 | 56.28 | 55.13 |
| पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज) | 501.13 | 754.39 | 1096.61 | 1392.45 | 374.14 | 188.89 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ | (-)160.27 | (-)320.27 | (-)642.22 | (-)963.25 | (-)317.86 | (-)133.76 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत) | (-)47 | (-)74 | (-)141 | (-)224 | (-)565 | (-)243 |
| अन्य दायित्व | | | | | | |
| प्राप्तियाँ | 428.45 | 374.74 | 473.30 | 449.19 | 379.39 | 409.28 |
| पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज) | 455.82 | 430.69 | 577.93 | 650.07 | 520.08 | 604.70 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ | (-)27.37 | (-)55.95 | (-)104.63 | (-)200.88 | (-)140.69 | (-)195.42 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत) | (-)6 | (-)15 | (-)22 | (-)45 | (-)37 | (-)48 |
| कुल देयताएं | | | | | | |
| प्राप्तियाँ | 1422.48 | 1988.05 | 2905.29 | 2359 | 1613.74 | 1346.25 |
| पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज) | 1298.46 | 1602.17 | 2263.07 | 2902.66 | 1812.67 | 1644.40 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ | (+)124.02 | (+)385.88 | (+)642.22 | (-)543.66 | (-)198.93 | (-)298.15 |
| उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत) | (+)9 | (+)19 | (-)22 | (-)23 | (-)12 | (-)22 |

आंतरिक ऋण और भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम तथा अन्य देयताओं के संबंध में ब्याज तथा पुनर्भुगतान के बाद 2006-07 की अवधि में कोई भी निधि उपलब्ध नहीं रहा। शासन ने चालू वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के 851 करोड़ रुपये, भारत सरकार के कर्जे के 189 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया एवं 1,026 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 605 करोड़ रुपये की अन्य देयतायें भी चुकाई, परिणामस्वरूप उधार ली गई निधियां उपलब्ध नहीं रही। वर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में नगद शेष को ध्यान में रखते हुए बाजार साथ ही साथ भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर मूल एवं ब्याज दोनों की अदायगी के संबंध में सरकार का ध्यान गत ऋण देयताओं के चुकाने पर केन्द्रित है।

1.9 घाटों का प्रबंधन

सरकारी लेखाओं में घाटा, प्राप्तियों व व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक है। इसके अतिरिक्त, साधन जिससे घाटों को वित्तपोषित किया गया तथा जिस तरह संसाधन जुटाये गये एवं प्रयुक्त किये गये वे राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक है।

1.9.1 घाटों की प्रवृत्ति

राज्य की राजकोषीय सन्तुलन की स्थिति को दर्शाते हुए राजकोषीय पैमाने की प्रवृत्तियों को तालिका 27 में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 27: राजकोषीय असंतुलन-आधारभूत पैमाने

(करोड़ रुपये में तथा प्रतिशत अनुपात में)

| पैमाने | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (-) | (-)569 | (-)113 | (-)641 | (+)146 | (+)1,381 | (+)2,651 |
| राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) | (-) 1,117 | (-) 973 | (-) 2,204 | (-) 1,231 | (-) 435 | (+)37 |
| प्रारम्भिक आधिक्य (+)/घाटा(-) | (-) 386 | (-) 163 | (-) 1150 | (-) 79 | (+)527 | (+)1,063 |
| राजस्व घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत) | (-)1.93 | (-)0.36 | (-)1.66 | (+)0.32 | (+)2.66 | (+)4.59 |
| राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत) | (-) 3.78 | (-) 3.08 | (-) 5.71 | (-) 2.68 | (-) 0.84 | (+)0.06 |
| प्रारम्भिक घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत) | (-) 1.31 | (-) 0.52 | (-) 2.98 | (-) 0.17 | (+)1.01 | (+)1.84 |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत) | 50.94 | 11.6 | 29.08 | - | - | - |

(ऋणात्मक आंकड़े घाटा प्रदर्शित करते हैं)

चार्ट-1.3



राज्य का राजस्व घाटा जो राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है 2001-02 में 569 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा 2006-07 में 2,651 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य में तब्दील हो गया। 2005-06 की तुलना में 2006-07 की अवधि में राजस्व आधिक्य में 92 प्रतिशत (1,270 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर का द्योतक है 2001-02 में 1,117 करोड़ रुपये से घटकर 2005-06 में 435 करोड़ रुपये हो गया एवं 2006-07 में यह तब्दील होकर 37 करोड़ रुपये का राजकोषीय आधिक्य हो गया। राज्य का प्रारंभिक घाटा 2001-02 में 386 करोड़ रुपये था जो बदलकर 2005-06 में 527 करोड़ रुपये एवं 2006-07 में 1,063 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आधिक्य हो गया।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक लाना था जो राज्य द्वारा पहले ही प्राप्त कर

लिया गया। राज्य द्वारा वर्ष 2005-06 से राजस्व आधिक्य को बनाये रखने एवं एफआरबीएम अधिनियम द्वारा राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का तीन प्रतिशत के भीतर लाने के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

1.9.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्रारम्भिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे⁷ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, दर्शाता है कि किस हद तक ऋण निधियों का उपयोग वर्तमान उपभोग के लिए किया जाता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात 2003-04 को छोड़कर 2001-02 से 2006-07 के अवधि में गिरावट प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। राजस्व घाटा 2004-05 में समाप्त हो गया एवं आधिक्य 2006-07 तक जारी रहा।

2001-05 की अवधि के दौरान घटकों का राज्य के प्रारम्भिक घाटे या आधिक्य में विभाजन से प्रकट हुआ (तालिका 28) कि, इस सम्पूर्ण अवधि में राज्य सरकार द्वारा किये गये पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण के कारण प्रारम्भिक घाटा रहा। 2005-07 के अवधि में राजस्व खाते में प्रारम्भिक व्यय⁸ को पूरा करने के लिए राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त मात्रा में थीं, बल्कि कुछ प्राप्तियाँ पूँजीगत खाते के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए भी शेष रही एवं गैर-ऋण प्राप्तियों का आधिक्य पूँजीगत खाते के अंतर्गत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, परिणामस्वरूप 2005-06 एवं 2006-07 के अवधि में प्रारंभिक आधिक्य रहा। यह पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण प्रारम्भिक घाटे की सीमा को दर्शाता है जो कि राज्य की आर्थिक स्थिति की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछनीय है।

तालिका 28 : प्रारंभिक घाटा/आधिक्य:घटकों का विभाजन

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | गैर-ऋण प्राप्तियाँ | प्रारम्भिक राजस्व व्यय | पूँजीगत व्यय | ऋण एवं अग्रिम | प्रारम्भिक व्यय | प्रारम्भिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) | प्रारम्भिक घाटा (-)/आधिक्य (+) |
|---------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3+4+5) | 7(2-3) | 8(2-6) |
| 2001-02 | 4,385 | 4,214 | 476 | 81 | 4,771 | (+)171 | (-)386 |
| 2002-03 | 5,436 | 4,720 | 820 | 59 | 5,599 | (+)716 | (-)163 |
| 2003-04 | 5,970 | 5,546 | 1,016 | 558 | 7,120 | (+)424 | (-)1,150 |
| 2004-05 | 7,264 | 5,951 | 1,279 | 113 | 7,343 | (+)1,313 | (-)79 |
| 2005-06 | 8,856 | 6,495 | 1,497 | 337 | 8,329 | (+)2,361 | (+)527 |
| 2006-07 | 11,810 | 7,776 | 2,198 | 773 | 10,747 | (+)4,034 | (+)1,063 |

⁷ प्रारम्भिक राजस्व घाटा राज्य के गैर-ब्याज राजस्व व्यय एवं इनकी गैर-ऋण प्राप्तियों के मध्य अन्तर के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि राज्य के राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों की सीमा को दर्शाता है।

⁸ राज्य का प्रारम्भिक व्यय ब्याज भुगतान के अलावा कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्ष के दौरान हुए लेन-देनों पर किये गये व्यय को दर्शाता है।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य का वित्त प्रबन्ध स्थिर, लचीला तथा अभेद्य होना चाहिए। नीचे तालिका 29, सरकार के 2001-07 की अवधि के वित्त प्रबन्धन की, कतिपय मुख्य सूचकों के सन्दर्भ में, जो कि उपलब्ध संसाधनों एवं उनकी प्रयुक्ति की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के निर्धारण, महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उजागर करने तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्राह्य करने में सहायक होते हैं, की सारीकृत स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका 29 : राजकोषीय स्थिति के सूचक

(प्रतिशत में)

| राजकोषीय सूचक | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| I संसाधनों की गतिशीलता | | | | | | |
| राजस्व प्राप्तियाँ/जीएसडीपी | 14.81 | 17.15 | 15.43 | 15.76 | 17.02 | 19.82 |
| राजस्व उत्प्लावकता | * | 3.44 | 0.45 | 1.13 | 1.70 | 2.62 |
| स्व-कर/जीएसडीपी | 6.75 | 7.37 | 6.7 | 7.02 | 7.80 | 8.73 |
| II व्यय प्रबन्धन | | | | | | |
| कुल व्यय/जीएसडीपी | 18.6 | 20.3 | 21.2 | 18.47 | 17.89 | 20.4 |
| राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय | 79.5 | 84.5 | 72.9 | 85.3 | 95.1 | 97.3 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 89.9 | 86.3 | 80.7 | 83.6 | 80.3 | 74.8 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवा में मजदूरी तथा वेतन व्यय/राजस्व व्यय | 31.73 | 28.17 | 24.79 | 23.58 | 24.8 | 25.94 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवा में गैर वेतन एवं मजदूरी व्यय/राजस्व व्यय | 30.25 | 35.66 | 38.64 | 37.76 | 41.42 | 38.67 |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 8.65 | 12.79 | 12.43 | 15.06 | 16.11 | 18.67 |
| विकासत्मक व्यय/कुल व्यय | 8.29 | 12.49 | 12.16 | 14.71 | 15.81 | 18.04 |
| राजस्व प्राप्तियों से कुल व्यय की उत्प्लावकता | * | 69.3 | 275.24 | 18.10 | 42.75 | 90.30 |
| राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की उत्प्लावकता | * | 49.7 | 193.38 | 35.2 | 22.7 | 60.96 |
| III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन | | | | | | |
| राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (-) (रुपये करोड़ में) | (-) 569 | (-) 113 | (-) 641 | (+) 146 | (+) 1381 | (+) 2651 |
| राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) (रुपये करोड़ में) | (-) 1117 | (-) 973 | (-) 2204 | (-) 1231 | (-) 435 | (+) 37 |
| प्रारम्भिक आधिक्य (+)/घाटा (-) (रुपये करोड़ में) | (-) 386 | (-) 163 | (-) 1150 | (-) 79 | (+) 527 | (+) 1063 |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा | 0.51 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 3.17 | (+) 71.65 |
| राजकोषीय सूचक | | | | | | |
| IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन | | | | | | |
| राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी | 25.12 | 29.27 | 28.86 | 26.61 | 25.56 | 24.42 |
| राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ | 169.6 | 170.7 | 187 | 168.9 | 150.2 | 123.2 |
| राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता | | 1.03 | 2.05 | 0.45 | 0.38 | 0.21 |
| स्व-संसाधनों से राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता | * | 1.17 | 1.57 | 0.48 | 0.46 | 0.27 |
| ब्याज विस्तार | * | (-)2.81 | 11.89 | 9.29 | 5.33 | 3.80 |
| उपलब्ध निवल निधियों (प्रतिशत) | (+)9 | (+)19 | (-)22 | (-)23 | (-)12 | (-)22 |
| V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक | | | | | | |
| निवेश पर प्रतिलाभ | 5.0 | 25.57 | 34.82 | - | - | - |
| चालू राजस्व शेष (करोड़ रुपये में) | 105 | 612 | 414 | 1,255 | 2,615 | 3,902 |
| वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.70 | 0.90 |

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

राजस्व प्राप्तियों में तथा राज्य के स्व-करों का जीएसडीपी से अनुपात, संसाधनों की पर्याप्तता इंगित करता है। राजस्व प्राप्ति की उत्प्लावकता कर व्यवस्था की प्रकृति तथा संसाधनों पर राज्य की बढ़ती हुई पहुँच को जीएसडीपी में वृद्धि को सूचित करती है। वर्ष 2003-04 को छोड़कर राजस्व प्राप्तियाँ तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात लगातार बढ़ती प्रवृत्ति का रहा है। चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों से सकल घरेलू राज्य

उत्पाद का अनुपात 20 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले तीन प्रतिशत अधिक दर्शाता है। वर्ष 2003-04 के न्यूनतम ह्रास को छोड़कर वर्ष 2001 से 2007 तक स्वःकर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात में लगातार सुधार हुई है।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात, इसके व्यय की गुणवत्ता तथा इसके संसाधनों की गतिशीलता के प्रयासों के संबंध में इसके धारणीयता को इंगित करते हैं। कुल व्ययों सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक बढ़ा एवं वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में यह अनुपात घटा लेकिन वर्ष 2006-07 में यह अनुपात फिर बढ़ा है। वर्ष 2004-05 को छोड़कर 2001-07 की छः वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय का कुल व्यय के अनुपात में गिरावट प्रवृत्ति देखी गयी। वर्ष 2006-07 के राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय अधिशेष राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शाते हैं। वर्ष 2001-02 में सकारात्मक चालू राजस्व का शेष तथा पिछले वर्ष के मुकाबले 1,287 करोड़ रुपये का सार्थक वृद्धि सम्पत्ति निर्माण के लिए पर्याप्त कोष की उपलब्धता का सूचक हैं।

1.11 निष्कर्ष

गत वर्ष की तुलना में 2006-07 की अवधि में छत्तीसगढ़ की कुल राजकोषीय स्थिति जैसे कि मुख्य सूचकों-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटों महत्वपूर्ण सुधार इंगित करता है राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार को देखा जा सकता है। राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार वर्ष 2006-07 में राज्य के वृद्धिजन्य राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत से कुछ ज्यादा (2,615 करोड़ रुपये) केन्द्रीय हस्तांतरण का योगदान के कारण रहा जिसमें संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित हैं। राज्य के व्यय का ढंग यह दर्शाता है कि राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश प्रभावी रहा जो 2006-07 की अवधि में लगभग 75 प्रतिशत रहा इसका परिणाम यह हुआ कि सेवाओं में विस्तार एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु संसाधन अपर्याप्त रहा। राजस्व व्यय के अंदर वर्ष 2006-07 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय राज्य के लिए बारहवें वित्त आयोग के आकलन से बहुत अधिक रहा एवं चार घटकों-वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान एवं अनुदान 2006-07 की अवधि में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की लगभग 72 प्रतिशत संघटित करता है। व्यय की ये प्रवृत्ति आवंटित प्राथमिकताओं को बदलने हेतु इंगित करता है। राज्य के वित्तीय लेखे में राजकोषीय घाटे की निरंतर मौजूदगी चालू वर्ष में 37 करोड़ रुपये के सूक्ष्म/न्यूनतम आधिक्य को छोड़कर उधार निधि पर आश्रित रहना इंगित करता है, परिणामस्वरूप राज्य के राजकोषीय देयताओं में वृद्धि हुई है। राजकोषीय देयताओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकारी निवेश पर नाम मात्र के प्रतिलाभ एवं कर्जे और अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज की वसूली मध्यम एवं लंबी अवधि में राज्य को राजकोषीय आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में परेशानियों में डाल सकता है यदि आगामी वर्षों में उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य, संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों को समाविष्ट कर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में संयुक्त मध्य प्रदेश की नवम्बर 2000 पूर्व की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का बंटवारा तथा किए जाने वाले अन्य वित्तीय समायोजनों की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होगी।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2. विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग लेखे प्रतिवर्ष बनाये जाते हैं। ये विनियोग अधिनियम के संबंध में बजट की भारत एवं दत्तमत दोनों मदों पर अधिकृत राशियों के साथ ही विविध विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय सूचित करते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों एवं विनियोगों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में था तथा विधान संबद्ध नियमों तथा विनियमों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वास्तविक व्यय की स्थिति वर्ष 2006-07 का सारांश निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

| | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान / विनियोग | अनुपूरक अनुदान/ विनियोग | योग | वास्तविक व्यय | अंतर बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| दत्तमत | I-राजस्व | 8,564.02 | 1,400.32 | 9,964.39 | 8,119.40* | (-) 1844.99 |
| | II -पूंजीगत | 2,676.08 | 333.79 | 3,009.87 | 2,303.60* | (-) 706.27 |
| | III -ऋण तथा अग्रिम | 81.04 | 784.90 | 865.94 | 771.13 | (-) 94.81 |
| कुल दत्तमत | | 11,321.19 | 2,519.01 | 13,840.20 | 11,194.13 | (-) 2,646.07 |
| भारित | IV-राजस्व | 1,405.58 | 6.86 | 1,412.44 | 1,222.58 | (-) 189.86 |
| | V -पूंजीगत | 1.2 | 1.34 | 2.54 | 0.16 | (-) 2.38 |
| | VI-लोक ऋण | 487.57 | 0.00 | 487.57 | 219.26 | (-) 268.31 |
| कुल भारत | | 1,894.35 | 8.20 | 1,902.55 | 1,442.00 | (-) 460.55 |
| महायोग | | 13,215.54 | 2,527.21 | 15,742.75 | 12,636.13 | (-) 3,106.62 |

* टीप- इन व्यय आंकड़ों में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ (राजस्व: 539.54 करोड़ रुपये एवं पूंजी: 103.94 करोड़ रुपये) सम्मिलित नहीं हैं।

तालिका राज्य सरकार के बजट में अधिक प्राक्कलन दर्शाती है। समग्ररूप से 3,106.62 करोड़ रुपये की बचत मूल अनुदानों/विनियोगों का 23.50 प्रतिशत थी। यह अनुदान एवं विनियोगों के 158 प्रकरणों में 3,111.76 करोड़ रुपये की बचतों में से कुल पाँच अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरणों में 5.13 करोड़ रुपये के आधिक्य के समायोजन का परिणाम थी। कुल 677 उपशीर्षों से संबंधित बचतों/आधिक्यों हेतु स्पष्टीकरण या तो शासन से प्राप्त नहीं हुए थे अथवा अपूर्ण थे जो कि बचतों/आधिक्यों वाले कुल 692 उपशीर्षों का 98 प्रतिशत होते हैं।

2.3 आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आवंटीय प्राथमिकताओं से विनियोग

नौ अनुदानों की आवंटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों तथा आधिक्यों के विश्लेषण ने दर्शाया कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बचतें थीं जैसे कि ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा, वित्त विभाग से संबंधित व्यय, बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से प्राप्त परियोजनाएँ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

ब्याज अदायगी एवं ऋण सेवा

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (भारित) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|----------------|---------|------------|---------------|------------|
| मूल | 1248.24 | 1248.24 | 1075.53 | (-) 172.71 |
| अनुपूरक | निरंक | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2048-101-4856-संचित शोधन निधि के लिए अंतरण (50 करोड़ रुपये) 2049-नया बाजार ऋण (17.00 करोड़ रुपये), म.प्र.राज्य विकास ऋण (7.49 करोड़ रुपये), भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज (14.30 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज (7.38 करोड़ रुपये), सामान्य बीमा निगम (7.52 करोड़ रुपये), विभागीय परियोजनाएँ (8.49 करोड़ रुपये), सामान्य भविष्य निधि (14.52 करोड़ रुपये) एवं राज्य/संघ शासित योजना हेतु ऋण (7.10 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या-6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 889.23 | 890.27 | 637.50 | (-) 252.77 |
| अनुपूरक | 1.04 | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2070 (अन्य प्रशासनिक सेवा)-अन्य व्यय (175 करोड़ रुपये), 2071(सेवानिवृत्ति)-सेवा निवृत्त वेतन भोगियों को देय (17.83 करोड़ रुपये), सेवा एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (34.63 करोड़ रुपये) एवं राज्य शासन का अंशदान (15.09 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या-38-बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 130.89 | 139.54 | 32.46 | (-) 107.08 |
| अनुपूरक | 8.65 | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2055 (पुलिस)-वित्त आयोग की अनुशंसा (5 करोड़ रुपये), 2059 (लोक निर्माण कार्य)-बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान (20.37 करोड़ रुपये), 2216 (आवास)- बारहवें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान (22.19 करोड़ रुपये) एवं 3054 (सड़क एवं पुल)- बारहवें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान (54.50 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

(करोड़ रुपये में)

| पूंजीगत (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|------------------|-------|------------|---------------|-----------|
| मूल | 74.99 | 81.53 | 26.19 | (-) 55.34 |
| अनुपूरक | 6.54 | | | |

बचत मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान शीर्ष 4059-लोक निर्माण में पूंजीगत परिव्यय में 6.52 करोड़ रुपये, 4217-शहरी विकास में पूंजीगत परिव्यय में 46.83 करोड़ रुपये एवं 4406-वानिकी एवं वन्य जीव में पूंजीगत परिव्यय 1.98 करोड़ रुपये के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 840.07 | 941.51 | 716.51 | (-) 225.00 |
| अनुपूरक | 101.44 | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2202 (शिक्षा)-केन्द्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना (34.30 करोड़ रुपये), अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना (30.29 करोड़ रुपये), विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (9.15 करोड़ रुपये), 2210 (चिकित्सा)-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना (18.09 करोड़ रुपये) 2215 (जलापूर्ति एवं सफाई)- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (4.75 करोड़ रुपये), अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना (8.21 करोड़ रुपये), 2236 (पोषक)-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (8.20 करोड़ रुपये), केन्द्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना (50.07 करोड़ रुपये), 2501(ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम)-केन्द्र प्रवर्तित योजना (6.49 करोड़ रुपये), एवं 2505 (ग्रामीण रोजगार)-केन्द्र प्रवर्तित योजना (7.93 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|------------|---------------|-----------|
| मूल | 440.65 | 472.94 | 373.57 |
| अनुपूरक | 32.29 | | (-) 99.37 |

बचत मुख्यतः शीर्ष 4202 (शिक्षा में पूंजीगत परिव्यय)-केन्द्र प्रवर्तित योजना (2.47 करोड़ रुपये), 4700 (वृहद् सिंचाई में पूंजीगत परिव्यय)-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना (11 करोड़ रुपये), 4701 (मध्यम सिंचाई में पूंजीगत परिव्यय)-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना (23.08 करोड़ रुपये), एवं 5054 (सड़क एवं सेतु में पूंजीगत परिव्यय)-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना (15.10 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या 42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|------------|---------------|-----------|
| मूल | 324.33 | 324.33 | 230.77 |
| अनुपूरक | टोकन | | (-) 93.56 |

बचत मुख्यतः शीर्ष 5054 (सड़क एवं सेतु में पूंजीगत परिव्यय)-नाबार्ड प्रवर्तित योजना (8.55 करोड़ रुपये), एवं अनुसूचित जन जाति उपयोजना (88.98 करोड़ रुपये) के अंतर्गत थी। इन बचतों को मुख्यतः शीर्ष 5054-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना (1.59 करोड़ रुपये) एवं नाबार्ड प्रवर्तित योजना (2.78 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए आधिक्य व्यय से अंशतः प्रति संतुलित किया गया। बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या 55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|------------|---------------|-----------|
| मूल | 214.84 | 220.92 | 126.44 |
| अनुपूरक | 6.08 | | (-) 94.48 |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (51.55 करोड़ रुपये), एवं 2236 (पोषक)-केन्द्र प्रवर्तित योजना (56.54 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। इन बचतों को शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षाएं एवं वन्य जीवन)- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (15.31 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए आधिक्य व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या- 59 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 160.00 | 160.12 | 50.47 | (-) 109.65 |
| अनुपूरक | 0.12 | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2515 (अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ)-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (जिला गरीबी उन्मुलन परियोजना) 109.53 करोड़ रुपये के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या 69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|-----------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 14.85 | 285.35 | 181.20 | (-) 104.15 |
| अनुपूरक | 270.50 | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 2217 (नगरीय विकास)- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य (73.30 करोड़ रुपये) एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना (30.76 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)।

अनुदान संख्या 76 - लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से प्राप्त परियोजनाएँ

(करोड़ रुपये में)

| पूंजीगत (दत्तमत) | | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत |
|------------------|--------|------------|---------------|------------|
| मूल | 280.00 | 280.00 | 72.71 | (-) 207.29 |
| अनुपूरक | निरंक | | | |

बचत मुख्यतः शीर्ष 5054-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ आदिवासी उपयोजना (170.79 करोड़ रुपये) एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ सामान्य (36.50 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2007)। यह भी देखा गया कि :-

अनुदान/विनियोग के 72 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक व्यय कम पड़ा जो कुल प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक भी था। जिसकी कुल राशि 9009.13 करोड़ रुपये थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। इसमें से अनुदान संख्या 18 (पूंजीगत दत्तमत) में 100 प्रतिशत बचत थी। छः¹ प्रकरणों में लगातार पाँचवे वर्ष 100 करोड़ रुपये से भी अधिक बचत थी।

¹ अनुदान संख्या 6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय, 38-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान, 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, 59-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, एवं 69-नगरीय प्रशासन एवं विकास (राजस्व दत्तमत में) तथा अनुदान संख्या-76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (पूंजीगत दत्तमत)

45 योजनाओं में एक करोड़ रुपये या अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में 100 प्रतिशत की कुल 380.37 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें देखी गईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में सूचित किया गया है।

केन्द्रीय योजनाओं के 22 प्रकरणों में 86.44 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान की राशि अप्रयुक्त रही जो कि प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

2.3.2 आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

गत वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदानों/विनियोगों पर आधिक्य के सभी प्रकरण राज्य विधायिका द्वारा नियमित होने चाहिए। तथापि वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक 970.31 करोड़ रुपये के आधिक्य व्यय को अगस्त 2007 तक नियमित नहीं किया गया था।

वर्ष 2006-07 की अवधि के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन वर्ष के दौरान चार अनुदानों (दत्तमत) के अंतर्गत 512.69 लाख रुपये एवं एक विनियोग (भारित) के अंतर्गत 0.40 लाख रुपये के आधिक्य का नियमितीकरण किया जाना था जैसा नीचे दर्शाया गया है।

अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

| (हजार रुपयों में) | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| क्र. सं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | कुल अनुदान/ विनियोग | वास्तविक व्यय | आधिक्य राशि | मुख्य कारण |
| (अ) राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 4 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 202384 | 205198 | 2814 | सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2007) |
| 2 | 67 | लोक निर्माण कार्य भवन | 1262111 | 1264111 | 2000 | - " |
| (ब) राजस्व भारित | | | | | | |
| 3 | 33 | आदिम जाति कल्याण | 164 | 204 | 40 | - " |
| योग (ब) | | | 164 | 204 | 40 | - " |
| (स) पूंजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 4 | 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | 2823285 | 2833392 | 10107 | - " |
| 5 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 410400 | 446748 | 36348 | - " |
| महायोग (अ+ब+स) | | | 4698344 | 4749653 | 51309 | |

2.3.3 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान प्राप्त 2,527.22 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 19.12 प्रतिशत थे।

2.3.4 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 50 प्रकरणों में 390.75 करोड़ रुपये का किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान से कम था। प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

इकतीस प्रकरणों में 1,547.18 करोड़ रुपये की वास्तविक अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 2032.09 करोड़ रुपये के अत्यधिक पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किए गए, परिणामस्वरूप 484.91 करोड़ रुपये की बचत हुई। इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

चार प्रकरणों में 93.13 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान, 5.12 करोड़ रुपये के अधिक व्यय को नियमित करने में असमर्थ रहने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.5 सारभूत आधिक्य

आठ अनुदानों/विनियोगों की 27 योजनाओं में कुल 105.27 करोड़ रुपये, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक एवं प्रावधानों के 100 प्रतिशत से अधिक का व्यय हुआ। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.3.6 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत प्रत्याशित है से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है। **परिशिष्ट 2.8, 2.9, 2.10 एवं 2.11** में विवरण दिया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

2.3.7 प्रत्याशित बचतें समर्पित न करना

व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब कभी भी बचतें प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों अथवा इनके अंश को वित्त विभाग को समर्पित करना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2006-07 के अंत में विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के 100 प्रकरणों में विभागों द्वारा कुल 1,651.86 करोड़ रुपये की बचतें समर्पित नहीं की गईं, इनमें से 37 प्रकरणों में सारभूत बचतों की कुल राशि 1595.01 करोड़ रुपये जो कि प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक थी, समर्पित नहीं की गई थी। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिया गया है।

कुल समर्पित राशि 1,540.33 करोड़ रुपये में से 722.13 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन दर्शाते हुए मार्च 2007 के अंतिम दिन समर्पित किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

2.3.8 निधियों का अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण समर्पण

अनुदानों/विनियोगों के 14 प्रकरणों में उपलब्ध बचत 600.81 करोड़ रुपये के विरुद्ध राशि 697.03 करोड़ रुपये समर्पित करने के परिणाम स्वरूप राशि 96.22 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

2.4 पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ

वित्तीय नियम के अनुसार (i) समर्पण/पुनर्विनियोग के सभी स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करना चाहिए (ii) मुख्य शीर्ष, उपशीर्ष एवं योजना शीर्ष आदि का विवरण, जिससे समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किया गया है, का स्वीकृति में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए (iii) जिस शीर्ष में समर्पण/पुनर्विनियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए। इसके विपरीत वर्ष 2006-07 में राशि 148.72 करोड़ रुपये का दोषपूर्ण समर्पण/पुनर्विनियोजन शासन द्वारा किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

2.5 व्यय की अधिकता

वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 14 प्रकरणों में मार्च 2007 की अवधि में वर्ष भर के कुल व्यय का 41 से 100 प्रतिशत तक व्यय किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

2.6 पाँच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम

व्यय एवं बजट नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

पाँच² अनुदानों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006-07 की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ:-

2.6.1 व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण नहीं करना

नमूना जांच किये गये अनुदान संख्या 36 के किसी भी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय नियंत्रण पंजियों, जिसमें अनुदान की राशि, अधीनस्थ इकाइयों को पुनराबंटन, पुनर्विनियोजन, समर्पण तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मासिक व्यय का प्रगामी योग भी दर्शाये जाते हैं, संधारित नहीं की गई थी। इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ।

² अनुदान संख्या-12 उर्जा विभाग से संबंधित व्यय 24-लोक निर्माण कार्य-सड़के तथा पुल, 25-खनिज स्रोत विभाग से संबंधित व्यय, 36-परिवहन एवं 55-महिला एवं बाल कल्याण

2.6.2 बजट अनुमानों का दोषपूर्ण तैयार किया जाना

चार नियंत्रण अधिकारियों ने अनुदान संख्या 12, 25, 36 एवं 55 के बजट अनुमानों को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तैयार न करते हुए, तदर्थ आधार पर तैयार किया था। त्रुटिपूर्ण बजट तैयार करने के परिणामस्वरूप राजस्व (दत्तमत) प्रभाग के अंतर्गत 144.55 करोड़ रुपये (45.52 करोड़ रुपये, 3.07 करोड़ रुपये और 95.96 करोड़ रुपये क्रमशः अनुदान संख्या 24, 25 एवं 55 में) एवं पूंजीगत (दत्तमत) प्रभाग के अंतर्गत 4.92 करोड़ रुपये (2.13 करोड़ रुपये, 1.29 करोड़ रुपये एवं 1.50 करोड़ रुपये क्रमशः अनुदान संख्या 24, 25 एवं 55 में) का अत्याधिक प्रावधान हुआ।

अनुदान संख्या 24 की छः योजनाओं के प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल 40.36 करोड़ रुपये, अनुदान संख्या 25 की तीन योजनाओं में 4.59 करोड़ रुपये, अनुदान संख्या 36 की एक योजना में 1.49 करोड़ रुपये एवं अनुदान 55 की दो योजनाओं में 101.83 करोड़ रुपये की सारभूत बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। अनुदान संख्या-55 की एक योजना (4235-पूंजीगत परिव्यय-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर), 5560-राज्य स्तरीय स्रोत केन्द्र) में 1.00 करोड़ रुपये का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहा।

2.6.3 व्यय का 1.67 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाना

खनिज निधि से निवेश से संबंधित अनुदान संख्या 25 (पूंजीगत शीर्ष) के अंतर्गत 10.00 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध 8.71 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जबकि छ.ग. खनिज विभाग सहकारिता (सी एम डी सी) द्वारा अप्रैल 2007 में तैयार किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार वास्तविक व्यय मात्र 7.04 करोड़ रुपये था। इस प्रकार 1.67 करोड़ रुपये का अधिक व्यय दर्शाया गया। इंगित किए जाने पर नियंत्रण अधिकारी ने बताया (नवंबर 2007) कि अंतर की राशि आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 में समायोजित की जावेगी।

2.6.4 बचत की प्रत्याशा में राशि का समर्पण न किया जाना

अनुदान संख्या 55 की चार योजनाओं में 27.71 करोड़ रुपये एवं अनुदान संख्या 25 की दो योजना में 2.40 करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचत को अन्य शीर्ष में सार्थक उपयोग हेतु अग्रिम में समर्पित नहीं की गई। इंगित किये जाने पर नियंत्रण अधिकारी ने बताया (नवंबर 2007) कि प्रावधानित प्रक्रिया का भविष्य में पालन किया जावेगा।

2.6.5 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान और योजनाओं के अंतर्गत दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन

अनुदान संख्या 24 में रेलवे ओव्हर पुल (आरओबी), रायगढ़ हेतु 9.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 1.50 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन अन्य रेलवे ओव्हर पुल, रायपुर में किया गया जबकि वास्तविक व्यय 14.41 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार रेलवे ओव्हर पुल कार्य रायगढ़ की निधि से किया गया पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण था।

तीसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में चार निष्पादन लेखापरीक्षा "कॉरीडोर योजना", "प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)", "गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम", "ई-कोष आनलाईन कोषालयों की कम्प्यूटीकरण प्रणाली" शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग

3.1 कॉरिडोर योजना

विशेषताएँ

छत्तीसगढ़ शासन ने छः कॉरिडोर के विकास हेतु वर्ष 2002-07 के दौरान 266.21 करोड़ रुपये निवेशित किए। योजना की पूर्णता के लिये निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को बनाने के पश्चात् निविदायें जारी की गईं किन्तु उनके अनुरूप नहीं थी तथा प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृती के पूर्व ही जारी की गईं थी। सड़क की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्धारित आवृत्ति में कार्यों की विभिन्न मदों की गुणवत्ता परीक्षण कराने में अत्यधिक कमी थी। टेका-कुप्रबन्ध तथा कार्यों के दोषपूर्ण निष्पादन के उदाहरण पाए गए। समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं -

टेकेदारों को 3.06 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता।

(कंडिका 3.1.8.1, 3.1.8.2 एवं 3.1.8.4)

दोषी टेकेदारों से, जो कार्यों को अपूर्ण छोड़ गये तथा कार्य पुनः निविदित किये गये, 4.15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 3.1.8.3)

परिवहन मार्ग को बिना चौड़ा किए निर्माण चौड़ाई को अनावश्यक रूप से चौड़ा करने के कारण मिट्टी कार्य में 7.58 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

(कंडिका 3.1.8.5)

दरों के गलत प्रयोग के कारण टेकेदारों को 44.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

(कंडिका 3.1.8.6 एवं 3.1.8.7)

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 1.56 करोड़ रुपये के मिट्टी कार्य का निष्पादन।

(कंडिका 3.1.8.9)

डी.बी.एम. तथा एस.डी.बी.सी. कार्यों के निष्पादन में कमतर घनत्व मिश्रण के उपयोग से 10.65 करोड़ रुपये के अवमानक कार्य की स्वीकृति।

(कंडिका 3.1.9.2 एवं 3.1.9.3)

3.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन ने कुल 2,716.55 कि.मी. की लंबाई सहित दो उत्तर-दक्षिण (उ.द.) तथा चार पूर्व-पश्चिम (पू.प.) कॉरीडोर के माध्यम से राज्य के चारों कोनों को जोड़ने का निर्णय लिया (जुलाई 2002)। इन छः कॉरीडोर के अंतर्गत विद्यमान मार्गों को उन्नत करने, श्रेष्ठतर सवार गुणवत्ता सहित सुगम तथा द्रुतगामी यातायात हेतु कॉरीडोर योजना प्रारम्भ की गई। योजना की पूर्णता हेतु कोई निश्चित समय सीमा प्रस्तावित नहीं थी तथा मार्च 2007 तक 2,147.40 कि.मी. मार्गों (79 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि) प्रमुख सचिव (प्र.स.) की अध्यक्षता में परियोजना हेतु निष्पादन एजेन्सी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) के अधीन कार्यरत चार मुख्य अभियंता (मु.अ.) उत्तरदायी हैं। मंडलों के अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) के निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्यपालन अभियंता (का.अ.) की अध्यक्षता में लोक निर्माण (लो.नि.) संभाग योजना का निष्पादन कर रहे थे।

3.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

कॉरीडोर योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिये संचालित की गई कि:

- क्या कार्य नियोजित ढंग से आरम्भ किए गए थे;
- क्या निविदा प्रक्रिया नियमों के अनुसार कार्यान्वित की गई;
- क्या कार्य ठेके उचित रूप से प्रबन्धित थे;
- क्या कार्य विशिष्टियों के अनुसार तथा मितव्ययिता से निष्पादित किए गए थे एवं
- क्या श्रेष्ठतर सवार गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिये मार्ग गुणवत्ता परिवीक्षित की गई थी।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

योजना के निष्पादन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदंड उपलब्ध प्रावधानों तथा विशिष्टियों से लिये गये थे:

- इंडियन रोड कांग्रेस (आइ.आर.सी.) विशिष्टियाँ;
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एंड एच.) द्वारा जारी की गई मार्ग एवं पुल कार्यों हेतु विशिष्टियाँ;
- कार्य विभाग (का.वि.) नियमावली, केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य लेखा (के.लो.नि.का.ले) संहिता तथा दर अनुसूचियाँ (एस. ओ. आर.) ;
- प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए.), तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.), ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन तथा कार्यों के निष्पादन हेतु जारी किये गये कार्यादेश।

3.1.5 लेखापरीक्षा समावेशन एवं प्रणाली

मार्च 2007 से जून 2007 के अवधि में प्रमुख अभियंता कार्यालय तथा सरल यादृच्छ नमूना प्रतिस्थापन रहित (सिपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट) पद्धति के आधार पर 24 संभागों में से चयनित पांच¹ लोक निर्माण संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा समीक्षा कराई गई। वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि का लेखा परीक्षण किया गया। प्रमुख सचिव (लो.नि.वि.), लो.नि.वि. (सेतु) संभाग तथा अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. मंडल रायपुर से सम्बद्ध जानकारी एकत्र की गई। अपनायी गई लेखापरीक्षा प्रणाली दस्तावेजी साक्ष्य, लो.नि.वि. में विभिन्न स्तरों पर साक्षात्कार तथा उप अभियंताओं के साथ स्थल भ्रमणों से अनुपूरित हुई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शासन के साथ निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2007 को हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 योजनाकरण

परियोजना, विभाग की वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल नहीं की गई क्योंकि वह मूल बजट प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं थी तथा अनुपूरक बजट में प्रावधान के माध्यम से प्रथम वर्ष में आरम्भ की गई थी। लो.नि.वि. द्वारा परियोजना हेतु किया गया विस्तृत साध्यता अध्ययन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा तकनीकी आर्थिक साध्यता एवं अनुमोदन हेतु योजना, राज्य योजना मंडल को निर्दिष्ट नहीं की गई थी। योजना की पूर्णता हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विभिन्न कार्यों हेतु जारी ए.ए. एवं टी.एस. की संवीक्षा दर्शाती थी कि न तो वे समय के अन्दर जिसमें कार्य टी.एस. के पश्चात् प्रदान किए जाने थे को दर्शाते थे न ही वे कार्यों के निष्पादन हेतु कुल समयावधि को विनिर्दिष्ट करते थे।

अनुवर्ती प्रक्रम जारी कार्यादेशों को भी निर्धारित अनुक्रम में अनुसरण करना प्रदर्शित नहीं करते थे जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है। इस प्रकार परियोजना नियोजित ढंग से आरम्भ नहीं की गई थी जैसा कि मध्य प्रदेश के कार्यपालन शासन के व्यावसायिक नियम जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाये गये तथा कार्य विभाग नियमावली में निर्धारित थे।

3.1.6.1 परियोजना निष्पादन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) प्रयुक्त नहीं किया गया

योजनान्तर्गत 10 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के तैयार करने पर 3.14 करोड़ रुपये व्यय किए गए (2002-03) थे। यह सुनिश्चित किया गया कि वि.प.प्र. प्राक्कलन बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे क्योंकि वे मार्च 2007 तक चार संभागों² में प्राप्त नहीं हुए थे तथा एक संभाग³ में वह अनुपलब्ध था। इनमें से तीन डी.पी.आर. लेखापरीक्षा द्वारा प्रमुख अभियंता से एकत्र किए गए थे। डी.पी.आर. से अनुमोदित प्राक्कलनों की तुलना करने पर विभिन्नता देखी गई। दो मार्गों में प्राक्कलन उच्चतर

डी.पी.आर. संभागों को प्राप्त नहीं हुए या विलंब से प्राप्त हुए एवं कार्य के निष्पादन में अनुसरण नहीं किए गए थे।

¹ लोक निर्माण संभाग- रायपुर III, कोरबा, अंबिकापुर, पेन्द्रारोड एवं जशपुर

² लोक निर्माण संभाग रायपुर III, कोरबा, अंबिकापुर एवं जशपुर

³ लोक निर्माण संभाग पेन्द्रारोड

विशिष्टियों में था एवं तृतीय मार्ग का प्राक्कलन डी.पी.आर. की तुलना में निम्न विशिष्टियों का था (**परिशिष्ट 3.1**)। यह स्पष्ट था कि परियोजना के वास्तविक निष्पादन हेतु डी.पी.आर. किसी भी ढंग से उपयोग में नहीं लाए गए थे। यह परियोजना निरूपण तथा योजनाकरण में हुई दुर्बलताओं की ओर इंगित करता था। डी.पी.आर. को या तो उपयोग में लाये जाने चाहिए थे अथवा उन्हें तैयार ही नहीं कराना चाहिए था।

शासन ने बताया (नवंबर 2007) कि परामर्शियों द्वारा डी.पी.आर. के संदर्भ में विस्तृत प्राक्कलन समय पर प्रदाय नहीं किए गए थे अतः विभिन्न संभागों द्वारा एस.ओ.आर. तथा स्थल स्थितियों के आधार पर प्राक्कलन तैयार किए गए थे जिन्हें संकलित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृतियों के अनुसार कार्यों का निष्पादन कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डी.पी.आर. अगस्त 2002 तक तैयार कराये जा चुके थे तथा एन.आई.टी. अक्टूबर-दिसम्बर 2002 से जारी की गई थीं। इसलिए डी.पी.आर. पर परियोजना का आधार बनाना संभव था। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि वे योजना के वास्तविक निष्पादन हेतु किसी भी ढंग से उपयोग में नहीं लाए गए थे जो कि परियोजना निरूपण तथा योजनाकरण में हुई दुर्बलताओं की ओर इंगित करता था।

3.1.6.2 प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृती के पूर्व निविदायें जारी की गईं

ग्यारह प्रकरणों में विस्तृत प्राक्कलन के बनने तथा कार्यों के अनुमोदन के पूर्व निविदायें जारी की गई थी

कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.003 तथा योजना हेतु शासन द्वारा दिए गए ए.ए. के निर्देशों में प्रावधानित था कि टी.एस. प्राप्त करने के पश्चात् ही निविदा बुलायी जाए। पाँच संभागों में 16 निविदाओं की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि 11 निविदाएँ (**परिशिष्ट 3.2**) ए.ए. तथा टी.एस. के पूर्व का.अ. द्वारा जारी की गई थी। का.अ. ने बताया कि शासन के हितों की रक्षा एवं समय की बचत के लिये यह किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के हितों की रक्षा नियमों तथा विनियमों के ढाँचे द्वारा सुरक्षित की जाती है जिन्हें इन उच्च मूल्य ठेकों में अत्यधिक उल्लंघन किया गया था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि निविदाएँ समय की बचत के लिये कार्यहित में जारी की गई थीं तथा प्रमुख अभियंता के पश्चात् एजेन्सियों से अनुबन्ध निष्पादित किए गए थे। सभी स्वीकृतियाँ, प्रमुख अभियंता तथा निविदाएँ शासन द्वारा जारी की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। नियमावली के प्रावधानों के माध्यम से दिया गया सम्पूर्ण नियंत्रण ढाँचा समग्र रूप से दूषित हो गया जिसने सम्पूर्ण प्रक्रिया को कमजोर बनाया। टी.एस. के पूर्व निविदाएँ जारी करने के परिणामस्वरूप दो निविदाओं में संभाव्य ठेके की राशि (पी.ए.सी.) की अत्युक्त तथा अन्य में उच्चतर लागत आई जो कि नीचे दर्शाया गया है -

3.1.6.3 चरईदौंड से उड़ीसा सीमा (पू.प कॉरीडोर, क्रमांक 4) हेतु अक्टूबर 2002 में 21 कि.मी. के लिये निविदाएँ आमंत्रित की गई थी तथा एस.ओ.आर. से 4.4 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत की गई जबकि मुख्य अभियंता, बिलासपुर द्वारा (मई 2003) 29.4 कि.मी. हेतु टी.एस. प्रदान की गई थी। शेष 8.4 कि.मी. के लिये एस.ओ.आर. से 46.32 प्रतिशत अधिक पर (जून 2000) पी.ए.सी. 97.77 लाख रुपये की टी.एस. हेतु

अक्टूबर 2002 में स्वीकृत निविदा में 8.40 कि.मी. के सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप 40.99 लाख रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

साढ़े तीन वर्षों के पश्चात् निविदाएँ जारी की गई थीं (दिसम्बर 2006)। इस प्रकार, 40.99 लाख रुपये⁴ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आयी क्योंकि निविदा दो भागों में की गई थी। अपने उत्तर में शासन ने प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2007)। अतः स्पष्ट था कि यदि ए.ए. एवं टी.एस. के पश्चात् निविदाएँ आमंत्रित कर संहिताकरण प्रावधानों का अनुसरण किया जाता तो एकल निविदा होती तथा अतिरिक्त लागत को टाला जा सकता था।

अतिरंजित (इन्फ्लेटेड) पी.ए.सी. से जारी निविदा में मार्ग की संपूर्ण लंबाई शामिल नहीं की गई।

3.1.6.4 मई 2003 में 56 कि.मी. कुल मार्ग की लम्बाई के लिये बगीचा चरईदौंड (ब.च.)मार्ग (पू.प. कॉरिडोर क्रमांक 4) के उन्नयन हेतु 12.55 करोड़ रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था किन्तु निविदा प्रायः समान पी.ए.सी. (12.22 करोड़ रुपये)पर कम लम्बाई हेतु (47 कि.मी.) नवम्बर 2002 में (अर्थात् प्राक्कलन की स्वीकृति के सात माह पूर्व) जारी की गई थी इसलिए, पी.ए.सी.अतिरंजित थी। फरवरी 2007 तक 7.60 करोड़ रुपये (17 वॉ चालू लेखा बिल) का भुगतान हो चुका था। शेष 9 कि.मी. जैसा कि स्वीकृत प्राक्कलन में था अनुबंध क्षेत्र के बाहर रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि यद्यपि निविदाएँ 47 कि.मी. हेतु आमंत्रित की गई थीं (नवंबर 2002)फिर भी कार्य वास्तव में 56 कि.मी. में निष्पादित कराया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह केवल कार्य की पूर्णता पर ही सत्यापन योग्य होगा।

पी.ए.सी.स्वीकृति से 6.37 करोड़ रुपये उच्चतर थी क्योंकि निविदा स्वीकृति पूर्व जारी की गई थी।

3.1.6.5 लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि कोरबा संभाग के अधीन कोटमी कटघोरा (को.क.) मार्ग 80 कि.मी.(पू.प कॉरिडोर क्रमांक 3) हेतु पी.ए.सी. 26.04 करोड़ रुपये थी जबकि मुख्य अभियंता बिलासपुर द्वारा 19.67 करोड़ रुपये की टी.एस. दी गई थी (मई 2003)। तथापि, निविदाएँ दिसम्बर 2002 में जारी की गई थीं अर्थात् टी.एस.पूर्व। पी.ए.सी. तथा टी.एस. के मध्य 6.37 करोड़ रुपये का अन्तर था। यदि टी.एस. प्राप्त करने के पश्चात् निविदाएँ जारी की जातीं तो पी.ए.सी. के समान होतीं। इसलिये, पी.ए.सी. 6.37 करोड़ रुपये तक अतिरंजित थी। यदि टी.एस. प्राप्त करने की प्रक्रिया निविदाओं के जारी करने के पूर्व अनुसरण की जाती तो इसे टाला जा सकता था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) एन.आई.टी. में ली गई 80.20 कि.मी. वास्तविक लम्बाई के बजाय ए.ए. तथा टी.एस. हेतु प्राक्कलन बनाते समय मार्ग की लम्बाई त्रुटिवश 71.80 कि.मी. ली गई थी। इसलिए टी.एस. निम्न राशि के लिए दी गई थी, उत्तर स्वीकार करता था कि प्राक्कलन उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे जो कि दोषपूर्ण योजना को इंगित करता था।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

3.1.7.1 निधि व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा मांग संख्या 42 आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल मुख्य शीर्ष 5054-03-337-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5418 चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरिडोर निर्माण के अधीन निधियां दी गई थीं।

⁴ 97.77 लाख रुपये (46.32 प्रतिशत- 4.40 प्रतिशत) 40.99 लाख रुपये

गत पाँच वर्षों के दौरान बजट प्रावधान, व्यय, बचत तथा आधिक्यों का उल्लेख निम्नवत है -

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | बजट प्रावधान (मूल) | अनुपूरक -1 | पुनर्विनियोजन | अंतिम बजट प्रावधान | महालेखाकार के लेखों के अनुसार व्यय | अंतिम बजट प्रावधान के संदर्भ में आधिक्य (+) बचत (-) | आधिक्य/ बचत का प्रतिशत | विभागीय व्यय आँकड़ा |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 2002-03 | - | 80.00 | (-)22.58 | 57.42 | 19.74 | (-)37.68 | 66 | 51.46 |
| 2003-04 | 100.00 | - | (-)07.70 | 92.30 | 68.45 | (-)23.85 | 26 | 69.62 |
| 2004-05 | 50.00 | - | 7.45 | 57.45 | 63.10 | (+)05.65 | 10 | 62.73 |
| 2005-06 | 70.00 | - | (-)13.37 | 56.63 | 60.33 | (+)03.70 | 7 | 60.24 |
| 2006-07 | 61.82 | - | 5.50 | 67.32 | 54.59 | (-)12.73 | 19 | 54.75 |
| योग | 281.82 | 80.00 | (-)30.70 | 331.12 | 266.21 | (-)64.91 | 20 | 298.80 |

उपर्युक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि प्रत्येक वर्ष पुनर्विनियोजन किये गये थे वे दो वर्षों में आधिक्यों तथा तीन वर्षों में बचतों तथा 20 प्रतिशत की कुल बचत को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त थे। आगे, विभागीय व्यय के आँकड़ों तथा जो महालेखाकार को प्रतिवेदित किए गए जिन्हें मिलान नहीं किया गया था, के परिणामस्वरूप महालेखाकार के लेखों के आंकड़ों से 32.59 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) का अन्तर आया। यह दर्शाता है कि बजट तथा व्यय के नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 2007) तथा यह बताया गया (नवम्बर 2007) कि महालेखाकार की पुस्तकों के आंकड़ों से व्यय के आंकड़ों का मिलान नियमित रूप से किया गया था तथा आंकड़ों में भिन्नता को अन्तरण पृविष्टि (टी.ई.) के माध्यम से संबंधित लेखा शीर्ष को विधिवत स्थानान्तरित किया गया था। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई थी, कभी-कभी प्राकृतिक आपदा के कारण तथा ठेकेदारों के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों के विलंब से भुगतान के कारण व्यय आवंटन/प्राक्कलन से अधिक किया गया था। आगे, अनुबंधों में निर्धारित समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलनों के अनुसार आवंटन/साख पत्र जारी किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, स्थानान्तरणों के कार्यान्वित करने के पश्चात् भी 32.59 करोड़ रुपये का अन्तर रहा। अपर्याप्त पुनर्विनियोजनों के बारे में निश्चित उत्तर नहीं दिया गया था। आगे, अप्रभावित नक्सली क्षेत्रों में कार्यों के निष्पादन में हुई बचतों हेतु कारणों की व्याख्या नहीं की गई थी। यह पूर्व वर्षों से भुगतान हेतु लंबित बिलों की राशि तथा प्रवृत्ति को यह विशेष रूप से नहीं बतलाता था।

3.1.7.2 निधियों का व्यपवर्तन

अन्य कार्य में 42.79 लाख रुपये व्यपवर्तित किया गया।

के.लो.नि.का.ले. संहिता की कंडिका 2.1.1(12) के अनुसार कार्य आकस्मिकताएँ केवल सम्पूर्ण संबंधित कार्य से संबंधित अवर्गीकृत मदों पर उपयोग किया जा सकता है। कोरबा संभाग में 31.19 लाख रुपये (2002-03/2003-04) अन्य कार्यों के निर्माण हेतु यथा संभागीय कार्यालय भवन एवं आवास गृहों हेतु व्यपवर्तित किए गए थे। रायपुर लो.नि.वि संभाग क्रमांक तीन में लेखापरीक्षा ने देखा था कि कॉरीडोर योजना की कार्य आकस्मिकता के अन्तर्गत फरवरी 2005 में 11.60 लाख रुपये के दो वाहन क्रय किए गए थे जो कि अनियमित था।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि लो.नि.वि संभाग, कोरबा नया होने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.027 के अधीन दिसम्बर 2003 में स्वीकृति दी गई थी जो नियमानुसार है। कारीडोर कार्यों के निरीक्षण हेतु दो वाहनों का क्रय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.नि. संभाग के निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति कंडिका 2.027 के प्रतिकूल थी जिसमें 10,000 रुपये से अधिक राशि आकस्मिकता के प्रावधान से नवीन कार्य हेतु व्यपवर्तित नहीं करने चाहिये, दिया गया था। आगे, वाहनों के खरीद के संबंध में, ये न तो औजार एवं संयंत्र पंजी में अभिलिखित थे न ही कोई लॉग बुक संधारित की गई थी तथा यह सत्यापन करना संभव नहीं था कि क्या वे इस परियोजना में केवल पर्यवेक्षण हेतु प्रयुक्त की गई थीं।

3.1.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

ठेका प्रबन्धन

ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता

3.1.8.1 ठेका अनुबंध की धारा 2 के अनुसार (कॉंकेर-देवभोग मार्ग पू.प. कॉरीडोर क्रमांक एक पर द्विभाजन पी.एस.सी.-20 करोड़) यदि ठेकेदार अधिकृत समयवृद्धि सहित कार्य को नियत अवधि के अन्दर (जून 2004) में पूर्ण करने में असफल रहता है तो 25 लाख रुपये लागत से अधिक कार्य के संबंध में प्रति सप्ताह कार्य के मूल्य का 1/16 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिये। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ठेकेदार को दंड धारा के अधीन आठ माह हेतु समय वृद्धि प्रदान की गई थी परन्तु राशि⁵ 40 लाख रुपये की वसूली मई 2007 तक नहीं की गई थी। का.अ. ने बताया कि धारा 2 के अंतर्गत निर्णय होने तक क्षतिपूर्ति परिशोधन हेतु 25 लाख रुपये से अधिक की राशि निक्षेप में रखी थी।

इसी ठेके में, का.अ. ने संहिता प्रावधानों के प्रतिकूल ठेकेदार को मई 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य छोटे आकार की गिट्टी, डामर और आर.सी.सी. ह्यूम पाइपों पर 1.14 करोड़ रुपये प्रतिभूत अग्रिम के लिये स्वीकृत तथा भुगतान किया। फलस्वरूप 236 दिनों की अवधि तक अप्राधिकृत वित्तीय सहायता दी गई **(देखिये परिशिष्ट 3.3)**।

आक्षेपों को शासन ने स्वीकार किया (नवम्बर 2007) तथा बताया कि ठेकेदार के अन्तिम देयक से राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

3.1.8.2 के.लो.नि.का.ले. संहिता के प्रावधान के अनुसार अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति से ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किये हुये कार्य पर परन्तु जो मापा न गया हो, के लिये किया जाता है। यह देखा गया कि समान ठेके में बिना अधीक्षण अभियंता की अनुमति तथा बिना कार्य किये ठेकेदार को 70 लाख रुपये का अग्रिम (26 अप्रैल 2003) भुगतान किया गया जिसकी 4 अगस्त 2003 को वसूली की गई थी। इस अनियमितता के फलस्वरूप ठेकेदार को 100 दिनों की अवधि हेतु अनाधिकृत वित्तीय

विलंब हेतु ठेकेदार पर 40 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

बिना कार्य निष्पादन के 70 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान।

⁵ 8 माह 4 सप्ताह * 2000.00 लाख रुपये का 1/16 प्रतिशत = 40 लाख रुपये

सहायता दी गई। का.अ. ने बताया कि वास्तविक कार्य किया गया किन्तु मापा नहीं गया था, अतः अधीक्षण अभियंता के अनुमोदन से ठेकेदार को अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। अग्रिम भुगतान करने के पश्चात् ठेकेदार ने विस्तृत माप हेतु अभिसूचि नहीं ली थी, अतः अग्रिम भुगतान की वसूली कर ली गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित उप संभागीय अधिकारी ने कार्य किया किन्तु मापा नहीं गया के संबंध में अपेक्षित प्रमाण पत्र माप पुस्तिका में नहीं दिया था। शासन ने इन तथ्यों का सत्यापन किया (नवम्बर 2007)। उत्तर यह इंगित नहीं करता कि ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने पर कोई कार्यवाही की गई है।

दोषी ठेकेदारों से 4.15 करोड़ रुपये अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की गई।

3.1.8.3 ठेका अनुबंध की धारा 3(स) (प्रपत्र अ. प्रतिशत दर निविदा) में दिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्य की प्रगति धीमी है या ठेकेदार दोषी हैं अथवा कार्य परित्यक्त कर दिये हैं, तो शेष कार्य दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर अन्य एजेन्सियों के माध्यम से पूर्ण कराया जा सकता था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कोरबा तथा जशपुर संभागों के अंतर्गत तीन सड़क कार्य⁶ अपूर्ण छोड़े गये थे (जनवरी 2004, अक्टूबर 2006 एवं दिसम्बर 2003)। ये दोषी ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत पर अन्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराये गये परन्तु दोषी ठेकेदारों से 4.15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की गई थी (जून 2007)।

उत्तर में, शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि दोषी /मूल ठेकेदार 'अ' के संबंध में उप कलेक्टर, भुवनेश्वर (उड़ीसा) को अप्रैल 2006 में 16.14 लाख रुपये का राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) जारी किया गया था जबकि ठेकेदार 'ब' के संबंध में 1.78 करोड़ रुपये के आर.आर.सी. को जारी करने की कार्यवाही की जा रही थी। ठेकेदार 'स' का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही राशि 2.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली की जाएगी।

एस.डी. एवं पी.जी. राशि 81.59 लाख रुपये की कटौती नहीं की गई थी।

3.1.8.4 जैसा कि ठेके की विशेष शर्तों में निर्धारित है, प्रतिभूति जमा (एस.डी.) 5 प्रतिशत दर से तथा निष्पादन प्रतिभूति (पी.जी.) 15 प्रतिशत दर से राशि 81.59 लाख रुपये⁷ दुधावा द्विभाजक कॉंकेर-देवभोग मार्ग (पू.प. कॉरिडोर क्रमांक 1) तथा को.क. मार्ग (पू.प. कॉरिडोर क्रमांक 3) के ठेकेदारों के चालू लेखा देयकों से वसूल नहीं की गई थी। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनधिकृत वित्तीय सहायता दी गई।

उत्तर में शासन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2007) कि ठेकेदारों के अंतिम बिल से राशि समायोजित की जायगी।

⁶ (i) जशपुर संभाग के अधीन कुनकुरी तपकरा मार्ग लम्बाई 21 कि.मी. (पू.प. कॉरिडोर क्रमांक 4) (ii), लुडेक तपकरा लावाकेरा मार्ग लम्बाई 55.60 कि.मी. (पू.प. क्रमांक 3) (iii) कोटमी कटघोरा मार्ग लंबाई 80 कि.मी. (पू.प. क्रमांक 3)

⁷ रायपुर संभाग क्रमांक III एस.डी. 20.68 लाख रुपये, पी.जी. 47.00 लाख रुपये, कुल 67.68 लाख रुपये कोरबा संभाग एस.डी. 11.81 लाख रुपये पी.जी. 2.10 लाख रुपये कुल 13.91 लाख रुपये महायोग 81.59 लाख रुपये

कार्यान्वयन

कॉंकेर-देवभोग मार्ग द्विभाजक पर निष्पादन में अतिरिक्त लागत

7.58 करोड़ रुपये
का परिहार्य व्यय

3.1.8.5 पू.प. कॉरीडोर क्रमांक-1 के अधीन मानपुर-देवभोग मार्ग की विद्यमान एकल मार्ग (लम्बाई 219.10 कि.मी.) के उन्नयन हेतु शासन ने 28.92 करोड़ रुपये का ए.ए.दिया। यह देखा गया कि कुल 56.62 करोड़ रुपये व्यय किया गया परिणामतः 27.70 करोड़ रुपये अधिक व्यय (95.7 प्रतिशत) हुआ। बीस करोड़ रुपये के प्राक्कलन सहित रायपुर संभाग क्रमांक-III द्वारा दुधावा द्विभाजक कॉंकेर-देवभोग मार्ग के 169 कि.मी. के निष्पादन हेतु निविदा जारी की गई थी। इस संभाग की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि निर्माण चौड़ाई⁸ 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी गई जो कि प्राक्कलन में नहीं दी गई थी। चूंकि परिवहन चौड़ाई मूलतः 3.65 मीटर ही रही, यह निर्माण चौड़ीकरण पूर्ण रूप से अनावश्यक था। परिणामतः 0.52 करोड़ रुपये के अनुमानित मिट्टी कार्य के विरुद्ध 8.10 करोड़ रुपये वास्तविक व्यय हुये फलस्वरूप 7.58 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। प्रमुख अभियंता ने यह भी बताया (मार्च 2007) कि निष्पादन के दौरान यह मार्ग राज्यमार्ग घोषित कर दिया गया जिससे निर्माण चौड़ाई 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। परिवहन चौड़ाई में बिना किसी समरूपी बढ़ोत्तरी के निर्माण चौड़ाई की वृद्धि की कोई उपयोगिता नहीं थी तथा इसके निष्पादन हेतु शासन का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि प्रकरण पुनरीक्षित ए.ए. हेतु शासन को भेजा गया (दिसम्बर 2005) था परन्तु शासन ने ए.ए. को रूपांकन में तदर्थ परिवर्तनों तथा प्राक्कलन से अधिक व्यय करने हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के नामों को भिजवाने हेतु निर्देशित किया (मई 2007)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि तत्कालीन मुख्य अभियंता ने माह अक्टूबर 2003 में स्थल निरीक्षण के दौरान निर्माण चौड़ाई 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ाने हेतु आदेश दिये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। मुख्य अभियंता के विरुद्ध की गई कार्यवाही सूचित नहीं की गई थी। अधिक व्यय आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि कार्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के निष्पादन के पश्चात् शासन को एक मूल्यांकन की मध्यावधि पद्धति प्रारंभ करने पर विचार करना चाहिये। यदि यह देखा जाता है कि क्षेत्र में बदलाव, विलम्ब, मूल्यवृद्धि इत्यादि के कारण कार्य की अनुमोदित लागत के बढ़ने की संभावना है, इस चरण पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत तथा अनुमोदित कराने चाहिये ताकि समय अनुसार अतिरिक्त व्यय करना आवश्यक हो तो पूर्व अनुमोदन पहले से ही उपलब्ध रहे।

बी. एम. के दर की
गलत प्रयुक्ति के
कारण 24.30 लाख
रुपये का अधिक
भुगतान।

3.1.8.6 एक जून 2000 से प्रभावी एस.ओ.आर. (सड़क) (सामान्य टीप क्रमांक 31) में लीन बिटुमनस मेकेडम (एल. बी. एम.) एवं बिटुमनस मेकेडम (बी. एम.) के बिछाने के लिये सेन्सर पेवर फिनिशर⁹ (एस. पी. एफ.) का उपयोग नहीं करने की स्थिति में दर का तीन प्रतिशत कम करने का प्रावधान दिया गया था, परन्तु इस मार्ग पर एस.पी.एफ.

⁸ मिट्टी कार्य की कुल चौड़ाई जिसमें परिवहन मार्ग तथा शोल्डर्स शामिल हैं।

⁹ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार एक उपकरण जो 2.5 से 4.5 मीटर मार्ग की चौड़ाई को हाइड्रोलिकली पेविंग हेतु प्रयोग में लाया जाता है तथा अपेक्षित मोटाई को स्वतः नियंत्रित करता है।

का उपयोग बिना किसी साक्ष्य के एल.बी.एम. एवं बी.एम. मदों के लिये ठेकेदार को पूर्ण दरों पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क गुणवत्ता के साथ समझौते के अतिरिक्त 24.30 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप ही ठेकेदार द्वारा जहां-जहां एस.पी.एफ. का उपयोग किया गया था वहीं दर कम नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार उपकरण के स्वामित्व का कोई भी प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था जो कि एन.आई.टी. की शर्त के अनुसार अनिवार्य था।

दरों के गलत प्रयुक्ति के कारण 20.41 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

3.1.8.7 पन्द्रह जून 1992 से प्रभावी एस.ओ.आर.(पुल) में फार्म वर्क छोड़कर सीमेन्ट कांक्रीट (सी.सी.) (धारा 1701 से 1715) के मद की दरें एम- 15 एवं एम-10 क्रमशः 1183 रुपये प्रति घन मी. तथा 829 रुपये प्रति घन मी. थीं जबकि इस मार्ग हेतु भुगतान 1,573.93 रुपये प्रति घन मी. (3170.40 घन मी.) एवं 1,102 रुपये प्रति घन मी. (172.38 घन मी.) से किया गया था परिणामस्वरूप 15.30 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। इसी मार्ग हेतु 25 वें चल लेखा देयक जो जुलाई 2005 में भुगतान किया गया था, में मद वेल ग्रेडिड ग्रेनुलर सब बेस देने, बिछाने तथा संहत की गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि 5.11 लाख रुपये¹⁰ का अधिक भुगतान किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि कॉरीडोर के आवंटित कार्य का निष्पादन कर रहे संभाग के अभिलेखों से सत्यापन कराया जा रहा था। यदि आवश्यक हुआ तो कथित अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिल से समायोजित की जाएगी जो कि लंबित था।

3.1.8.8 उत्कृष्ट विशिष्टियाँ की प्रयुक्ति के कारण परिहार्य अतिरिक्त लागत

बी.एम. के बजाय डी.बी.एम. के निष्पादन के परिणामस्वरूप 1.54 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कोरबा संभाग के अधीन को.क. मार्ग-लम्बाई 80 कि.मी. (पू.प. कॉरीडोर क्रमांक-3) के चौड़ीकरण, नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के शेष कार्य के अनुमोदित प्राक्कलन में लागत 6.4 करोड़ रुपये हेतु 29,246 घनमीटर 50-75 मी.मी. बी.एम. का कार्य दिया गया था यद्यपि 32,958.782 घन मीटर लागत 8.87 करोड़ रुपये का 80-100 मी.मी. एवं 50-75 मी.मी. डी.बी.एम. का कार्य निष्पादित कराया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.54 करोड़ रुपये¹¹की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि अनुमोदित एन.आई.टी. अनुसूची में डी.बी.एम. का प्रावधान था जबकि स्वीकृत प्राक्कलन में बी.एम. का प्रावधान था। प्रथम ठेकेदार कार्य को अपूर्ण छोड़ गया था तथा निविदायें उसकी जोखिम एवं लागत पर

¹⁰

| मात्रा | दर | भुगतान | देय | अधिक भुगतान |
|------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 39,298.063 | रु.215 प्रति घनमीटर | 88,79,111 | 84,49,084.00 | 4,30,027 |
| | जोड़िये 18.93 प्रतिशत | रु. 5,11,431 | यथा 5.11 लाख रुपये | |

¹¹ 32,958.782 घनमीटर @ (रुपये 2690-रुपये 2192) = 1,64,13,473 (कम 5.94 प्रतिशत) रुपये 1,54,38,513 अर्थात् 1.54 करोड़ रुपये

आमंत्रित की गई थीं। इसलिए एन.आई.टी. में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सका जिसमें डी.बी.एम. का प्रावधान निहित था क्योंकि वह विकलनीय धारा के अन्तर्गत जारी किया गया था। उत्तर पुनः ए.ए. एवं टी.एस. के पहले आमंत्रित निविदाओं के जोखिम को अधोरेखांकित करता था जिससे कि 1.54 करोड़ रुपये अतिरिक्त लागत पर कार्य निष्पादन की स्थिति दर्शायी।

प्राक्कलनों से विचलन के कारण अनियमित व्यय

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बिना 1.56 करोड़ रुपये के कार्य का अनियमित निष्पादन

3.1.8.9 यह देखा गया कि यद्यपि अंबिकापुर लो.नि. संभाग के अधीन (उ.द. कॉरिडोर क्रमांक-1 अ एवं ब) अंबिकापुर-रामानुजगंज (अ.रा.) तथा बिलासपुर-कटघोरा-अंबिकापुर (बि.क.अं.) मार्गों के स्वीकृत/अनुमोदित प्राक्कलनों में तटबंध के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं था फिर भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बिना तटबंध के निर्माण हेतु मिट्टी कार्य निष्पादित कराया गया था (मार्च 2004)। इसके परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रुपये के कार्य का अनियमित निष्पादन हुआ। का.अ. ने बताया (नवम्बर 2007) कि अतिरिक्त कार्य हेतु अनुपूरक अनुसूचियां अभी तैयार किया जाना है। शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि तटबंध कार्य राज्यमार्ग पर किया गया था जहाँ प्रावधानों/विशिष्टियों के अनुरूप सड़क की चौड़ाई उपलब्ध नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। मार्ग के अनुमोदित प्राक्कलन में तटबंध के निर्माण का प्रावधान नहीं था तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुपूरक अनुसूचियों की स्वीकृति बिना अतिरिक्त कार्य निष्पादित नहीं करना चाहिये था जो कि नवम्बर 2007 तक स्वीकृत नहीं की गई।

बिना कोई संरक्षण परत के कार्य अपूर्ण पड़े रहने के परिणामस्वरूप 25.26 लाख रुपये का अपव्यय

3.1.8.10 फरवरी 2004 में तीन अनुबंधों¹² के अधीन बि.क.अ. मार्ग के 26.60 कि.मी. के चौड़ीकरण हेतु एक ठेकेदार को कार्यादेश जारी किये गये थे। जून 2004 तक 25.26 लाख रुपये का कार्य¹³ किया गया तथा 30 जून 2004 से उक्त मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) में स्थानान्तरित होने के पश्चात् कार्य बंद कर दिये गये। यह मार्ग दिसम्बर 2004 में लो.नि.वि. को फिर से स्थानान्तरित कर दिया गया परन्तु कार्य अपूर्ण था तथा बी.टी. (डामर) कार्य का कोई संरक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 25.26 लाख रुपये अपव्यय हुये क्योंकि यह स्ट्रेच सितम्बर 2007 तक अद्यतन नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि चूँकि कार्य निष्पादित किया गया था, भुगतानों को अपव्यय नहीं कहा जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। चूँकि आंशिक कार्य बिना किसी बी.टी.(डामर) परत के पड़ा हुआ था, टूट-फूट होने से कार्य बेकार हो जायेगा।

3.1.9 गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन

3.1.9.1 कार्य के विभिन्न मदों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये परीक्षणों की आवृत्ति में अत्यधिक कमी।

निर्धारित परीक्षणों की आवृत्ति में अत्यधिक कमी के कारण मार्ग गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एवं एच.) की विशिष्टियों में विभिन्न मदों हेतु परीक्षणों की निम्नतम

¹² 12.4.8.10 एवं 6 कि.मी. क्रमशः के लिये अनुबंध क्रमांक 87,88, एवं 89 डी एल वर्ष 2003-04 देखें।

¹³ मिट्टी कार्य की खुदाई, जी. एस. बी.डब्ल्यू. बी. एम. I एवं II

संख्या निर्धारित की गई है। एम.ओ.आर.टी. एवं एच. की धारा 901.3 के अनुसार ठेकेदार सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण निर्धारित आवृत्ति में करायेंगे तथा धारा 901.4 में दिया गया है कि सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता के बारे में अभियंता स्वयं को संतुष्ट करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों को करायेंगे। 1 जून 2000 से प्रभावी दर अनुसूची की सामान्य टीप (9) में दिया गया है कि किसी प्रकार का भुगतान करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षण निर्धारित आवृत्ति में कराए गए हैं।

पाँच संभागों की 26 पैरामीटरों से संबंधित 1610 परीक्षण प्रतिवेदनों के संकलन (**परिशिष्ट 3.4**) यह दर्शाता है कि ठेकेदारों द्वारा किये गये परीक्षण निर्धारित आवृत्ति से कम थे। तटबंध उप आधार (रेत) तथा ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओजीपीसी) के संबंध में एक भी परीक्षण नहीं किया गया। मुरम उप आधार तथा वाटर बाउन्ड मेकेडम के कार्यों हेतु निर्धारित संख्याओं का 25 प्रतिशत तक परीक्षण किया गया था। डी बी एम तथा सेमीडेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एसडीबीसी) कार्यों हेतु आवृत्ति 68 प्रतिशत तक थी। आगे यह भी देखा गया कि संभागों द्वारा परीक्षण नहीं कराए गए थे।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि निर्माण में प्रयुक्त अधिकांश सामग्रियों का परीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त सामग्रियों के परीक्षण हेतु ठेकेदारों द्वारा परीक्षण प्रयोगशालायें भी स्थापित की गई थीं। इसके अलावा, तीन वर्षों तक मार्ग की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु ठेकेदार जिम्मेदार थे जिसके लिये पी.जी. रोकी गई है। निर्धारित परीक्षणों की कमी को उत्तर संबोधित नहीं करता जिसके बिना मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3.1.9.2 निम्न घनत्व से डी बी एम कार्य निष्पादित

2.3 ग्राम/सीसी के बजाय 2 ग्राम/सीसी के घनत्व से डी.बी.एम. कार्य निष्पादित कराये जाने के कारण 9.38 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य हुआ।

एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की मानक ऑकड़ें पुस्तक के अनुसार डी. बी. एम. का घनत्व 2.3 ग्राम/सी सी होना चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि को.क. मार्ग (पू.प. कॉरीडोर क्रमांक-3) के निष्पादन में 2 ग्राम/सी सी के निम्न घनत्व से डी.बी.एम. कार्य निष्पादित कराया गया था, परिणामतः कार्य अवमानक रहा। जैसा कि निर्धारित था जॉब मिक्स फार्मूला अनुमोदित नहीं कराया गया था। डामर का कम मात्रा में उपयोग (497.85 मे.ट.) करने से डी. बी. एम. की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। का.अ. ने बताया (अप्रैल 2007) कि डी.बी.एम. में कुल मिश्रण के वजन का 4.5 प्रतिशत जबकि डी.बी.एम. में कुल मिश्रण के वजन का 3.4 प्रतिशत डामर का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 4.5 प्रतिशत डामर का उपयोग 2.3 ग्राम/सी सी के बजाय 2 ग्राम/सी सी मिश्रण में किया गया था जिसके कारण 9.38 करोड़ रुपये के डी.बी.एम.कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि मार्ग के निर्माण में जॉब मिक्स फार्मूला का निर्धारण उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस कार्य के निष्पादन में जॉब मिक्स फार्मूला अनुमोदित नहीं कराया गया था।

2.25 ग्राम/सीसी भारी घनत्व के मिश्रण के स्थान पर 2 ग्राम/सी सी घनत्व के मिश्रण से एसडीबीसी कार्य कराए जाने के कारण 1.27 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य हुआ।

3.1.9.3 निम्न घनत्व से एस.डी.बी.सी. कार्य निष्पादित

जशपुर संभाग अधीन लुडेग-तपकारा-आवाकेरा (लु.त.ला.) मार्ग (पू.प. कॉरीडोर क्रमांक -3) बगीचा-बतौली (ब-ब.) तथा ब.च. मार्ग (पू.प. कारीडोर क्रमांक-4) के निष्पादन में, लो.नि.वि. (रा/रा) बिलासपुर ने एस. डी. बी. सी. हेतु 2.25 ग्राम/सी सी के भारी घनत्व से जॉब मक्स फार्मूला को अनुमोदित किया जबकि निष्पादन 2 ग्राम/सीसी के घनत्व में किया गया था इसलिए 1.27 करोड़ रुपये¹⁴ का एस.डी.बी.सी. कार्य निम्न स्तर का था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि एस.डी.बी.सी. कार्य वास्तव में जब मिक्स फार्मूला के आधार पर कराया गया था तथा 2 ग्राम/सीसी का घनत्व केवल डामर खपत के लिये किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गणना हेतु 2 ग्राम/सीसी का उपयोग निहित था कि जॉब मिक्स फार्मूला के अनुसार डामर का उपभोग आवश्यकता की तुलना में कम था और इसलिए कार्य निम्न स्तर का था।

3.1.9.4 दोषपूर्ण निष्पादन के कारण मार्ग का जलमग्न होना

दोषपूर्ण निष्पादन के कारण 1.13 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य

भारतीय प्रायोगिक इंजीनियरों की हस्तपुस्तक के अनुसार सिकुड़न रोकने के लिये मार्ग के पार्श्वों में उचित जल निकास निर्मित करना चाहिये। मार्ग के दोनों किनारों पर 0.60 मीटर गहरी पार्श्व नालियों के निर्माण की दुधावा द्विभाजक, कांकेर-देवभोग मार्ग (पू.प. कांरीडोर क्रमांक-1) के डी.पी.आर. में अनुशंसा की गई थी किन्तु प्राक्कलन में नहीं दी गई थीं और पार्श्व नालियों का निर्माण नहीं किया गया था। यह देखा गया था कि पानी इकट्ठा होने तथा बिटुमिनस कार्य और डब्ल्यू.बी.एम. के बीच अनुचित चिनाई के कारण इस मार्ग के 19 कि.मी. डूब गये थे। इसके परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ राशि का अवमानक कार्य हुआ। (परिशिष्ट 3.5)

उत्तर में, शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि प्राक्कलन में पार्श्व नालियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त मार्ग वन संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है वहां पर वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर अधोरेखांकित करता है कि डी.पी.आर. अनुसरित नहीं किये गये थे एवं जल इकट्ठा होने को रोकने तथा भविष्य में होने वाली क्षति को रोकने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे, नहीं दर्शाता था।

¹⁴ (i) लु.त.ला. मार्ग-एसडीबीसी118376.50 वर्ग मीटर
@ 89.50 प्रति वर्गमीटर = 82.27 लाख रुपये
जोड़िये 1.8 % = 83.75 लाख रुपये
(ii) बी.बी. एवं बी.सी. मार्ग-एस.डी.बी.सी. 61895.80 वर्ग मीटर
@ 69.50 प्रति वर्ग मीटर = 43.02 लाख रुपये
जोड़िये 1.54% = 43.68 लाख रुपये
महायोग-1.27 करोड़ रुपये

3.1.9.5 बी.एम. के निष्पादन में एस.पी.एफ.का उपयोग न करने के कारण अवमानक कार्य

बी.एम. के निष्पादन में सेंसर पेवर फिनिशर के उपयोग न करने के कारण निम्न विशिष्टिकृत कार्य

एक जून 2000 से प्रभावी द.अ. की सामान्य टीप क्रमांक 31 के अनुसार अच्छी सवार गुणवत्ता प्राप्त करने के लिये बी.एम. सेंसर पेवर फिनिशर से निष्पादित होना चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो संभागों¹⁵ द्वारा बी.एम. एवं एल.बी.एम. की मद हेतु सेंसर पेवर फिनिशर उपयोग नहीं किये थे जिससे सवार गुणवत्ता से समझौता किया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि कार्य के मद में 3 प्रतिशत की कटौती की गई थी इससे कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने की कोई बात नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वसूली होने पर भी प्रत्याशित गुणवत्ता प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि एस.पी.एफ. प्रयुक्त नहीं किये गये थे।

3.1.9.6 न्यून गुणवत्ता कार्य का निष्पादन

डामर की कम खपत के कारण मार्ग के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुये

यह देखा गया कि वि.क.अ. मार्ग (उ.द. कॉरीडोर क्रमांक 1 अ) चार करोड़ रुपये की लागत पर उन्नयन कार्यों की पूर्णता के पश्चात् प्रथम वर्षा के दौरान विभिन्न भागों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे यह भी देखा गया कि जैसा ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया (जून 2006) कि कार्य डामर की कम मात्रा के साथ फरवरी 2007 में पूर्ण किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2007) कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त डामर सही विशिष्टि का था तथा उसने क्षतिग्रस्त भाग का सुधार अपने खर्च पर किया था। इसलिए, डामर की कम मात्रा उपयोग किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उत्तर लेखापरीक्षा अभिमत को संबोधित नहीं करता था। जैसा कि ठेकेदार द्वारा जून 2006 में स्वीकार किया गया था कि कार्य डामर की निम्न मात्रा (गुणवत्ता नहीं) से पूर्ण किया गया था। यह दर्शाता था कि मार्ग के संपूर्ण भाग में ठेकेदार ने कम डामर इस्तेमाल किया था जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई।

3.1.9.7 मुरम सब बेस का अवमानक कार्य

अवमानक कार्य स्वीकार्य किया गया

केलीफोनिर्या बियरिंग रेशियो (सी.बी.आर.) के परीक्षण मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक 500 घनमीटर पर एक परीक्षण करना चाहिये तथा सी.बी.आर. मूल्य 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। कोरबा संभाग के अधीन को.क. मार्ग (पू.प. कॉरीडोर क्रमांक 3) के निष्पादन में 36 अपेक्षित परीक्षणों में से 14 परीक्षण वास्तव में किये गये थे। इन 14 में से 12 परीक्षणों में सी.बी.आर. मूल्य 20 प्रतिशत से निम्न पाई गई जो ग्रेनुलर सब बेस (जी एस बी) में अवमानक ग्रेड सामग्री को दर्शाता है। इसके अलावा माप पुस्तिका (एम. बी.) से यह देखा गया था कि न तो उचित रोलिंग न ही पर्याप्त संहतीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप अवमानक मुरम से संपूर्ण कार्य का निष्पादन किया गया जिससे मार्ग

¹⁵ रायपुर संभाग क्रमांक-3 तथा जशपुर क्रमशः दुधावा वाइफरकेशन कॉर्कर से देवभोग मार्ग (पू.प. कॉरीडोर नं 1) एवं लु.त.ला. मार्ग (पू.प. कॉरीडोर नं. 3) का निष्पादन कर रहे हैं।

की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जी.एस.बी. की कम ग्रेडेड सामग्री के बारे में का.अ. ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

शासन ने उत्तर में बताया, (नवम्बर 2007) कि कुछ कार्यस्थलों पर प्रयुक्त मु्रम के परीक्षण में सी.बी.आर. कम पायी गई वहां सामग्री का उपयोग, निर्धारित रोलिंग एवं संहतीकरण सहित, मु्रम में रेत मिलाकर बढ़ायी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों में इन कार्य प्रणालियों का कोई साक्ष्य नहीं था तथा समुन्नत सी.बी.आर के संबद्ध परीक्षण प्रतिवेदनों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.1.10 उपसंहार

ए.ए. एवं टी.एस. पूर्व निविदायें जारी की गईं जो अतिरंजित निविदाओं की सूचक थीं तथा निविदा में कमियाँ ठेकेदारों को अनुचित लाभ के प्रकरण थे। डी.पी.आर. अनुसरण नहीं किये गये थे तथा अधिक भुगतान, दरों की गलत प्रयुक्ति, अपव्यय एवं उच्च विशिष्टियों और अतिरिक्त मर्दों बिना प्राधिकार के निष्पादन इसके उदाहरण थे। कार्यों की विभिन्न मर्दों हेतु निर्धारित आवृत्तियों में परीक्षण कराने में अति कमी तथा निर्धारित मानकों से कमतर कार्य निष्पादन इसके उदाहरणों थे।

3.1.11 अनुशंसार्ये

लेखापरीक्षा में प्रकट हुई विभिन्न कमियों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित अनुशंसार्ये की जाती हैं-

- डी.पी.आर. प्राक्कलन तैयार करने हेतु आधार के रूप में प्रयुक्त होने चाहिये एवं योजना पूर्ण करने हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित होना चाहिये। परियोजनाओं को राज्य योजना मंडल के अनुमोदन से विस्तृत रूप से नियोजित करना चाहिये।
- प्राक्कलनों में किये गये परिवर्तनों हेतु औचित्य अभिलेख पर तथा परिवर्तनों को अपनाने से पूर्व उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने चाहिये।
- गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के सूक्ष्म परिवीक्षण द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिये।

इन अनुशंसार्ये पर निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ विचार विमर्श किया गया (सितम्बर 2007) जिन्हें शासन द्वारा स्वीकार किया गया।

स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग

3.2 प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना)

विशेषताएं

प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मुख्यतः "मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है जो 1995 में राज्य के सभी 146 विकासखण्डों को सम्मिलित करते हुए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण एवं बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों को स्कूल में बनाये रखने तथा शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ 6-11 वर्ष के विद्यार्थियों के पोषण स्थिति में वृद्धि करना है। राज्य में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा में बहुत सी कमियां पाई गईं। प्रावधानित बजट में बचत, निधियों का व्यपवर्तन एवं विभाग द्वारा प्रबंधन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन के मद में भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। नोडल विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग किये गये चावल की जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

नोडल विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं नागरिक आपूर्ति निगम (नान) द्वारा उठाये गये/प्रदाय किए गए चावल के आंकड़ों में भी अंतर पाया गया। इस तरह चावल के संभावित चोरी की जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता। औसत उपस्थिति दर विभाग द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया प्रतीत हुआ। नमूना जांच किये गये जिलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में भी व्यवधान रहा।

नमूना जांच में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण अनियमिततायें निम्नानुसार थी:

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-07 की अवधि में रुपये 419.95 करोड़ व्यय के उपरांत भी योजना का योगदान इतना रहा कि नामांकन के आंकड़ों में वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2006-07 में आंशिक वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.2.7.2 एवं 3.2.8.4)

रसोई शेड के लिए पृथक से निधि उपलब्ध नहीं कराई गई एवं भोजन पकाने हेतु रुपये 39.73 करोड़ की राशि वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान अधोसंरचना निर्माण हेतु उपयोग में लाई गई।

(कंडिका 3.2.7.4)

भोजन पकाने की लागत राशि रुपये सात लाख व्यपवर्तन कर निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान (नवम्बर 2004) करने से ग्राम पंचायतों को भोजन पकाने की राशि का भुगतान करने में विलंब हुआ।

(कंडिका 3.2.7.4)

वास्तविक औसत उपस्थिति दर खाद्यान्न के वितरण हेतु आधारित उपस्थिति दर से 10-15 प्रतिशत कम था, जिसके कारण अवधि 2005-07 में 11,000 मैट्रिक टन का अन्तर रहा।

(कंडिका 3.2.8.2)

योजना के क्रियान्वयन के प्रभाव जानने के लिये उचित परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2.9.2)

3.2.1 प्रस्तावना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता योजना" (सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना के नाम से ज्ञात) शासकीय, स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शालाओं के (कक्षा 1 से 5 तक) प्राथमिक शाला के समस्त बच्चों के लिये आरम्भ की। इस योजना का विस्तार (अक्टूबर 2002) से शिक्षा सुनिश्चित योजना (ई.जी.एस.) एवं वैकल्पिक तथा सृजनात्मक शिक्षा (ए.आई.ई.) केन्द्रों में अध्ययनरत समस्त बच्चों के लिए किया गया था।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 से अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के समस्त प्राथमिक शालाओं में आरम्भ की गई। छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में 1 नवम्बर 2000 से अस्तित्व में आया। योजना के अन्तर्गत राज्य के 61 सामुदायिक विकास खण्ड के प्राथमिक शालाओं में अप्रैल 1997 तक पका हुआ भोजन परोसे गये एवं तदुपरान्त 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिवस खाद्यान्न, माह में 20 दिवस के लिये उचित मूल्य के दुकान के जरिये वितरित किया गया। राज्य के 85 आदिवासी विकास खण्ड के प्राथमिक शालाओं में गरम पका हुआ भोजन नियमित दिया जाता रहा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश¹ (नवम्बर 2001) के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2002 से राज्य के 146 विकास खण्ड (स्कूल शिक्षा विभाग 61 विकास खण्ड एवं आदिवासी विकास विभाग 85 विकास खण्ड) के समस्त प्राथमिक शालाओं में गरम पका हुआ भोजन प्रदान करना आरंभ किया।

वर्ष 2006-07 में कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित 31,740 प्राथमिक शालाओं/केन्द्रों में नामांकित 31.05 लाख बच्चों के लिये की गई।

3.2.2 कार्यक्रम का उद्देश्य

योजना के उद्देश्य:-

- प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों को स्कूल में बनाये रखने और उनके शैक्षणिक स्तर की वृद्धि कर प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण को बढ़ावा देना है, मुख्यतः सुविधाविहीन वर्ग के बच्चों का;
- प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषाहार स्थिति में सुधार करना;

¹ माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को प्रतिशाला दिवस न्यूनतम 300 कैलोरी एवं 8-12 ग्राम प्रॉटीन युक्त पका हुआ भोजन न्यूनतम 200 दिवस के लिए उपलब्ध कराकर मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया।

- ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पोषाहार सहायता प्रदाय करना।

3.2.3 संगठनात्मक संरचना

राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु 31 मार्च 2006 तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उत्तरदायी था। राज्य स्तर पर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग था। राज्य शासन ने योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के लिये "राज्य नोडल विभाग" के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग को 1 अप्रैल 2005 से और "राज्य नोडल परिवहन एजेन्सी" के रूप में छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न परिवहन हेतु नियुक्त किया। आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकासखण्ड में योजना का क्रियान्वयन करता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग का संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट-3.6** में दर्शाया गया है।

शाला में योजना का वास्तविक क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। कुछ जिलों में आज कल यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है।

3.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था कि क्या:

- उपलब्ध कराई गई राशि पर्याप्त थी एवं उसका उपयोग किया गया;
- योजना प्राथमिक कक्षाओं ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों (कक्षा 1 से 5) में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और छात्रों को स्कूल में बनाये रखने तथा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण को बढ़ावा देने के प्रधान उद्देश्य की प्राप्ति की;
- गरीब एवं सुविधाविहीन वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन, अवधारण एवं उपस्थिति में वृद्धि का आंकलन करना;
- योजना, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पोषाहार स्थिति में वृद्धि करने का द्वितीय उद्देश्य प्राप्त की;
- योजना, शालाओं में जहाँ पोषक सहायता प्रदाय किया गया, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के शिक्षण स्तर में वृद्धि की;
- खाद्यान्न की मांग, आवंटन एवं उपयोग प्रभावकारी ढंग से की गई थी;
- योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिक शालाओं/ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं केलोरी का पोषाहार/ गरम पका हुआ भोजन दिया गया;
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रभावी परिवीक्षण किया गया।

3.2.5 लेखापरीक्षा का मानदंड

भारत सरकार द्वारा जारी योजना की मार्गदर्शिका, राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों एवं विभाग के प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा मानदंड के आधार पर लिया गया।

3.2.6 लेखापरीक्षा पद्धति एवं समावेशन

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान छत्तीसगढ़ में "मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" के क्रियान्वयन पर निष्पादन मूल्यांकन का कार्य मई से जुलाई 2007 के मध्य किया गया।

लेखापरीक्षा पद्धति में निम्न बातों का समावेश था:-

- योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर; आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर; छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर और विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में किया गया।
- छः² जिलों का चयन चक्रीय व्यवस्थित नमूना³ द्वारा किया जाकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 123⁴ स्कूलों (20 स्कूल प्रति जिले के हिसाब से धमतरी जिले के 23 के अलावा) में जाकर जानकारी एकत्रित की गई जो परिशिष्ट 3.7 में दिया गया एवं इन स्कूलों के अभिलेखों, निधियों/खाद्यान्नों की प्रवाह एवं उसका उपयोग, आधारभूत संरचना, सुविधाओं की स्थिति, विद्यार्थियों का नामांकन, उपस्थिति, अवधारण एवं शैक्षणिक स्तर के आंकड़ों का जांच किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.7 वित्तीय प्रबंधन

3.2.7.1 निधि का स्वरूप

इन्हीं वर्षों में योजना के विभिन्न घटक का वित्तीय पोषण, केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा आनुपातिक दर में परिवर्तन का सारांश निम्नवत :

तालिका: योजना के अंतर्गत निधि के स्रोत

| स. क्र. | योजना का विभिन्न घटक | अप्रैल 2002 से अगस्त 2004 | | सितम्बर 2004 से जून 2006 | | जुलाई 2006 से आगे | |
|---------|---|---|--------------------------|--|----------|--|----------|
| | | केन्द्रांश | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश |
| 1. | खाद्यान्न | भारतीय खाद्य निगम को 100 ग्राम प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस खाद्यान्न के लागत की प्रतिपूर्ति | निरंक | भारतीय खाद्य निगम को 100 ग्राम प्रति छात्र/ प्रति शाला दिवस खाद्यान्न के लागत की प्रतिपूर्ति | निरंक | भारतीय खाद्य निगम को 100 ग्राम प्रति छात्र/ प्रति शाला दिवस खाद्यान्न के लागत की प्रतिपूर्ति | निरंक |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम के निकटतम भण्डार से शाला तक खाद्यान्न का परिवहन | जिला पंचायत को 50 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खाद्यान्न परिवहन की प्रतिपूर्ति | 4.00 रुपये प्रति क्विंटल | 1 अक्टूबर 2004 से 75 रुपये प्रति क्विंटल के दर से राज्य नोडल परिवहन एजेन्सी (छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) को प्रतिपूर्ति | निरंक | 75 रुपये प्रति क्विंटल के दर से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रतिपूर्ति | निरंक |

² रायपुर, जगदलपुर, जांजगीर, कोरबा, धमतरी एवं कवर्धा।

³ लेखापरीक्षा में उद्देश्य जांच हेतु विभिन्न स्तर में एक दूसरे से पृथक वर्गीकृत कुल इकाईयाँ, जो निर्धारित मानदंड के आधार पर एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित हो उनमें से नमूना इकाईयाँ के चयन करने की प्रक्रिया।

⁴ राज्य के चार जिलों में 80 प्राथमिक शालायें एस आर एस डब्लू ओ आर के द्वारा चयन किया गया एवं दो जिलों में 14 ग्राम पंचायत के अधीन 43 शालायें पूर्वनिर्णयात्मक प्रतिदर्शग्रहण के द्वारा चयन किया गया।

| स. क्र. | योजना का विभिन्न घटक | अप्रैल 2002 से अगस्त 2004 | | सितम्बर 2004 से जून 2006 | | जुलाई 2006 से आगे | |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|
| | | केन्द्रांश | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश |
| 3. | भोजन पकाने का व्यय (आनुसांगिक व्यय) | निरंक | 31.3.04 तक रू.0.75 प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस एवं 1.4.04 से प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस स्कूल शिक्षा विभाग के सामुदायिक विकास खण्ड शाला में रू.15 प्रति रसोइया/ प्रति दिवस | (i) प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना ⁵ के अन्तर्गत 2004-05 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त 1.9.04 से रू.1.00 प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस | रू.1.00 प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस | रू.1.50 प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस | रू.0.50 प्रति छात्र/प्रति शाला दिवस राज्य का योगदान |
| 4. | अधोसंरचना | निरंक | वर्ष 2002-03 में स्कूल शिक्षा विभाग में बर्तन के लिये 800 रुपये प्रति शाला अनावर्ती व्यय | (i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय झुग्गी बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत रसोई शेड का निर्माण ⁶ (ii) सर्व शिक्षा अभियान, गतिवर्द्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम एवं स्व जल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल (iii) सर्वशिक्षा अभियान के तहत रुपये 2000 प्रतिशाला अनुदान से बर्तन | निरंक | रसोई शेड का निर्माण: अधिकतम रू.60,000 प्रति शेड/प्रति शाला तथा अन्य विकास कार्यक्रम में उपलब्ध राशि रसोई उपकरण: हेतु रू.5,000 प्रति शाला | निरंक |
| 5. | परिवीक्षण, प्रबंधन एवं मूल्यांकन | निरंक | निर्धारित निर्दिष्ट | वर्ष 2004-05 के लिए खाद्यान्न, परिवहन एवं भोजन पकाने के व्यय सहित कुल आर्थिक सहायता राशि के 0.9 प्रतिशत से कम न हो | निरंक | वर्ष 2005-06 से खाद्यान्न, परिवहन एवं भोजन पकाने के व्यय सहित कुल आर्थिक सहायता राशि के 1.8 प्रतिशत से कम न हो | निरंक |

3.2.7.2 बजट प्रावधान एवं व्यय

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजना को लागू कराने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग के बजट में धनराशि का प्रावधान किया जाता है। इन दो विभागों का बजट नियंत्रक अधिकारी यथा संचालक, लोक शिक्षण एवं आयुक्त, आदिवासी विकास आगे जिला स्तर में योजना को लागू कराने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जिला

⁵ आवश्यक नहीं

⁶ आवश्यक नहीं

पंचायत/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को आवंटन प्रदाय करता है, जो जनपद पंचायतों को पुनरावंटित करते हैं।

राज्य शासन के वर्ष 2002-03 से 2006-07 के विनियोग लेखे के अनुसार वर्षवार बजट प्रावधान⁷ एवं व्यय निम्नानुसार है:

बजट प्रावधान एवं निधियों का उपयोग

(करोड़ रुपये में)

| एजेन्सी का नाम | वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) | बचत/आधिक्य का प्रतिशत |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. |
| लोक शिक्षण संचालनालय | 2002-03 | 33.06 | 25.68 | (-) 7.38 | 22.32 |
| | 2003-04 | 36.39 | 27.29 | (-) 9.1 | 25.00 |
| | 2004-05 | 63.12 | 66.91 | (+) 3.79 | 6.00 |
| | 2005-06 | 77.04 | 60.59 | (-) 16.45 | 21.35 |
| | 2006-07 | 77.04 | 66.92 | (-) 10.12 | 13.13 |
| | उप-योग | 286.65 | 247.39 | (-) 39.26 | 13.69 |
| आयुक्त, आदिवासी विकास | 2002-03 | 11.47 | 11.00 | (-) 0.47 | 4.09 |
| | 2003-04 | 20.95 | 19.95 | (-) 1.00 | 4.77 |
| | 2004-05 | 25.40 | 25.52 | (+) 0.12 | 0.47 |
| | 2005-06 | 66.72 | 62.12 | (-) 4.60 | 6.89 |
| | 2006-07 | 60.44 | 53.97 | (-) 6.47 | 10.70 |
| | उप-योग | 184.98 | 172.56 | (-) 12.42 | 6.71 |
| सम्पूर्ण राज्य के लिए | 2002-03 | 44.53 | 36.68 | (-) 7.85 | 17.62 |
| | 2003-04 | 57.34 | 47.24 | (-) 10.10 | 17.61 |
| | 2004-05 | 88.52 | 92.43 | (+) 3.91 | 4.41 |
| | 2005-06 | 143.76 | 122.71 | (-) 21.05 | 14.64 |
| | 2006-07 | 137.48 | 120.89 | (-) 16.59 | 12.06 |
| | कुल-योग | 471.63 | 419.95 | (-) 51.68 | 10.95 |

2002-07 के अवधि में 10.95 प्रतिशत निधि अनुपयोगी रही।

विगत पांच वर्षों के दौरान राशि ₹.471.63 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि ₹.419.95 करोड़ का व्यय किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹.51.68 करोड़ की बचत हुई (10.95 प्रतिशत)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटन में से 90 प्रतिशत विद्यार्थी गरम पके हुए भोजन से लाभान्वित हुये है। उत्तर में बचत के कारणों को व्यक्त नहीं किया गया।

3.2.7.3 परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति पर अधिक दावा

वर्ष 2005-06 के दौरान छः जिलों के नमूना जांच में खाद्यान्न का उठाव और परिवहन दावा का विवरण निम्नानुसार था:

⁷ भोजन पकाने के व्यय में मजदूरी और बर्तन/अधोसंरचना की लागत शामिल।

| क्रमांक | चयनित जिले | भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न मात्रा (मी.टन) | "नार्न" द्वारा परिवहन की गयी खाद्यान्न की (राज्य स्तर) मात्रा (मी.टन) | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत शासन को प्रतिवेदित खाद्यान्न उठाव (मी.टन) | "नार्न के जिला इकाई द्वारा सूचित परिवहन की गई खाद्यान्न (मी.टन) | राज्य नान द्वारा दावा की गई राशि (लाख रुपये में) |
|------------|------------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (कालम 4 X रू.750) |
| 1. | रायपुर | 7,817.40 | 9,457.01 | 9,448.10 | 9,457.01 | 70.93 |
| 2. | जगदलपुर | 3,407.68 | 4,914.34 | 4,779.30 | 5,313.69 | 36.86 |
| 3. | जांजगीर | 3,548.94 | 3,898.90 | 3,703.20 | 3,898.97 | 29.24 |
| 4. | कोरबा | 2,151.80 | 2,429.80 | 2,342.00 | 2,411.80 | 18.22 |
| 5 | धमतरी | 1,671.60 | 1,771.60 | 1,699.50 | 1,771.60 | 13.29 |
| 6 | कवर्धा | 1,816.04 | 1,652.35 | 1,405.90 | 1,577.50 | 12.39 |
| योग | | 20,413.46 | 24,124.00 | 23,378.00 | 24,430.57 | 180.93 |

किसी भी स्तर पर वास्तविक लेखा का संधारण न होने से खाद्यान्न के गड़बड़ी का जोखिम था।

भारत सरकार द्वारा कुल आवंटित 20,413.46 मीट्रिक टन चावल के विरुद्ध नागरिक आपूर्ति निगम (नान) द्वारा 24,124 मी.टन के परिवहन एवं वितरण का दावा किया गया। जिसके फलस्वरूप 3,710.53 मी.टन के अधिक वितरण के लिए राशि रू.27.83 लाख का दावा राशि रू. 750 प्रति मी.टन की दर से भारत सरकार को प्रस्तुत कर परिवहन प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध जिला एजेंसी ने 4017.11 (24,430.57-20,413.46) मी.टन अधिक परिवहन का प्रतिवेदन दिया। राज्य नोडल विभाग, स्कूल शिक्षा ने वर्ष 2006-07 के "वार्षिक कार्य योजना एवं बजट" में 23,378.00 मी.टन चावल के उठाव का उल्लेख किया था। वास्तविक रूप से चावल के खपत की मात्रा प्रस्तुत नहीं होने के कारण किसी भी स्तर में अन्तिम शेष चावल की मात्रा और क्या भारत सरकार, राज्य शासन, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर खाद्यान्न आवंटन के समय उन अंतिम शेषों को गणना में शामिल किया गया या नहीं सुनिश्चित करना संभव नहीं था। विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न की खपत एवं बचत के सामयिक प्रतिवेदन के अभाव में, वहां पर खाद्यान्न की गड़बड़ी का जोखिम था।

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न उठाव मात्रा के प्रतिवेदन में भिन्नता।

धमतरी एवं मगरलोड विकास खण्ड के सात ग्राम पंचायतों के 23 स्कूलों में वितरित किये गये खाद्यान्न (चावल) पंजी की जांच में देखा गया कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान इस योजना में "नागरिक आपूर्ति निगम" धमतरी ने उपरोक्त ग्राम पंचायतों के अधीन शालाओं को खाद्यान्न वितरित करने हेतु उचित मूल्य के दुकानों को लीड समिति के माध्यम से 147.44 मी.टन खाद्यान्न वितरण किया। जनपद पंचायत धमतरी एवं मगरलोड द्वारा उन स्कूलों के लिए उन दो वर्षों के लिए 117.26 मी.टन चावल कूपन द्वारा जारी किया गया। वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये चावल के विरुद्ध खाद्य नियंत्रक, धमतरी को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में उचित मूल्य की दुकान ने वर्ष के अंत में फार्म डी- एक में 5.02 मी.टन चावल अन्तिम शेष के रूप में दर्शाया। चूंकि, जनपद पंचायत ने 117.26 मी.टन खाद्यान्न का कूपन जारी किया था उतनी ही मात्रा

में खाद्यान्न का उठाव सरपंच/स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाना था। अतः उचित मूल्य के दुकान के भण्डार में अन्तिम शेष के रूप में 5.02 मी.टन के स्थान पर (147.44-117.26) 30.18 मी.टन खाद्यान्न होना चाहिए था। परिणामस्वरूप 25.16 मी.टन खाद्यान्न जिसका मूल्य 1.61 लाख रुपये है 6400 रुपये प्रति मी.टन की दर से (भारतीय खाद्य निगम, डिपो में चावल का दर 5650 रुपये प्रति मी.टन एवं परिवहन दर रु. 750/- प्रति मी.टन) है कम पाया गया।

शासन ने जवाब दिया (नवम्बर 2007) कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धमतरी एवं मगरलोड से खाद्यान्न की कमी के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया है।

3.2.7.4 भोजन पकाने की लागत

बच्चों को गुणवत्ता युक्त पका हुआ गरम भोजन तैयार कर प्रदाय करने के लिए, "भोजन पकाने की लागत", मध्याह्न भोजन योजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक है। इस घटक में दाल, सब्जी, तेल एवं मसाला आदि सामग्री की लागत सम्मिलित है। साथ ही साथ इसमें ईंधन एवं भोजन पकाने वाले की मजदूरी/मानदेय या भोजन पकाने के लिए उत्तरदायी एजेंसी को देय राशि भी सम्मिलित है।

राज्य शासन ने शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के बजट के अन्दर विभिन्न अनुदानों/मुख्य शीर्षों में भोजन पकाने की लागत एवं मजदूरी का प्रावधान किया परन्तु "रसोई शेड के निर्माण" हेतु राशि का पृथक से बजट प्रावधान नहीं किया यद्यपि भारत सरकार द्वारा जारी (दिसम्बर 2004) दिशा निर्देश के अनुसार इसे योजना के एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जाना था। भोजन पकाने की लागत में से वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में राशि रु.39.73 करोड़ का व्यय रसोई शेड के निर्माण पर किया गया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक वर्ष रसोई शेड के निर्माण के लिए राशि का पृथक से प्रावधान किया। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बजट में रसोई शेड निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धमतरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर 2004 के लिए ग्राम पंचायतों को भोजन पकाने की राशि रु.21.92 लाख वितरण हेतु शेष थी, जिसमें से सात लाख रुपये अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पर लगे हुए मजदूरों को भुगतान (नवम्बर 2004) किया गया। इसकी वजह से ग्राम पंचायतों को वर्ष 2004-05 में 3 से 4 माह विलम्ब से भोजन पकाने की राशि का वितरण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने बताया (अगस्त 2007) कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त न होने के कारण, मजदूरों को तुरन्त भुगतान किये जाने हेतु निधि का व्यपवर्तन किया गया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, निधि के व्यपवर्तन के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव रखा गया। अन्तिम पालन प्रतिवेदन अपेक्षित है (नवम्बर 2007)।

रसोई शेड के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान पृथक से नहीं किया गया।

भोजन पकाने की राशि से सात लाख रुपये का अन्य योजना के निर्माण कार्य हेतु व्यपवर्तन।

3.2.8 कार्यान्वयन**3.2.8.1 खाद्यान्न का आवंटन**

भारत सरकार, राज्य शासन को 100 ग्राम प्रति बच्चा/ प्रतिदिन के हिसाब से खाद्यान्न मुफ्त आपूर्ति करता है जिसके मूल्य की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य शासन द्वारा सूचित किये गये प्राथमिक शालाओं में चालू वर्ष के संभावित नामांकन/विगत वर्ष के 30 सितम्बर की स्थिति में नामांकन का 80 से 85 प्रतिशत के औसत उपस्थिति दर के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में जिलेवार खाद्यान्न आवंटन एवं जारी करता है। पूर्व वर्ष में किसी भी प्रकार की अप्रयुक्त मात्रा का चालू वर्ष में समायोजन किया जाना है। "नान" की जिला इकाई माहवार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण करता है और पूरे वर्ष के लिए आवंटित की गई मात्रा का समान्यतः 1/10 भाग एक माह के लिए उठाव करता है। नागरिक आपूर्ति निगम भारतीय खाद्य निगम के निकटतम डिपो से उठाव कर उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाता है। वर्ष 2002-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उठाव एवं उपयोग की गई मात्रा का विवरण निम्नानुसार था:

(मीट्रिक टन में)

| वर्ष | भारत सरकार द्वारा आवंटित चावल | "नान" द्वारा वितरित किये गये चावल | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2002-03 | 74,545.37 | 61,580.99 | - 12,964.38 |
| 2003-04 | 56,571.64 | 62,621.88 | + 6,050.24 |
| 2004-05 | 56,571.64 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 2005-06 | 52,346.28 | 58,485.33 | + 6,139.05 |
| 2006-07 | 69,222.56 | 58,756.46 | -10,466.10 |
| कुल⁸ | 2,52,685.85 | 2,41,444.66 | -11,241.19 |

वर्ष 2002-07 के अवधि में 11,241.19 मी.टन खाद्यान्न का कम वितरण।

वर्ष 2005-06 में खाद्यान्न उठाव मात्रा में भिन्नता के कारण नान को परिवहन व्यय के लिये रु.24.98 लाख की अधिक प्रतिपूर्ति।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002-03 और 2006-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध कम वितरण किया गया। जबकि वर्ष 2003-04 और 2005-06 में आवंटित मात्रा से अधिक वितरण किया। राज्य नोडल विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2005-06 में 55,154.30 मी.टन चावल का उठाव किया गया था जबकि नान ने भारत सरकार से 58,485.33 मी.टन चावल के परिवहन के लिए राशि रु.438.64 लाख के प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार से परिवहन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नान ने 3,331.03 मी.टन (3,331.03 मी.टन x 750 रु. प्रति मी.टन) के लिए राशि रु.24.98 लाख का अधिक दावा प्रस्तुत कर प्राप्त किया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि "नान" द्वारा अधिक खाद्यान्न का परिवहन किया गया एवं वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर परिवहन व्यय का दावा किया गया एवं भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दी गई। शासन ने आगे बताया

⁸ कुल मात्रा में वर्ष 2004-05 की मात्रा शामिल नहीं।

कि वर्ष 2006-07 के लिए आवंटन यथा मान्य करते हुए की गई कि पूर्व में आवंटित खाद्यान्न की पूर्ण खपत कर ली गई क्योंकि किसी भी जिले से बचत का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और यह संभव था कि अधिक खाद्यान्न की खपत समयावधि में कर ली गई जब वास्तविक उपस्थिति के आंकड़े हिसाब में लिये जा रहे थे। ऐसे में खाद्यान्न का अन्तिम शेष नहीं रहता। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन एवं नान द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गये खाद्यान्न के आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं। यह भी संभव था कि खाद्यान्न में शेष बचत थी लेकिन प्रतिवेदित नहीं की गई चूंकि किसी भी स्तर पर खाद्यान्न के उपयोग का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था जिससे लेखापरीक्षा के लिए बचत का सत्यापन करना संभव नहीं था। कवर्धा जिले के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी यह दर्शाता है कि वहां पर खाद्यान्न शेष थी। खाद्यान्न के वास्तविक उपयोग एवं बचत की गणना सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण एवं नियंत्रण ढांचा गठित किया जाना आवश्यक था।

3.2.8.2 उपस्थिति

राज्य शासन ने भारत सरकार को 2004-05 से 2006-07 के लिए खाद्यान्न के मुफ्त आवंटन तथा केन्द्रीय सहायता राशि के लिए प्रस्ताव/मांग निम्न औसत उपस्थिति दर के आधार पर भेजा:

तालिका: औसत उपस्थिति दर (ए.ए.आर)

| वर्ष | ए.ए.आर. (प्रतिशत) |
|---------|-------------------|
| 2004-05 | 80 |
| 2005-06 | 90 |
| 2006-07 | 90 |

राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 के लिए खाद्यान्न के आवंटन तथा भोजन पकाने के व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए 90 प्रतिशत की औसत उपस्थिति दर का प्रस्ताव यह कहते हुए किया कि उपस्थिति दर में वृद्धि योजना के कारण हुआ। राज्य शासन ने "वार्षिक कार्य योजना तथा बजट" 2006-07 में प्रमाणित किया कि 90 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर का प्रस्ताव सभी जिलाधीशों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रखा गया।

परन्तु जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.) तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा छ: निरीक्षित जिलों में कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया कि जिला स्तर पर संकलित औसत उपस्थिति दर ग्राम पंचायत तथा जनपद/विकासखण्ड से प्राप्त उपस्थिति एवं नामांकन के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

छ: जिलों के 123 निरीक्षित शालाओं में से 82 एवं 84 शालाओं द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के मध्याह्न भोजन चलाये जाने के दिवसों की संख्या, नामांकन तथा लाभान्वितों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी। यह देखा गया कि वर्ष 2005-06 में औसत उपस्थिति दर 70⁹ प्रतिशत तथा वर्ष 2006-07 में यह दर 69⁹ प्रतिशत रही।

राज्य शासन के औसत उपस्थिति दर के दावे की शाला अभिलेखों से पुष्टि न होना एवं उपस्थिति में वृद्धि का लक्ष्य पूर्ति न हो पाना।

⁹ लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण किए गए 123 शालाओं में से 82/84 शालाओं के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर एए आर की संगणना की गई। वर्ष 2005-06 में 82 शालाओं में औसत मध्याह्न भोजन दिवस (18,755/82) 229 दिवस एवं 2006-07 में (18,945/84) में 226 दिवस था। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रति दिवस लाभान्वित औसत बच्चों की संख्या (18,54,749/229) 8,099 एवं 2006-07 के दौरान (17,69,778/226) 7,831 था। अतः एएआर वर्ष 2005-06 के दौरान (8,099/11,569) एवं 2006-07 के दौरान (7831/11,290) था।

अतः 90 प्रतिशत की औसत उपस्थिति दर जिसका राज्य शासन ने दावा किया वह वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। वस्तुतः औसत उपस्थिति की दर वर्ष 2006-07 में 2005-06 की तुलना में कम हुई जो कि मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्यों के विपरीत है।

आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2006-07 में आदिवासी विकास विभाग ने 13.75 लाख बच्चों के लिए 77 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर से मुफ्त खाद्यान्न के आवंटन का दावा किया था जबकि राज्य शासन ने 90 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर से दावा किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए 4,522.37¹⁰ मीट्रिक टन खाद्यान्न के अधिक आवंटन तथा 452.23¹¹ लाख रुपये के केन्द्रीय सहायता की मांग रखी गई।

इस प्रकार, भारत सरकार ने औसत उपस्थिति दर 85 प्रतिशत मान्य करते हुये खाद्यान्न एवं केन्द्रीय सहायता राशि का आवंटन किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में 2,783 मी.टन खाद्यान्न तथा राशि ₹.2.78 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का अधिक आवंटन किया गया।

राज्य शासन ने जवाब दिया (नवम्बर 2007) कि औसत उपस्थिति दर चावल के आवंटन एवं वितरण के निकट है तथा यह एक अतिवर्धित दर नहीं है तथा नामांकन के वास्तविक आंकड़ों द्वारा प्रमाणित है। यह भी बताया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत आवंटन 85 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर के आधार पर किया जाता है। वास्तविक उपस्थिति के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि शालाओं के प्राचार्यों को निर्देश दें कि आगामी वर्ष के लिए मांग रखते समय वास्तविक उपस्थिति के आंकड़ों को प्रस्तुत करें।

यह उत्तर खाद्यान्न वितरण हेतु अनुमानित औसत उपस्थिति दर 80-85 प्रतिशत तथा लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2005-07 के लिए संगणित वास्तविक 69-70 प्रतिशत औसत उपस्थिति दर के 10-15 प्रतिशत अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाया। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का वितरण हुआ एवं शेष खाद्यान्न का संचय होता रहा। परन्तु जैसा पहले बताया गया वितरण इस अनुमान के आधार पर किया गया कि कोई भी खाद्यान्न शेष नहीं रहा। उपलब्ध खाद्यान्न की स्थिति का आंकलन तथा जांच इस परिपेक्ष्य में करना महत्वपूर्ण है।

3.2.8.3 गैस कनेक्शन पर निष्फल व्यय

शिक्षा विभाग के एक समीक्षा बैठक में (जनवरी 2005) यह निर्णय लिया गया कि राज्य के प्राथमिक शालाओं में लकड़ी के ईंधन तथा अल्यूमिनियम के भोजन पकाने के बर्तन के स्थान पर गैस चूल्हे का उपयोग किया जाए। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु संचालक, लोक शिक्षण ने 10¹² जिला शिक्षा अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कम्पनियों से गैस कनेक्शन की खरीद के लिए 2.88 करोड़ रुपये आवंटित (फरवरी

¹⁰ खाद्यान्न: 13.75 लाख X (90 - 77) प्रतिशत X 253 दिवस X 0.001 क्विंटल प्रति बच्चा/प्रति दिवस = 45,223.75 क्विंटल अर्थात् 4,522.37 मी.टन

¹¹ केन्द्रीय सहायता: 13.75 लाख X (90 - 77) प्रतिशत X 253 दिवस X ₹.1.00 = ₹.452.23 लाख

¹² जिला शिक्षा अधिकारी: रायपुर, जांजगीर, धमतरी, कवर्धा, महासमुन्द, राजनांदगांव, रायगढ़, बेमेतरा, दुर्ग एवं बिलासपुर

2005) किया। संचालक, लोक शिक्षण ने गैस चूल्हा खरीदने हेतु निविदा जारी (जनवरी 2005) किया तथा 12,500 गैस चूल्हे की आपूर्ति हेतु 1.86 करोड़ रुपये का आपूर्ति आदेश जारी किया।

गैस चूल्हे एवं सिलेण्डरों के क्रय उपरान्त भी उपयोग में नहीं लाये जाने के परिणामस्वरूप रु.4.73 करोड़ का निष्फल व्यय।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार गैस चूल्हे की आपूर्ति दो सामान खेप में प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में क्रय आदेश प्राप्ति के क्रमशः 25 एवं 45 दिनों में करना था। तथा ऐसा नहीं करने पर अर्थदण्ड का प्रावधान था। गैस चूल्हे की पहली खेप की आपूर्ति (अप्रैल से जून 2005 तक) 3 से 35 दिन विलंब से हुआ तथा दूसरी खेप की आपूर्ति 15 से 38 दिनों के विलंब से हुआ परन्तु किसी प्रकार के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा पांच जिलों की 103 शालाओं में (जून से अगस्त 2007) नमूना परीक्षण से ज्ञात हुआ कि शहरी क्षेत्र के छः शालाओं को छोड़कर शेष सभी शालाओं में भोजन पकाने के लिए लकड़ी के ईंधन का उपयोग होता था। संचालक ने स्वीकार किया (सितम्बर 2006) कि अधिकतर प्राथमिक शालाओं में गैस का उपयोग भोजन पकाने के लिए नहीं किया जाता था। अतः 4.73 करोड़ रुपये का व्यय (1.86 करोड़ रुपये गैस चूल्हा पर तथा 2.87 करोड़ रुपये गैस कनेक्शन/सिलेण्डर तथा रेग्यूलेटर पर) निष्फल रहा।

3.2.8.4 विद्यार्थियों का नामांकन

योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक प्राथमिक चरण में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि कर प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देना था।

प्राथमिक शालाओं/केन्द्रों में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के नामांकन तथा उससे संबंधित आंकड़े जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के पास उपलब्ध है वे इस प्रकार हैं:

तालिका: 30 सितम्बर की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन

(संख्या लाख में)

| वर्ष | मध्यान्ह भोजन योजना ¹³ के अंतर्गत नामांकन | वृद्धि/कमी का प्रतिशत | सर्व शिक्षा अभियान ¹⁴ के अनुसार नामांकन | (6-11 वर्ष) के कुल योग्य छात्र सर्व शिक्षा अभियानके अनुसार | मध्यान्ह भोजन योजना तथा सर्व शिक्षा अभियानके नामांकन में अंतर |
|---------|--|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (2-4) |
| 2002-03 | 28.29 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 2003-04 | 27.83 | (-) 1.62 | 28.71 | 29.74 | (-) 0.88 |
| 2004-05 | 28.39 | (+) 2.01 | 27.13 | 31.86 | (+) 1.26 |
| 2005-06 | 28.89 | (+) 1.76 | 27.63 | 29.03 | (+) 1.26 |
| 2006-07 | 31.05 | (+) 7.48 | 29.64 | 30.31 | (+) 1.41 |

तीन वर्षों (2004-07) के नामांकन के आंकड़े सर्व शिक्षा अभियान से अधिक दर्शाया गया जो संभव नहीं क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त शालाएँ भी सम्मिलित है।

¹³ शासकीय स्थानीय निकाय शासकीय सहायता प्राप्त शाला एवं ईजीएस/एआईई केन्द्र में विद्यार्थियों का नामांकन।

¹⁴ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय, स्थानीय निकाय, शासकीय सहायता प्राप्त गैर शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों का नामांकन।

वर्ष 2004-05 में नामांकन को बढ़ता हुआ दिखाया गया परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अभिलेखों के अनुसार इस वर्ष में घटा है। वर्ष 2006-07 में नामांकन को सर्व शिक्षा अभियान के आयु समूह के प्रवेश योग्य बच्चों की कुल संख्या से भी अधिक दर्शाया गया। आयुक्त, आदिवासी विकास अथवा लोक शिक्षण संचालनालय के पास जिलेवार मध्यान्ह भोजन योजना के लिए नामांकन के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे तथा संकलित नामांकन आंकड़े दो निरीक्षित जिलों में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में लोक शिक्षण संचालनालय तथा आयुक्त, आदिवासी विकास एवं इन दोनों जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने अधीनस्थ कार्यालयों से जून 2007 में नामांकन के आंकड़े मंगवाए। समुचित संकलित आंकड़े तथा सर्व शिक्षा अभियान से भिन्नता के कारण लेखापरीक्षा में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता सत्यापित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा जून से जुलाई 2007 तक छः निरीक्षित जिलों के 123 नमूना शालाओं के उपस्थिति पंजियों से संकलित नामांकन के आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 56¹⁵ शालाओं में वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005-06 की तुलना में नामांकन में गिरावट हुई। संकलन नीचे दर्शाया गया है:

नमूना शालाओं में नामांकन

| जिले का नाम | नमूना शालाओं की संख्या | 2002-03 में नामांकन | 2005-06 में नामांकन | 2006-07 में नामांकन | 2002-03 की तुलना में वृद्धि (+) तथा कमी (-) | 2005-06 की तुलना में वृद्धि (+) तथा कमी (-) | प्रतिशत वृद्धि तथा कमी का तुलनात्मक प्रतिशत | |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | 2002-03 | 2005-06 |
| रायपुर | 20 | 3,773 | 3,633 | 3,518 | -255 | -115 | -6.75 | -3.16 |
| जगदलपुर | 20 | 1,422 | 1,401 | 1,392 | -30 | -09 | -2.10 | -0.64 |
| जांजगीर | 20 | 2,866 | 2,903 | 2,947 | +81 | +44 | 2.82 | 1.51 |
| कोरबा | 20 | 2,676 | 2,844 | 2,777 | +101 | -67 | 3.77 | -2.36 |
| धमतरी | 23 | 3,125 | 3,195 | 3,120 | -05 | -75 | -0.16 | -2.34 |
| कवर्धा | 20 | 1,783 | 1,832 | 1,913 | +130 | +81 | 7.29 | 4.42 |
| कुल | 123 | 15,645 | 15,808 | 15,667 | +22 | -141 | 0.14 | -0.89 |

अतः राज्य के नामांकन 2006-07 में 2002-03 की तुलना में वृद्धि (9.76 प्रतिशत) तथा 2005-06 की तुलना में वृद्धि (7.48 प्रतिशत) जो मध्यान्ह भोजन योजना में दर्शाया गया है वह चयनित शालाओं के अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होता है। अतः नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य की प्राप्ति प्रमाणित नहीं हो पाया।

राज्य शासन द्वारा प्रतिवेदित नामांकन वृद्धि का आंकड़ों की पुष्टि लेखापरीक्षा में न हो पाया।

राज्य शासन ने जवाब दिया (नवम्बर 2007) कि नामांकन के आंकड़े पिछले चार वर्षों से (2003-07) वृद्धि की राह पर था परन्तु यह सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़े से अधिक नहीं क्योंकि इसमें गैर सहायता प्राप्त शालाएं भी सम्मिलित है। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग सांख्यिकी हेतु गैर सहायता प्राप्त शालाओं के नामांकन को सम्मिलित किया है लेकिन मध्यान्ह भोजन योजना के लिए नहीं।

नोडल विभाग ने लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के दौरान नामांकन के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये। परन्तु शासन द्वारा उत्तर में प्रस्तुत आंकड़े उन आंकड़ों से भिन्न है जिनके आधार पर भारत सरकार ने खाद्यान्न का आवंटन किया तथा सर्व शिक्षा अभियान के

¹⁵ रायपुर- 10, जगदलपुर- 13, जांजगीर-06, कोरबा-08, धमतरी-09 एवं कवर्धा-10

आंकड़े जो उत्तर में प्रस्तुत किए गए वह भी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत आंकड़े से भिन्न है। साथ-साथ शासन ने स्वीकार किया कि लोक शिक्षण संचालनालय तथा आयुक्त, आदिवासी विकास स्तर पर राज्य के लिये नामांकन के आंकड़े समेकित नहीं किया गया। शासन का पक्ष जिसमें प्रत्येक वर्ष नामांकन में वृद्धि बताया गया है उसे इन त्रुटियों के संदर्भ में अभिप्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त शासन ने स्वीकार किया कि नामांकन के आंकड़े संचालक, लोक शिक्षण तथा आदिवासी विकास विभाग स्तर पर संकलित नहीं थे।

3.2.8.5 अधोसंरचना

अधोसंरचना का प्रावधान मध्याह्न भोजन योजना का प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत रसोई सह भण्डार, भोजन पकाने, पीने, धोने हेतु समुचित जल आपूर्ति, भोजन पकाने के उपकरण (चूल्हा आदि) तथा खाद्यान्न के भण्डारण हेतु पात्र, भोजन पकाने व परोसने के बर्तन तथा अन्य उपकरण सम्मिलित है।

छ: निरीक्षित जिलों के 123 नमूने शालाओं में निरीक्षण एवं जानकारी संग्रहण के आधार पर अधो:संरचना की स्थिति इस प्रकार है:

अधोसंरचना की उपलब्धता

| क्र. सं. | जिला | निरीक्षित शालायें | रसोई सह भण्डार (पक्का) | शुद्ध पेयजल | भोजन पकाने के उपकरण |
|----------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | रायपुर | 20 | 04 | 15 | 14 |
| 2 | जगदलपुर | 20 | 04 | 13 | 14 |
| 3 | जांजगीर | 20 | 09 | 15 | 14 |
| 4 | कोरबा | 20 | 10 | 15 | 16 |
| 5 | धमतरी | 23 | 18 | 14 | 12 |
| 6 | कवर्धा | 20 | 14 | 17 | 17 |
| | कुल | 123 | 59 | 89 | 87 |
| | प्रतिशत | 100 | 48 | 72 | 71 |

शालाओं में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव

इस प्रकार पक्का रसोई सह भण्डार 48 प्रतिशत निरीक्षित शालाओं में उपलब्ध है। अधोसंरचना संबंधी अन्य सामग्री सभी शालाओं में उपलब्ध नहीं है। अधोसंरचना की अनुपलब्धता का प्रभाव खाने की गुणवत्ता, कक्षा में होने वाले गतिविधियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है।

शासन ने रसोई शेड अनुपलब्धता पर कोई विशेष टिप्पणी/स्पष्टीकरण नहीं दिया। अन्य आधारभूत अधोसंरचना के संदर्भ में शासन ने उत्तर दिया कि भोजन पकाने के उपकरण एवं खाद्यान्न भण्डारण के पात्रों की अनुपलब्धता के कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है। आधारभूत पेयजल सुविधा सभी प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध है। परन्तु यह उत्तर लेखापरीक्षा जांच जो शालाओं के नमूने से संग्रहित किया गया है, के परिपेक्ष्य में संतोषजनक नहीं है। यह शासन के स्तर पर आवश्यक है कि रसोई शेड, पेयजल एवं भोजन पकाने के उपकरणों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाए तथा सुधार हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

3.2.8.6 सुविधाविहीन वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति तथा छात्रों को स्कूल में बनाये रखने

यह योजना (संशोधित, 2004) बच्चों में विशेषकर सुविधाविहीन वर्ग के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण में, तथा बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है परन्तु योजना में कहीं भी गरीब एवं सुविधाविहीन वर्ग के बच्चों को परिभाषित करने तथा पहचान करने की विधि का उल्लेख नहीं है।

सुविधाविहीन वर्ग न तो परिभाषित किया गया न ही विशेष ध्यान दिया गया।

राज्य शासन ने गरीब एवं सुविधाविहीन वर्ग के बच्चों की पहचान के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया, न ही उन्होंने ऐसी कोई कार्यविधि निर्धारित की है जिससे योजना के अंतर्गत इस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा सके। छ: निरीक्षित जिलों के चयनित 123 नमूने शालाओं में किसी भी बच्चों के समूह को सुविधाविहीन वर्ग के रूप में नहीं पहचाना गया।

शासन ने सूचित किया (अक्टूबर 2007) कि वह आवश्यक आंकड़े तैयार करेगी।

3.2.8.7 खाद्यान्न की गुणवत्ता

राज्य शासन, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी किया (अप्रैल 2004) कि उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त खाद्यान्न के नमूने प्राप्ति की तिथि के साथ शाला में रखा जाए ताकि खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति की शिकायत की स्थिति में इसकी जांच संबंधित विभाग एवं नान द्वारा कराई जा सके।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने निर्देश जारी किया (अप्रैल 2004) कि महीने में प्राप्त खाद्यान्न के नमूने संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण हेतु रखा जाए।

शालाओं में चावल के नमूने नहीं रखे गये।

लेकिन लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 123 चयनित नमूने शालाओं में चावल के नमूने नहीं रखे गए थे।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि सभी क्षेत्र अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को भविष्य में पूरे वर्ष के लिए खाद्यान्न के नमूने रखे जाने हेतु निर्देश जारी किया गया।

3.2.8.8 पका भोजन वितरण में व्यवधान

छ: जिलों के 123 चयनित शालाओं से संग्रहित जानकारी से ज्ञात हुआ कि 2004-05 से 2006-07 की अवधि में 30 शालाओं (24 प्रतिशत) में एक महीना या उससे अधिक अवधि के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन बच्चों में वितरित नहीं हुआ। जिलेवार स्कूलों का विवरण इस प्रकार है:

(आंकड़े संख्या में)

मध्यान भोजन प्रदाय में व्यवधान।

| क्र. सं. | जिला का नाम | शाला का निरीक्षण | शाला जहाँ पके भोजन नहीं वितरित किए गए | प्रतिशत |
|----------|-------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1. | रायपुर | 20 | 03 | 15 |
| 2. | जगदलपुर | 20 | 05 | 25 |
| 3. | जांजगीर | 20 | 12 | 60 |
| 4. | कोरबा | 20 | 05 | 25 |
| 5. | धमतरी | 23 | * | -- |
| 6. | कवर्धा | 20 | 5 | 25 |
| | कुल | 123 | 30 | 24 |

* धमतरी जिले में व्यवधान देखने में नहीं आया।

जांजगीर जिले के नवागढ़, डभरा, पामगढ़, जैजैपुर, अकलतरा व बम्हनीडीह विकासखण्ड के, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी से ज्ञात हुआ है कि 157 शालाओं में कुल 16,791 नामांकित बच्चों को 2 से 12 महीनों तक पका हुआ मध्यान्ह भोजन 2004-05 तथा 2005-06 में नहीं प्राप्त हुआ था जबकि खाद्यान्न एवं निधि का जिला/विकासखण्ड स्तर पर आवंटन हो चुका था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि किसी भी जिले ने 2004-05 से 2006-07 की अवधि के दौरान पका हुआ गरम भोजन के वितरण में व्यवधान का प्रतिवेदन नहीं दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर चाम्पा ने प्रमाणित किया कि 2004-05 से 2005-06 में कहीं भी मध्यान्ह भोजन में व्यवधान नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा विकासखण्ड/शाला स्तर से व्यवधान पर आंकड़े संग्रहित किए गए तथा उत्तर यह दर्शाता है कि यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी तक नहीं पहुंची।

3.2.9 परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण

3.2.9.1 प्रबंधन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन (एमएमई) के कार्ययोजना प्रस्तुति न होना

योजना में यह प्रावधान है कि प्रबंधन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय सहायता अनुदान वर्ष 2004-05 के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति, वास्तविक परिवहन व्यय तथा भोजन पकाने के व्यय के लिए दी जाने वाली कुल सहायता का 0.9 प्रतिशत होगा तथा वर्ष 2005-06 में यह दर कुल सहायता राशि का 1.8 प्रतिशत होगा। एमएमई के लिए केन्द्रीय सहायता अक्टूबर 2004 से प्रभावी है। राज्यों के लिए यह आवंटन इस शर्त पर आधारित है कि वे इस संदर्भ में विस्तृत एवं पृथक वार्षिक कार्य योजना राष्ट्रीय संचालन सह परिवीक्षण समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

इस सहायता का उपयोग (1) शाला स्तर के व्यय (2) प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा आंतरिक परिवीक्षण (3) बाह्य परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु किया जाना था।

छत्तीसगढ़ शासन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना मार्च 2007 तक प्रस्तुत नहीं कर सकी। तथापि, भारत सरकार ने 2005-06 तथा 2006-07 के लिए क्रमशः 127.77 लाख रुपये तथा 98.67 लाख रुपये प्रबंधन परिवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जो जून 2007 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सामग्री जैसे वजन मशीन, ऊँचाई मापने का यंत्र, भोजन पकाने वाले उपकरणों को बदलने/उनकी मरम्मत/देखभाल तथा स्कूलों के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन तथा परिवीक्षण सभी स्तरों पर नहीं हो सका।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि प्रबंधन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय सहायता का उपयोग उपरोक्त अवधि में नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए कार्ययोजना विलंब से जमा की गई तथा शेष राशि का उपयोग 2007-08 की कार्य योजना के अनुसार किया जाएगा।

कार्य योजना प्रस्तुति न करने के कारण एमएमई के लिए उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय सहायता राशि रु.2.26 करोड़ अनुपयोगी रहा।

3.2.9.2 संचालन सह परिवीक्षण समिति का गठन

योजना की मार्ग दर्शिका में संचालन सह परिवीक्षण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि योजना के प्रबंधन एवं परिवीक्षण पर निगरानी रखी जा सके। ये समितियां चार स्तरों यथा उदाहरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर गठित की जानी है। अपने कार्य अधिकार क्षेत्र में ये समितियां सामान्यतः विभिन्न एजेन्सियों का मार्गदर्शन, योजना के प्रभाव का आंकलन तथा जहां आवश्यक होगा सुधारवादी कदम उठाएगी तथा समुदायिक सहयोग जागृत करेंगी। योजना की मार्गदर्शिका में समितियों के गठन की संरचना का विवरण है।

संचालन सह
परिवीक्षण समिति
में यथोचित
प्रतिनिधित्व न
दिया जाना।

राज्य शासन ने राज्य स्तरीय समितियां गठित (जनवरी 2002) की तथा जिला स्तर पर समितियों के गठन हेतु आदेश जारी की तथापि, राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियों के गठन की रूपरेखा योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं है। राज्य स्तरीय समिति के सभी सदस्य राज्य शासन के विभागों से है। भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं किया गया तथा चार व्यक्ति जिनमें दो महिलाये जिनका विशेष योगदान/उपलब्धि/पोषण, शिशु कल्याण, समुदाय, महिला जागृति, शालेय शिक्षा, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित हो तथा कम से कम एक शिक्षक को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया गया।

शासन ने स्वीकार किया (नवम्बर 2007) कि यद्यपि परिवीक्षण तथा मूल्यांकन नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन कार्य के अतिरिक्त बोझ के कारण इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि क्यों परिवीक्षण समितियां मार्गदर्शिका के अनुसार गठित नहीं की जा सकी।

3.2.9.3 अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

योजना मार्गदर्शिका में जिला विकासखण्ड तथा अन्य अधिकारियों जो राजस्व/सामान्य प्रशासन ग्रामीण विकास/शहरी प्रशासन/शालाये शिक्षा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है उनके लिए महीने में निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। पुनः निरीक्षण के लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित हो तथा निरीक्षण का इस प्रकार से समायोजन हो कि जहां तक संभव हो सके 25 प्रतिशत प्राथमिक शाला तथा ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई.केन्द्र का हर तीन माह में निरीक्षण हो सके तथा सभी प्राथमिक शालाओं का वर्ष में एक बार निरीक्षण हो सके।

राज्य शासन ने शालाओं के निरीक्षण हेतु आदेश जारी किया (अगस्त 2003) तथा प्रतिवेदन हेतु प्रारूप भी निर्धारित किया। तथापि, स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन के निरीक्षण का कोई लक्ष्य राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया (अक्टूबर 2007)।

छः जिलों के 123 शालाओं की जांच में जिला/विकासखण्ड अधिकारियों द्वारा समुचित निरीक्षण न होने का विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विगत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) में जिन शालाओं का एकबार भी निरीक्षण नहीं हुआ

| जिले का नाम | नमूना शाला संख्या | शालाओं की संख्या जहां कोई निरीक्षण नहीं हुआ | शालाओं का प्रतिशत जिनका निरीक्षण नहीं हुआ है |
|-------------|-------------------|---|--|
| रायपुर | 20 | 08 | 40 |
| जगदलपुर | 20 | 17 | 85 |
| जांजगीर | 20 | 06 | 30 |
| कोरबा | 20 | 06 | 30 |
| धमतरी | 23 | 09 | 39 |
| कवर्धा | 20 | 18 | 90 |
| कुल | 123 | 64 | 52 |

शालाओं में कार्यक्रम का निरीक्षण अप्रभावी एवं अपर्याप्त रहा।

राज्य शासन ने आदेश जारी किया (दिसम्बर 2005) जिसमें विद्यार्थियों की माताओं से आग्रह किया गया कि वे शालाओं में योजना का परिवीक्षण करें। यद्यपि इस बात का कोई अभिलेख नहीं है कि माताओं ने भोजन पकाने तथा भोजन के वितरण का परिवीक्षण किया या नहीं। यह देखा गया कि जगदलपुर जिले में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा गठित स्वसहायता समूह योजना को क्रियान्वित कर रही है तथा माताएं भी योजना में शामिल हो रही हैं। अन्य निरीक्षित जिलों में योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि योजनाओं के नियमित निरीक्षण तथा प्रक्रिया में पालकों की भागीदारी हेतु सभी को निर्देश जारी किया गया है। अभिमत स्वीकारता है कि योजना की दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

3.2.10 प्रभाव मूल्यांकन

3.2.10.1 छात्रों को स्कूलों में बनाये रखना (अवधारण)

विद्यार्थियों को स्कूलों में बनाये रखने से संबंधित आंकड़ों का संकलन न तो लोक शिक्षण संचालनालय और आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा राज्य स्तर पर, न ही जिला शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जिला स्तर पर किया गया इसलिए इस बात की जांच करना संभव नहीं था कि योजना ने स्कूलों में विद्यार्थियों के अवधारण में मदद की है या नहीं। परन्तु राज्य के सभी शालाओं में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक कक्षा में तीनों वर्षों में गिरावट देखी जा रही है जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(लाख संख्या में)

| वर्ष | कक्षाएं | | | | | |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| 2003-04 | 8.14 | 7.02 | 6.67 | 6.26 | 5.87 | 4.37 |
| 2004-05 | 8.19 | 7.00 | 6.78 | 6.26 | 5.82 | 4.54 |
| 2005-06 | 8.20 | 7.01 | 6.79 | 6.62 | 6.23 | 4.64 |
| औसत नामांकन | 8.17 | 7.01 | 6.74 | 6.38 | 5.97 | 4.51 |

इस अवधि में अवधारण में गिरावट।

अतः प्रत्येक उच्च कक्षाओं में 2003-04 से 2005-06 सभी वर्षों में छात्र संख्या में उत्तरोत्तर कमी इस बात का सूचक है कि विद्यार्थियों को स्कूलों में बनाये रखने में कमी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई।

शासन ने यह दलील दी कि प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने के कई कारण हैं जैसे मौसमी प्रब्रजन, माता-पिता के उत्साह में कमी तथा बेहतर अधोसंरचना का अभाव।

3.2.10.2 पोषण स्तर

योजना के एक प्रमुख उद्देश्य शासकीय प्राथमिक शालाओं तथा ई.जी.एस./ए.आई.ई.केन्द्रों में पढ़ रहे (कक्षा एक से पांच तक) बच्चों के पोषण में सुधार लाना है। योजना के संशोधित मार्गदर्शिका 2004 में प्राथमिक चरण के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में भी पोषण सहायता प्रदान की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना में समय-समय पर पके भोजन के पोषण स्तर में संशोधन का प्रावधान किया गया है जो प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक शाला दिवस पर उपलब्ध कराया जाए। यह तालिका इस प्रकार है:

| पोषक तत्व | एन.पी./एन.पी.एस.ई. की मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित मानक | संशोधित मानक एन.पी.एन.पी.एस.ई. 2006 की मार्ग दर्शिका के अनुसार |
|-------------------|---|--|
| कैलोरी | 300 | 450 |
| प्रोटीन | 8-12 ग्राम | 12 ग्राम |
| सूक्ष्म पोषक तत्व | - | i) छः महीने पर विटामिन A तथा कृमी नाशक दवा की खुराक ii) साप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड, जिंक iii) अन्य पोषण पूरक तत्व जो सामान्य कमी पर आधारित हो |

योजना मार्गदर्शिका 2004 के कंडिका 3.3 के अनुसार यह प्रत्येक राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता एवं पोषक तत्व वाले पके हुए मध्याह्न भोजन दिए जाएं।

विभिन्न सम्मिश्रण तथा मात्रा वाले खाद्य सामग्री जो निर्धारित राशि (दो रूपये प्रति छात्र प्रतिदिन) के भीतर उपलब्ध हो, जो वांछित स्तर वाले पोषक तत्व प्रदान कर सके, निर्धारित नहीं किए थे। इसलिए छात्रों को दिए जाने वाले पोषक मूल्य का वास्तविक आंकलन संभव नहीं था।

शासन ने उत्तर दिया कि यद्यपि पोषक मूल्य का वांछित स्तर निर्धारित नहीं है तथा छात्रों को सम्पूर्ण आहार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर यह नहीं दर्शाता है कि पोषक मूल्य को मापने के लिए कोई प्रयास किया गया।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया (मार्च 2005) कि स्वास्थ्य विभाग के मदद से बच्चों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया जाए तथा तदनुसार भोजन में यथोचित परिवर्तन किया जाए। आदेश में रोजाना भोजन में दी जाने वाली सामग्री जिसमें आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां, विटामिन ए की गोलियां शामिल है का भी निर्धारण किया। राज्य संचालन सह परीवीक्षण

भोजन के पोषण मूल्य के निर्धारण के अभाव में बच्चों के पोषण स्तर का आंकलन न किया जाना।

समिति के बैठक जो दिसम्बर 2004 में हुई इसमें सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने समिति को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की योजना के अंतर्गत बच्चों को विटामिन "ए" तथा आयरन की गोली देने का प्रावधान किया गया है। अतः मध्यान्ह भोजन योजना से इस मद पर व्यय की आवश्यकता नहीं है। परन्तु संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर ने निर्देश जारी किया (जून 2006) कि बच्चों को रोजाना आयरन की गोली तथा कृमि नाशक दवा एवं विटामिन ए की गोली छः महीने में प्रदान करने हेतु धन मध्यान्ह भोजन योजना के भोजन पकाने के व्यय हेतु आवंटित राशि से लिया जाए।

11 प्रतिशत शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किये गये एवं 37 प्रतिशत शालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदाय नहीं किये गये।

छः नमूना जांच वाले जिलों के 123 शालाओं से जो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हुआ कि 14¹⁶ शालाओं में (11 प्रतिशत) विगत दो वर्षों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ यद्यपि यह कहा गया है कि अन्य शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण की गई परन्तु परीक्षण का कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बच्चों के स्वास्थ्य स्तर की जांच नहीं की गई। यह देखा गया कि 46¹⁷ शालाओं (37 प्रतिशत) में बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं की गई। जहां भी आपूर्ति की गई वहां नियमित रूप से आपूर्ति नहीं हो पाई।

शासन ने जवाब में दावा किया कि चिकित्सा जांच, कृमि नाशक दवा विटामिन ए, आयरन तथा फोलिक एसिड का वितरण नियमित रूप से मानक के अनुसार किया गया। लेकिन अभिलेखों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पायी एवं न ही इसकी जांच हो पाई।

3.2.11 निष्कर्ष

राज्य में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में अनेक कमियां हैं। इनमें बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत, कोष का दूसरे मदों पर व्यय तथा विभाग द्वारा प्रबंधन, परिवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर पाना प्रमुख है। संबंधित विभाग विगत पांच वर्षों में योजना के अंतर्गत चावल खपत की मात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पाया तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उठाए गए चावल की मात्रा तथा संबंधित विभाग के आंकड़ों में त्रुटि है। औसत उपस्थिति दर भी विभाग द्वारा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। नामांकन के आंकड़ों में भी भिन्नता है। सुविधा विहीन बच्चों के पहचान के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। नियमित निरीक्षण के अभाव तथा स्कूलों में चावल के नमूने के अभाव में आपूर्ति किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता को बनाए रखना संभव नहीं है। शालाओं के पास समुचित अधोसंरचना का अभाव है।

3.2.12 अनुशंसाएं

- भोजन पकाने के लिए आवंटित निधि का उपयोग भोजन पकाने के काम पर हो, उसे दूसरे कार्यों में व्यय न किया जाए।
- संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि नामांकन के आंकड़े तथा उपस्थिति संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत स्तर से आए तथा संचालनालय स्तर पर इसका संकलन किया जाए ताकि खाद्यान्नों का आवंटन व्यवहारिक रूप में हो सके।

¹⁶ स्वास्थ्य परीक्षण:- रायपुर-4, जगदलपुर-3, जांजगीर-1, कोरबा-1, धमतरी-1 एवं कवर्धा-14

¹⁷ सूक्ष्म पोषक तत्व:- रायपुर-11, जगदलपुर-11, जांजगीर-7, कोरबा-6, धमतरी-3 एवं कवर्धा-8

- चावल के चोरी होने के खतरे से निपटने के लिए संबंधित विभाग द्वारा चावल के उपयोग तथा परिवीक्षण के वास्तविक आंकड़े का संग्रहण हो।
- योजना के प्रभावी परिवीक्षण, नियमितीकरण तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाए।
- योजना के प्रभावी मूल्यांकन हेतु क्रियाशील सूचक सुनिश्चित हो जिससे प्रभावों का आंकलन हो सके।

शासन के साथ इन निष्कर्षों की चर्चा (17 सितम्बर 2007) की गयी एवं अनुशंसाएं स्वीकार कर लिया गया। इस चर्चा के आधार पर शासन ने परिवीक्षण एवं आंकड़ों के संकलन और उसके प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की (अक्टूबर 2007)।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

3.3 गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम

विशेषताएं

भारत सरकार ने सभी ग्रामीण बसाहटों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु 1972-73 में गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने वर्ष 2002-07 के दौरान 239.63 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जिसमें से राज्य सरकार 58.78 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2003 में किए गए नये सर्वे में 17,968 नयी बसाहटों को सम्मिलित किया गया जिनमें से फरवरी 2007 तक 14,471 बसाहटें असमावेशित तथा 3,507 बसाहटें समावेशन हेतु शेष थीं। परिचालन एवं रख रखाव, स्रोत की स्थिरता तथा गुणवत्ता के लिए राज्य द्वारा किया गया आवंटन कम था। आंकड़ों को गलत प्रतिवेदित करने के नमूने थे। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

राज्य विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय निधि का 5.54 से 60.68 प्रतिशत तक उपयोग करने में असक्षम रहा। गुणवत्ता पर उपमिशन के अधीन भारत सरकार द्वारा दिए गए 17.90 करोड़ रूपयों में से केवल 47.98 लाख (2.68 प्रतिशत) का उपयोग कर सका।

(कंडिका 3.3.6)

शासन कम्प्युटरीकरण हेतु दिए गए केन्द्रीय निधि से प्राप्त राशि 61.34 लाख रूपये का उपयोग नहीं कर सका तथा 1.43 करोड़ रूपये की अनुवर्ती विमुक्ति प्राप्त करने में असफल रहा।

(कंडिका 3.3.6)

सुधारक उपाय नहीं अपनाने के कारण वर्ष 2002-03 में आधिक्य लौह से गुणवत्ता प्रभावित 3,090 बसाहटें वर्ष 2006 में बढ़कर 4,478 हो गईं।

(कंडिका 3.3.14.1)

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 तक 59.77 लाख रूपये जारी किए जाने के उपरांत भी फील्ड टेस्ट किटें क्रय नहीं की गई थीं।

(कंडिका 3.3.14.2)

ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं के आंकड़े विश्वस्नीय नहीं थे, वर्ष 2006-07 में 2,600 असमावेशित विद्यालयों के विरुद्ध भारत सरकार को यह संख्या 3,301 प्रतिवेदित की गई।

(कंडिका 3.3.15)

3.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 1972-73 में राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के साथ गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) प्रस्तुत किया। वर्ष 1974-75 में पांचवे पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (एम.एन.पी.) प्रस्तुत होने के बाद इसे बंद कर दिया गया तथा 1977-78 में पुर्नजीवित किया गया। कार्यक्रम को 1986 में प्रस्तुत राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत मिशन उन्मुख¹ किया गया। वर्ष 1999 में एक विस्तृत कार्य योजना प्रतिपादित की गई जिसके अंतर्गत असमावेशित तथा आंशिक रूप से समावेशित बसाहटों की पहचान की गई।

कार्यक्रम लक्ष्य:

- सभी ग्रामीण बसाहटों विशेषकर पहुचविहिनों/अलाभान्वितों तक शुद्ध पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना;
- प्रणाली तथा स्रोतों की निरंतरता सुनिश्चित करना;
- संस्थागत जल गुणवत्ता नियंत्रण तथा जीवन्त भराव क्षेत्र में जल की गुणवत्ता संरक्षित करना।

समावेशन मानक

- मनुष्यों के लिए 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा;
- प्रत्येक 250 लोगों के लिए एक हैण्डपम्प या स्टैण्ड पोस्ट।

समस्या मूलक बसाहटों की निशानदेही हेतु मानदण्ड

(i) असमावेशित (एन सी)/सुरक्षित स्रोतविहीन बसाहट

- समतल क्षेत्रों के बसाहटों में 1.6 कि.मी.के अंदर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊँचाई पर पेयजल स्रोतों/बिन्दुओं का न होना;
- बसाहटों में जल स्रोत है परन्तु गुणवत्ता समस्याओं से प्रभावित हैं;
- ऐसे बसाहट जिनमें शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की मात्रा किसी भी स्रोत से पीने तथा खाना बनाने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं हैं (8 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक से कम)।

(ii) आंशिक समावेशित (पी सी) बसाहटें - जिनमें सुरक्षित पेयजल स्रोत (निजी या सार्वजनिक) मैदानी क्षेत्रों में 1.6 कि.मी.तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर हो किन्तु प्रणाली की क्षमता 10 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक से 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक के बीच हो।

¹ मिशन उन्मुख वैज्ञानिक तथा तकनीकी निवेशों द्वारा समस्या ग्रस्तों की पहचान तथा सुरक्षित पेयजल प्रदाय की कम लागत वाली उपाय दर्शाती है।

(iii) पूर्ण समावेशित (एफ सी) बसाहटें- अन्य सभी शेष बसाहटें।

कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित स्रोत विहिन बसाहटों को समावेशन हेतु प्राथमिकता दिया जाना था। इनमें से उनको प्राथमिकता देनी थी जिनमें विशेष कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसाहट हों भारी विषाक्त से गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों को प्रथम तथा अन्य को बाद में, बसाहटें जिसमें 40 लीटर प्रति दैनिक से कम सुरक्षित स्रोत है की जल की स्तर 40 लीटर प्रति दैनिक की स्रोत स्तर में उन्नयन करना तथा सुरक्षित पेयजल स्रोत विहिन स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों की समावेशन करना।

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत एनसी/पीसी की समावेशन हेतु निधियों को 2:1 के अनुपात में वितरण किया जाना था।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नोडल संस्था है। जिसके अंतर्गत मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में दो प्रक्षेत्रों की रायपुर एवं बिलासपुर में मुख्यालय है। मुख्य अभियंता के अध्यक्षता में रायपुर में यांत्रिकी संरचना है। राज्य में 25 संभाग (16 सिविल, 5 मेकेनिकल, 3 परियोजना एवं 1 वाटर रीचार्ज) है।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे;

- सुनिश्चित करना कि क्या गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना प्रभावी थी;
- वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का आंकलन करना;
- आंकलन करना कि क्या योजनाओं को उचित प्रधानता दी गई थी तथा प्रभावी रूप से सम्पादित हुई;
- आंकलन करना कि विद्यमान जल आपूर्ति स्रोतों के संचालन एवं रख रखाव को प्राथमिकता दी गई थी, तथा
- जल गुणवत्ता एवं स्थिरता के नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का आंकलन करना।

3.3.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

प्रमुख अभियंता कार्यालय से सूचनाएं एकत्रित की गई तथा यादृच्छया आधार पर 25 में से चयनित 7² संभागों में योजना से संबंधित वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई।

² 1. का.य.लो.स्वा.यां.संभाग, रायपुर 2. का.अ.,लो.स्वा.यां.(वि/यां) संभाग, रायपुर 3. का.अ., लो.स्वा.सं., जगदलपुर 4. का.अ.,लो.स्वा.या. (वि/या) सं., जगदलपुर 5. का.अ.,लो.स्वा.यां.सं.,कोरबा, 6. का.अ.,लो.स्वा.यां.सं., अम्बिकापुर 7. का.अ.,लो.स्वा.या.(वि/या) सं.,अम्बिकापुर

3.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित नियमों विनियमों तथा प्रावधानों हेतु प्रयुक्त मानदण्ड से लिए गए:

- (i) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शक (अगस्त 2000);
- (ii) स्वजल धारा मार्गदर्शिका (जून 2003);
- (iii) ग्रामीण बसाहटों में पेयजल आपूर्ति स्थिति की सर्वे मार्गदर्शिका (फरवरी 2003);
- (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यक्रम मार्गदर्शिका निरीक्षण (जनवरी 2006);
- (v) राष्ट्रीय जल नीति (अप्रैल 2002); तथा
- (vi) प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन तथा योजना विशेष के लिए परियोजना क्रियान्वयन योजना।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.6 वित्तीय प्रबंधन

गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है तथा राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र के समतुल्य प्रावधान किया। गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय अंश राज्य अंश की विमुक्तियां, तथा व्यय की स्थिति नीचे प्रदर्शित है:-

(लाख रुपये में)

| वर्ष | प्रावधान | | | व्यय | कुल बचतों की प्रतिशत | केन्द्रीय अंश में बचत | केन्द्रीय अंश में बचत की प्रतिशत |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | केन्द्रीय अंश | राज्य अंश | योग | | | | |
| 2002-03 | 4,126.01 | 6,550.00 | 10,676.01 | 9,009.81 | 15.6 | 1,537.02 | 37.25 |
| 2003-04 | 4,168.00 | 7,680.00 | 11,848.00 | 11,128.43 | 6.07 | 649.20 | 15.58 |
| 2004-05 | 4,200.00 | 7,905.00 | 12,105.00 | 8,027.72 | 34.23 | 2,548.36 | 60.68 |
| 2005-06 | 4,169.00 | 10,075.00 | 14,244.00 | 12,536.36 | 11.99 | 738.56 | 17.72 |
| 2006-07 | 7,300.15 | 11,700.00 | 19,000.15 | 17,991.21 | 5.32 | 404.70 | 5.54 |
| योग | 23,963.16 | 43,910.00 | 67,873.16 | 58,693.53 | | 5,877.84 | |

स्रोत: सारणी में प्रदर्शित आंकड़े विनियोजन लेखों के अनुसार हैं।

राज्य केन्द्रीय निधियों की 5.54 से 60.68 प्रतिशत उपयोग करने में असफल रहा।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय निधि का 5.54 प्रतिशत से 60.68 प्रतिशत तक उपयोग करने में असफल रहा। वर्ष 2004-05 के अवधि में बचतें उच्चतम थी। तदनुसार भारत सरकार ने दिसम्बर 2006 में गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन पर 17.21 करोड़ रुपये की कटौती शक्ति की जिसे बाद में फरवरी 2007 में विमुक्त किया गया।

गत पांच वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा निधि के वितरण का, सम्पूर्ण राज्य के साथ-साथ चारों नमूना जांच किए गए जिलों³ के लिए अवयववार बटवारा नीचे प्रदर्शित है:

³ रायपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर, कोरबा

(लाख रूपयों में)

| | ए.आर.डब्ल्यू एस.पी. सामान्य | ओ. एण्ड एम. | प्रतिशत | स्थिरता | प्रतिशत | गुणवत्ता | कुल योग |
|--------------|--------------------------------|----------------|---------|----------|---------|----------|------------|
| राज्य | 60,965.07 | 4,434.71 | 6.53 | 2,388.38 | 3.51 | 85.00 | 67,873.16 |
| योग (4 जिले) | 16,420.79 | 1,435.134 | 7.91 | 263.60 | 1.45 | 15.00 | 18,134.524 |
| रायपुर | 5,986.44 | 534.478 | 7.91 | 229.00 | 3.39 | -- | 6,749.918 |
| जगदलपुर | 3,479.08 | 333.081 | 8.65 | 20.60 | 0.53 | 15.00 | 3,847.761 |
| कोरबा | 2,460.45 | 152.355 | 5.82 | 3.00 | 0.11 | -- | 2,615.805 |
| अम्बिकापुर | 4,494.82 | 415.22 | 8.43 | 11.00 | 0.22 | -- | 4,921.04 |

गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) की दिशा निर्देशों की धारा 2.7 के अनुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.के अंतर्गत विमुक्त निधियों का 15 प्रतिशत तक निर्मित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु उपयोग किया जाना था। उपरोक्त से देखा गया कि परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव के लिए मात्र 6.53 प्रतिशत निधि का ही आवंटन किया गया था। इस तरह के कम प्राथमिकता आवंटन बसाहटों की पूर्ण समावेशित से आंशिक समावेशित तथा असमावेशित बसाहटों की ओर पश्चफिसलन की समस्या को प्रभावी ढंग से इंगित नहीं करती। नये सर्वेक्षण (2003) के अनुसार पूर्ण समावेशित बसाहटों की संख्या 53,566 से घटकर 45,892 रह गई। प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (जुलाई 2007) कि यह स्रोतों के अवरूद्ध तथा भरपट जाने के कारण था। यह समस्याएँ संचालन तथा रखरखाव पर आवर्धित आवंटन द्वारा घटायी जा सकती थी।

गुणवत्ता प्रभावित 9,922 बसाहटों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक आवंटन का 15 प्रतिशत गुणवत्ता विषयक जैसे फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, खारापन, लौह आधिक्य आदि मामलों से निपटने हेतु जल गुणवत्ता उत्थान पर खर्च किए जाने थे। अगस्त 2006 को राज्य में 11,793 असमावेशित बसाहटों में से 9,922 जल गुणवत्ता प्रभावित थी। भारत सरकार द्वारा जल गुणवत्ता उत्थान हेतु गत चार वर्षों में 17.90 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए जिसमें से मात्र 85 लाख रुपये वर्ष 2005-06 के राज्य बजट में आवंटित किए गए। व्यय 47.95 लाख रुपये रहा जो कि उपयोग करने योग्य राशि का 2.68 प्रतिशत था।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. मार्गदर्शिका के अनुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.निधियों का 5 प्रतिशत भू-जल स्रोतों की निरंतरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना था। यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा आवंटित निधि केवल 3.51 प्रतिशत थी तथा वास्तविक व्यय कुल निधि का मात्र 2.69 प्रतिशत था। यह भू-जल स्रोतों को रिक्तिकरण से बचाने के लिए अपर्याप्त था।

निधियों की विमुक्ति में विलम्ब.

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्रीय निधियों को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर समतुल्य एम.एन.पी.अंश सहित कार्यपालन इकाइयों को विमुक्त किया जाना था। तथापि, यह पाया गया कि 24 विमुक्ति आदेशों में से 12 में 44 से 321 दिनों तक की विलम्ब थी (परिशिष्ट 3.8)। परिणामतः इसका संभागों पर इसके समय पर उपयोग पर प्रभाव पड़ा।

भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु विमुक्त 61.34 लाख रुपये जमा में रखी गई तथा शासन 1.43 करोड़ रुपये की पुनः किरत प्राप्त करने में असफल रही।

पुनरीक्षित एम.आई.एस.मार्गदर्शिका के तहत भारत सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए 2.04 करोड़ रुपये स्वीकृत

(फरवरी 2004) किए थे। प्रथम किश्त 61.34 लाख रूपये (30 प्रतिशत) 27 फरवरी 2004 को विमुक्त की गई, प्रथम किश्त के 60 प्रतिशत की उपयोगिता दर्शाने वाली उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर द्वितीय एवं तृतीय किश्त (35 प्रतिशत प्रत्येक) विमुक्त किया जाना था।

शासन निधियों का उपयोग नहीं कर सका तथा 31 मार्च 2004 तक जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी रही। यह देखा गया कि इस राशि को दिसम्बर 2006 तक उपयोग नहीं की जा सकी। अतः शासन 1.43 करोड़ रूपये की आगामी विमुक्तियां प्राप्त करने में असफल रहा।

यह पाया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित पेयजल स्रोतों की सम्पूर्ण सूची, प्रारंभ तथा पूर्णता का दिनांक, लागत, प्रचालन एवं देखरेख के लिए संस्था आदि जिला स्तर पर संधारित नहीं की गई जो ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका के अंतर्गत आवश्यक था।

3.3.7 वार्षिक कार्य योजना

एआरडब्ल्यूएसपी के मार्ग दर्शिका अनुसार वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाए।

वार्षिक कार्य योजनाएं कार्यक्रम को निश्चित दिशा निर्देश देती हैं तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ-साथ लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं पर नियंत्रण करती हैं। एआरडब्ल्यूएसपी के अनतर्गत राज्य शासन को वित्त वर्ष प्रारंभ होने से 6 माह पूर्व योजनाओं की स्तर, एमएनपी, एआरडब्ल्यूएसपी के अन्तर्गत आवंटनों की आकार तथा निधियों की अग्रबहाव के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी थी। इन वार्षिक कार्य योजनाओं को प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रारम्भ में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को प्रस्तुत किया जाना था।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.की मार्गदर्शिका की कंडिका 2.10 उद्धृत करती है कि वार्षिक कार्य योजना में अपूर्ण कार्यों, असमावेशित/आंशिक समावेशित बसाहटों हेतु नाम सहित लक्ष्यों, आन्दोलन की तरह कार्य करने के कदम, गतिविधियों को उप मिशन के अन्तर्गत लेना, समुचित प्रचालन एवं मरम्मत, पंचायती राज्य संस्थाओं की सहभागिता आदि को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि विगत पांच वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाएं ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.के मार्गदर्शन अनुसार नहीं बनायी गई थी। इन कार्य योजनाओं में केवल प्रस्तावित क्षेत्रों की सूचना एवं बसाहटों में समावेशन हेतु भौतिक लक्ष्य उपलब्धियाँ थी।

वार्षिक कार्य योजनाओं में पाई गई कुछ कमियों को नीचे दर्शाया गया है;

- (i) वार्षिक योजनाओं में वर्ष के दौरान लक्षित असमावेशित/ आंशिक समावेशित बसाहटों की संख्या थी परन्तु ग्राम, ब्लॉक तथा जिलों की बसाहटवार जानकारी, सर्वेक्षण सूची का सरल क्रमांक नहीं दिए गए थे।
- (ii) निरन्तरता तथा गुणवत्ता मुद्दे इंगित नहीं थे।

- (iii) जल गुणवत्ता की भारी समस्या की सामना कर रही ग्रामीण जनसंख्या के लिए दोहरी जल आपूर्ति नीति को वार्षिक योजना में शामिल नहीं किए।
- (iv) परिचालन एवं रखरखाव हेतु व्यय में अलग से आवंटन प्रस्तावित नहीं था।
- (v) वर्ष 2002-07 के पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित थे, लेकिन वार्षिक कार्य योजनाओं में ये प्रतिदर्शित नहीं थे।

वार्षिक योजनाओं में प्रदर्शित असमावेशित/आंशिक समावेशित बसाहटों के लक्ष्यों का विवरण तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित लक्ष्य/लक्ष्य की प्राप्ति निम्नानुसार है:-

| वर्ष | वार्षिक योजनानुसार लक्ष्य | भारत सरकार को प्रतिवेदित लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति | |
|------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | लक्ष्य | लक्ष्यों की प्राप्ति |
| 2002-03 | 4,587 | 2,823 | 2,196 |
| 2003-04 | 5,647 | 1,241 | 1,061 |
| 2004-05 | 8,786 | 4,500 | 3,797 |
| 2005-06 | 8,854 | 11,016 | 9,338 |
| 2006-07 | 10,182 | 10,000 | 8,113 (2/07 तक) |
| योग | 38,056 | 29,580 | 24,505 |

यह देखा जा सकता है कि विभाग की वार्षिक योजनाओं तथा वास्तविक निष्पादन में कोई समानता नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने लेखापरीक्षा में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई विशिष्ट उत्तर न देकर वर्ष 2002-07 के पंचवर्षीय योजना की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी। यह इंगित करता है कि जब पंचवर्षीय योजना उपलब्ध थी, एआरडब्ल्यूएसपी के दिशा निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं कराई गई।

3.3.8 सर्वेक्षण

भारत सरकार ने निर्देशित किया (फरवरी 2003) कि ग्रामीण बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की वास्तविक स्थिति को जानने तथा गुणवत्ता समस्याओं के लिए जाँच किए गए जल स्रोतों की विश्वस्नीय सूचना एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। सर्वेक्षण के परिणामों से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.की भविष्य की योजना तैयार करने हेतु आधार प्राप्त होना था। विभाग द्वारा मार्च से अक्टूबर (2003) के बीच राज्य में सर्वेक्षण कराए गए तथा अक्टूबर 2003 में भारत सरकार को सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

सर्वेक्षण में छः माह की विलम्ब हुई।

नवीन सर्वेक्षण 2003 के अनुसार एन.सी., पी.सी. तथा एफ.सी. बसाहटों की स्थिति तथा अप्रैल 2003 की स्थिति में विभाग में उपलब्ध आंकड़े नीचे तालिका में दिए गये हैं :-

| श्रेणी | अप्रैल 2003 को सूचना | नवीन सर्वेक्षणानुसार (मार्च तथा अक्टूबर 2003 के बीच किये गये) | अन्तर |
|------------|----------------------|---|---------------|
| एन.सी. | 46 | 14,471 | 14,425 |
| पी.सी. | 1,195 | 12,412 | 11,217 |
| एफ.सी. | 53,566 | 45,892 | (-)7,674 |
| योग | 54,807 | 72,775 | 17,968 |

(नवीन सर्वेक्षण (2003) की बसाहटों की आंकड़े वर्ष 2004-05 में अपनाई गयी)

पश्च फिसली 7,674 पूर्ण समावेशित बसाहटों की विश्लेषण नहीं की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नवीन सर्वेक्षण में बसाहटों की कुल संख्या में तथा एन.सी. पी.सी.बसाहटों में प्रथम दृष्टया वृद्धि हुई थी। जबकि पूर्ण समावेशित बसाहटें 53,566 से घटकर 45,892 रह गई इससे स्पष्ट है कि पूर्ण समावेशित बसाहटें 7,674 पश्च फिसल गई।

प्रमुख अभियंता ने पश्च फिसलन के कारण बताया (जुलाई 2007) कि (i) स्रोतों के सूखने/गुणवत्ता प्रभावित होने तथा भरपट जाने के कारण अनुपयोगी होने (ii) कुछ जनजातियों के सामयिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जाने के कारण संख्या में कमी आई थी। अभिमत में सामान्य कारण बताया गया परन्तु अभिलेखों में दिखाने हेतु कुछ नहीं था कि भारी संख्या में पश्च फिसलन का विश्लेषण हुई कि कितना आंशिक समावेशित तथा कितना असमावेशित में फिसली उत्तर सामान्य था।

3.3.9 योजनाओं का चयन

एन.सी.एवं पी.सी.बसाहटों में समावेशन हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति नीचे सारणी में दिए है।

| बसाहटों की वर्षवार स्थिति | बसाहटें | | | | असमावेशित बसाहटें | | | आंशिक समावेशित बसाहटें | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------------|---|---------|------------------------|-------------|---------|
| | कुलयोग | एफ.सी. | पी.सी. | एन.सी. | लक्ष्य | प्राप्तियां | प्रतिशत | लक्ष्य | प्राप्तियां | प्रतिशत |
| 1 अप्रैल 2002 | 54,818 | 51,995 | 2,419 | 404 | 404 | 347 | 86 | 2,419 | 1,224 | 51 |
| 1 अप्रैल 2003 | 54,818 | 53,566 | 1,195 | 57 | 46 | 43 | 93.5 | 1,195 | 969 | 81 |
| 1 अप्रैल 2004 | 72,775 | 45,892 | 12,412 | 14,471 | 3,000 | 2,582 ⁴ (96- एन.सी.से पी.सी.) | 86 | 1,500 | 1,119 | 75 |
| 1 अप्रैल 2005 | 72,775 | 49,593 | 11,389 | 11,793 | 6,150 | 4011 (991- एन.सी. से पी.सी.) | 65 | 4,866 | 3,002 | 62 |
| 1 अप्रैल 2006 | 72,775 | 56,606 | 9,378 | 6,791 | 4,200 | 3,284 | 78 | 5,800 | 4,794 | 83 |

⁴ असमावेशित बसाहटें आंशिक समावेशि बसाहटें में परिवर्तित की गई।

ए आर डब्ल्यू एस पी के मार्गदर्शिका में दिए अनुसार असमावेशित/आंशिक समावेशित बसाहट का चयन 2:1 के अनुपात में नहीं किया गया।

वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में सुविधा विहीन बसाहटों को सुविधा उपलब्ध कराने में 6.5 से 35 प्रतिशत की कमी रही तथा इसी अवधि में आंशिक सुविधा वाली बसाहटों को सुविधा उपलब्ध कराने में 17 से 49 प्रतिशत तक की कमी रही। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका अनुसार योजना के लिए ग्रामों का चयन करने के दौरान एन.सी./पी.सी.के लिए निधि का आवंटन 2:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए था। दिशा निर्देशिका की धारा 2.4 असुरक्षित स्रोतों वाली बसाहटों/एन.सी.बसाहटों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख करती है। तथापि, भारत सरकार को भेजी गई ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.की प्रगति प्रतिवेदन में पाया गया कि एन.सी., पी.सी.बसाहटों की समावेशन हेतु वर्ष 2005-06 में 1.26:1 तथा वर्ष 2006-07 में 0.7:1 के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि योजनाओं का चयन करते समय ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकता नहीं दी गई तथा पी.सी.बसाहटों को अधिक संख्या में सुविधा युक्त बनाने के कारण पर्याप्त संख्या में बसाहटों को सुविधा युक्त नहीं बनाया जा सका। यदि ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.मार्गदर्शिका अनुसार योजना के चयन को प्राथमिकता दी जाती तथा विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना बनायी जाती तो वर्ष 2006-07 में एन.सी.बसाहटों में 2,342⁵ की कमी की जा सकती थी। यह पाया गया कि वर्ष 2005-06 में 2,325 आंशिक सुविधा वाली बसाहटों को लक्ष्य की प्राप्ति में प्रदर्शित कर आंशिक सुविधा युक्त किया जाना दिखाया गया जबकि यह लक्षित नहीं था। इस पर किए गए व्यय को फलदायी रूप से सुविधा विहीन बसाहटों को सुविधा पहुंचाने अथवा बसाहटों को पी.सी.बसाहट से एफ.सी.बसाहट में परिवर्तित करने हेतु किया जा सकता था।

यह पाया गया कि रायपुर जिला में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में 10 नमूना जांच की गई पाईप पेयजल आपूर्ति योजनाओं में से 9 योजनायें (1.71 करोड़ रुपये की व्यय सम्मिलित) आंशिक सुविधा युक्त बसाहटों में निष्पादित की गईं। दो हजार से कम जनसंख्या वाली दो बसाहटें भी चयन की गई थीं।

जगदलपुर में नमूना जांच की गई 20 पाईप जल प्रदाय योजनाओं में से तीन योजनाएं 2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में निष्पादित की गईं। इसके अलावा जगदलपुर की पूर्ण सुविधा वाली बसाहटों में पिछले 5 वर्षों में 317 नलकूपों पर 1.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंता ने बताया (जून 2007) कि ये नलकूप शालाओं/आंगनबाड़ियों/ऐसे पारा जिसमें जल आपूर्ति 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम थी, में खनन किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बसाहटें पूर्ण सुविधा युक्त श्रेणी में वर्गीकृत थीं।

यह पाया गया कि सभी 44 नमूना जांच की गई योजनाएं भू-जल स्रोतों पर निर्भर थी सतही जल स्रोतों का उपयोग में लाने की कोई योजना नहीं बनाई गई। यह भू-जल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है। इसे जल स्रोतों की निरंतरता सुनिश्चित

⁵ गणना

अवधि 2005-06 की लक्ष्यों की योग 11016 एनसी; पीसी- 2:1=7,344:3,672

2005-06 में एनसी में शेष- 11,793-7,344=449

2006-07 में एनसी शेष- 6,791-4,449=342

करने हेतु ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.निधि के बहुत कम आवंटन से जोड़ा जा सकता है जो कि भविष्य में भू-जल स्रोतों में कमी तथा गुणवत्ता समस्या को बढ़ा सकता है।

3.3.10 योजनाओं का निष्पादन

3.3.10.1 मिश्र रूपांकन का अनुसरण न किया जाना

उच्च जलागार के निर्माण में एम-25 तथा एम-30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए अनुमोदित मिश्र रूपांकन के अनुसार प्रति घनमीटर मात्रा में निम्न अनुपात में जल, सीमेंट रेत तथा गिट्टियों का उपयोग किया जाना था:

| कंक्रीट का ग्रेड | जल | सीमेंट | रेत | गिट्टियां |
|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| एम-25 | 179.5 लीटर | 413 कि.ग्रा. | 655 कि.ग्रा. | 1298 कि.ग्रा. |
| अनुपात | 0.44 | 1.00 | 1.58 | 3.14 |
| एम-30 | 178 लीटर | 438 कि.ग्रा. | 555 कि.ग्रा. | 1217 कि.ग्रा. |
| अनुपात | 0.40 | 1.00 | 1.26 | 2.77 |

कोरबा जिला में पाया गया कि उच्च जलागार सिरली के निर्माण के दौरान 33.28 घनमीटर एम-30 तथा 16.49 घनमीटर एम-25 ग्रेड कांक्रीट के लिए 20,000 कि.ग्रा.(400 बोरी) सीमेंट, 30,400 कि.ग्रा.(19 घनमीटर) रेत तथा 44,160 कि.ग्रा.(24 घनमीटर) गिट्टी उपयोग में लाई गई। पानी के लिए कोई माप नहीं ली गई।

परिणामतः (1387 कि.ग्रा.) सीमेंट तथा (17,746 कि.ग्रा.) गिट्टी के कम उपयोग एवं (1,129 कि.ग्रा.) अधिक रेत के उपयोग के साथ मिश्र रूपांकन से विचलन के कारण 8.26 लाख रुपये का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादित किया गया।

| | आवश्यकता | कंक्रीट की कुल मात्रा घनमीटर में | कुल आवश्यकता कि.ग्रा.में | उपयोगिता कि.ग्रा.में | अंतर कि.ग्रा.में |
|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| सीमेंट | | | | | |
| एम-25 | 413 कि.ग्रा./ घ.मी. | 16.49 | 6,810 | 20,000 | 1,387 |
| एम-30 | 438 कि.ग्रा./ घ.मी. | 33.28 | 14,577 | | |
| कुल योग | | | 21,387 | 20,000 | 1,387 |
| गिट्टी | | | | | |
| एम-25 | 1298 कि.ग्रा./ घ.मी. | 16.49 | 21,404 | 44,160 | 17,746 |
| एम-30 | 1217 कि.ग्रा./ घ.मी. | 33.28 | 40,502 | | |
| कुल योग | | | 61,906 | 44,160 | 17,746 |
| रेत | | | | | |
| एम-25 | 655 कि.ग्रा./ घ.मी. | 16.49 | 10,801 | 30,400 | 1,129 |
| एम-30 | 555 कि.ग्रा./ घ.मी. | 33.28 | 18,470 | | |
| कुल योग | | | 29,271 | 30,400 | 1,129 |

अन्य दो मामलों में पाया गया कि सीमेंट और रेत अधिक मात्रा में तथा गिट्टी कम मात्रा में उपयोग में लाई गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कोरबा ने बताया (जुलाई 2007) कि कार्य में उपयोग की गई सामग्री कार्यों की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाई गई। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कंक्रीट की वांछित शक्ति प्राप्त करने के लिए सामग्री मिश्र रूपांकन के अनुपात में उपयोग नहीं की गई।

3.3.10.2 अतिरिक्त लागत

जल आपूर्ति तथा सीवेज पाईप लाइन के लिए 1.9.2002 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लागू दरों की सूची की विशिष्टियों के कंडिका 12 के अनुसार पाईप लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों की चौड़ाई बिछाये जाने वाले पाईप के व्यास के एक तिहाई से अधिक एवं दोनों ओर 15 से.मी.से कम नहीं होना चाहिए।

आधिक्य खुदाई
के कारण 17.07
लाख रुपये की
अतिरिक्त लागत।

कोरबा जिला की ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजनाओं⁶ से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 90 मि.मी., 110 मि.मी. तथा 160 मि.मी.व्यास के पाईप बिछाने के लिए अधिकतम 39 से.मी.से 46 से.मी.चौड़ाई के स्थान पर 60 से.मी.चौड़ाई तथा 1 मीटर गहराई में गड्ढे किए गए। परिणामतः 17.07 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां.संभाग, कोरबा ने बताया (जुलाई 2007) कि गड्ढे भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा जल प्रवाह के कोण निश्चित करते हुए किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सभी तथ्यों एवं आंकड़ों को देखते हुए विशिष्टियों में प्रावधान किए गए थे।

3.3.10.2 (2) कोरबा जिला में वितरण प्रणाली⁷ निर्मित करने हेतु 90 मि.मी.व्यास के 5,800 मीटर, 110 मि.मी.व्यास के 2,320 मीटर तथा 140 मि.मी.व्यास के 1,365 मीटर पीवीसी पाईप बिछाये जाने थे। जबकि वास्तविक क्रियान्वयन में पाया गया कि 90 मि.मी.व्यास के पी.वी.सी.पाईप 5,800 मीटर से बढ़कर 13,276.60 मीटर तथा 110 मि.मी.व्यास के पी.वी.सी.पाईप 2,320 मीटर से बढ़कर 5,372.80 मीटर हो गए तथा 1,365 मीटर के 140 मि.मी.व्यास के पी.वी.सी.पाईप को 949 मीटर के 160 मि.मी.व्यास के पी.वी.सी.पाईप से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

परिणामतः पाईप लाईन की लम्बाई में वृद्धि तथा 140 मि.मी.तथा 160 मि.मी.व्यास के दर में अंतर तथा दर अनुसूची 2002 से 57 प्रतिशत अधिक दर के कारण 16.8 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

⁶ पोंडिकाला, छुरीकाला, पोलमी, जवाली, तुमन एवं चैतमा

⁷ ननवीरा(पाली), बंधाकर एवं नुनेरा ग्रामिण पाईप जल प्रदाय योजनायें

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कोरबा ने बताया (जुलाई 2007) कि नई मांग को सम्मिलित करने के कारण पाईप लाईन की लम्बाई में वृद्धि हुई। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुमान वास्तविक मांग के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

3.3.10.2 (3) कोरबा जिला में पांच ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना⁸ की राइजिंग मैंन के निर्माण के दौरान 100 मि.मी.व्यास के 1,400 मीटर अनुमानित मात्रा के स्थान पर 3,650 मीटर कास्ट आयरन पाईप अन्य उपकरणों सहित बिछाये गए। अवास्तविक अनुमान के कारण 21.42 लाख रुपये (2,250 मीटर x 680 रुपये प्रतिमीटर + 40 प्रतिशत दर से अधिक) की अतिरिक्त लागत आई।

3.3.10.2. (4) एकीकृत दरों की अनुसूची जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 2002 से लागू है में डी.आई.के.-9 श्रेणी तथा सी.आई.-एल.ए. श्रेणी के पाईपों में प्रति मीटर 102 रुपये का दर में अंतर है। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि अम्बिकापुर की 38 ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजनाओं डी.आई.के.-9 श्रेणी के 100 मि.मी.व्यास के 27,898 मीटर पाईपों का उपयोग किया गया जबकि रायपुर, जगदलपुर तथा कोरबा जिलों में 288 आर.पी.डब्ल्यू.एस.एस. में 100 मि.मी.व्यास के सीआई-एलए श्रेणी के पाईप बिछाये गए। डी.आई.के.-9 श्रेणी के पाईपों के बिछाने के कारण 39.84 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

3.3.10.3 योजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब

जांच में पाया कि 44 नमूना जांच किए गए पाईप जल प्रदाय योजनाओं में से योजनाओं की पूर्णता में 4 से 13 महीनों की देरी हुई।

3.3.11 संस्थागत स्थापना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता मिशन की स्थापना की जानी थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अम्बिकापुर और कोरबा जिलों में इस तरह के मिशन की स्थापना नहीं की गई थी। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, रायपुर तथा जगदलपुर ने बताया (जून 2007 तथा जुलाई 2007) कि जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता मिशन की स्थापना की गई है लेकिन इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

3.3.12 निरंतरता

कम बजटीय आवंटन तथा स्रोतों की निरंतरता की परियोजनाओं को शामिल न करना ही बसाहटों के पिछड़ने का मुख्य कारण था।

भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहरन के कारण जल स्तर में कमी तथा जल गुणवत्ता में गिरावट एक गंभीर समस्या है। भारत सरकार ने 1996 में भूगर्भीय जल स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करने के लिये एक मॉडल बिल जारी किया था जबकि राज्य शासन द्वारा भूगर्भीय जल स्रोतों को नियंत्रित तथा संरक्षित करने हेतु कानून पारित किया जाना शेष है। वार्षिक कार्य योजना में भूगर्भीय जल की निरंतरता के लिए किसी परियोजना तैयार किए जाने हेतु कोई ठोस सुझाव शामिल नहीं किए गए। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटन का 5 प्रतिशत स्रोतों की निरंतरता की योजनाओं पर उपयोग किया जाना था। यद्यपि यह देखा गया कि विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में आवंटित 3.51 प्रतिशत निधि में से मात्र 2.69

प्रतिशत व्यय किया गया। इस तरह के कम बजटीय आवंटन तथा स्त्रोतों की निरंतरता की परियोजनाओं को शामिल न करना ही बसाहटों के पिछड़ने का मुख्य कारण था।

यह देखा गया कि वर्ष 2002-03 में 1,788⁹ नलकूप खोदे गए एवं रायपुर में वर्ष 2003-04 में 691 नलकूप खोदे गए। इसे नमूना जांच किए गए सभी चार जिलों की प्रगति प्रतिवेदन में गलत तरीके से निरंतरता के अंतर्गत दर्शाये गए जबकि निरंतरता के अंतर्गत वर्षा जल का संरक्षण तथा कृत्रिम रूप से जमा करना आदि था न कि नलकूपों का खनन।

वर्ष 2005-06 में जगदलपुर में निरंतरता के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 1.12 लाख रुपये ही निरंतरता की परियोजना पर खर्च किए गए तथा 18.88 लाख रुपये अनुपयोगित रहे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2007) कि भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गए हैं तथा भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाने के लिए बस्तर में सात स्टॉप डेम प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर अनुपयोग रहे निधियों का कारण स्पष्ट नहीं करता है।

3.3.13 संचालन एवं रख रखाव

संचालन एवं संधारण के अंतर्गत अपर्याप्त वितरण तथा व्यय का बसाहटों को पीछे फिलाने में प्रमुख भुमिका रही।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. दिशा निर्देशिका की धारा 2.7 के अनुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.की निधि का 15 प्रतिशत निर्मित सम्पत्ति के संचालन एवं रख रखाव पर खर्च किया जाना था। पाया गया कि संचालन एवं रख रखाव के लिए 6.53 प्रतिशत निधि का आवंटन किया गया जिसमें से 6.5 प्रतिशत व्यय किया गया। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.के इस कारक के लिए अपर्याप्त आवंटन एवं व्यय बसाहटों के पिछड़ने में सहायक रहा।

3.3.14 जल गुणवत्ता

जल गुणवत्ता समस्याओं से जूझ रही ग्रामीण बसाहटों को सुरक्षित जलापूर्ति के लिए राज्य द्वारा जल गुणवत्ता पर सबमिशन बनाये गए, लेकिन इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये गए।

3.3.14.1 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जगदलपुर, अम्बिकापुर तथा कोरबा में जिला प्रयोगशालाएं थी तथा रायपुर में नवनिर्मित जिला प्रयोग शाला को अतिथि गृह की तरह प्रयोग कर रहे थे।

जल नमूनों की परीक्षण हेतु प्रमुख अभियंता ने वार्षिक लक्ष्य नियत नहीं किए। जगदलपुर, कोरबा तथा अम्बिकापुर में विद्यमान तथा नई स्त्रोतों से परीक्षण हेतु नमूनों की ली गई संख्या बहुत कम थी।

पर्याप्त उप मिशन योजनाएं प्रारंभ न करने के कारण अधिक्य लौह से प्रभावित बसाहटे 3090 से 4478 तक बढ़ गईं।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के दिशानिर्देशानुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों की 15 प्रतिशत का वितरण फ्लोरोसिस, आरसेनिक, ब्रेकिशनेस तथा लौह इत्यादि से जल गुणवत्ता

⁹ रायपुर 879, जगदलपुर 357, अंबीकापुर 222, कोरबा 330

समस्या की सामना कर रही ग्रामीण बसाहटों को शुद्ध पेयजल प्रदाय उप मिशन योजनाओं को प्रारंभ करने चिन्हित किया जाना था। लेखापरीक्षण में देखा गया कि राज्य शासन ने उप मिशन (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की वितरण का 0.13 प्रतिशत) पर 85 लाख रुपये वितरीत किए। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य से विकास खण्ड स्तर तक जल की गुणवत्ता परीक्षण हेतु अपेक्षित संस्थाएं नहीं बनाई गईं तथा नमूना जांच के जिलों में जल जनित रोगों तथा जल की गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने आई.ई.सी.गतिविधियां प्रारंभ नहीं हुईं। वर्ष 2002-03 में जगदलपुर जिला में देखा गया कि आधिक्य लौह (आठ अंश प्रति दस लाख (पी.पी.एम.)) से गुणवत्ता प्रभावित 3,090 बसाहटें थीं। वर्ष 2006 में इसी तरह की बसाहटों की संख्या बढ़कर 4,478 हो गई। पश्च फिसलन को पर्याप्त उप मिशन योजनाएं प्रारंभ कर टाला जा सकता था।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के दिशानिर्देशानुसार बिना स्रोत वाले बसाहटों के समावेशन में भारी विष से प्रभावित गुणवत्ता वाले बसाहटों को समावेशन में प्राथमिकता दिया जाना था।

3.3.14.2 फील्ड परीक्षण किट्स

फील्ड परीक्षण किट का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता तथा निगरानी कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक फील्ड परीक्षण किट देना होगा। भारत सरकार ने फरवरी 2006 में इन किट्स के क्रय हेतु 59.77 लाख रुपये जारी किए।

तथापि यह देखा गया कि मार्च 2007 तक रायपुर, जगदलपुर तथा कोरबा जिलों में किट्स की खरीदी नहीं हुई जबकि वर्ष 2006-07 में कोरबा में खरीदी गई 40 फील्ड परीक्षण किट्स का वितरण किया जाना था।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अगस्त 2007) कि उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु चालू वित्त वर्ष में कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। उत्तर सिद्ध करता है कि मार्च 2007 तक फील्ड परीक्षण किट्स की खरीदी नहीं हुई थी।

3.3.15 ग्रामीण शालाओं में पेयजल

बिना पेयजल सुविधाओं वाले शालाओं की संख्या, समावेशन हेतु लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति नीचे दिए हैं:

| वर्ष | बिना पेयजल सुविधाओं वाले शालाओं की संख्या | लक्ष्य | उपलब्धि | वर्षान्त में बिना पेयजल सुविधा वाले शालाओं की अंत शेष | गत वर्षों की अन्त शेष तथा प्रारंभिक शेष के मध्य अन्तर |
|---------|---|--------|---------|---|---|
| 2002-03 | 11,592 | 1,448 | 1,137 | 10,455 | उपलब्ध नहीं |
| 2003-04 | 15,356 | 5,928 | 4,569 | 10,787 | 4,901 |
| 2004-05 | 11,046 | 4,500 | 3,511 | 7,535 | 259 |
| 2005-06 | 6,596 | 6,596 | 3,996 | 2,600 | (-) 939 |
| 2006-07 | 2,600 | 3,798 | 3,301 | (-)701 | अन्तर नहीं |

फील्ड परीक्षण किट्स
मार्च 2007 तक नहीं
खरीदी गईं।

ग्रामीण शालाओं में पेयजल के संबंध में भारत सरकार को गलत आंकड़े प्रेषित किए।

अवधि 2006-07 को छोड़कर, सारणी एक वर्ष की अन्तशेष तथा दुसरे वर्षों की प्रारंभिक शेष के मध्य व्यापक भिन्नता दर्शाता है। गत वर्ष में असमावेशित 2,600 शालाओं के विरुद्ध वर्ष 2006-07 में उपलब्धि 3,301 दर्शाया गया, जो संभव नहीं था।

इसी तरह अम्बिकापुर में अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुई कि 2004-05 में बिना पेयजल सुविधा वाले शालाओं की संख्या 1,679 थी जिसमें से वर्ष के दौरान 388 को समावेशित किए। तथापि वर्ष 2005-06 में असमावेशित शालाओं की संख्या 99 दर्शाया गया तथा वर्ष 2006-07 में 68 असमावेशित शालाओं के विरुद्ध वर्ष के दौरान उपलब्धि 243 दर्शाया गया। कोरबा में 2006-07 के दौरान असमावेशित 111 शालाओं के विरुद्ध उपलब्धि 253 दर्शाया गया। आंकड़े गलत प्रकट हुए तथा शालाओं में पेयजल की वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं हो सका।

3.3.16 नियंत्रण

राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता तथा नियंत्रण समितियों की गठन किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य स्तर साथ ही साथ चार नमूना जांच जिलों में, जिला स्तर पर यह समिति गठित नहीं हुई। गत पांच वर्षों के दौरान राज्य में ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रमों की कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन नहीं की गई।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग, जगदलपुर के अभिलेखों में देखा गया कि 2002-03 से 2006-07 के दौरान नलकूप खनन हेतु कुल लक्ष्य 1,725 थे जिसके विरुद्ध उपलब्धि 1,752 नलकूप दर्शाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल) संभाग, जगदलपुर ने प्रगति प्रतिवेदनों की संकलन के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को 1,746 तथा 1,531 दर्शाया। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि./यां.) संभाग, अम्बिकापुर वर्ष 2006-07 के दौरान 266 नलकूप खोदे तथा प्रगति प्रतिवेदन में इसे बदल कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल संभाग), अम्बिकापुर ने 155 संकलित किए।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर का.अ., लो.स्वा.यां.संभाग, जगदलपुर और कोरबा उपलब्धियों में कमी के संदर्भ में विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

प्रगति को शुद्धतापूर्वक प्रतिवेदन नहीं किया जाना

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ग्रामीण एन.सी./पी.सी.क्षेत्रों के सूखे नलकूपों (कोरबा में 206 तथा अम्बिकापुर में 50) को हाइड्रो फ्रेक्चरिंग प्रक्रिया द्वारा सफल नलकूपों में परिवर्तित किए। हैण्ड पम्पों की स्थापना तथा अन्य सिविल कार्य भी किए गए। परन्तु उपरोक्त अवधि के प्रगति प्रतिवेदन में सफल नलकूपों को नहीं दर्शाए।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यांत्रिकी संभाग, कोरबा ने बताया (जून 2007) कि लक्ष्यों को संशोधित किया जायेगा, जबकि का.अ., लो.स्वा.यां.संभाग, अम्बिकापुर ने बताया कि कार्यवाही की जायेगी।

स्थितियां दर्शाती है कि इन संभागों द्वारा प्रगति को शुद्धतापूर्वक प्रतिवेदित नहीं किए थे तथा प्रगति प्रतिवेदनों को उपयोग कर वास्तविक स्थितियों की नियंत्रण करना कठिन होगा।

3.3.17 रिग प्रबंधन

खोदी गई 48,609 नलकूपों में से 16,504 नलकूपों को विभागीय मशीनों (यांत्रिकी संभागों) द्वारा खोदी गई, जबकि 32,105 नलकूपों को सिविल संभागों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से खोदी गई। यह देखा गया कि विभाग, विभागीय रिगों की पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं था क्योंकि अवधि 2005-06 तथा 2006-07 की लक्ष्यों के विरुद्ध गिरावट 10.8 से 21.17 प्रतिशत थी।

3.3.18 स्वजल धारा

मार्च 2007 तक केवल 210 स्वजल धारा योजना पूर्ण हो सकी। 2004-07 के दौरान कोई योजना प्रस्तावित नहीं थी।

स्वजल धारा दिसम्बर 2002 में प्रारंभ हुई। इसमें भागीदारी तथा मांग आधारित प्रणाली सम्मिलित थी तथा दिशानिर्देश इंगित करता है कि ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत निधियों की 20 प्रतिशत तक वितरण किया जाना था। यह देखा गया कि गत चार वर्षों की अवधि में भारत सरकार की वितरण 0.43 से 6.11 प्रतिशत की सीमा में थी। दिशानिर्देशों में उल्लेखित अनुसार राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ आपसी समझ की ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित नहीं किए। जिला स्तर पर संचार तथा क्षमता विकास (सी.सी.डी.यू.) इकाईयां स्थापित नहीं किए थे। वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान राज्य में 312 योजनाएं स्वीकृत हुई जिसमें से 210 योजनाएं मार्च 2007 तक पूर्ण हुई। मार्च 2007 के अनुसार 312 योजनाओं हेतु कुल उपलब्ध निधियों 5.28 करोड़ रुपये (भारत सरकार 4.74 करोड़ रुपये तथा सामुदायिक अंश 53.99 लाख रुपये) में से निधियों कि 33 प्रतिशत अनुपयोगी रही। अवधि 2004 से 2007 में स्वजल धारा योजना प्रस्तावित नहीं किए।

चार जिलों¹⁰ में स्वीकृत 83 योजनाओं की अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित कमियां दिखी:

- कोरबा में 28 में से 19 योजनाओं में सामुदायिक अंशदान 10 प्रतिशत से कम थी।
- मार्च 2007 तक चार में से तीन जिलों के लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित नहीं थे।
- चार में से तीन जिलों (रायपुर, जगदलपुर तथा कोरबा) ने मार्च 2007 तक अनुपयोगी राशि भारत सरकार को अगस्त 2006 में निर्देश देने के उपरान्त भी वापिस नहीं किए।
- वर्ष 2003-04 तक कोरबा में 24 में से 22 नल जल प्रदाय योजनाओं की विद्युतीकरण कार्य अपूर्ण थी।
- जल गुणवत्ता परीक्षण, वर्षा जल की संरक्षण तथा भू-जल पुर्नावेशित पद्धति 83 योजनाओं में निर्माण नहीं किए।

¹⁰ रायपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं कोरबा

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कोरबा ने बताया (जून 2007) कि संपरीक्षा किया जायेगा। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, रायपुर ने विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

3.3.19 उपसंहार

राज्य में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की कार्यान्वयन कमियों से प्रभावित थी। वार्षिक कार्य योजनाएं दिशा निर्देशों के अनुसार बसाहटों की समावेशन को प्राथमिकता नहीं दी। वर्ष 2003 के सर्वे में समस्यामुलक बसाहटों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ी तथा पूर्ण समावेशित बसाहटें पश्च फिसली। निधियों की केन्द्रीय अंश में बचत थी जबकि प्रचालन एवं संधारण, स्रोत की निरंतरता तथा गुणवत्ता हेतु राज्य द्वारा वितरण कम थी। नल जल प्रदाय योजनाएं, अकुशलता से निर्मित हुई तथा इसमें अतिरिक्त लागत, मिश्रण रूपांकन का पालन नहीं करने तथा विलम्ब की लक्षणें थीं। स्थल परीक्षण किट की खरीदी नहीं हुई तथा नियंत्रण समिति नहीं बनी। संभागों द्वारा आंकड़ों की गलत प्रतिवेदन तथा भारत सरकार को प्रस्तुत आंकड़ों में कमियां थी।

3.3.20 अनुशांसाएं

- कार्यो की दक्षता को प्राथमिकता हेतु योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी चाहिये।
- योजना के दिशानिर्देशानुसार एन.सी.बसाहटों की समावेशन को वरीयता देना चाहिए।
- जल की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।
- लागत वृद्धि को टालने अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग

3.4 ई-कोष आनलाईन कोषालयों की कम्प्यूटीकरण प्रणाली

मुख्यांश

छत्तीसगढ़ शासन ने भुगतानों, निर्माण लेखाकरण, जमा लेखे, प्राप्तियों, पेंशन तथा कोषालय में स्टाम्प लेखाकरण की नई व्यवस्था विकसित करने की दृष्टिकोण से एक आनलाईन कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था "ई-कोष" दो चरणों में प्रारंभ किया तथा योजना नवम्बर 2004 से क्रियान्वित हुई। व्यवस्था विकास की विभिन्न सोपानों को पर्याप्त लेखाबद्ध नहीं किए। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण आहरण संवितरण अधिकारी आवंटन जाँच बाईपास हो रही थी। आहरण संवितरण अधिकारी, प्रपत्र, बजट मास्टर्स तथा विभिन्न सुरक्षा उपायों की संधारण में कमियाँ थी।

अभिलेखाकृत सूचना प्रौद्योगिकी नीति नहीं थी, प्रणाली विकास की विभिन्न सोपानों की अभिलेखाकरण भी अपर्याप्त था।

(कंडिका 3.4.6)

चार कोषालयों के आंकड़ों की विश्लेषण में पाया गया कि देयकों की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के फलस्वरूप राशि 2.13 करोड़ रुपये की 269 आकस्मिक देयकों के आवंटन जांच किए बिना पारित किया गया था।

(कंडिका 3.4.7)

वर्ष 2005-07 के दौरान केन्द्रीय सर्वर में 23.32 लाख तथा 16.17 लाख लेनदेनों में से 44,676 तथा 17,026 दर्ज वर्गीकरण बजट में विद्यमान नहीं थे।

(कंडिका 3.4.7)

बाईस अनुदानों में प्रणाली पर वर्ष 2006-07 के बजट आंकड़ों का बजट पुस्तक से पुनर्मिलान नहीं हुए।

(कंडिका 3.4.8)

संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में वित्त विभाग से आदेश लिए बिना 31 मार्च 2007 को राशि 1.04 करोड़ रुपये के 18 देयक पारित किए गए।

(कंडिका 3.4.14)

वित्तीय वर्ष 2005-06 से संबंधित 42.68 लाख रुपये के देयकों को उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के उपरांत पारित किए गए।

(कंडिका 3.4.15)

3.4.1 प्रस्तावना

कोषालय लेखाकरण सूचना पद्धति (ट्रासिस) को अविभाजित मध्यप्रदेश में कोषालयों में प्रयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित किया गया था। मई 2003 में नये राज्य के गठन के उपरांत तकनिकियों तथा अध्ययन की अग्रिम व्याख्यापन को ध्यान में रखकर कर्नाटक राज्य की कोषालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना "खजाने" के समरूप, शासन ने दिसम्बर 2003 में भुगतानों, निर्माण लेखाकरण, जमा लेखें, प्राप्तियाँ, पेंशन तथा स्टाम्प लेखाकरण हेतु एक नई पद्धति के विकास करने की निर्णय लिया। परियोजना को "ई-कोष" नाम दिया गया जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एवं "वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल" प्रणाली पर आधारित "स्टोरेज एरिया नेटवर्क" प्रयुक्त की गयी। इसे दो भागों में बांटा गया, प्रथम पाइलट चरण (अगस्त 2004) में संयुक्त संचालक पेंशन रायपुर, निदेशालय के डाटा मेनेजमेंट सेंटर रायपुर, कोरबा, रायपुर शहर तथा रायपुर कोषालय एवं उनकी आठ उपकोषालयों डिसास्टर रिकवरी सेंटर बिलासपुर को समावेशित किए गए एवं दूसरे चरण में शेष 14 कोषालयों व 38 उप कोषालयों एवं दो संयुक्त संचालक पेंशन कार्यालयों को समावेशित किए गए।

एक समझौता ज्ञापन माह नवम्बर 2004 में संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन एन.आई.सी. एवं एन.आई.सी.एस.आई. के मध्य निष्पादित किया गया। जिसमें प्रावधानित था कि एनआईसीएसआई उपकरणों की क्रय सुविधा, पंजीकृत विक्रेता परियोजना क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहायता देना था तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को कोषालयों की पद्धतियों हेतु साफ्टवेयर विकसित करना था। पायलट चरण नवम्बर 2004 से प्रारंभ हुआ जिसे सभी 17 कोषालयों व 46 उप कोषालयों व तीन संयुक्त संचालक पेंशन कार्यालयों (अप्रैल 2005) में लागू किया गया।

केन्द्र शासन से 1.55 करोड़ रुपये एवं राज्य शासन से 11.11 करोड़ रुपये, कुल 12.66 करोड़ रुपये की राशि, वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान "ई-कोष" प्रोजेक्ट कि क्रियान्वयन हेतु प्राप्त की गयी जिसमें से 9.67 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

3.4.2 परियोजना के उद्देश्य

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि:

- सभी स्तरों पर वित्तीय आकड़ों का द्रुत प्रसार, प्रक्रिया की सूचारु रूप से संचालन एवं नियंत्रण, निधियों का आहरण तथा स्वीकृत बजट के संनाद का कठोरता से पालन करते हुए देयकों को पारित करना;
- संयुक्त संचालक पेंशन तथा संचालनालय की मासिक प्रतिवेदनों सहित उनके सापेक्ष आदेशों सहित पेंशन, उपादान, सारंशीकरण के संगणना का स्वचालित करना;
- संबंधित कोषालयों द्वारा विभिन्न विभागों के जमा लेखों की संधारण तथा अद्यतन करना;

- स्टाम्प लेखाओं एवं स्ट्रॉंग रूम की गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण तथा प्रभावी इवेंटरी नियंत्रण;
- उप कोषालयों का संबंधित जिला कोषालयों को एवं जिला कोषालयों से राज्य शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को लेखाओं का आवधिक प्रस्तुतिकरण;
- कम्प्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से तत्काल तथा अद्यतन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन;

3.4.3 संगठनात्मक संरचना

कोषालयों की संचालनालय वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, निदेशक कोष लेखा एवं पेंशन, के नेतृत्व में अतिरिक्त निदेशक एवं उपनिदेशक के माध्यम से कार्य करता है। सहायक निदेशक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकारी होता है, पेंशन एवं साख पत्र के संबंधित कार्य के लिए रायपुर, बिलासपुर व जगदलपुर के लिए तीन संभागीय संयुक्त संचालक पेंशन उत्तरदायी होते हैं, जबकि निदेशक कोष, लेखा एवं पेंशन शासन की ओर से धन की प्राप्ति तथा भुगतान एवं कोषालयों एवं उपकोषालयों से संबंधित इन लेनदेनों की लेखे संधारित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

3.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना कि पद्धति में विभिन्न नियंत्रणों को पद्धति पर व्यवसायिक नियमों की मानचित्र बनाने, पद्धति की सुरक्षा एवं बैकअप तथा रिकवरी प्रक्रियाएँ कैसे सुनिश्चित थे।

3.4.5 लेखापरीक्षा की परिसीमा

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा 17 में से सात¹ कोषालयों की अभिलेख फरवरी 2007 से मई 2007 के दौरान जांच की गई तथा वर्ष 2005-06 से 2006-07 की अवधि को समावेशित कर तथा सातों कोषालयों के डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंग्वेज प्रयोग कर विश्लेषित किए गए।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

3.4.6 अभिलेखाकरण

संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रयुक्त की जा रही सूचना तकनीकी नीति या व्यूह रचना का कोई अभिलिखित प्रारूप नहीं पाया गया। समझौता ज्ञापन प्रणाली विकास की सोपानों जैसे साध्यता अध्ययन, रूपांकन, विकास, क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयनोत्तर समीक्षा की रेखाचित्र नहीं था। प्रयोगकर्ता हेतु आवश्यक विशिष्टियाँ नहीं बनायी गयी तथा प्रणाली की आवश्यक विशिष्टि हेतु आधार के रूप में काम नहीं करती थी।

समझौता ज्ञापन के उपबंध 46 के अनुसार संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ साफ्टवेयर की विकास तथा क्रियान्वयन की समन्वय करने

¹ अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर जिला एवं रायपुर सिटी

हेतु कम से कम दो परिक्षेत्र विशेषज्ञ संलग्न करना आवश्यक था, परन्तु इस तरह के विशेषज्ञ रूपांकित नहीं किए गए थे।

परिवर्तन प्रबंधन के अंतर्गत क्रियान्वयन के पश्चात अथवा पायलट परियोजना के दौरान विभाग द्वारा क्या संशोधन अनुशंसित किए गए थे, लेखापरीक्षा के समक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका, यद्यपि वहाँ बड़ी संख्या में संशोधनाएँ थीं। जांच किए गए कोषालयों के पास क्रियान्वयन या उसके बाद के अवधि में उत्पन्न हुई समस्याओं की कोई अभिलेखें या संकलन नहीं था।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित साफ्टवेयर को स्वीकृत करने के पहले जांच तथा चला कर परीक्षण मूल्यांकित किए गए थे यह दर्शाने हेतु अभिलेखाकरण नहीं था। इसलिए प्रणाली विकास की विभिन्न सोपानों तथा प्रयोगकर्ताओं की सहभागिता की कोटि अभिलेखित नहीं थे। यह देखा गया कि साफ्टवेयर² में लगातार परिवर्तन हुए थे जो विभिन्न सोपानों पर आवश्यकता की आकलन में कमी को दर्शाता है। इसे प्रत्येक स्तर पर उचित लेखाकरण द्वारा कम किया जा सकता था।

3.4.7 बजट तथा अबजटीय देयक

प्रणाली सभी देयकों को दो प्रमुख श्रेणियों बजटीय³ शीर्ष तथा अबजटीय⁴ शीर्ष देयकों में वर्गीकृत करता है। "बजटीय" के तरह वर्गीकृत सभी देयकों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आवंटन से केन्द्रीय सर्वर में बजट में उपलब्ध लेखे वर्गीकरण के अनुसार प्रयोग कर जोड़ा जाता है। देयकों को पारित किया जाता है यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास पर्याप्त आवंटन है तथा पारित करने के पश्चात देयक की राशि उपलब्ध आवंटन से घटायी जाती है ताकि बाद के लेनदेनों हेतु शेष उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित करती है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने आवंटनों से अधिक व्यय ना करे तथा व्यय सही बजटीय लेखाशीर्ष के विरुद्ध भारित हुई है। "अबजटीय" देयकों हेतु शासन के नीति के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी की आवंटन की जांच किया जाना आवश्यक नहीं था। तथापि, यदि एक "बजटीय" देयक को "अबजटीय" देयक के रूप में वर्गीकृत हुई तो व्यय संबंधित शीर्ष पर भारित होगा परन्तु आवंटन से कोई घटोत्री नहीं होगा फलस्वरूप अंततः आवंटन से आधिक्य होगा।

यह देखा गया कि रायपुर शहर कोषालय में 14 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संबंधित 15.92 लाख रुपये के देयकों हेतु बजटीय देयकों को गलत ढंग से अबजटीय रूप में वर्गीकृत किए जाकर आवंटन से आधिक्य में भुगतान किए गए।

कोषालयों द्वारा प्रयोग हुई विभिन्न तरहों की देयकों (वेतन, यात्रा भत्ता, सहायक अनुदान इत्यादि) क्षेत्र "प्रपत्र संख्या" द्वारा प्रणाली पर वर्गीकृत होते हैं। प्रपत्र संख्या 24 वेतन देयकों हेतु वर्गीकृत था जो अबटीय थे। चार⁵ कोषालयों में 269 उदाहरणों में देखा गया कि बजटीय आकस्मिकता देयकों की राशि 2.13 करोड़ रुपये की गलत ढंग से वर्गीकृत

² 21 संस्करण परिवर्तन

³ यात्रा भत्ता, चिकित्सा, सी सी देयक, जी आई ए ओ ई देयक इत्यादि

⁴ वेतन देयक, पेंशन भुगतान सामान्य भविष्य निधि, जी आई एस, एफ बी एफ आहरण, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत इत्यादि

⁵ अंबिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा तथा रायपुर शहर

प्रपत्र संख्या 24 के अनुसार गलत वर्गीकरण किए थे। इस तरह आवंटन जांचों की अनदेखी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के व्यय आवंटन से आधिक्य हुई।

देयकों को अबजटीय के तरह गलत वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप आवंटन जांचों को बाईपास किया गया जिससे बजट नियंत्रण यांत्रिकी प्रभावी नहीं हुई इसलिए यह उच्च जोखिम का क्षेत्र है।

वर्गीकरण का द्वितीयक प्रभाव यह था कि जब अबजटीय देयकों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आवंटनों से नहीं जोड़ा गया। अतः इन देयकों का प्रणाली द्वारा किया गया वर्गीकरण बजट में उपलब्ध वर्गीकरण के समरूप नहीं था। यह देखा गया कि वर्ष 2005-07 के दौरान 23.32 लाख तथा 16.17 लाख लेनदेनों में से केन्द्रीय सर्वर में 44,676 तथा 17,026 लेनदेनों की वर्गीकरण इन्द्राज किए थे जो बजट में उपलब्ध नहीं थे। अबजटीय शीर्षो हेतु वर्गीकरण जांच समाविष्ट करने प्रणाली में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए था।

3.4.8 बजट आंकड़ों तथा प्रणाली में समरूपी आंकड़ों में कमियाँ

वित्त विभाग द्वारा दिए गए बजट आंकड़े की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को केन्द्रीय सर्वर के बजट सारणियों में आयातित किए गए।

वर्ष 2006-07 की प्रकाशित बजट के साथ तुलना में दर्शाया कि 14⁶ मांगों की आंकड़ों में 344.76 करोड़ रुपये की आधिक्य प्रावधान दिखाया गया जबकि आठ⁷ मांगों में यह 31.43 लाख रुपये से कम था। सात हजार सात सौ चौवन योजना कूटों में से 3,374 (44 प्रतिशत) योजना कूटों में वर्णन नहीं थे। वर्ष 2005-06 में राशि 1833.17 करोड़ रुपये अविधिमान्य मांग संख्या "00" में दिखाया गया था। आंकड़े जिस से बजट प्रकाशित हुआ उसे प्रणाली में लिया गया था। प्रणाली में उपलब्ध आंकड़े तथा प्रकाशित बजट के मध्य आंकड़े में विभिन्नताएँ प्रकट हुई, यह तथ्य प्रणाली में आंकड़ों की सुरक्षा तथा प्रतिभूति पर एक प्रश्नचिन्ह लगाता है।

3.4.9 आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा फार्म मास्टर्स⁸

यह देखा गया कि नमूना जांच के सभी कोषालयों के पास केन्द्रीय सर्वर में अर्तविशष्ट किए गए 3,543 डी डी ओ के अतिरिक्त उनकी स्वयं की आहरण तथा संवितरण अधिकारी मास्टर्स थे।

चार⁹ कोषालयों में मास्टर सारणियों के पास कुल 1,174 आहरण एवं संवितरण अधिकारी थे जबकि केन्द्रीय सर्वर में यह संख्या 1,059 थी। इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि केन्द्रीय सर्वर सही तथा अद्यतन था तथा संबंधित कोषालयों को पुराने आहरण एवं संवितरण अधिकारी मास्टर्स को केन्द्रीय सर्वर में उपलब्ध नई मास्टर के साथ पुनरस्थापित करने निर्देशित किया गया था।

⁶ मांग संख्या 03, 10, 12, 20, 23, 24, 27, 41, 45, 55, 58, 64, 67 एवं 80

⁷ मांग संख्या 06, 08, 13, 19, 34, 47, 49 एवं 79

⁸ डी डी ओ मास्टर्स: सारणी कूटों सहित सभी डीडीओ को सम्मिलित करता है।

प्रारूप मास्टर: सारणी कूटों सहित देयकों की सभी श्रेणियों को सम्मिलित करता है।

⁹ अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर सिटी

इसी प्रकार केन्द्रीय सर्वर में फार्म मास्टर के पास 25 तरहों के प्रारूप¹⁰ थे। सात नमूना जांच के कोषालयों के पास उनकी स्वयं की प्रारूप मास्टर्स थे जिसमें 22 से 28 प्रारूप थे। इसका आशय यह था कि देयक की श्रेणियों पर आधारित प्रतिवेदन गलत होगी। इसके अलावा भी, विभिन्न कोषालयों को देयक श्रेणियों के विभिन्न युग्मों को प्रचलित करने की अनुमति देने के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई।

प्रणाली में समरूपता बनाए रखने लिए यह आवश्यक था कि एक जैसे मास्टर सारणी सभी जगह प्रयोग किया जाना चाहिए था।

3.4.10 नगद लेखे में संशोधनाएँ

यह देखा गया कि मासिक लेखे साफ्टवेयर की प्रतिवेदन सुविधा को उपयोग कर जनित तथा अंतिम आउटपुट लेखों की संकलन हेतु महालेखाकार के कार्यालय को भेजे जा रहे थे। जांच के दौरान यह प्रकट हुआ कि, महालेखाकार के सहमति के बिना छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम-37 (बी) एवं (सी) के प्रावधानों के विपरीत, देयक सुधार सुविधा का उपयोग कर बंद लेखों में सुधार तथा परिवर्तन किए गए थे। इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि यह आवश्यक था क्योंकि प्रणाली द्वारा जनित नकद लेखों में "अंतरण मदों के द्वारा" (कोषालय घटोत्री) लेनदेन सम्मिलित नहीं हुआ था। सुनिश्चित करने कि प्रणाली संकलन हेतु महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखे को सही प्रतिबिम्बित हुए सुधार किया जाना आवश्यक था।

3.4.11 सकल राशि को निवल राशि से कम की तरह दर्शाया गया

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 96 देयकों में देयक की सकल राशि को डाटाबेस में निवल राशि से कमतर इंद्राज¹¹ किए थे जो संभव नहीं था। कुछ प्रकरणों में इन गलत आंकड़ों को स्वीकारने की अनुमति देना साफ्टवेयर में कुछ विसंगति को दर्शाता है। इंगित किए जाने पर कोषालय अधिकारियों ने उत्तर दिए कि, यह साफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटियों के कारण हुए। इसका प्रत्यक्ष परिणाम था कि डाटाबेस में इस तरह के अभिलेखित डाटा विश्वसनीय निरूपित नहीं किया जा सकता।

3.4.12 देयक प्रविष्टि में अप्रयुक्त जांच समग्र

आहरण एवं संवितरण अधिकारी देयक अंतरण पंजी (बी टी आर) के द्वारा बहुप्रति बिल कोषालय पटल को प्रेषित किया जाता है। "पटल देयक प्रविष्टि प्रपत्र" में कोषालय द्वारा देयकवार विवरणों कि प्रविष्टि होती है। यह बताया गया कि इसके बाद प्रविष्टि की गई देयकों की योग को बी टी आर में दर्शाये योग से हस्तीकृत जांच किया जाता है। तथापि, प्रणाली के द्वारा पटल देयक प्रविष्टि प्रपत्र में जांच योग के अनुसार बी टी आर योग की कम्प्यूटरीकरण करके इसकी प्रमाणीकरण सहजता से किया जा सकता था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि, स्टाफ कमी के कारण बी टी आर प्रविष्टियों की प्रमाणीकरण पटल देयक प्रविष्टि सोपान पर नहीं किया जा सका। तथापि, प्रारंभिक

¹⁰ देयकों के विभिन्न श्रेणियों को एक अद्वैतिक प्रारूप संख्या जैसे 24-वेतन देयक, 33-आकस्मिकता देयकों, 44-राजस्व देयक की वापसी, 24पी-पेंशन देयक इत्यादि के द्वारा निश्चित किया गया है।

¹¹ देयक की सकल राशि-कोषालय व महालेखाकार कटोत्री

अवस्था पर त्रुटियों को पकड़कर मूल प्रविष्टियों की आगे सुधार कार्य को खत्म किया जा सकता था जो बाद में अधिक समय व्यर्थ करेगा।

3.4.13 देयकों को पारित करने में विलम्ब

ई-कोष का उद्देश्य देयकों को समय पर तथा इसके प्रस्तुतिकरण के तीन दिनों के भीतर पारित करना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2005-07 के दौरान नमूना जांच के कोषालयों में 3,214 देयकों पांच से 300 दिनों के विलम्ब के साथ पारित किए थे। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारी बिलासपुर ने स्पष्ट किया कि साफ्टवेयर में स्पष्टीकरण हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वापिस किए गए देयकों की पुनर्प्रस्तुतीकरण दिनांक को प्रवृष्टि करने की सुविधा नहीं थी तथा ये लम्बी अवधि हेतु लंबित प्रतित हुए। यह दर्शाता है कि साफ्टवेयर में अपेक्षित संशोधन आवश्यक था।

3.4.14 वित्त विभाग से आदेश लिए बिना देयकों को अनियमित पारित करना

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21 मार्च 2007 के अनुसार 30 मार्च 2007 के बाद देयकों की स्वीकृति या पारित इसके अनुमोदन के बिना नहीं किए जाने थे। परन्तु साफ्टवेयर में एक उपयुक्त जांच सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं बनाया था। उदाहरण के लिए आंकड़े विश्लेषण के दौरान पाया गया कि वित्त विभाग से आदेश लिए बिना कोषालय अधिकारी बिलासपुर तथा अंबिकापुर ने राशि 1.04 करोड़ रुपये के 18 देयकों को 31 मार्च 2007 को स्वीकृति तथा पारित किए।

3.4.15 वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत देयकों को पारित करना

यह देखा गया कि राशि 42.68 लाख रुपये के 79 धनादेशों को 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2006 के मध्य वित्तीय वर्ष 2005-06 समाप्त होने के उपरांत पारित देयकों के विरुद्ध पांच कोषालयों द्वारा जारी किए गए जो अनियमित था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन ने बताया कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी तथा भविष्य में इस तरह के घटना को टालने साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान बनाया जायेगा। इस तरह के लेनदेन को रोकने हेतु संशोधनों की विवरणें जुलाई 2007 तक प्रतिक्रित थे।

3.4.16 अक्रियाशील माडूल्स

3.4.16.1 जमा माडूल्स

नमूना जांच के कोषालयों में यह देखा गया कि जमा माडूल्स में शेष की उपलब्धता की स्थिति में देयकों को पारित करने हेतु प्रणाली में प्रावधानित है। चूंकि संचयी अवशेषों को प्रणाली पर प्रविष्टि नहीं किया गया था, देयकों को हस्त अभिलेखों में उपलब्ध अवशेषों के विरुद्ध जांचे गए थे, तथा देयकों को हस्तीकृत पारित करने के बाद वे प्रणाली से प्रारंभिक शेष के तरह देयक राशि की प्रथम प्रविष्टि द्वारा पारित किए थे। यह एक मूल प्रमाणीकरण की अनदेखी को स्वीकारने की एक व्यवस्था थी तथा छल साधन की जोखिम की संभावना बढ़ी क्योंकि शेषों को हस्तीकृत रखे थे जबकि लेनदेनों को प्रणाली पर प्रविष्टि किए थे। बिलासपुर में, कम्प्यूटरीकरण के उपरांत, हस्तकृत अभिलेखों को

भी संधारित नहीं किए जा रहे थे तथा वहाँ अधिक भुगतानों का उच्च जोखिम था। महालेखाकार को प्रेषित धन/ऋण की ज्ञापन हाथ से बनाये जा रहे थे। वास्तविक अवशेषों की निवेश द्वारा पूर्ण प्रचालन माडूल बनाना आवश्यक था।

इंगित किए जाने पर कोषालय अधिकारियों ने बताया कि जमा माडूल क्रियान्वित नहीं था तथा इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा प्रणाली को सुधारने हेतु डी टी ए पी स्तर पर लिया जायेगा। उत्पन्न कमियों के संदर्भ में आंशिक क्रियान्वयन, जिस कारण से नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई, के स्थान पर इस कार्य को नियमित रूप से हाथ से किया जाना चाहिए था।

3.4.16.2 स्ट्रांग रूम तथा स्टाम्प लेखे

स्ट्रांग रूम तथा स्टाम्प लेखे के गतिविधियों की कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था यद्यपि यह परियोजना के उद्देश्यों में लक्षित था।

3.4.16.3 ए.सी./डी.सी.देयकों को पारित करने हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं होना

आकस्मिक देयकों की सार आपातकालीन प्रकरणों में उठाया जा सकता है तथा निराकरण के समय पर इस तरह के एसी देयकों को स्वीकृति संख्या तथा दिनांक, आवंटन तथा अवशेष इत्यादि से सन्निहित विस्तृत आकस्मिक देयक से समर्थित होना चाहिए। अग्र, डीसी निराकरण प्रमाण पत्र डी डी ओ को कोषालय से आगामी तीन माह हेतु दावों को आहरण करने समर्थ करेगा। प्रणाली में स्वीकृति संख्या तथा दिनांक हेतु एसी देयकों की प्रवृष्टि करने, जिसे हाथ से किए जा रहे थे, प्रावधान सम्मिलित नहीं था। इसके अतिरिक्त, साफ्टवेयर में एसी देयकों के साथ डीसी देयकों की युग्म बनाने तथा आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को निराकरण प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं था।

3.4.17 व्यवसाय निरंतरता योजना

व्यवसाय निरंतरता योजना मूल व्यवसाय की दुर्घटना होने की प्रक्रिया से त्वरित वापिसी सुनिश्चित करती है। यह देखा गया कि एक दुर्घटना वापिसी केन्द्र केन्द्रीय सर्वर के तरह समरूपी विन्यासों के साथ बिलासपुर में स्थापित था, केन्द्रीय सर्वर के गतिविधियों को लेने में दुर्घटना वापिसी केन्द्र की तत्परता सम्पूर्ण प्रणाली की प्रचालन के बाद जांची गई थी यह दिखाने लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.4.17.1 बैकॉप नीति

प्रत्येक कोषालय को दो सर्वसम सर्वर-प्राथमिक तथा द्वितीयक दिया गया था। जांची गई कोषालय में विभिन्न आरडीबीएमएस दो सर्वरों¹² में स्थापित थे। कोषालयों में बैकअप लेने हेतु मैनुअल या अभिलेखाकरण नहीं था। आकड़ों का बैकअप प्रतिदिन, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर स्थानीय सर्वर में लिया जाता था तथा केन्द्रीय सर्वर को स्थानांतरित किया जा रहा था, परन्तु इसे द्वितीयक सर्वर में अपलोड करना संभव नहीं था। इसलिए, अत्याश्यकताओं की स्थिति में सर्वर केन्द्रीय सर्वर से अंतिम बैकअप के द्वारा पुनर्भंडारण करेगा। अतएव, द्वितीयक सर्वर स्थापित करने का उद्देश्य पुर्णतः प्रभावित हुई।

¹² प्राथमिक सर्वर में ओराकल संस्थापित था तथा द्वितीयक सर्वर में एसक्यूएल सर्वर संस्थापित था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने इस पर अनभिज्ञता दिखाते हुए बताया कि निर्दिष्ट डाटाबेस प्रशासकों की अनुपस्थिति में संधारण, नियंत्रण तथा रखरखाव राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कर्मचारियों के नियंत्रणाधीन थे।

3.4.18 प्रणाली सुरक्षा

3.4.18.1 भौतिकीय तथा तर्कसंगत अभिगमन

अंबिकापुर कोषालय में सर्वर हेतु पृथक कमरा नहीं था। इस कारण सर्वर कमरे में प्रवेश करने में प्रतिबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अग्र, लेखापरीक्षण में समावेशित सभी कोषालयों में सर्वर कमरों में अलार्म अथवा अग्नि सूचक नहीं थे। यहाँ अभिगमन को सुरक्षित करने हेतु मानक अभिलेखित नीति नहीं थी।

सर्वरों को तर्कसंगत अभिगमन विशेष कर प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यद्यपि वहाँ मॉड्यूलवार प्रयोगकर्ता को अनुमति थी, इसमें समरूपता नहीं थी तथा यह विभिन्न कोषालयों में अलग अलग थे। यहाँ सुरक्षित अभिगमन हेतु मानक अभिलेखित नीति नहीं थी।

3.4.18.2 गतिविधि संग्रह

गतिविधि संग्रह का संधारण त्रुटियों, अनियमितता इत्यादि की स्थिति में अनाधिकृतों एकांकी गतिविधियों की पहचान तथा त्रुटियों एवं गड़बड़ी की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु किया जाता है।

सात कोषालयों के नमूना लेखापरीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं:

- अप्राधिकृत अभिगमन की प्रकरण में निवेश की दिनांक एवं समय प्रयोगकर्ता की पहचान तथा टर्मिनल स्थिति की विस्तृत सूची जो प्रणाली प्रशासक को उत्तरदायित्व निर्धारित करने में अनुमत्य करे, कोषालयों में अनुपस्थित था।
- लेखापरीक्षण में समावेशित किसी भी कोषालयों में दैनिक गतिविधि पंजीयों जैसे टर्मिनल लाग आन, लॉगआउट, प्रयोगकर्ता की गतिविधि इत्यादि संधारित नहीं पाए गए।

3.4.18.3 पासवर्ड नियंत्रण

किसी भी वेब आधारित भुगतान प्रणाली में प्रणाली को सुरक्षित तथा फुलप्रुफ बनाने हेतु एक शक्तिशाली पासवर्ड नीति होनी चाहिए थी।

नमूना जांच के कोषालयों में देखा गया कि पासवर्ड नियंत्रणों में नीचे दर्शाए अनुसार कमी थी:

- आकड़ों की अभिगमन करने हेतु सभी सात कोषालयों में समान प्रयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड थे।
- अंबिकापुर तथा बिलासपुर कोषालय में कोषालय अधिकारी के यूजर आईडी तथा पासवर्ड सभी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग हुआ था। अतएव, साफ्टेवयर के प्रतिबंधित विशेषताएँ अधिक व्यक्तियों द्वारा अभिगमित हुए थे।
- प्रणाली में पासवर्ड की अनुमान लगाने के लिए हुए आक्रमणों को रोकने हेतु उचित प्रावधान जैसे कि तीन बार असफल पासवर्ड निवेश प्रयासों के बाद,

संबंधित प्रयोगकर्ता आईडी अनिवार्यतः या तो निलंबित रहे जबतक कि प्रणाली प्रशासक द्वारा रिसेट न किया जाए अथवा प्रयोगकर्ता आईडी अस्थायी तौर पर कम से कम 10 मिनट तक अयोग्य रहे।

- पासवर्ड के समाप्ति हेतु समय सीमा नहीं था। अनुशंसित अच्छी प्रयोग यह है कि सभी प्रयोगकर्ताओं को अनिवार्यतः स्वतः उनकी पासवर्ड को कम से कम 30 दिन में बदलने के लिए दबाव डाले। सुरक्षा प्रशासक द्वारा जारी की गई प्रारंभिक पासवर्डों को प्रथम आनलाईन सत्र के बाद बदलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एक दूसरा अनुशंसित अच्छा प्रयोग है कि निर्माण करते समय पासवर्डों की लम्बाई स्वतः ही आवश्यक रूप से जांचा जाए। सभी पासवर्डों को कम से कम छः अक्षरों (अल्फा-न्युमरिक) का अवश्य होना चाहिए।

3.4.19 प्रशिक्षण

परियोजना के अंतर्गत कार्यपालन स्तर प्रणाली प्रशासकों एवं संसाधन व्यक्तियों, परिचालकों को तीन माह की हार्डवेयर प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा दिया जाना था। यह देखा गया कि परिचालकों की प्रशिक्षण को छोड़कर दूसरे प्रशिक्षण नहीं दिए गए। व्यक्तियों की प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.4.20 सारांश

"ई-कोष" आनलाईन कोषालय कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को निधियों की प्रवाह पर समग्र नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा दिए गए समय बिन्दु पर राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु क्रियान्वयन किया गया था। प्रणाली विकास के विभिन्न सोपानों को पर्याप्त अभिलेखित नहीं किए गए थे। गलत वर्गीकरण के कारण डी.डी.ओ. आवंटन जांच बायपास हुई तथा डीडीओ की संधारण, प्रपत्र एवं बजट मास्टर्स तथा विभिन्न प्रणाली सुरक्षा निर्माणों में कमियाँ थी।

3.4.21 अनुशंसाएँ

- सभी बदलते प्रबंधन निवेदनों को पूर्णतः अभिलेखित तथा उपयुक्त प्राधिकरण की अनुमोदन सहित परामर्शदाताओं को जारी होना चाहिए।
- अबजतीय की तरह देयकों का वर्गीकरण वैधिकृत होना चाहिए।
- अबजतीय देयकों हेतु वर्गीकरण जांच अवश्य प्रस्तुत होना चाहिए।
- डीडीओ मास्टर्स प्रपत्र मास्टर्स, केन्द्रीय सर्वर में उपलब्ध बजट मास्टर्स में संशोधन तथा कोषालय सर्वरों में अनुमोदित नियमित सूची के अनुसार प्रतिकृति किया जाना चाहिए।
- निवल तथा सकल राशियों में विभिन्नता हेतु कारणों की आकलन तथा सुधार किया जाना चाहिए।
- पासवर्ड नियंत्रणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- समुचित गतिविधि समुह प्रस्तुत होना चाहिए।

चौथा अध्याय

लेन देन की लेखा परीक्षा

4.1 कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/अधिक भुगतान

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.1.1. उपकरण का कपटपूर्ण प्रदाय

चिकित्सा उपकरण मूल्य 7.84 करोड़ रुपये का कपटपूर्ण प्रदाय

कृत्रिम/कपटी प्रदायकर्ताओं को राशि 5.96 करोड़ रुपये का भुगतान

(अ) अधिष्ठाता, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (अधिष्ठाता) द्वारा सितम्बर 2005 में जारी निविदा आमंत्रण सूचना के पश्चात न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स टिवीट्रान मेडिकल सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को एक सेन्ट्रल स्टेशन और आठ मल्टी पैरा कार्डियक मॉनीटर (सभी निहान कोडेन द्वारा निर्मित एवं जापान में बनी हेतु राशि 29.49 लाख रुपये का प्रदाय आदेश जारी किया गया (मार्च 2006)। वांछित उपकरण प्राप्त हुए तथा अंतिम भुगतान जून 2007 में विमुक्त किया गया था।

अगस्त- सितम्बर 2006 में, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (संचालक) द्वारा 10 कार्डियक इकाईयों (निहान कोडेन द्वारा निर्मित एवं जापान में बनी 10 सेन्ट्रल स्टेशन और 80 कार्डियक मॉनीटर) हेतु तीन¹ प्रदाय आदेश उसी दर पर जैसा अधिष्ठाता द्वारा दिया गया था जारी किए गए थे। उक्त इकाईयों 10² जिलों को प्रदाय की गई थी तथा राशि 2.95 करोड़ रुपये का भुगतान नवम्बर 2006 में दिया गया था।

स्वास्थ्य संचालनालय तथा चार³ सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधीक्षकों के उपरोक्त क्रय से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (क्रमशः दिसंबर 2006 से जनवरी 2007 तथा मई से जुलाई 2007) के दौरान देखा गया कि निर्धारित नियंत्रणों की अनदेखी की गई जिसके फलस्वरूप क्रय तथा प्रदाय के प्रक्रिया में अनियमितताएँ, चूक और कपट हुईं।

दस जिलों में दस कार्डियक इकाईयों के प्राप्तियाँ तथा स्थापना प्रतिवेदनों को संलग्न करते हुए तीन⁴ देयक सितम्बर- अक्टूबर 2006 में संचालक को प्रस्तुत किये गये थे। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि चार⁵ प्राप्तियाँ पर दिनांक अंकित नहीं थे। स्थापना/स्वीकृती प्रतिवेदन काफी संक्षिप्त थे और इनमें उपकरण के निर्मित, स्थापना का दिनांक एवं प्रतिवेदन प्रदत्त सह-उपकरणों/सामग्रियों की सूची तथा संतोषजनक क्रियाशीलता के प्रमाणपत्र नहीं दर्शाया गया था। ऐसे वैज्ञानिकी एवं खर्चीले उपकरणों के लिए वे बिल्कुल एक मानक स्थापना प्रतिवेदन के समान नहीं थे।

¹ आदेश क्र. 187 दिनांक 10 अगस्त 2006 (पांच), 200 दिनांक 11 अगस्त 2006 (चार) और 209 दिनांक 4 सितम्बर 2006 (एक)।

² दंतेवाडा, दुर्ग, जांजगीर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, राजनादगाँव और सरगुजा ।

³ दुर्ग, कवर्धा, महासमुन्द और राजनादगाँव।

⁴ देयक क्र. 1345 दिनांक 25 सितम्बर 2006; 1346 और 1347 दिनांक 4 अक्टूबर 2006।

⁵ दुर्ग, कवर्धा, महासमुन्द और राजनादगाँव।

यद्यपि संचालक नियमित रूप से इस तरह के खर्चीले चिकित्सकीय उपकरणों के तकनीकी एवं स्थापना प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करते हैं, पर वे इन प्रतिवेदनों में परिलक्षित प्रत्यक्ष गलतियों को पकड़ने में विफल रहे। भुगतान संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन से उपकरण के संतोषजनक स्थापना और प्रदर्शन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही किया जाना था और इसका उल्लेख प्रदाय आदेशों में भी किया गया था तथापि देयकों पर भुगतान की कार्यवाही प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थापना प्रतिवेदनों के आधार पर कर दी गई थी।

प्रस्तुत किए गए देयकों में अनिवार्य केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री /वाणिज्यिक कर और व्यवसायिक पंजीयन क्रमांक (टिन) अंकित नहीं थे यह जानकारी छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.9 और छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के नियम 34 के प्रावधानों के अनुरूप देयकों के भुगतान के समय आवश्यक थी।

देयकों में यह दर्शाया गया था कि भुगतान मेसर्स ट्रिविट्रान मेडीकल सिस्टम, धमतरी को किया जाए। यद्यपि क्रय आदेश चेन्नई को दिया गया था पर यह बिना जाने कि भुगतान धमतरी में क्यों किया जाना था, देयकों पर भुगतान की कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार के कई विसंगतियाँ होने के बावजूद तीनों देयकों पर भुगतान की कार्यवाही की गई और 2.95 करोड़ रुपये का भुगतान तीन धनादेशों क्र.1,63,711 से 1,63,713 दिनांक 4 नवम्बर 2006 के माध्यम से किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा चार सिविल सर्जन कार्यालयों (दुर्ग, कवर्धा, महासमुन्द और राजनादगाँव) में मई से जुलाई 2007 के दौरान उपकरणों की संयुक्त निरीक्षण में देखा गया था कि सेन्दल स्टेशन " लेनेवो " (चीन में निर्मित) और मल्टी पैरा कार्डियक मॉनीटर " मेडीएड " निर्मित थे जो कि प्रदाय आदेशों में उल्लेखित विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन) के अनुरूप नहीं थे। प्रदाय किया गया सॉफ्टवेयर भी असली न होकर काम्पेक्ट डिस्क (सी.डी.) पर अभिलिखित किया गया था। चारों सिविल सर्जनों ने यह स्वीकार किया (मई/जुलाई 2007) कि प्रदायकर्ता द्वारा देयकों के साथ संचालक को प्रस्तुत किए गए प्राप्तियाँ एवं संस्थापना प्रतिवेदन भी फर्जी थे। सिविल सर्जन, दुर्ग में उपकरण की वास्तविक स्थापना 21 नवम्बर 2006 को की गई थी, राजनादगाँव की स्थापना प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई, कवर्धा और महासमुन्द में उपकरण जुलाई 2007 तक स्थापित ही नहीं किए गए थे। इस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्रों की सहायता से राशि का भुगतान 4 नवम्बर 2006 को उपकरणों के वास्तविक स्थापना से पूर्व ही कर दिया गया था। इन नमूना जाँच जिलों में प्रदायकर्ता द्वारा कोई भी सुपुर्दगी पत्र (डिलवरी चालान) नहीं दिया गया था और इन उपकरणों के प्रेषण स्थल एवं तिथि को छिपाया गया था।

इसके आगे, लेखापरीक्षा द्वारा मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई से माह जुलाई 2007 में की गई सत्यापन में यह प्रकट हुआ था कि संचालक द्वारा कथित रूप से जारी प्रदाय आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने कोई भी उपकरण प्रदाय नहीं किया था, स्थापना/स्वीकृति प्रतिवेदन भी उनके द्वारा जारी नहीं किए गए थे और संचालक को प्रस्तुत किए गए देयक फर्जी थे। उन्हें 2.95 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था और धमतरी में उनकी कोई शाखा नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया था कि 4 नवम्बर 2006 को जारी तीनों धनादेश यूनियन बैंक आफ इंडिया, धमतरी शाखा के खाता क्रमांक 30031 में जमा किए गए थे। बैंक ने बताया कि खातेदार का नाम "सुभाष कुमार लाल " था।

पूर्ण राशि का आहरण दिनांक 7 नवम्बर 2006, 9 नवम्बर 2006 और 13 नवम्बर 2006 को करने के बाद खाता 19 जनवरी 2007 को बंद कर दिया गया था। वाणिज्यिक कर विभाग से भी यह पुष्टि कर ली गई थी कि "मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम, धमतरी" पंजीकृत नहीं था।

यह स्पष्ट था कि जहां मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के नाम का उपयोग इस प्रदाय में किया गया था, वहीं आपूर्ति किसी अज्ञात हस्ती द्वारा किया गया था और भुगतान झूठे फर्म के नाम पर किया गया था। प्रदाय किए गए कार्डियक ईकाइयाँ भी वांछित विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन) के अनुरूप नहीं थे। सभी फर्जी देयक, स्थापना प्रतिवेदन, पत्र और यहां तक की संचालक के साथ किया गया अनुबंध भी "एस.बी.के.लाल" के नाम से हस्ताक्षरित किए गए थे जो लगभग उस खातेदार के नाम से मिलता था जिसके नाम पर भुगतान की गई राशि जमा की गई थी।

(ब) यह देखा गया था कि इसी प्रकार का एक और कपट पूर्व के वर्ष 2004-05 के दौरान भी किया गया था। एलीसा रीडर (थर्मो इलेक्ट्रिक इंड. निर्मित) और चाल्डहुड ब्लड लीड टेस्टर (ई.एस.ए., आई.एन.सी., यू.एस.ए. निर्मित) मशीनों के लिए फरवरी 2005 में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के दरों का अनुमोदन किया था। तदनुसार आठ सिविल सर्जनों के लिए संचालक द्वारा मार्च 2005 में सात एलीसा रीडर और आठ चाल्डहुड ब्लड लीड टेस्टर हेतु 1.04 करोड़ रुपये मूल्य का प्रदाय आदेश जारी किया गया था और मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट, चेन्नई के पक्ष में साखपत्र क्र. एस.बी.आई./0461/2005-06/07 दिनांक 18 अप्रैल 2005 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, रायपुर में खोला गया था।

यह देखा गया था कि जहां आदेशित उपकरणों संबंधित सिविल सर्जनों को प्राप्त हो गई थी वहीं देयकों और स्थापना/स्वीकृति प्रतिवेदनों में उसी प्रकार की कमियां दिखी जैसे उनमें अनिवार्य केंद्रीय बिक्री कर, राज्य वाणिज्यिक /बिक्री कर एवं टिन क्रमांक अंकित नहीं था, यह भी दर्शाया गया था कि भुगतान मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम, धमतरी के पक्ष में किया जाए एवं उसी व्यक्ति "एस बी.के. लाल" द्वारा हस्ताक्षरित थे और सेन्ट्रल स्टेशन एवं मल्टीपैरा कार्डियक मानीटर्स के प्रकरण में उपयोग किया गया बैंक खाता भी अप्रैल 2005 में इस आदेश के मार्च 2005 में जारी होने के बाद खोला गया था। यद्यपि आदेश चेन्नई को दिए गए थे और साखपत्र भी चेन्नई के नाम से खोला गया था पर 1.04 करोड़ रुपये के देयकों का भुगतान धमतरी में क्यों किया जाए इसकी पूछताछ किये बिना कार्रवाई कर दी गई थी। यह स्पष्ट था कि प्रदाय इसी अज्ञात कपटी प्रदायकर्ता द्वारा मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के नाम का उपयोग करते हुए किया गया था।

(स) संचालक द्वारा क्रय किए गए 16 कलर डापलर के अभिलेखों की जांच में देखा गया था कि वार्षिक निविदा प्रक्रिया (अगस्त 2004) के माध्यम से प्रदायकर्ताओं की वार्षिक सूची के अनुमोदन करते समय केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा मेसर्स टिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के प्रति इकाई दर 24.60 लाख रुपये के कलर डॉप्लर (निर्मित -आलोका, मॉडल एस.एस.डी.-3500) प्रदाय करने हेतु अनुमोदित किया गया था। तदनुसार संचालक द्वारा 16 कलर डॉप्लर हेतु 3.94 करोड़ रुपये के तीन प्रदाय आदेश (क्र.187 दिनांक 10 अगस्त 2006 (छ:), 200 दिनांक

11 अगस्त 2006 (चार) और 209 दिनांक 4 सितम्बर 2006 (छः) जारी किए गए थे। मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा कथित रूप से पत्र (अक्टूबर 2006) से प्रदाय आदेश दिनांक 11 अगस्त 2006 एवं 4 सितम्बर 2006 के 10 मशीनों की आपूर्ति, देयक प्रस्तुत करने तथा उनकी ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ सर्जिकल्स, रायपुर को प्राधिकृत किया गया था।

यह देखा गया कि मेसर्स छत्तीसगढ़ सर्जिकल्स, रायपुर द्वारा मशीनें नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007 के दौरान प्रदाय की गई थी और आठ⁶ सिविल सर्जनों को प्रदाय किए गए कलर डॉप्लर के विरुद्ध कथित रूप से मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा जारी आठ अदिनांकित स्थापना प्रतिवेदनों के साथ आठ देयक (क्रमांक 1405 से 1412 दिनांक 2 जनवरी 2007 से 7 जनवरी 2007 के मध्य) संचालक को प्रस्तुत किए गए थे। संचालक द्वारा 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान फर्म को बैंकर्स चेक क्रमांक 329931 दिनांक 22 जनवरी 2007 के माध्यम से किया गया था। उत्तर (जुलाई 2007) में संचालक द्वारा यह बताया गया था कि आठ अन्य मशीनों की राशि 1.97 करोड़ रुपये सेन्ट्रल स्टेशन और मल्टीपैरा कार्डियक मॉनीटर के क्रय में देखी गई कमियों की वजह से रोकी गई। लेखा परीक्षा जांच में आगे यह पाया गया था कि आठ में से पांच⁷ स्थानों पर कलर डॉप्लर मशीनें फरवरी से जुलाई 2007 के दौरान 1.97 करोड़ रुपये के भुगतान के पश्चात स्थापित की गई थी।

चार जिलों (बिलासपुर, कवर्धा, महासमुन्द और रायपुर) में लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2007 में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया था कि यद्यपि कलर डॉप्लर मशीनें आलोका निर्मित (माडल एस.एस.डी.- 3500) थी पर इसके साथ की आवश्यक सामग्री जैसे कम्प्यूटर सिस्टम "लेनेवो" निर्मित (चीन में निर्मित) और वांछित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया था कि पूरे आवश्यक सामग्रियां जैसे बिलासपुर में कम्प्यूटर सिस्टम और शेष तीन जिलों में कलर इंकजेट प्रिंटर, कार्डियक प्रोब (यू.सी.टी.- 5299) कार्डियक साफ्टवेयर (एस.ओ.पी.- 3500-3बी), इमेज मैनेजमेंट साफ्टवेयर, यू.पी.एस. इत्यादि प्रदाय नहीं किए गए थे। सिविल सर्जन, कवर्धा द्वारा यह बताया गया था कि देयकों के साथ संचालक को प्रस्तुत किए गए स्थापना एवं प्राप्ति प्रतिवेदन फर्जी थे।

इस प्रकरण में भी मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा आदेश प्राप्त होने तथा कलर डॉप्लर मशीनें प्रदाय करने की बात से इंकार (जुलाई 2007) किया गया। फर्म द्वारा यह भी बताया गया था कि मेसर्स छत्तीसगढ़ सर्जिकल्स, रायपुर को उनकी तरफ से आदेश निष्पादित करने एवं भुगतान प्राप्त करने हेतु दिनांक 4 अक्टूबर 2006 को कथित रूप से प्रेषित पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था। आठों देयकों और अदिनांकित स्थापना प्रतिवेदनों में भी उसी प्रकार के हस्ताक्षर "एस.बी.के.लाल" पाये गये थे जो सेन्ट्रल स्टेशन और मल्टीपैरा कार्डियक मॉनीटर के कपटपूर्ण प्रकरण के सभी अभिलेखों में पाए गए थे। यह लेखा परीक्षा द्वारा पता लगाया गया तीसरा प्रकरण था जहां मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के नाम का उपयोग कपटी प्रदायकर्ता द्वारा किया गया था। मेसर्स ट्रिविट्रान

⁶ बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, राजनादगांव, सरगुजा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरागढ़ एवं डोंगरगढ़ (राजनादगांव जिला) में।

⁷ जांजगीर, कोरबा, सरगुजा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरागढ़ एवं डोंगरगढ़ (राजनादगांव जिला)।

मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा उनके नाम के दुरुपयोग कर प्रदाय करने के संबंध में शिकायत पुलिस अधीक्षक, रायपुर में अगस्त 2007 दर्ज कराई गई।

उत्तर में संचालक ने सितम्बर 2007 में तथा शासन ने नवम्बर 2007 में बताया कि नियुक्त जांच समिति द्वारा किए गए जांच में यह पाया गया था कि कार्डियक इकाईयां वांछित विशिष्टियों से भिन्न थी और 10 इकाईयों को वापिस ले जाने एवं राशि 2.95 करोड़ रुपये वापस करने हेतु प्रदायकर्ता को मार्च से जून 2007 के दौरान पाँच बार निर्देशित किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रदायकर्ता द्वारा फर्जी देयक, सुपुर्दगी चालान एवं स्थापना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे और मेडिएड निर्मित मशीनें संचालक के अनुमोदन के बिना प्रदाय की गई थी। आगे यह भी बताया गया था कि प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ण राशि 2.95 करोड़ रुपये वापिस कर दी गई और उन्हें छः मशीनें उनके स्वयं के व्यय पर वापिस ले जाने हेतु निर्देशित किया गया। कलर डॉप्लर के प्रकरण में फर्म द्वारा प्रदाय की गई विशिष्टियों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। यह भी बताया गया था कि संचालनालय के कर्मचारी इस कपट से अनभिज्ञ थे, चूंकि फर्म द्वारा पूर्ण राशि वापिस कर दी गई है इसलिए न ही कोई भ्रष्टाचार हुआ न ही शासन को कोई हानि हुई। विभाग द्वारा पुलिस में मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम धमतरी और मेसर्स छत्तीसगढ़ सर्जिकल्स, रायपुर के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट अक्टूबर 2007 में दर्ज कराया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि भुगतान के समय कैसे कमियों की अनदेखी की गई और इन कमियों के लिए कौन जिम्मेदार था। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं था कि कथित रूप से मेसर्स ट्रिविट्रान मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के नाम से तैयार किए गए प्रदाय आदेश एवं पत्र वास्तव में कपटी प्रदायकर्ता को कैसे पहुंचते रहे जबकि यह पता लग चुका था कि मशीनें विशिष्टियों के अनुरूप प्रदाय नहीं किए गए थे और पूरी क्रय प्रक्रिया पर जांच हो रही थी। विभाग द्वारा कपटी प्रदायकर्ता से पत्राचार जारी रखा गया और 2.95 करोड़ रुपये लौटाने हेतु मना लिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2007 में इंगित किये जाने के बाद भी किए गए कपट के लिए अपराधिक कार्रवाई और पूरी जांच के बिना कपटी प्रदायकर्ता को छः मशीनें ले जाने को कहा गया था।

रूपये 1.88 करोड़ मूल्य के विभिन्न विशिष्टियों के उपकरणों का कपटपूर्ण प्रदाय (द) पांच सिविल सर्जनों (बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जगदलपुर और कांकेर) को प्रदाय किए गए 67 चिकित्सकीय उपकरणों की तुलना संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर -नवम्बर 2007) के दौरान संचालक द्वारा मार्च 2005 में जारी सम्बद्ध प्रदाय आदेशों में दिए गए विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन) तथा निबन्धन एवं शर्तों से किया गया था। यह देखा गया कि 1.88 करोड़ रुपये मूल्य के प्राप्त 28 उपकरण जिसका विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है विभिन्न निर्मिति (मेक) और विशिष्टियों के थे। पांचो सिविल सर्जनों ने यह बताया कि उनके द्वारा इन उपकरणों की मांग नहीं की गई थी और उन्हें प्रदाय आदेशों की प्रतिलिपियां और विशिष्टियों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे जिसके कारण वे आदेशित निर्मित का सत्यापन प्राप्त उपकरणों से नहीं कर सके। इनमें से 1.68 करोड़ रुपये मूल्य के 21 उपकरणों के साथ आवश्यक पूर्ण सामग्रियां प्रदाय नहीं की गई थी, परिणामतः इनको उपयोग में नहीं लाया जा सका। विभिन्न निर्मित के अपूर्ण उपकरणों का कपटपूर्ण प्रदाय संचालक द्वारा केन्द्रीकृत आदेश देने के

दोषपूर्ण पद्धति से सुगम बनाया गया था और प्रदाय किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी जिलों को नहीं दी गई थी।

7.84 करोड़ रुपये मूल्य के चिकित्सकीय उपकरणों के कपटपूर्ण तरह से प्रदाय का मामला शासन को जुलाई 2007 और नवम्बर 2007 में सूचित किया गया था और निष्कर्ष पर चर्चा (सितम्बर 2007) तत्काल कार्रवाई और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु किया गया था। शासन द्वारा की गई कार्रवाई नवम्बर 2007 तक सूचित नहीं की गई थी।

4.1.2 उच्च दरों पर क्रय और अधिक भुगतान से हानि

उच्च दरों पर डिस्पोसेबल सिरिंज का क्रय, फर्मों को अनुबंधित दरों से अधिक भुगतान और छूट का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप 77.67 लाख रुपये की हानि।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर (संचालक) द्वारा मार्च 2004 में जारी निविदा के पश्चात मेसर्स हिन्दुस्तान सिरिंज एण्ड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड, बल्लभगढ़ (मेसर्स हिन्दुस्तान) से दर संविदा (अनुबंध) किया गया जिसकी वैधता 9 जून 2004 से 8 जून 2005 तक थी और मेसर्स हिन्दुस्तान से 60,30,000⁸ नग प्रयोज्य सुईयाँ (डिस्पोसेबल सिरिंज) जुलाई 2004 में क्रय किए गए थे। उक्त सामग्रियों के लिए संचालक के पास महानिदेशक, प्रदाय एवं निपदान (डी.जी.एस.एंड डी.) की 1 फरवरी 2004 से 31 जनवरी 2005 तक वैध दरें उपलब्ध थी और वे मेसर्स हिन्दुस्तान की दरों से कम थी जैसा कि **परिशिष्ट-4.2 (अ)** में दर्शाया गया है।

स्वास्थ्य संचालनालय के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2007) में पाया गया कि मेसर्स हिन्दुस्तान पर डिस्पोसेबल सिरिंज के आदेश जारी करते समय दोनों दरें (मेसर्स हिन्दुस्तान और डी.जी.एस.एंड डी.) वैध थी। चूंकि संचालक द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. दरों पर मार्च 2004 में डिस्पोसेबल सिरिंज हेतु आदेश जारी कर छूट भी प्राप्त की गई थी इसलिए उन्हें यह दरें ज्ञात थी बावजूद इसके दरों की तुलना डी.जी.एस.एंड डी. दरों से किए बिना 1.53 करोड़ रुपये के क्रय आदेश मेसर्स हिन्दुस्तान को दिए गए। यदि दोनों दरों की तुलना की गई होती और आदेश डी.जी.एस. एंड डी. दरों पर जारी किए जाते तो राशि 60.14 लाख रुपये और 1.86 लाख रुपये बचाया जा सकता था छूट के रूप में बचाया जा सकता था जैसा कि **परिशिष्ट-4.2 (ब)** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (नवंबर 2007) कि दरों के निर्धारण एवं फर्मों को पंजीकृत करते समय डी.जी.एस. एंड डी. गुणवत्ता, मानक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित नहीं करता तथा क्रय शासन के नीति के अनुरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित एवं निम्न दरों के फर्म से की गई थी। यह भी बताया गया कि डी.जी.एस.एंड डी. से डिस्पोसेबल सिरिंज के क्रय पर दो प्रतिशत का छूट उपलब्ध नहीं था इसलिए न ही कोई हानि हुई और न ही कोई अधिक भुगतान फर्म को किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कथन के विपरीत 3.58 करोड़ रुपये के डिस्पोसेबल सिरिंज का क्रय डी.जी.एस. एंड डी. के पंजीकृत फर्मों के माध्यम से वर्ष 2004-07 के दौरान संचालक द्वारा किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों के

⁸ डिस्पोसेबल सिरिंज 2 एम.एल.-30,00,000; 5एम.एल.-10,00,000; 10 एम.एल.-20,00,000 और 20 एम.एल.-30,000 ।

अनुसार दो प्रतिशत की छूट डी.जी.एस.एंड डी. के दरों पर फरवरी 2004 से जनवरी 2005 के मध्य उपलब्ध थी। इस प्रकार डिस्पोसेबल सिरिज के उच्च दर पर क्रय के लिए कोई औचित्य नहीं बताया जा सका।

(ब) विभिन्न अस्पतालों के वार्षिक मांग पत्र के अनुसार दवाईयों के क्रय की दृष्टि से वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः मार्च 2004 एवं जून 2005 में संचालक द्वारा निविदा सूचना जारी किए गए थे जहाँ न्यूनतम दरों (निविदाकर्ता) के निर्धारण का मापदंड सभी कर/व्यय⁹ सहित था। तदनुसार निविदाकर्ता जिनके दर न्यूनतम थे से जून 2004 और जनवरी 2006 में दर संविदा (अनुबंध) संचालक द्वारा किए गए थे। इसके अतिरिक्त डी.जी.एस.एंड डी. से दर संविदा के अंतर्गत पंजीकृत फर्मो से भी क्रय जून 2005 से अक्टूबर 2006 के मध्य डी.जी.एस.एंड डी. दरों पर किया गया था इन दरों में भी वाणिज्यिक कर शामिल था।

डी.जी.एस.एंड डी. की दरों और फर्मो से दर संविदा के तहत जून 2005 से अक्टूबर 2006 के मध्य किए गए क्रय के 290 बीजकों की जांच में पाया गया था कि दरों में बिक्री/वाणिज्यिक कर की राशि सम्मिलित होने के बावजूद 62 बीजकों के विरुद्ध संचालक द्वारा आठ फर्मो को 14.23 लाख रुपये का अमान्य भुगतान वाणिज्यिक कर के रूप में कर दिया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-4.3** में दिया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया था कि फरवरी 2004 से जनवरी 2005 तक के डी.जी.एस.एंड डी. दर संविदा में उल्लेखित पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के क्रय आदेश पर दो प्रतिशत छूट का लाभ लेने में भी संचालक विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 1.44 लाख रुपये का अनियमित एवं अधिक भुगतान **परिशिष्ट-4.4** में दर्शाये अनुसार किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि संबंधित फर्मो को संचालक के द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि लौटाने हेतु पत्र भेजे गए हैं तथा अंतिम स्मरण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। भुगतान वापसी में चूक करने वाली फर्मो के विरुद्ध कार्यवाही शासन स्तर पर की जावेगी। उत्तर से स्पष्ट था कि फर्मो को भुगतान मान्य दरों और छूट की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना किया गया था। कुल वसूली अब तक सूचित नहीं की गई।

लोक निर्माण विभाग

4.1.3 परिहार्य अधिक भुगतान तथा शासन को हानि

बिटुमिनस मेकाडम की मात्रा का अनियमित निर्धारण के कारण 30.94 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान तथा संधारण लागत का ठेकेदार से वसूल न किये जाने के कारण 42.56 लाख रुपये की शासन को हानि ।

रायपुर शहर के राजीव गांधी मार्ग (वी.आई.पी.रोड) के सुदृढीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य अनुमानित लागत 1.44 करोड़ रुपये सहित ठेकेदार "अ" को सड़क कार्य हेतु जून 2000 से प्रभावशील दर अनुसूची से 13.11 प्रतिशत अधिक दर पर दिया गया (अप्रैल

⁹ प्रासंगिक व्यय, बाँधने एवं भेजने का व्यय, उत्पाद शुल्क, बीमा, बिक्री कर और गन्तव्य तक निःशुल्क भाड़ा (रेल/रोड पर्यन्त निःशुल्क) इत्यादि शामिल।

2002) तथा कार्य के लिए ठेकेदार को 2.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था (अक्टूबर 2005)।

(अ) एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच. विशिष्टियों की धारा 113.3 के अनुसार बिटुमिनस कोर्स की परिष्कृत मोटाई को आयतन के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए, निर्माण के पूर्व एवं पश्चात स्तरों को दर्ज कर गणना किया जाना चाहिए। अनुपूरक जाँच के तौर पर प्रभारी अभियंता को कोर कटर/होल बनाकर निर्माण की मोटाई जांचने का विकल्प दिया गया है। दर अनुसूची की सामान्य टीप-4 निर्बंधन करता है कि यदि अन्यथा न कहा गया हो तो माप विशिष्टियों की संबंधित उपबंधों में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1 रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2006) कि स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ठेकेदार को 60,690 वर्ग मी. क्षेत्रफल में 77 मिमी औसत मोटाई की 4,657.95 घन मी. बिटुमिनस मेकाडम (बी. एम.) की मात्रा निष्पादित की जानी थी, जिसमें 40 प्रतिशत सतह सुधार हेतु तथा 10 प्रतिशत (मोड़ों की मोटाई की) पुलिया हेतु शामिल थी। वास्तविक निष्पादन में एम. ओ. आर. टी. एण्ड एच. की विशिष्टियों का उल्लंघन करते हुए स्तरों की माप दर्ज नहीं की गई थी। स्तरों की माप की अनुपस्थिति में बिटुमिन की यथार्थ मोटाई आंकना संभव नहीं था। ठेकेदार को मोटे तौर पर 100 मिली मीटर मोटाई के लिए भुगतान किया गया था जो कि अनुमानित मात्रा से 30 प्रतिशत अधिक था। संभाग ने केवल चार स्थानों पर कोर कटर के माध्यम से मोटाई माप कर 100 मिमी मोटाई आंकी थी। प्रावधानुसार कोर कटर द्वारा मोटाई का निर्धारण एक अनुपूरक जांच थी तथा इसका उपयोग भुगतान के लिए एकल आधार की तरह नहीं किया जा सकता था। अतः पूर्णतः अनियमित तथा सत्यापित न किए जा सकने योग्य बी. एम. परत की मोटाई के आंकलन के आधार पर प्राक्कलित मोटाई के 30 प्रतिशत अधिक तक की मात्रा हेतु 30.94 लाख रुपये (6,183.80¹⁰ घन मी. - 4,743.20 घन मी. = 1,439.80 घन मी. @1,900 रुपये घन 13.11 प्रतिशत) का अधिक भुगतान पूर्ण रूप से अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने विभागीय उत्तर को ही अग्रेषित किया (अक्टूबर 2007), जिसमें बताया गया कि एम. ओ. आर. टी. एण्ड एच. विशिष्टी की उपबंध 113.5 के अनुसार बी. एम. की मात्रा ज्ञात करने हेतु प्लांट में मिश्रित बिटुमिन का भार लिया गया था तथा भार को आयतन में परिवर्तित कर भुगतान किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था। यदि यह गणना के लिए अपनायी गई विधि थी तो इसे तदानुसार माप पुस्तिका में दिखाया जाना चाहिए था। माप पुस्तिका में भार से आयतन में कोई रूपान्तरण प्रदर्शित नहीं था। जैसा कि पूर्व में इंगित किया जा चुका है आयतन की गणना वास्तव में कोर कटिंग की माप के आधार पर ही की गई थी। बताये गए समीकरण लेखा परीक्षा अभियुक्ति के पश्चात उपलब्ध कराए गए थे तथा बाद के विचार थे एवं किसी भी अभिलेखों से समर्थित नहीं थे।

¹⁰ 61,600 वर्ग मी. क्षेत्रफल में

(ब) अनुबंध की विशेष शर्त के अनुसार ठेकेदार, उसके द्वारा निष्पादित कार्यों के निष्पादन के लिए तीन वर्षों तक उत्तरदायी था तथा कार्यपूर्णता तिथि से 36 माह के लिए अनुबंधित मूल्य का 15 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में परफार्मेंस सिक्वोरिटी के तौर पर जमा करेगा। अनुबंध की धारा-6 के अंतर्गत, आवश्यक कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र ठेकेदार को जारी नहीं किए गए थे अतः अंतिम भुगतान की तिथि (अक्टूबर 2005) को कार्यपूर्णता तिथि मानते हुए ठेकेदार, किए गए कार्य के संधारण के लिए सितम्बर 2008 तक उत्तरदायी था।

अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2006) में पाया गया कि ठेकेदार "ब" के द्वारा सड़क के संधारण पर 42.56 लाख रुपये व्यय किए गए थे (दिसम्बर 2005-जनवरी 2006)। ठेकेदार से संधारण लागत की वसूली करने के प्रयासों के विपरीत संभाग ने, 8 अगस्त 2002 जो कि मापपुस्तिका क्र.-796/पेज 5 पर दर्ज अंतिम माप की तिथि थी, को कार्यपूर्णता की तिथि मानते हुए, ठेकेदार की 15.32 लाख रुपये प्रतिभूति जमा वापस कर दी थी (अक्टूबर 2005)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपूर्णता तिथि में परिवर्तन करने के लिए अंतिम माप की तिथि (8 अगस्त 2002) में छेड़छाड़ की गई थी। उप अभियंता द्वारा दर्ज मापों की वास्तविक तिथि 8 मार्च 2003 थी, जिसकी जांच 2 मई 2003 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई थी। उप अभियंता द्वारा दर्ज दिनांक 8 मार्च 2003 को उपरी लेखन (ओवर राइटिंग) कर 8 अगस्त 2002 किया गया था। जिसकी पुष्टी, तृतीय चल देयक की जांच सूची जिसमें कार्यपूर्णता तिथि 8 मार्च 2003 दर्ज थी एवं प्रतिभूति जमा वापसी के लिए की गई टीप जिसमें कार्यपूर्णता की तिथि 2 मई 2003 को उपरी लेखन (ओवर राइटिंग) द्वारा 8 अगस्त 2002 किया गया था, के द्वारा भी हो रही थी। यह भी पाया गया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार को धीमी प्रगति पर नवम्बर 2002 में कारण बताओं नोटिस भी जारी किया था तथा समय वृद्धि के लिए आवेदन करने हेतु कहा गया था जो कि 8 अगस्त 2002 को कार्य पूर्ण होने के बाद संभव नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी 15 जनवरी 2003 तक समयवृद्धि स्वीकृति के लिए जुलाई 2003 में कार्यपालन अभियंता को कार्योत्तर प्रस्ताव भेजे गए थे। कार्यपूर्णता की तिथि को अंतिम देयक तथा उसकी जांच सूची में पुनः 2 मई 2003 दर्ज किया गया था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिए 8 मार्च 2003 की कार्यपूर्णता तिथि को चालाकी के साथ 8 अगस्त 2002 किया गया था। अर्थात् संबंधित रोड पर संधारण व्यय वास्तव में निष्पादन अवधि के दौरान किया गया था तथा ठेकेदार से वसूल किए जाने योग्य था। जिसकी वसूली न किये जाने के कारण शासन को 42.56 लाख रुपये की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (अक्टूबर 2007) कि माप पुस्तिका में अंकित कार्यपूर्णता दिनांक से छेड़छाड़ किए जाने एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ दिए जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को जांच हेतु निर्देशित किया गया है (अक्टूबर 2007)। यद्यपि, महत्वपूर्ण अभिलेखों से छेड़छाड़ करने तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ देने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने संबंधी कार्यवाही अभी तक प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2007)।

4.2 अधिक भुगतान /निष्फल / निरर्थक व्यय**जल संसाधन विभाग****4.2.1 सब्सिडी की अधिक प्रतिपूर्ति**

नलकूप खनन यूनिट दरों के पुनरीक्षित न किये जाने के कारण कृषकों को मानदण्डों से अधिक सब्सिडी की प्रतिपूर्ति रुपये 35.01 लाख।

वर्ष 1968 में प्रारंभ की गई योजना "कृषकों के निजी नलकूप" (कल्टीवेटर्स ट्यूबवेल) के अंतर्गत, कृषकों को उनके खेतों में किये गये सफल नलकूपों के व्यय का 50 प्रतिशत, सब्सिडी के रूप में दिया जाना था। सब्सिडी की गणना के लिए एक नलकूप की अधिकतम विचाराधीन लागत 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी (1985)। 50,000 रुपये से अधिक लागत वाले नलकूपों के मामलों में, सब्सिडी निर्धारण के लिए मुख्य अभियंता, नलकूप एवं लिफ्ट इरीगेशन को सक्षम बनाया गया था। खनित नलकूप असफल होने के मामलों में कृषकों से मात्र 1,000 रुपये प्राप्त कर शेष व्यय शासन द्वारा वहन किया जाना था।

असफल नलकूपों की शेष लागत को, सफल नलकूपों के लाभार्थियों में वितरित करने हेतु सन 1985 में खनन एवं मोटर पम्प प्रतिस्थापित करने के लिए एक औसत एकीकृत दर लागू की गई। औसत एकीकृत दर प्रयुक्त कर एक सफल नलकूप की कुल लागत ज्ञात की जाकर इस व्यय का 50 प्रतिशत उपरोक्त वर्णित सीमाओं के भीतर सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया जाना था तथा सब्सिडी घटाकर व्यय की शेष राशि सफल नलकूप के कृषक से वसूल की जानी थी।

कार्यपालन अभियंता, लाईट मशीनरी, ट्यूब वेल तथा गेट संभाग, दुर्ग के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया (मई 2006) कि दिसम्बर 2003 की दर अनुसूची पर ठेकेदारों के माध्यम से वर्ष 2005-06 में 51 सफल नलकूप खनित किए गए थे। जिनके खनन एवं मोटर पम्प प्रतिस्थापन पर कुल 60.51 लाख रुपये व्यय किए गए थे। संभाग ने औसत एकीकृत दर के आधार पर देयक तैयार कर 51 सफल नलकूपों के लिए कृषकों को देय अधिकतम सब्सिडी 12.75¹¹ लाख रुपये की गणना की गई थी। 60.51 लाख रूपयों में से सब्सिडी घटाकर कृषकों से 47.76¹² लाख रुपये वसूल करने के स्थान पर संभाग ने कृषकों से केवल 12.75 लाख रुपये की वसूली की थी। परिणामतः कृषकों को 35.01 लाख (47.76-12.75) रुपये की अधिक सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि नलकूप खनन तथा मोटर पम्प स्थापना की 1985 में नियत की गई लागत 50,000 रुपये की तुलना में, वर्तमान लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, आगे यह भी बताया कि प्रति

¹¹ 25.50 लाख रुपये का 50 प्रतिशत, जो कि 50000 रुपये (योजना के तहत अधिकतम) प्रति ट्यूबवेल की दर से 51 सफल नलकूपों की लागत पर है।

¹² 60.51 लाख रुपये - 12.75 लाख रुपये = 47.76 लाख रुपये

नलकूप लागत का 50 प्रतिशत (25,000 रुपये) सब्सिडी शीर्ष में समायोजित किया गया था तथा 25,000 रुपये कृषकों से प्राप्त किए गए थे एवं शेष व्यय को निर्माण शीर्ष में भारित किया गया था। इस तरह कृषकों को अधिक सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर इंगित करता है कि शासन गलत प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा था तथा बढ़ी हुई सब्सिडी को निर्माण शीर्ष में भारित कर रहा था। यह गलत प्रक्रिया अपनाकर लेखाओं में सब्सिडी को समग्र रूप से कम करके दिखाया जा रहा था। इस तरह उत्तर पुष्टि करता है कि व्यय को निर्माण शीर्ष में समायोजित कर कृषकों को मानदण्डों से अधिक सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

4.3 संविदा बाध्यताओं का उल्लंघन / ठेकेदारों का अनुचित पक्ष/परिहार्य व्यय

जल संसाधन विभाग

4.3.1 ठेकेदारों को अनाधिकृत लाभ

कार्य के वास्तविक निष्पादन के पूर्व ठेकेदार को 50.87 लाख रुपये का भुगतान।

(अ) कार्यपालन अभियंता (का.अ.), जल संसाधन विभाग, खरखरा मोहादिपाट परियोजना संभाग, दुर्ग द्वारा "करचूटोला जलाशय" के शीर्ष कार्य का बकाया कार्य नाला क्लोजर, स्लूस, वेस्ट वीयर आदि के निर्माण हेतु 1.46 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई थी (दिसम्बर 2005)। ठेकेदार "अ" द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकृत की गई (22 मार्च 2006) एवं कार्यादेश जारी किया गया (23 मार्च 2006)। ठेकेदार को अगस्त 2007 तक किए गए कार्य के लिए 94.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया था (जुलाई 2006)।

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, खरखरा मोहादिपाट परियोजना संभाग, दुर्ग के अभिलेखों की जांच में देखा गया (नवम्बर 2006) कि निर्माण कार्य योजनानुसार जो कि अनुबंध का एक भाग था, नौ माह में 66,448.40 घन मी. का आठ¹³ मर्दों का कार्य किया जाना प्रस्तावित था, परंतु ठेकेदार को कार्यादेश जारी करने के दो दिन के भीतर 24 मार्च 2006 को प्रथम चलित देयक द्वारा 31.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया था जबकि प्रथम माह में मात्र 5,000 घन मी. एवं 0.36 वर्ग मी. का दो¹⁴ मर्दों का कार्य, जिसका मूल्य 1.89 लाख रुपये था किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित चलित देयकों में उप अभियंता का नाम एवं माप पुस्तिका का नम्बर

¹³ (i) सभी तरह की मिट्टी की खुदाई (27,966 घन मी.) (त्त) सभी तरह की चट्टानों की खुदाई (218 घन मी.); (त्त) पडल के लिए मिट्टी उपलब्ध करना एवं भरा जाना (1395.35 घन मी.); (त्त) फिल्टर ब्लैककेट के लिए रेत और गिट्टी उपलब्ध कराना (1,326.45 घन मी.); (त्त) रोक टोक का निर्माण (1,165.60 घन मी.); (त्त) बंड के लिए मिट्टी का कार्य (33,000 घन मी.); (त्त) पिचिंग हेतु 22 से.मी. ड्राईस्टोन उपलब्ध कराना एवं बिछाना (750 घन मी.) एवं (त्त) पिचिंग हेतु 15 से.मी. ड्राईस्टोन उपलब्ध कराना एवं बिछाना (627 घन मी.)।

¹⁴ (i) सभी तरह की मिट्टी की खुदाई (5000 घन मी.) एवं (त्त) गढ़न करना, उपलब्ध करना तथा स्थापन करना (0.36 वर्ग मी.)।

नहीं था तथा लेखापरीक्षा के दौरान माप पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई थी यद्यपि उपरोक्त मापपुस्तिकाओं को अगस्त 2007 में प्राप्त किया गया था तथा जांच में यह देखा गया कि मापों को 20 मार्च 2006 से 23 मार्च 2006 के मध्य दर्ज किया गया था जो कि कार्यादेश जारी होने से पहले की तिथियाँ थी (23 मार्च 2006)।

(ब) उसी प्रकार से कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, खरखरा मोहादिपाट परियोजना संभाग, दुर्ग द्वारा कोरीटोला जलाशय के शीर्ष कार्य स्लुस, वेस्ट वियर, स्पिल चैनल, नहर के मिट्टी कार्य आदि के बकाये कार्य हेतु 57.04 लाख रुपये अनुमानित लागत पर निविदा आमंत्रण सूचना जारी (जनवरी 2006) की गई थी। ठेकेदार¹⁵ द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा को मुख्य अभियंता ने 21 मार्च 2006 को स्वीकृति दी थी तथा उसी दिन कार्यादेश जारी किया गया था, कार्य दिसम्बर 2006 में पूर्ण हुआ तथा ठेकेदार को 50.82 लाख रुपये का भुगतान मार्च 2007 में किया गया।

अभिलेखों की जांच में देखा गया (नवम्बर 2006) कि निर्माण कार्य योजनानुसार जो कि अनुबंध का एक भाग था, चार माह में 9,219.51 घनमी. मात्रा का आठ¹⁵ मर्दों का कार्य किया जाना प्रस्तावित था, परंतु ठेकेदार को 24 मार्च 2006 को कार्यादेश जारी करने के तीन दिन के अन्दर प्रथम चलित देयक द्वारा 19.40 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि प्रथम माह में मात्र 5,000 घनमी. एवं 42.44 मीटर का तीन¹⁶ मर्द का कार्य जिनका मूल्य 1.43 लाख रुपये किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान भुगतान के विरुद्ध विस्तृत माप पुस्तिका प्रस्तुत न कर, केवल संक्षिप्त माप पुस्तिका ही प्रस्तुत की गई थी। भुगतान किए गए प्रथम चलित देयक में न तो उप अभियंता का नाम था और ना ही माप पुस्तिका का क्रमांक दर्शाया गया था। यद्यपि माप पुस्तिकाओं को अगस्त 2007 में प्राप्त किया गया था। आगे की जांच में यह देखा गया कि मापों को 20 मार्च 2006 से 23 मार्च 2006 के मध्य दर्ज किया गया था जो कि कार्यादेश जारी होने से पहले की तिथियाँ थी (21 मार्च 2006)।

चूंकि इतने अधिक परिमाण का कार्य जो कार्य योजनानुसार एक से नौ महिनों में पूर्ण किया जाना था, उसको दो से तीन दिन में पूर्ण किया जाना संभव नहीं था तथा उनका माप पुस्तिका में दर्ज न किया जाना, 50.87 लाख रुपये (31.47 +19.40) के कार्य के भुगतान की सत्यता में सन्देह उत्पन्न करता था।

लेखापरीक्षा निरीक्षण में शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (अगस्त 2007) एवं बताया कि विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्य करने एवं अनियमितता करने हेतु संबधित कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यद्यपि शासन द्वारा की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2007)।

¹⁵ (i) सभी तरह की मिट्टी की खुदाई (4,700 घन मी.) (त्त) सभी तरह की चट्टानों की खुदाई (100 घन मी.); (त्त) पडल के लिए मिट्टी उपलब्ध करना एवं भरा जाना (532.95 घन मी.); (त्त) फिल्टर ब्लॉककेट के लिए रेत और गिट्टी उपलब्ध कराना (582.63 घन मी.); (त्त) रोक टोक का निर्माण (337.03 घन मी.); (त्त) बंड के लिए मिट्टी का कार्य (1,220.90 घन मी.) और (त्त) पिचिंग हेतु 22 से.मी.ड्राईस्टोन उपलब्ध कराना एवं बिछाना (1,025 घन मी.) एवं (त्त) पिचिंग हेतु 15से.मी.ड्राईस्टोन उपलब्ध कराना एवं बिछाना (721 घन मी.)।

¹⁶ (i) सभी तरह की मिट्टी की खुदाई (5000 घन मी.) और (ii) लाइम अथवा सीमेंट क्रांकीट को तोड़ना (19.94 रनिंग मीटर) (iii) ह्यूम पाईप पुलियों को तोड़ना (22.50 रनिंग मीटर)

लोक निर्माण विभाग

4.3.2 सड़क कार्य का सन्देहास्पद निष्पादन

कार्यादेश जारी करने के पूर्व कार्य का सन्देहास्पद निष्पादन एवं उस पर 37.03 लाख रुपये का भुगतान ।

मध्यप्रदेश कार्य विभाग की नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाए गए) की कंडिका 2.090, 2.092 (खण्ड 15) एवं 4.023 के अनुसार निविदा स्वीकृती के उपरांत कार्यपालन अभियंता मूल निविदा पर करार करेगा एवं निष्पादन करायेगा। साथ ही करार तथा कार्यादेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करेगा। प्रत्येक माप को सीधे माप पुस्तक में अभिलिखित किया जाना चाहिए अन्य किसी अभिलेख में नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) क्र.6 के कि.मि. 269 से 281 पर सीलिंग एवं क्रस्ट के पुनःनिर्माण (रायपुर उपमार्ग, अनुमानित लागत 30 लाख रुपये) के कार्य को सड़क दर सूची (1 सितम्बर 2004 से लागू) से 4.91 प्रतिशत कम में ठेकेदार "अ" को दिया गया। कार्यादेश एक माह कार्य की पूर्णता अवधि के साथ, 25 मार्च 2005 को जारी किया गया था। ठेकेदार को 37.03 लाख रुपये का भुगतान मार्च 2006 में किया गया था।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग एन.एच.संभाग क्र.1, रायपुर की माप पुस्तिका के साथ साथ अन्य अभिलेख की जांच में देखा गया (अक्टूबर 2006) कि अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), एन.एच. मण्डल, रायपुर द्वारा 22 मार्च 2005 को निविदाएँ खोली गईं एवं 25 मार्च 2005 को कार्यादेश जारी किया गया था, परंतु 37.03 लाख रुपये मूल्य के कार्य की संपूर्ण मापों को एक ही दिन (24 मार्च 2005) में दर्ज किया गया था (अनुबंध के अनुसार अनुमत्य समय एक माह था) अर्थात् मापों को कार्यादेश जारी होने से पूर्व ही दर्ज किया गया था। दर्ज मापों का भुगतान पांच भिन्न चलित देयकों द्वारा 11 मई 2005 एवं 30 मार्च 2006 के मध्य किया गया था। निविदा स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी होने के पूर्व कार्य का निष्पादन कर कार्य पूर्ण कराया जाना, ना केवल अति अनियमित था साथ ही संहिता के प्रावधान का उल्लंघन भी था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2007) की निविदा 22 मार्च 2005 को खोली गयी थी जिसमें ठेकेदार "अ" द्वारा न्यूनतम दर का प्रस्ताव दिया गया था। न्यूनतम निविदा स्वीकृत किए जाने हेतु अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) सक्षम थे एवं दूरभाष पर न्यूनतम निविदा की स्वीकृति की अपनी सम्मति प्रदान की थी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम दर प्रदान किए गए ठेकेदार "अ" को तुरंत कार्य प्रारंभ करने हेतु 22 मार्च 2005 को निर्देशित किया गया था। तदनुसार 24 मार्च 2005 को माप दर्ज की गई थी। कार्यपालन अभियंता ने कहा कि प्राप्त आंवटन का उपयोग करने एवं मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण ठेकेदार से मात्र एक ही दिन में उक्त कार्य कराया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था। एक माह के कार्य पूर्णता अवधि के विरुद्ध एक दिन में सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करना अति असंभव था। साथ ही आंवटन का व्यपगत होने संबंधी स्पष्टीकरण भी गलत था क्योंकि भुगतान आगामी वित्त वर्ष में किया गया था (मई

2005 से मार्च 2006) और अभिलेखों में अधीक्षण अभियंता के अनुदेश का कोई समर्थन नहीं था। अतएव उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति पर बाद का विचार था। उपरोक्त वर्णित असंगति एवं भूल, एक दिन में कार्य के निष्पादन एवं 37.03 लाख रुपये के व्यय पर संदेहास्पद उत्पन्न करता है।

प्रकरण शासन को भेजा गया (अप्रैल 2007); उत्तर अपेक्षित है (नवंबर 2007)।

4.3.3 निविदा की प्रक्रियाओं में असंगताएँ एवं रूपांकन में बारंबार परिवर्तन के कारण अतिरिक्त लागत।

उच्च स्तरीय सेतु की निविदा के प्रक्रियाओं में असंगताएँ एवं कमजोर आयोजना के परिणामस्वरूप 57.91 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत।

सड़क एवं सेतु कार्यों के लिए भूतल एवं परिवहन मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी. एवं एच.) की विशिष्टियों में निर्धारित है कि प्रारंभिक जांच-पड़ताल कर सेतु स्थल का अनुमान, स्पान अरेंजमेंट के साथ संरचना का स्वरूप व नींव स्थिति का निश्चय करना चाहिए तत्पश्चात् कार्यक्षेत्र एवं विस्तृत रूपांकन और निष्पादन हेतु पर्याप्त आंकड़ों का संग्रहण।

शासन ने महानदी¹⁷ पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण के लिए फरवरी 2002 में 2.96 करोड़ रुपये की प्रशासकीय अनुमोदन (प्र.अ.) तथा मुख्य अभियंता (मु. अ.), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परीक्षेत्र, रायपुर के द्वारा मार्च 2002 में 2.66 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई। एक-मुश्त कार्य नवम्बर 2002 में 4.38 करोड़ रुपये के लिए ठेकेदार "ब" को दिया गया एवं अंतिम देयक 4.63 करोड़ रुपये का भुगतान मार्च 2005 में हुआ।

अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), सेतु मण्डल, रायपुर एवं कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग, जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2005 एवं जनवरी 2006) में प्रकट हुआ कि निविदा प्रारंभिक रूप से मार्च 2002 में संभावित ठेका राशि (पी.ए.सी.) 2.79 करोड़¹⁸ रुपये के साथ अनुमानित सामान्य संरचना मानचित्र (जी ए डी)-1 जिसमें पर 13.10 मीटर गहरे कूप नींव के प्रावधानों सहित आमंत्रित किया गया था। प्रारंभिक प्रस्तावों के प्राप्ति पश्चात्, मार्च 2002 में जी ए डी-1 को जी ए डी-2 में संभावित ठेका राशि 3.13 करोड़ रुपये के साथ कूप नींव- 18.75 मीटर में परिवर्तन कर संशोधित प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। ठेकेदार "अ" के न्यूनतम प्रस्ताव 3.80 करोड़ रुपये जो कि पी.ए.सी. से 21.41 प्रतिशत अधिक था को मु.अ., रा.रा., सेतु परिक्षेत्र, रायपुर ने जुलाई 2002 में वर्षा ऋतु का समय होने के कारण निरस्त कर दिया।

द्वितीय निविदा पर जुलाई 2002 में जी ए डी-2 हेतु ठेकेदार "ब" का न्यूनतम प्रस्ताव 4.38 करोड़ रुपये (पी ए सी 3.13 करोड़ रुपये से 40 प्रतिशत अधिक) था। यद्यपि सितम्बर 2002 में प्रस्तावों के प्राप्त करने के उपरांत कार्य के कई मर्दों में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त कर पी ए सी को 3.13 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.00 करोड़

¹⁷ कांकर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के कि.मी.-7/2 (सारंगपाल घोट)।

¹⁸ निविदा पी.ए.सी. 2.79 करोड़ रुपये रखा गया था, निविदा 5 मार्च 2002 को जारी किया जबकि तकनीकी स्वीकृति मु. अ. के द्वारा 23 मार्च 2002 को 2.66 करोड़ रुपये के लिए प्रदान किया जैसा कि तकनीकी स्वीकृति निविदा जारी पश्चात् प्राप्त हुआ जबकि निविदा की तुलना तकनीकी स्वीकृति राशि 2.66 रुपये से किया गया।

रूपये कर दिए (अक्टूबर 2002)। यद्यपि, न ही संशोधित निविदा न ही संशोधित प्रस्तावों को प्रथम निविदा की तरह आमंत्रित किए तथा ठेकेदार "ब" के प्रस्ताव जो पी.ए.सी. 4.00 करोड़ रूपये से 9.35 प्रतिशत अधिक था, को स्वीकृति दी गई। अगर उच्च विशिष्टियों को प्रथम आमंत्रण के समय सुनिश्चित कर लिया जाता तो ठेकेदार "अ" का जी ए डी-2 के समतुल्य, प्रस्ताव स्वीकार्य योग्य (पी.ए.सी.से कम) था वास्तविक कार्य निष्पादन के दौरान संशोधित जी ए डी-2 तथा बाद के तकनीकी विशिष्टियों के कारण पी.ए.सी. में वृद्धि हुई का निष्पादन भी नहीं किए गए। रूपांकन में फिर से परिवर्तन किया गया तथा कूप नींव के स्थान पर पाइल नींव बनाया गया क्योंकि कड़ी चट्टान अपेक्षा से उच्च स्तर पर मिला। इसका प्रमाण था कि प्रारंभिक अध्ययन, सर्वेक्षण आदि पर्याप्त नहीं था जिसके कारण चार तरह के रूपांकन/विशिष्टियां एवं निविदा के प्रथम आमंत्रण को गलत निरस्तीकरण के कारण 57.91 लाख रूपये का अतिरिक्त लागत आई (4.38 करोड़ रूपये - 3.80 करोड़ रूपये)।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 2005) प्रमुख अभियंता ने बताया कि (अगस्त 2006) उक्त कार्य का निष्पादन स्वीकृत लागत के अंतर्गत किया गया। इसमें अतिरिक्त लागत नहीं थी। संशोधित तकनीकी स्वीकृति 4.60 करोड़ रूपये एवं संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन 5.33 करोड़ रूपये प्रदान किया गया था।

अभिमत स्वीकार्य नहीं है निविदा की प्रक्रियाओं में असंगतियां थी जिसे ठेकेदार "ब" को लाभ देने के रूप में संगणित किया गया तथा यह अनुत्तर था। प्रथम निविदा में रूपांकन में परिवर्तन के कारण पी.ए.सी. में वृद्धि हुआ तथा संशोधित प्रस्तावों को आमंत्रित की गई उसी तरह द्वितीय निविदा में पी.ए.सी. उच्च विशिष्टियों के कारण बढ़ी किन्तु संशोधित प्रस्तावों को प्रथम निविदा की तरह आमंत्रित नहीं किया गया। पुनरीक्षित पी.ए.सी. की संगणना निविदा प्रक्रिया की समाप्ति उपरांत हुई तथा केवल ठेकेदार "ब" के न्यूनतम प्रस्ताव की स्वीकार्यता को न्यायोचित ठहराने के लिए इसे प्रयोग किया गया। ठेकेदार "अ" का प्रथम निविदा में 3.80 करोड़ रूपये की अंतिम प्रस्ताव जो कि जी ए डी-2 पर आधारित था को निरस्त किया किन्तु जब अधिकतम न्यूनतम प्रस्ताव 4.38 करोड़ रूपये द्वितीय निविदा में जी ए डी-2 के आधार पर प्राप्त किया गया था तो विशिष्टियों का पुनर्गणना एवं पी.ए.सी. में संशोधन किया गया। अभिलेखों में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि प्रथम निविदा के समय पुनराकलन क्यों नहीं किया गया तथा द्वितीय निविदा में पी.ए.सी. में परिवर्तन कर निविदा आमंत्रित क्यों नहीं की गई रूपांकन में बहुत अधिक परिवर्तन क्यों किया गया उत्तर स्पष्ट नहीं करता था।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2006 में सूचित किया गया था; जवाब अक्टूबर 2007 तक अपेक्षित है।

4.3.4 ठेकेदार को अनुचित लाभ

एक करोड़ रुपये की रोकी गई राशि की अनाधिकृत विमुक्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया था (सितम्बर 2004) कि 1,054 ठेकेदारों की जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासन ने सुनिश्चित किया है कि जिन ठेकेदारों ने मूल इन्वाइसेस प्रस्तुत नहीं किये हैं अथवा गैर निर्धारित ग्रेड के डामर का इन्वाइस प्रस्तुत किया है उनसे आवश्यक राशि की वसूली प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। जिन ठेकेदारों से वसूली की जानी थी उनकी सूची इन निर्देशों के साथ जारी की गई कि बकाया राशि की वसूली उनके संबंधित संभाग अथवा अन्य संभाग में अमानत राशि, सुरक्षा निधि, बैंक गारंटी तथा लंबित बिलों से की जावेगी।

कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2006) तथा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग बेमेतरा से एकत्रित जानकारी (मार्च 2007) के आधार पर पाया गया कि शासन के आदेश की तिथि तक कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बेमेतरा तथा दुर्ग के पास ठेकेदार "अ" की रोकी गई 1.33 करोड़¹⁹ रुपये की राशि उपलब्ध थी। जबकि पाया गया कि सक्षम अधिकारी के निर्देशों के बिना एक करोड़²⁰ रुपये ठेकेदार "अ" को विमुक्त कर दिए गए थे जो कि शासन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था। परिणामतः ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (अप्रैल एवं मई 2007) कि ठेकेदार ने मूल इन्वाइस प्रस्तुत किए थे तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत कर दिया गया था तथा सचिव लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के मौखिक आदेशानुसार संभाग द्वारा राशि विमुक्त की गई थी। यह भी बताया कि वसूली का प्रकरण, अंतिम कार्यवाही हेतु शासन के समक्ष अभी भी विचाराधीन है तथा संभाग के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कई कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं एवं शासन के आदेश किए जाने पर ठेकेदार से किसी भी राशि की वसूली संभव है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्यपालन अभियंताओं को राशि विमुक्त किए जाने के आदेशों के कोई साक्ष्य नहीं थे। इसके अलावा एक करोड़ रुपये विमुक्त किए जाने के समय छह संभागों में आदेशानुसार 1.85 करोड़ रुपये के बकाये के विरुद्ध 1.96 करोड़ रुपये रोके गए थे।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (मार्च 2007); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2007)

¹⁹ बेमेतरा: 60.73 लाख रुपये; दुर्ग: 72.20 लाख रुपये।

²⁰ का.अ. लो.नि.वि.बेमेतरा एवं दुर्ग प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.3.5 ठेकेदार को अनुचित लाभ तथा शासन को हानि

विशेष शर्तों को अनुबंध में शामिल न किये जाने तथा फार्म डी एवं छूट प्रमाणपत्र के अनियमित जारी किए जाने के कारण ठेकेदार को 80.35 लाख रुपये का अनुचित लाभ तथा फलतः शासन को हानि।

भारत सरकार के अधिसूचना क्र. 47/2002 दिनांक 1 मार्च 2002 के अनुसार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यू. टी. पी.) तैयार करने तथा स्रोत से डब्ल्यू.टी.पी. तक जल निकासी एवं वहां से प्रथम भंडारण सुविधा तक प्रयुक्त होने वाले पाइपों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट थी। यह छूट संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी अभिप्रेत प्रयोग के प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर उपलब्ध थी।

(अ) शंकर नगर से विधानसभा तथा महालेखाकार (ए.जी.) कार्यालय काम्पलेक्स एवं (ब) वर्तमान रायपुर जल प्रदाय योजना के सुधार कार्यों के पम्पिंग मेन तथा वितरण मेन को चालू करने हेतु, दो एकमुश्त अनुबंध क्रमशः ठेकेदार "अ" (मई 2004) तथा ठेकेदार "ब" (दिसम्बर 2005) से निष्पादित किए गए थे।

दोनों ही प्रकरणों में निविदा की शर्त क्र.8.3 - "टेक्सेस" जो कि अनुबंध का एक भाग था, के अनुसार, शासन स्थानीय निकायों अथवा निजी उद्योगों द्वारा अनुबंधित कार्य पर उदग्रहित किए गए विक्रय कर, रायल्टी, चुंगी शुल्क, उत्पाद शुल्क, पण्यावर्त कर (टर्न ओवर टेक्स), वाणिज्यिक कर आदि सहित सभी कर एवं शुल्क कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदार द्वारा देय होंगे तथा इस संबंध में विभाग किसी तरह के दावों पर विचार नहीं करेगा।

कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संभाग रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2006) में पाया गया कि कार्यपालन अभियंता के अनुमोदन पर ठेकेदार "अ" को मार्च 2002 के अधिसूचना के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट के दावा हेतु कलेक्टर रायपुर द्वारा जनवरी 2005 में 10,000 मीटर डक्टाईल आयसन पाइपों के क्रय हेतु एक प्रमाणपत्र जारी किया गया था। कलेक्टर द्वारा जल के स्रोत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यू. टी. पी.) तथा डब्ल्यू.टी.पी. से भंडारण स्थल तक ले जाने हेतु प्रमाणपत्र दिया गया था, जबकि पाइपों का उपयोग वास्तव में पानी को प्रथम भंडारण स्थल (शंकर नगर) से ले जाने के लिए किया जाना था, जिसके लिए अधिसूचना में कोई छूट अनुमत्य नहीं थी। अतः अनुबंध के विषय क्षेत्र के बाहर अधिसूचना के अंतर्गत जारी किया गया गलत प्रमाणपत्र ठेकेदार को 5,835 मीटर खरीदे गये पाइपों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 12.41²¹ लाख रूपयों की छूट का लाभ लेने का हकदार बनाता था (**परिशिष्ट 4.5(अ)**)। दूसरे अनुबंध में संभाग ने ठेकेदार "ब" को 3.28 करोड़ रूपयों की कीमत के पाइप एवं फिटिंग्स की आपूर्ति के लिए फार्म "डी" जारी किए जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर 12 प्रतिशत के स्थान पर केवल 4 प्रतिशत देय था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 26.27 लाख रूपयों का लाभ होना

²¹ डी.जी.एस.एंड डी. की दर पर संगणित।

था। उपलब्ध इनवाइस की एक प्रतिलिपि से यह प्रदर्शित हो रहा था कि ठेकेदार "ब" ने भी विभिन्न व्यास के 2.55 करोड़ रूपयों की कीमत के ए. सी. प्रेशर पाइप के क्रय पर उसी अधिसूचना के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ लिया था तथा यह लाभ 41.67 लाख रूपयों का था (परिशिष्ट 4.5 (ब))।

ठेके के शर्तों के अनुसार, ठेकेदार सभी करों के भुगतान के लिए उत्तरदायी था अतः किसी भी तरह की प्राप्त छूट, शासन को मिलनी चाहिए थी। अतः प्रमाणपत्र जारी किए जाने तथा विशेष शर्तों के निविदा में शामिल न किए जाने के कारण, ठेकेदारों को 80.35 लाख रूपयों का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2007) कि लागू होने वाले सभी कर एवं शुल्क ठेकेदार द्वारा दिए जाने थे तथा ठेकेदार द्वारा प्रचलित दरों पर सभी कर एवं शुल्क को विचार कर एक मुश्त प्रस्ताव दिए गए थे तथा विभाग ने ठेकेदार के किसी भी दावों को स्वीकार नहीं किया था एवं यह भी बताया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की सही गणना कर वसूली की जावेगी। पाइपों को शंकर नगर से ए.जी.काम्पलेक्स के सम्पवेल तक बिछाया गया था तथा ट्रीटमेंट प्लांट से शंकर नगर तथा वहां से ए.जी. काम्पलेक्स के बीच जल के उपयोग हेतु कोई पाइप नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं था, पेयजल को ट्रीटमेंट प्लांट से शंकर नगर (पहला स्टोरेज पाइप) तथा वहां से ए. जी. कार्यालय काम्पलेक्स (दूसरा स्टोरेज पाइप) ले जाया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने स्पष्ट किया कि, प्रथम स्टोरेज पाइप से आगे के स्टोरेज पाइपों तक कोई छूट उपलब्ध नहीं थी। अतः विभाग द्वारा इस तरह का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाना था, क्योंकि ठेकेदार सभी करों एवं शुल्कों के भुगतान के लिए बाध्य था, किन्तु छूट का एक गलत प्रमाणपत्र जारी किया गया था। यदि छूट ली गई थी तो वह सरकार को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका भुगतान शासन द्वारा अंतिम उपभोक्ता के रूप में किया जा रहा था। कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार "ब" के द्वारा क्रय किए गए पाइपों के इनवाइस जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे मांगे जाने पर भी, यह बताते हुए उपलब्ध नहीं कराए गए कि अनुबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अभिलेखों से प्राप्त एक इनवाइस की छायाप्रति प्रस्तुत किए जाने से पहले पाइप की दर, भुगतान किए गए शुल्क तथा छूट आदि की महत्वपूर्ण सूचनाएँ छुपा ली गई थी। दूसरे अनुबंध के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (मार्च तथा अप्रैल 2007); उत्तर अपेक्षित था (नवम्बर 2007)।

4.3.6 प्राक्कलन स्फीति के कारण अतिरिक्त लागत

उचित विश्लेषण के बिना स्फीतित प्राक्कलन तैयार करने के फलस्वरूप 25.23 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत तथा कार्य विभाग नियमावली के कार्य क्षेत्र के बाहर प्राक्कलन लागत को बढ़ाने के कारण 1.83 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय।

कार्य विभाग नियमावली की धारा 2.027 के अनुसार प्राक्कलन में ली गई दरें सामान्यतः दर अनुसूची से मेल करना चाहिए। यदि उन्हें उपयुक्त अथवा पर्याप्त रूप से प्रयोग न किया गया हो तो विचलन को रिपोर्ट में विस्तार से समझाया जाना चाहिए।

(अ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर द्वारा भनपुरी पाईप लाईन योजना के लिए 3.96 करोड़ रूपयों की तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2005)। वितरण पाईप लाईन 11.214 कि.मी.की तंत्र बिछाना मुख्य कार्यों में से एक कार्य था। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (परियोजना) संभाग, रायपुर के द्वारा 2.36 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर एकमुश्त निविदायें आमंत्रित की गई थी (फरवरी 2006)। ठेकेदार "अ" की 2.27 करोड़ रूपयों की निविदा दर शासन द्वारा स्वीकार की गई थी (अप्रैल 2006)। वर्षा ऋतु छोड़कर 10 माह की नियत अवधि के साथ कार्यादेश जारी किए गए थे (अप्रैल 2006)। कार्य पूर्ण हो गया था (जून 2007), तदनुसार ठेकेदार को 2.33 करोड़ रूपये भुगतान किया गया था (जून 2007)।

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (नवम्बर 2006) कि अनुसूचित दर²² पर कार्य की अनुमानित लागत 1.35 करोड़ रूपये थी। प्रचलित निविदा प्रतिशत दर के तौर पर, इसे 75 प्रतिशत²³ बढ़ाया गया था तथा इस बड़े हुए प्राक्कलन पर प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी (दिसम्बर 2005)। 75 प्रतिशत की अत्यधिक तदर्थ वृद्धि की व्याख्या के लिए अभिलेखों में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण अथवा विवरण नहीं पाया गया। यह पाया गया कि दर अनुसूची के अनुसार मुख्य कारक जो कि पाईप की लागत थी, 1.04²⁴ करोड़ रूपये थी जबकि सी.एस.आई.डी.सी.²⁵ के दर अनुबंध (मार्च 2005) के अनुसार उसकी प्रचलित दर 1.57 करोड़ रूपये थी। पाईप की लागत को 75 प्रतिशत जोड़कर 1.82 करोड़ तक बढ़ाकर प्राक्कलन में लिया गया था, जो कि सी.एस.आई.डी.सी. की लागत से 25.23²⁶ लाख रूपये अधिक थी (परिशिष्ट 4.6)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2007) कि सभी संभागों में समतुल्य कार्य दर अनुसूची से 70 से 80 प्रतिशत के मध्य स्वीकृत किए गए थे एवं बताया कि कार्य, अत्यधिक यातायात तथा भूमिगत सेवाओं जैसे केबल, परिनालियों का क्रम आदि के कारण अत्यधिक कठिन था। शहर प्रदूषित जल से जूझ

²² सितम्बर 2002 से लागू प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि., मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी एकीकृत दर अनुसूची।

²³ लागत को 2.36 करोड़ रूपये तक बढ़ाने के लिए 1.01 करोड़ रूपये प्राक्कलन में जोड़े गये थे।

²⁴ मद की लागत (105.68 करोड़ रूपये) ऋण बिछाने एवं जोड़ने की लागत (1.79 लाख रूपये)।

²⁵ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम।

²⁶ 181.82 लाख रूपये - 156.59 लाख रूपये = 25.23 लाख रूपये

रहा था तथा टैंकरों के माध्यम से पेय जलपूर्ति के लिए भारी व्यय किए जा रहे थे। जल के लिए कानून व्यवस्था की भी समस्या थी। इसके अतिरिक्त निविदाएं सचिव, लो.स्वा.यां.वि. की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, किसी दर विश्लेषण अथवा स्पष्टीकरण से समर्थित नहीं थी तथा उसे प्रचलित निविदा दर के रूप में साधारण रूप से जोड़ दिया गया था जो कि अनियमित था। यह बढ़ोत्तरी ठेकेदार को उच्च दर दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती थी। सी.एस.आई.डी.सी. की दरों पर प्राकलन में सामग्री की लागत का विश्लेषण भी यह प्रदर्शित करता है कि 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी औचित्यपूर्ण नहीं थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.7** में वर्णित है।

(ब) इसी तरह रायपुर की वर्तमान जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार एवं पुनर्वास योजना के लिए 6.63 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गई थी (अगस्त 2005) तथा 8.44 करोड़ रुपयों (एक मुश्त) के लिए पारित की गई थी (दिसम्बर 2005) ठेकेदार को नौ वें चलित देयक तक 9.13 करोड़ रुपये भुगतान किए गए थे (जून 2007)।

प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि., संभाग रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दर अनुसूची²⁷ के अनुसार प्राक्कलित लागत 5.81 करोड़ रुपये थी। जिसे बिना किसी औचित्य तथा विश्लेषण के प्रचलित निविदा प्रतिशत के रूप में 81.93 लाख रुपये से बढ़ा दिया गया था (पी.डब्ल्यू.डी.के आइटम में 45 प्रतिशत तथा पी.एच.ई.डी. के आइटम में सात प्रतिशत)। चूंकि प्रतियोगात्मक मूल्य ज्ञात करने के लिए निविदा प्रक्रिया उपलब्ध थी, कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन न करते हुए तदर्थ रूप में प्राक्कलन को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने स्वीकार किया कि आइटमों की लागत में पी.डब्ल्यू.डी.की दर अनुसूची से 45 प्रतिशत तथा पी.एच.ई.डी. की दर अनुसूची से सात प्रतिशत की वृद्धि की गई थी तथा कहा कि लीकेज के संधारण, पाईपों के फूटने आदि सहित सभी कार्य ठेकेदार की लागत पर, कार्य क्षेत्र में शामिल था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर, लागत में 45 प्रतिशत तथा सात प्रतिशत वृद्धि के कारण को स्पष्ट नहीं करता था जो कि ठेकेदार को उच्चतर दर दर्ज करने के लिए सुविधाजनक था।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (मार्च 2007); उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2007)।

²⁷ पी.डब्ल्यू.डी. की दर अनुसूची तथा लो.स्वा.यां.वि.की एकीकृत दर अनुसूची।

आदिम जाति कल्याण विभाग

4.3.7 गैस चूल्हे एवं सिलेण्डरों के क्रय में निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन

गैस चूल्हे एवं सिलेण्डरों के क्रय में निर्धारित नियमों का पूर्ण उल्लंघन एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों/आश्रमों में उन्हें उपयोग में नहीं लाए जाने से रु.43.80 लाख की राशि का व्यय निरर्थक रहा जिसमें रु. 28.81 लाख की अदेय सुरक्षा निधि की राशि शामिल है।

आदिवासी मंत्रणा परिषद की अनुशंसा पर सचिव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रायपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से राज्य में आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में रसोई गैस तथा गैस चूल्हा प्रदाय किए जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (दिसम्बर 2001) दिया गया।

छ.ग.भण्डार क्रय नियम में उपबन्धित है कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु स्थानीय स्तर के बहुप्रसारित समाचार पत्र के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए लेकिन 10.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित करना चाहिए। 50,000 रुपये से अधिक की सामग्री क्रय हेतु अनुबंध निष्पादित की जानी चाहिए।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2006) से प्रकट हुआ कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, दंतेवाड़ा द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा के पक्ष में 364 रसोई गैस कनेक्शन एवं 996 व्यावसायिक (नान डोमेस्टिक) रसोई गैस कनेक्शन के लिए मेसर्स महालक्ष्मी गैस एजेंसी, जगदलपुर (हिन्दुस्तान डोमेस्टिक ऑयल एवं गैस कंपनी लिमिटेड, मुंबई, जो एक निजी कंपनी है के वितरक) को मूल क्रय आदेश (अक्टूबर 2001) एवं अनुवर्ती आदेश (जनवरी 2002) 3,900 रुपये (1,405 रुपये गैस भट्टी के लिए एवं 2,495 रुपये गैस सिलेण्डर के लिए जिसमें 1,984 रुपये की अदेय सुरक्षा निधि की राशि शामिल है) की दर से जारी किया गया। ऐसा ही क्रय आदेश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर द्वारा 174 नग रसोई गैस कनेक्शन एवं 456 नग सिलेण्डर के लिए उसी एजेंसी (मे.महालक्ष्मी गैस एजेंसी जगदलपुर) को उसी दर पर प्रदाय हेतु मूल आदेश (दिसम्बर 2001) एवं अनुवर्ती आदेश (अगस्त 2002) जारी किया गया।

दंतेवाड़ा में 182 तथा कांकेर में 86 कुल 268 छात्रावासों/आश्रमों में रसोई गैस कनेक्शन प्रदाय किया जाना था। सामग्री की आपूर्ति नवम्बर 2001 से अगस्त 2002 की अवधि में एवं 43.80 लाख रुपये की राशि जिसमें 28.81 लाख रुपये अदेय सुरक्षा निधि राशि शामिल है, का भुगतान किया गया। क्रय प्रक्रिया की जांच में यह प्रकट हुआ कि 40.00 लाख रुपये से अधिक राशि की सामग्री का बृहत क्रय आदेश अनुचित तरीके से क्रियान्वित किया गया। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन नहीं कराया गया। तीन दर सूचियों के आधार पर ही क्रय आदेश को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें से मेसर्स महालक्ष्मी गैस एजेंसी जगदलपुर के अलावा अन्य दो दर सूची, छपे

प्रपत्र में न होकर सादे कागज में हस्तलिखित थे और विभाग द्वारा दर सूची मंगाए जाने के संदर्भ का कोई उल्लेख नहीं था न ही इनमें पूर्ण पता दिया था न पंजीयन था और न ही केन्द्रीय वाणिज्यिक बिक्री कर क्रमांक का उल्लेख था जिनकी प्रमाणिकता संदिग्ध थी। (दर सूची की प्रति नीचे दर्शाया गया है)

| Particular | Qty | Amount |
|----------------------------|-----|---------|
| 1. 17 Kg. Gas Non Domestic | 1 | 2560=00 |
| 2. L.P.G. stove (Bhatti) | 1 | 1580=00 |
| Total | | 4140=00 |

TO, Assistant Commissioner Tribal Development Kanwar.

मि. 13/11/11

IN-GER

प्राप्त

वहायत - 3 अंकुश
आदिवासी विकास, विभाग
डिवा - कांकेर. (ब.ग.)

① गैस सिलेण्डर 17 Kg. + गैस 2700=00
② भट्टी रेगुलेटर पापि 1550=00

चार हजार दो सौ पचास रुपये मात्र 4250=00

मि. 18/11/11

श्री राम
PAPU SHA
पंत हठन
शबत वारा, बगदलपुर

इण्डियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अथवा भारत पेट्रोलियम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से दर सूची प्राप्त नहीं किए गए थे। प्रदायक संस्था से कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया था इसलिए फर्म द्वारा सिलेण्डर में गैस भराई की कोई बाध्यता नहीं थी। अति उच्च अदेय सुरक्षा निधि (सिलेण्डर की लागत का 80 प्रतिशत) जो एच.पी./बी.पी. आदि द्वारा प्रभारित नहीं किया जाता, के औचित्य के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था। कांकेर में यह भी देखने में आया कि गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दिसम्बर 2001 में जारी किए जाने के पूर्व ही नवम्बर 2001 में आपूर्ति की गई थी जैसा कि 23 छात्रावास अधीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। इससे क्रय प्रक्रिया से समझौता किए जाने का स्पष्ट संकेत जाता है और प्रदायकर्ता का चयन पहले करने के बाद विभिन्न स्तरों में प्रक्रिया का पालन किया गया।

यह भी देखा गया कि पिछले चार से पांच वर्षों के दौरान रसोई गैस का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि 268 में से 79 छात्रावासों/आश्रमों द्वारा पुष्टि की गई इसलिए इस पर किया गया संपूर्ण व्यय 43.80 लाख रुपये पांच वर्षों से निरर्थक रहा। इसमें अदेय सुरक्षा निधि के कारण 28.81 लाख रुपये की हानि भी सम्मिलित है।

इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर शासन द्वारा (सितम्बर 2007) अग्रेषित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा की सभी अभ्युक्तियों को स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि

प्रक्रिया में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं से यह साफ प्रतीत होता है कि गैस एजेंसी से आपसी मिलीभगत के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की गई। आगे उसने यह भी उल्लेख किया कि छात्रावासों में गैस सिलेण्डरों/भट्टी के उपयोग सुनिश्चित करना सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की जिम्मेदारी थी और उन्हें उनके उपयोग के संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाने के संबंध में तथ्य विभाग प्रमुख के ध्यान में लाया जाना चाहिए था। अनियमितता के लिए एक विभागीय जांच प्रारंभ की गई है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.3.8 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

अनुबंध के अनुरूप विद्युत घटक के अनुरक्षण न करने के साथ-साथ उच्च दाब विद्युत आपूर्ति की संविदा मांग के अनुचित निर्धारण के परिणामस्वरूप रूपये 74.23 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

अधिष्ठाता, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (चिकित्सा महाविद्यालय) द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल) से सम्बद्धित डॉ.बी.आर.अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के 700 बिस्तरीय अस्पताल (चिकित्सालय) एवं ब्राह्मण रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में 500 के.व्ही.ए. के अधिकतम संविदा मांग के साथ दो उच्च दाब विद्युत आपूर्ति कनेक्शन हेतु क्रमशः जून 1992 और सितम्बर 1993 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल) से अनुबंध निष्पादित किए गए थे।

अनुबंध की धारा 24 के अनुसार, औसत मासिक विद्युत घटक (के.डब्ल्यू.एच./के.व्ही.ए.एच.) 0.90 से कम नहीं होना चाहिए था, ऐसा होने पर उपभोक्ता शुल्क सूची (टेरिफ) के अनुसार अतिरिक्त प्रभार अदा करने हेतु बाध्य था। इसके अतिरिक्त यदि लगातार तीन माह तक विद्युत घटक 0.90 से कम रहता है तो मंडल को सूचित करते हुए उपभोक्ता को इसे बढ़ाने के लिए विद्युत-धारा कैपेसिटर (कैपेसिटर) लगाने जैसी आवश्यक कार्यवाही करना था।

संयुक्त संचालक-सह-अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय के 74 महीनों के विद्युत देयकों की जांच (जनवरी -फरवरी 2007) तथा जून 2007 एवं अक्टूबर 2007 के मध्य एकत्रित अतिरिक्त जानकारी में पाया गया था कि नवम्बर 2000 और मार्च 2007 के मध्य चिकित्सालय और ओ.पी.डी. भवन में औसत मासिक विद्युत घटक अधिकांशतः 0.90²⁸ से कम था। चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा विद्युत घटक को 0.90 से अधिक रखने हेतु पर्याप्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किए गए जिससे रूपये 49.23 लाख रूपये का परिहार्य व्यय (परिशिष्ट 4.8 एवं 4.9) हुआ।

शुल्क सूची के प्रावधानों के अनुसार विद्युत देयक प्रतिमाह अभिलिखित किए गए वाचन या अधिकतम संविदा मांग के 75 प्रतिशत में से जो अधिक हो पर दिया जाना था।

²⁸ 74 महीनों में से, 54 महीनों (73 प्रतिशत) में विद्युत घटक चिकित्सालय में 0.61 से 0.86 के मध्य और 60 महीनों (81 प्रतिशत) में ओ. पी. डी. भवन में 0.71 से 0.88 के मध्य था।

अनुबंध की धारा 3 (डी) के अनुसार यदि उपभोक्ता पर्याप्त विद्युत खपत करने की स्थिति में न हो तो वह अधिकतम संविदा मांग को अनुबंध की अवधि के दौरान दो बार उसी सीमा तक एवं तिथि से कम कर सकता था जैसा कि मंडल निश्चित करें।

ओ.पी.डी. भवन के नवम्बर 2000 से मार्च 2007 तक की अवधि के 74 विद्युत देयकों में देखा गया था कि इस दौरान अभिलिखित औसत खपत मात्र 196 के.व्ही.ए. था एवं 67 महीनों (91 प्रतिशत) में खपत अधिकतम संविदा मांग के 75 प्रतिशत से कम था, किन्तु चिकित्सालय द्वारा 500 के.वी.ए. की आपूर्ति का अनुबंध जारी रखा गया। संविदा मांग को अनुबंध के मान्य शर्तों के तहत कम करने एवं अतिरिक्त व्यय से बचने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण 24.60 लाख रुपये का परिहार्य व्यय **(परिशिष्ट 4.9)** अतिरिक्त मांग प्रभारों के रूप में हुआ।

इस प्रकार प्रारंभ में अनुचित संविदा मांग के निर्धारण के साथ-साथ चिकित्सालय के अधिकारियों एवं अधिष्ठाता द्वारा इसे परवर्ती कार्यवाही कर वास्तविक आवश्यकता तक कम न करने और पर्याप्त कैपेसिटर स्थापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 73.83 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक -सह - अधीक्षक, चिकित्सालय के उत्तर (सितम्बर 2007) को अग्रेषित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कैपेसिटर मार्च 2007 में स्थापित कर दिए गए हैं और विद्युत देयकों की राशि में कमी आई है। उत्तर में कैपेसिटर के स्थापना में विलम्ब एवं अनुचित संविदा मांग के निर्धारण का कारण नहीं बताया गया और अप्रैल 2007 से सितम्बर 2007 के विद्युत देयकों की राशि में सराहनीय कमी भी नहीं दिखी।

प्रकरण मार्च 2007 में शासन को भेजा गया; उत्तर नवम्बर 2007 तक अप्राप्त था।

वन विभाग

4.3.9 परिहार्य व्यय

बिगड़े बाँस वनों के पूर्णवास कार्य वृत्त के कूपों में अनाधिकृत रूप से चेक डेम के निर्माण किये जाने के फलस्वरूप राशि 16.73 लाख का परिहार्य व्यय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) छत्तीसगढ़, रायपुर ने बिगड़े बाँस वनों के पूर्णवास कार्य वृत्त कूपों के उपचार के लिए राशि 2,100 रुपये प्रति हेक्टेयर दर सर्वेक्षण/सीमांकन, मृदा परीक्षण, उपचार मानचित्र तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, सी.बी.ओ.²⁹ कार्य और बाँस उपचार आदि जैसे कार्यों के लिए निर्धारित (अप्रैल 2004) किया।

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा अम्बिकापुर के अभिलेखों का नमूना जांच (नवंबर 2006) में पाया गया कि वन संरक्षक (सी.एफ.) सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर ने वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा, अम्बिकापुर को राशि 17.11 लाख रुपये (दिसम्बर 2004) और राशि 17.00 लाख रुपये (अक्टूबर 2005) का आबंटन बिगड़े बाँस वनों के पूर्णवास कार्य वृत्त के ड्यू कूपों के 815 हेक्टेयर (वर्ष 2004-05) और 1,032.70

²⁹ कट बैंक आपरेशन - नये कोपलों को प्राप्त करने हेतु जीवित दूठों की ड्रेसिंग करना।

हेक्टेयर (वर्ष 2005-06) में प्रथम वर्ष कार्य-सर्वेक्षण, सीमांकन, सी.बी.ओ. एवं बाँस भिरो का उपचार³⁰ हेतु दिया। वनमंडलाधिकारी (दिसम्बर 2004 एवं अक्टूबर 2005) ने उपरोक्त राशि कूदरगढ़ एवं सूरजपुर रेंज के वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में ड्यू आठ कूपों में प्रथम वर्ष कार्य हेतु स्वीकृत किया।

जांच में पाया गया कि बांस भिर्सा के उपचार में राशि 17.38 लाख रुपये का व्यय तथा राशि 16.73 लाख रुपये (कुल व्यय 34.11 लाख रुपये) का अस्वीकार्य व्यय 8,912³¹ मिट्टी/पत्थर चेकडेमों के निर्माण पर किया गया।

इंगित किये जाने पर विभाग का यह कथन था (सितम्बर 2007) कि चेकडेम का निर्माण कार्य आयोजना के अध्याय छः बांस पुनर्स्थापन (परस्पर व्यापी) कार्यवृत्त में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही किया गया इसके अलावा वन संरक्षक, कार्यस्थल की आवश्यकता को देखते हुए बजट के अंदर योजना में फेरबदल कर सकते हैं। उपरोक्त सभी बातें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित थी। इस कार्य से पूरे क्षेत्र में नमी का स्तर बढ़ा जिससे प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा मिला।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बांस पुनर्वास कार्यवृत्त में भू-जल संरक्षण कार्य जैसे- चेकडेम के निर्माण पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कोई प्रावधान नहीं किया था जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रावधानित किया गया था जैसे- आर.डी.एफ.³², पी.सी.आर.डब्ल्यू.सी.³³, पी.डब्ल्यू.सी.³⁴, एस.एस.आई.डब्ल्यू.सी.³⁵, एफ.एफ.पी.डी.डब्ल्यू.सी.³⁶, टी.यू.डब्ल्यू.सी.³⁷ और पूर्ण बांस वृक्षारोपण क्षेत्र आदि। साथ ही साथ अध्याय 6 में भी भूजल संरक्षण कार्य/चेक डेम के निर्माण का कोई उल्लेख बांस पुनर्वास स कार्यवृत्त में नहीं किया गया।

³⁰ बाँस भिर्सा का उपचार- भिर्सा का साफ सफाई करना एवं भिरे के चारों तरफ मिट्टी खोदकर प्राप्त मिट्टी से रायजोम को चारों तरफ से ढंकना।

³¹

| वर्ष | रेंज | कम्पार्टमेंट | मिट्टी चेकडेमों की संख्या | मिट्टी कार्य (घनमीटर में) | व्यय (लाख रुपये में) |
|---------------|---------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2004-05 | कूदरगढ़ | पी-1545, पी-1547, पी-1551, पी-1576 | 4,075 | 12,467.9 | 7.09 |
| 2005-06 | कूदरगढ़ | पी-1463, पी-1542, पी-1546 | 4,837 | 15,838.8 | 9.64 |
| | सूरजपुर | पी-1467 | | | |
| महायोग | | | 8,912 | 28,306.7 | 16.73 |

³² बिगड़े वनों का पुनर्वास कार्यवृत्त ।

³³ संरक्षण सह पुनर्वास कार्यवृत्त ।

³⁴ संरक्षण कार्यवृत्त ।

³⁵ स्पेशल साल सुधार कार्यवृत्त ।

³⁶ फ्यूल फाडर और पास्चर डेवलपमेंट कार्यवृत्त ।

³⁷ ट्राईबल अपलिफमेंट कार्यवृत्त ।

4.4 नियामक मुददे एवं अन्य बिन्दु

लोक निर्माण विभाग

4.4.1 परिहार्य अतिरिक्त लागत

ठेके की अनुमानित लागत के गलत प्रक्षेपण के फलस्वरूप उच्च दरों पर निविदा की स्वीकृति तथा 66.51 लाख रुपये की संभाव्य अतिरिक्त लागत ।

शंकर नगर -खमारडीह -कचना रोड (4.8 कि.मी.) के निर्माण हेतु 4.68 करोड़ रुपये (67 आइटम) के प्राथमिक प्राक्कलन तैयार किए गए थे। इस कार्य के लिए 4.09³⁸ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति (58 आइटम) दी गई थी। कार्य प्रगति पर था तथा ठेकेदार को 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था (मई 2007)।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर के अभिलेख की नमूना जांच (जुलाई 2006) में पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2006) के बाद सात आइटम जिसकी लागत 13.39 लाख रुपये थी को छोड़कर 51 आइटम के लिये ऑन लाइन निविदा आमंत्रण की गई जिसके प्रभाव से कार्य की लागत 3.82³⁹ करोड़ रुपये होती है। जबकि आनलाइन निविदा आमंत्रण में कार्य की अनुमानित लागत गलत तरीके से 4.68 करोड़ रुपये दर्शायी गई थी। प्राप्त न्यूनतम निविदा 4.24 करोड़ रुपये की थी, शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में कार्य की गलत अनुमानित लागत (4.68 करोड़ रुपये) के आधार पर न्यूनतम निविदा प्रस्ताव का निविदा प्रतिशत अनुमानित लागत से 9.40 प्रतिशत नीचे प्रदर्शित किया गया जबकि वास्तविक रूप में यह तकनीकी स्वीकृति के अनुसार अनुमानित लागत 3.82 करोड़ रुपयों से 11.01 प्रतिशत अधिक था। छत्तीसगढ़ शासन ने दर अनुसूची से 9.40 प्रतिशत नीचे की दर जो कि गलत प्रतिशत दर थी, को रिंग रोड महादेवघाट रोड के पिछले स्वीकृत निविदा जिसकी लागत दर अनुसूची (अप्रैल 2003) से 6.40 प्रतिशत कम पर 1.78 करोड़ रुपये थी से तुलना कर स्वीकृति प्रदान कर दी। अतः शासन के समक्ष कार्य की अनुमानित लागत को गलत ढंग से बढ़ाकर प्रस्तुत की गई फलस्वरूप वित्तीय भार में 66.51⁴⁰ लाख रुपये की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जुलाई 2006) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2007) कि निविदा आमंत्रण प्रक्रिया अनुमोदित कार्य की अनुमानित लागत तथा कार्य निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी आइटम को कराने का अनुमान लगाते हुए स्वीकृत निविदा आमंत्रण सूचना पर आधारित थी। आगे

³⁸ 13.33 लाख रुपये की आकस्मिकता भार सहित ।

³⁹ (3.95-0.13) करोड़ रुपये = 3.82 करोड़ रुपये ।

⁴⁰ (i) कार्य के 51 मद की वास्तविक प्राक्कलन लागत = 3.82 लाख रुपये

(i i) निविदा स्वीकृत की गई @ 11.01 प्रतिशत अधिक

(i i i) रिंग रोड-महादेव घाट रोड के लिए स्वीकृत दर अनुसार प्रचलित दर @ 6.4 प्रतिशत नीचे अतिरिक्त लागत (3.82 करोड़ x 17.41 प्रतिशत) = 66.51 लाख रुपये

बताया कि प्रस्तावों की तुलना कार्य की कुल अनुमानित लागत, 4.68 करोड़ रुपये पर की गई थी तथा 4.09 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की गई थी।

उत्तर अपने आप में स्वीकारति है कि निविदा आमंत्रण सूचना में कार्य की लागत तकनीकी स्वीकृति में अनुमोदित लागत से अधिक प्रदर्शित की गई थी। गलत आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप निविदा मूल्यांकन समिति, न्यूनतम प्रस्ताव की उपयुक्तता पर सुविज्ञ निर्णय लेने में असमर्थ रही। कार्य की लागत उच्चतर लिए जाने के कारणों को, शासन के समक्ष मूल्यांकन दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया था। तथा यह लेखापरीक्षा टिप्पणी के बाद का विचार था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2007); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2007)।

4.4.2 सड़क कार्य का अनियमित निष्पादन

संविदा अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन कर सड़क कार्य का अनियमित निष्पादन 9.06 करोड़ रुपये ।

मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली के परिशिष्ट 2.14, कंडिका -13 जो कि संविदा अनुबंध के मानक पत्रक की एक कंडिका है के अनुसार प्रभारी अभियंता के द्वारा कार्य की विशिष्टियों एवं नक्शों में यदि परिवर्तन किया जाता है, तो ठेकेदार मुख्य कार्य में दर्शायेनुसार अनुबंध राशि के 25 प्रतिशत तक निष्पादन हेतु बाध्य होगा।

प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा जारी किए अनुदेश (जुलाई 1998 एवं अप्रैल 1999) के अनुसार मौलिक कार्य के विस्तार से बाहर कोई भी पूरक कार्य प्रदान नहीं किया जाए। अपरिहार्य स्थिति में पूरक कार्य मौलिक कार्य की ठेके की राशि के 25 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिये। जिसे शासन ने दोहराया कि कार्यपालन अभियंता (का.अ.) द्वारा अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) के लिखित अनुमति से 25 प्रतिशत तक पूरक अनुसूची अनुमोदित कर सकता है तथा 25 प्रतिशत से अधिक की कोई भी पूरक अनुसूची शासन के अनुमति के बाद ही स्वीकृत की जा सकती है।

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग-1, रायपुर, बिलासपुर तथा लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अंबिकापुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2004, दिसम्बर 2006 तथा जुलाई 2005) में निम्नलिखित देखा गया कि-

(अ) कार्य का अनियमित पारित किया जाना 3.21 करोड़ रुपये

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.1 रायपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत कार्ययोजना के अनुसार पांच सड़क के मरम्मत कार्य 86.61 लाख रुपये की लागत पर ठेकेदार "अ" को पारित किया गया था, तथा इसी अनुबंध में का.अ. द्वारा पूरक सूची के तहत 1.46 करोड़ रुपये लागत के 10 अन्य कार्य अनियमित रूप से पारित किए गए थे। ठेकेदार को 4.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (फरवरी 2005) जो कि ठेके के राशि का चार गुणा (370 प्रतिशत) था।

मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने अतिरिक्त कार्य को पूरक सूची के तहत सम्मिलित किए जाने हेतु अनियमित रूप से स्वीकृति प्रदान की थी। विभाग का 1998 का आदेश अतिरिक्त कार्य को अनुपूरक सूची में शामिल करने हेतु विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है। अतिरिक्त कार्य 3.21 करोड़ रुपये 25 प्रतिशत सीमा से काफी अधिक था तथा एक अलग निविदा के तहत पारित किया जाना था जो कि शासन स्तर पर किया जाना था। इससे स्पष्ट होता है कि नई निविदा से बचकर विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए यह भारी व्यय किए गए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया कि (नवम्बर 2007) उत्तरदायी अधिकारियों पर अनुचित अनुशासनिक कार्यवाही किया जा रहा है, यद्यपि शासन द्वारा किए गए अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2007)।

(ब) अप्राधिकृत व्यय 1.19 करोड़ रुपये

कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.संभाग बिलासपुर द्वारा 2.72 करोड़ रुपये एवं 2.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दो⁴¹ सड़क कार्य क्रमशः ठेकेदार "अ" एवं "ब" को प्रदाय किया गया (अप्रैल 2005 एवं जुलाई 2005)। ठेकेदार को 3.05⁴² करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (सितम्बर 2006) जिसमें 38.06⁴³ लाख रुपये एवं 81.25⁴⁴ लाख रुपये के अतिरिक्त कार्य जो कि मौलिक अनुबंध में सम्मिलित नहीं थे की लागत भी सम्मिलित थी। पूरक अनुसूची कार्यों पर स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत की गई (सितम्बर 2006)। इन दोनों प्रकरणों में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति न लिए जाने के कारण अधीक्षण अभियंता ने कार्यों पर स्वीकृति दिए जाने से इंकार कर दिया (सितम्बर 2006 एवं अक्टूबर 2006) तथा आदेश दिया कि कार्यपालन अभियंता पूरक मदों का भुगतान पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन एक गंभीर वित्तीय अनियमिता थी तथा संबंधित उप अभियंता एवं सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया। अतः सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना 1.19 करोड़ रुपये का व्यय अप्राधिकृत था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (दिसम्बर 2006) पर शासन ने बताया (नवम्बर 2007) कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि की गई कार्यवाही की सूचना शासन से अपेक्षित है (नवम्बर 2007)।

(स) अनियमित व्यय 4.66 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली के कंडिका 2.131 के अनुसार यदि व्यय स्वीकृत प्राक्कलन के 10 प्रति शत से अधिक होने की संभावना है तो पुनरीक्षित प्राक्कलन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

⁴¹ जोन्दरा-सोन-बसंतपुर (2.72 करोड़ रुपये) तथा बिलासपुर बाईपास रोड (2.00 करोड़ रुपये) ।

⁴² ठेकेदार "अ" 1.84 करोड़ रुपये तथा ठेकेदार "ब" - 1.21 करोड़ रुपये ।

⁴³ सीमेंट कंक्रीट रोड: 15.03 लाख रुपये तथा एम्बेकमेंट के निर्माण: 23.03 करोड़ रुपये का अनुपूरक कार्य

⁴⁴ एम्बेकमेंट के निर्माण हेतु अनुपूरक कार्य ।

(i) नवागांव पालोद-उपरवारा सड़क निर्माण का कार्य का.अ. लो.नि.वि. संभाग क्र.1 रायपुर द्वारा एक ठेकेदार को 1.64⁴⁵ करोड़ रुपये में प्रदान किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति 1.32 करोड़ रुपये के विरुद्ध ठेकेदार को फरवरी 2005 तक 4.22 करोड़ रुपये (318 प्रतिशत) भुगतान किया गया यह वृद्धि ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओ.जी.पी.सी.) सह सिलकोट के स्थान पर 50 एम एम बिटुमिन्स मेकेडम सह मिक्स सिल सरफसिंग करने का निर्णय लेने के कारण कार्य के लागत में वृद्धि हुई। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन किया जाना अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने बताया कि (नवम्बर 2007) उत्तरदायी अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है (नवम्बर 2007)।

(ii) मैनि नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 2.78 करोड़ (दिसम्बर 2001) रुपये की स्वीकृति दी गई थी। एक मुश्त लागत 2.68 करोड़ रुपये पर कार्य, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.(सेतु) संभाग, अंबिकापुर द्वारा ठेकेदार "स" को प्रदान किया गया। स्वीकृत प्रशासकीय स्वीकृति 2.43 करोड़ रुपये के विरुद्ध ठेकेदार को उसके आठवें चलित देयक तक 4.57 करोड़ रुपये भुगतान किए गए थे जो कि बिना पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के 2.14 करोड़ रुपये (89 प्रतिशत) का अनियमित अधिक व्यय है। लागत में वृद्धि निविदा पश्चात सेतु के ड्राइंग/डिजाईन में बदलाव के कारण थी।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2005) में इंगित किए जाने पर शासन ने बताया कि (नवम्बर 2007) उत्तरदायी अधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जा रहा है। यद्यपि शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना प्रतिक्षित है (नवम्बर 2007)।

वन विभाग

4.4.3 अनियमित व्यय

सुधार पातन एवं विगड़े वनों के पुनर्वास प्रबंध वृत्त के एंडवास कूप में अनाधिकृत रूप से बांस वृक्षारोपण किये जाने के फलस्वरूप राशि रु. 15.30 लाख का अनियमित व्यय।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ने माह जुलाई 1997 में अपने परिपत्र पर निर्देश दिया है कि स्वीकृत कार्य आयोजना पर विचलन करने से पूर्व मुख्य वन संरक्षक (मु.वं.स.) कार्य आयोजना और भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा, अम्बिकापुर के अभिलेखों का नमूना जांच (दिसम्बर 2006) में पाया गया कि वन संरक्षक, सरगुजा ने वर्ष 2004-05 में बांस पुनर्स्थापन (परस्पर व्यापी) कार्य वृत्त के 300 हेक्टर में बांस वृक्षारोपण हेतु राशि रु. 15.30 लाख वनमंडल, दक्षिण सरगुजा को आबंटित किया। वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना (1996-97 से 2006-07) के अनुसार बांस पुनर्स्थापन (परस्पर व्यापी) कार्यवृत्त

⁴⁵ कार्य की अनुमानित लागत: 1.29 करोड़ रुपये तथा जून 2000 के दर अनुसूची से 27 प्रतिशत अधिक

(बी.ओ.डब्ल्यू.सी.)⁴⁶ के कूपों में वृक्षारोपण हेतु देय था लेकिन बाँस वृक्षारोपण देय स्थल के कूपों में नहीं किया गया बल्कि वनमंडलाधिकारी की स्वीकृति से यह सुधार पातन कार्य वृत्त (आई.डब्ल्यू.सी.)⁴⁷ के एक कूप में एवं बिगड़े वनों के पुनर्वास कार्य वृत्त (आर.डी.एफ.)⁴⁸ के तीन कूपों में बाँस वृक्षारोपण किया गया। वे कूपें जहां वृक्षारोपण किया गया वे समस्त कूपें वर्ष 2006-07 से 2012-13 में उपचार कार्य पुनर्वास/पातन हेतु देय था। कार्य आयोजना के विचलन पर मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) एवं भारत सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई। इस तरह राशि 15.30 लाख रुपये का पूरा व्यय अनाधिकृत विचलन एवं अनियमित था।

इसे लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2006) में इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा ने बताया कि आबंटित राशि का उपयोग बिगड़े वनों के पुनर्वास कार्य वृत्त (आर.डी.एफ.) के उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जाकर वृक्षारोपण किया गया जो कि कार्य आयोजना एवं वानिकी सिद्धांत के अनुकूल था। शासन ने कहा कि बाँस रोपण हेतु राशि प्राप्त हुई थी लेकिन सुधार कार्य वृत्त के अंतर्गत एरियर कूपों में रोपण हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त न होने की स्थिति में वन संरक्षक के अनुमोदन से एडवांस कूपों में वृक्षारोपण किया गया, जिसके लिए वन संरक्षक सक्षम है। अतः उक्त कार्य विचलन की परिभाषा में नहीं आता।

वनमंडलाधिकारी एवं शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बाँस पुनर्स्थापन (परस्पर व्यापी) कार्य वृत्त में 816 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था एवं राशि उसी कार्यवृत्त में बाँस रोपण के लिए आबंटित की गई थी। भारत सरकार एवं मुख्य वन संरक्षक से पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त राशि का विचलन कर बिगड़े वनों के पुनर्वास एवं सुधार पातन प्रबंध वृत्त के एडवांस कूपों में उपयोग किया गया। इसी तरह, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) ने निर्देश जारी (दिसम्बर 2005) किए हैं कि वृक्षारोपण के लिए सुधार पातन प्रबंध वृत्त के स्थलों का चयन आपत्तिजनक है और इस निर्देश का भी उल्लंघन किया गया।

⁴⁶ **बी.ओ.डब्ल्यू.सी.** - ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्याप्त मात्रा में बाँस भिरे उपलब्ध हो उस क्षेत्र को इस कार्यवृत्त में शामिल किया जाता है एवं बाँस विदोहन एवं उपचार का कार्य (भिरा सफाई) लिए जाते हैं।

| रेज | कक्ष क्रं. | कूप क्रं. IV | उपचार वर्ष |
|---------|------------|--------------|------------|
| कूदरगढ़ | P/1551 | रास IV | 2004-05 |
| कूदरगढ़ | P/1545 | मासकी IV | 2004-05 |
| कूदरगढ़ | P/1547 | कजई-खोपरा IV | 2004-05 |
| सुरजपुर | P/1576 | दनोंली IV | 2004-05 |

⁴⁷ आई.डब्ल्यू.सी.-बनों की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु इस कार्यवृत्त की स्थापना किया गया है। (कक्ष क्रं. P/2282X1) (उपचार वर्ष 2008-09) ।

⁴⁸ ऐसा क्षेत्र जो रिक्त एवं कम धनत्व वाली हो, उनका प्रबंध/उपचार, वृक्षारोपण/कृत्रिम पुनरुत्पादन द्वारा किया जाता है। (कक्ष क्रं. P/1628 XVI, P/1702 XV, वर्ष 2012-13, 2011-12) कक्ष क्रं. (P/2423 X P/250 XVI) (उपचार वर्ष 2006-07, 2012-13) ।

पाँचवा अध्याय

सरकारी विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

पशुपालन विभाग

5.1 पशुपालन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण विशेषताएँ ।

मुख्यांश

आंतरिक नियंत्रण किसी संगठन की प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जिसकी स्थापना उचित आश्वासन सुनिश्चित करती है कि गतिविधियों का संचालन प्रभावशील और दक्षतापूर्ण रूप से विश्वसनीय है , तथा प्रयोग्य विनियम व कानूनों का अनुसरण किया गया जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की सर्वोत्तम पद्धति सी.ओ.एस.ओ¹.फ्रेमवर्क में है जो आंतरिक नियंत्रण पर आदर्श के रूप में स्वीकार्य है। भारत में भारत शासन द्वारा सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 64 के तहत शासकीय विभागों में आंतरिक नियंत्रण के प्रतिपालन के लिए वृहत निर्देश जारी किए हैं। पशु पालन विभाग के चयनित क्षेत्रों के आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा में यह दर्शाया गया -

पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार करने से अवास्तविक बजट प्राक्कलन एवं वर्ष 2002-03 से 2006-07 में योजना शीर्ष में भारी बचत होना।

(कंडिका क्रमांक 5.1.5.1)

अस्थाई अग्रिमों 11.83 लाख रुपये का समायोजन न होना एवं रोकड़ बही के संधारण में कोषालय नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण न किया जाना ।

(कंडिका क्र.5.1.5.6 एवं 5.1.6.1)

कार्यचालन संबन्धी नियंत्रण अप्रभावशील होने से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वत्सोत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न होना ।

(कंडिका क्र.5.1.7.1)

नियमानुसार स्कंध एवं भंडारों का नियमित भौतिक सत्यापन न होना एवं टीकाओं के वितरण में भिन्नता परिविक्षित होना ।

(कंडिका क्र.5.1.7.4 एवं 5.1.8.1)

¹

कमेटी आफ स्पानसरिंग आर्गनाइजेशंस आफ दी नेशनल कमीशन ऑन फ्राड्यूलेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑर दी ट्रुवे कमीशन

5.1.1 प्रस्तावना

पशुपालन विभाग का मुख्य कार्य पशुधन का संरक्षण एवं अभिवृद्धि, पशुरोगों की रोकथाम एवं उनका उपचार, पशुचिकित्सा अनुसंधान, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षण, चारा विकास एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग प्रमुख सचिव (पशुपालन) के प्रशासनिक नियंत्रण में है एवं संचालक के सहयोग के लिए संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक(सं.सं.प.से.), उप संचालक (उ.सं.प.से.) और तीन संयुक्त संचालक, 13 उप संचालक जिला स्तर पर और 208 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ चिकित्सालय में कार्यरत है।

5.1.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

आन्तरिक नियंत्रण की समीक्षा छत्तीसगढ़, राज्य वित्तीय संहिता, बजट संहिता के निर्देश, प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली/राज्य कोषालय संहिता एवं संविधीत लेखा निर्देशों के अनुसरण को सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त सूचना प्रबंधन संचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा परीक्षण किया गया। आंतरिक नियंत्रण कार्यकलाप का अभिप्राय प्रबंधन के संचालन को प्रभावशील बनाना तथा कुछ योजनाओं में उद्देश्य को सुनिश्चित करना, कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन, निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के क्रियाकलाप एवं टीका का प्रदाय एवं वितरण का पर्यवेक्षण करना था।

5.1.4 लेखा परीक्षा समावेशन

वर्ष 2002 से 2007 की अवधि हेतु समीक्षा जनवरी 2007 से जून 2007 के मध्य निष्पादित हुई जिसमें विभाग संचालनालय, दो संयुक्त संचालक², चार उपसंचालक³ तथा दो ब्लॉक चिकित्सालय⁴ के अभिलेखों की नमूना जाँच हुई।

5.1.5 राज्य वित्तीय संहिता एवं बजट नियमावली के दिशा निर्देशों का अनुसरण

जाँच में पाया गया कि बजट एवं व्यय पर अप्रभावशील/दोषपूर्ण नियंत्रण के कारण विभिन्न योजना शीर्षों में निरंतर बचत, अनावश्यक पूरक प्रावधान, व्यय की अधिकता, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना, जिसका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

5.1.5.1 बजटीय नियंत्रण प्रणाली

प्रारंभिक अनुमान एवं अनुदानों के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण तथा उनके निराकरण की उत्तरदायित्व विभाग की होती है।

संचालनालय (संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं) के अभिलेखों की जांच में व्यय-नियंत्रण पंजी का संधारण न होना पाया गया। तदनुसार, विभाग पिछले 12 महीनों के

बजट प्राक्कलनों का निर्धारण पिछले वर्ष के व्यय को ध्यान में न रखकर करने से योजना शीर्षों में ज्यादा बचत होना

² बिलासपुर एवं जगदलपुर

³ अंजोरा कृषि प्रक्षेत्र, दंतेवाड़ा, दुर्ग व कांकेर

⁴ बालोद एवं पाटन

वास्तविक व्यय के आधार पर मांग संख्या 14,41,64,67,71,80 एवं 82 के लिए वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक के बजट प्राक्कलन तैयार करने में असमर्थ रहा।

बजटीय क्रियाएं तदर्थ रही तथा प्राक्कलनों के निर्धारण पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के 5 से 15 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर किया गया। चूंकि पिछले वर्ष में बचत रही, जिसके परिणाम स्वरूप आधिक्य प्राक्कलन एवं बचत गैर योजनागत के लिए 0.55 से 7.33 प्रतिशत तथा योजनागत के लिए 19.92 से 49.27 प्रतिशत तक रही, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

| वर्ष | गैर योजनागत | | | ऑवटन के विरुद्ध बचत का प्रतिशत | योजनागत | | | |
|---------|-------------|---------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------------------|
| | ऑवटन | व्यय | आधिक्य/बचत (+)(-) | | ऑवटन | व्यय | आधिक्य/बचत (+)(-) | ऑवटन के विरुद्ध बचत का प्रतिशत |
| 2002-03 | 4092.4 | 3859.20 | (-) 233.20 | 5.70 | 2325.1 | 1861.71 | (-)463.30 | 19.92 |
| 2003-04 | 4430.12 | 4105.23 | (-) 324.89 | 7.33 | 2592.81 | 1812.63 | (-)780.18 | 30.09 |
| 2004-05 | 5258.66 | 4904.72 | (-) 353.94 | 6.73 | 5308.27 | 2692.68 | (-)2615.59 | 49.27 |
| 2005-06 | 5112.14 | 5083.84 | (-) 28.30 | 0.55 | 5690.85 | 3709.27 | (-)1981.58 | 34.82 |
| 2006-07 | 5556.82 | 5396.10 | (-) 160.72 | 2.90 | 8076.05 | 6335.09 | (-)1740.96 | 21.55 |

यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन की प्रक्रिया अवास्तविक थी तथा इसके निर्धारण में वित्तीय नियमों तथा विद्यमान रीतियों का अनुसरण नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर संचालक ने बताया (अप्रैल 2007) कि बचत/आधिक्य के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

5.1.5.2 निधियों का सिविल जमा में स्थानांतरण

राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए रु.4.74 करोड़ का आहरण कर सिविल जमा के अंतर्गत रखना।

वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि कोषालय से कोई धन राशि तब तक आहरित नहीं की जावे जब तक कि उसके तुरन्त संवितरण की आवश्यकता न हो। परंतु तीन प्रकरणों में यह देखा गया कि 4.74 करोड़ रुपये वर्ष 2002-03 से 2003-04 अवधि में आहरित किए गए तथा व्यपगत होने से बचाने के लिए सिविल जमा के अन्तर्गत रखे गए थे।

यह इंगित किया जाने पर संचालक ने उत्तर दिया (अप्रैल 2007) की निधियों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष के अंत में हुई थी, इसलिए उनका उपयोग अगले वर्षों में किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि 88 प्रतिशत निधियाँ जुलाई 2002 (2002-03 के लिए) तथा 100 प्रतिशत निधियाँ सितम्बर 2003 (2003-04 के लिए) में प्राप्त हुई थी।

5.1.5.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

रु.14.62 करोड़ का अनुपूरक प्रावधानों का अनावश्यक होना।

विनियोग लेखों की जांच में पाया गया कि अनुदान क्र. 14 (मुख्य शीर्ष 2403) में यद्यपि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम थे फिर भी पूरक अनुदान प्रदान किए गए जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | मूल प्रावधान | वास्तविक व्यय | पूरक अनुदान |
|---------|--------------|---------------|-------------|
| 2003-04 | 55.95 | 48.84 | 3.00 |
| 2004-05 | 62.09 | 58.93 | 7.30 |
| 2005-06 | 75.07 | 60.60 | 0.65 |
| 2006-07 | 73.49 | 64.93 | 3.67 |

यह इंगित किए जाने पर संचालक ने बताया (मार्च 2007) कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी की मांग के अनुरूप ही अनुदान प्रदाय किया गया, परंतु उसका उपयोग वर्षांत तक नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। नियंत्रण पंजी के अभाव में विभाग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की मांगों का विश्लेषण करने में असमर्थ था, जिससे अनावश्यक पूरक अनुदान हुई।

5.1.5.4 व्यय की अधिकता

मार्च माह के व्ययों पर अपर्याप्त नियंत्रण होना।

सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की एकरूपता होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय की अधिकता से व्यय पर उचित नियंत्रण संभव नहीं होता जिससे सरकार को धन का उचित मूल्य प्राप्त न होने की आशंका बनी रहती है। यह अवलोकन किया गया कि वर्ष 2002 से 2007 (परिशिष्ट 5.1) तक की अवधि में कुल वार्षिक व्यय के विरुद्ध मार्च माह में व्यय 19 से 48 प्रतिशत तक था एवं 84 योजनाओं में से 25 योजनाओं में मार्च माह में ही व्यय किया गया था।

उत्तर में संचालक (पशु चिकित्सा सेवाएं) ने बताया (अप्रैल 2007) कि माहवार व्यय में एकरूपता रखना संभव नहीं है। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता कि जब एक वर्ष में मार्च माह के व्यय को 19 प्रतिशत तक रखना संभव था अन्य वर्षों में इसमें 48 प्रतिशत तक वृद्धि क्यों रही तथा अनुदान संख्या 14 में यह वृद्धि अत्यधिक थी। यह दर्शाता है कि बजट नियंत्रण पंजी का संधारण न होने से तथा अनुचित योजना के कारण वर्षांत में अत्याधिक व्यय हुआ।

5.1.5.5 व्यय का पुनर्मिलान न होना

विभागीय व्ययों एवं महालेखाकार द्वारा तैयार किए गए व्यय आंकड़ों का पुनर्मिलान न होना।

सामान्य वित्तीय नियमों में प्रावधानित हैं कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं में कोषालय से आहरण एवं प्रेषण का सही चित्रण सुनिश्चित किए जाने के लिए विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा दर्ज व्यय के आंकड़ों के साथ समय पर मिलान किया जाना आवश्यक था। कपटपूर्ण आहरणों एवं व्यपवर्तनों के विरुद्ध यह एक प्रमुख नियंत्रण था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि में पुनर्मिलान नहीं किया था एवं छः मांगों में 4.04 करोड़ रुपये का अंतर पाया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

उत्तर में संचालक ने बताया (अप्रैल 2007) कि कर्मचारियों के अभाव के कारण पुनर्मिलान नहीं कराया जा सका।

5.1.5.6 अग्रिमों का समायोजन/वसूली न होना

(i) अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

11.83 लाख रुपये के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना।

नियमानुसार अस्थाई अग्रिमों को तीन माह के अंदर समायोजित किया जाना चाहिए। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं दंतेवाड़ा की रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अस्थाई अग्रिमों के रूप में 11.83 लाख रुपये नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा आहरित किए गए थे जिनका समायोजन अभी तक नहीं किया गया था।

उप संचालक, दंतेवाड़ा ने उत्तर में बताया (फरवरी 2007) कि संबंधित कर्मचारियों से देयको की प्राप्ति अपेक्षित हैं एवं प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) अग्रिमों की वसूली न होना

पशुपालन विभाग एवं जे. के. ट्रस्ट के मध्य मई 2003, में निष्पादित अनुबंध के अनुसार, जे. के. ट्रस्ट को वर्ष 2003-04 से 2005-06 के मध्य 2.07 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रदाय किया गया। ट्रस्ट द्वारा 200 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों में वत्सोत्पादन का कार्य करना था एवं प्रति उत्पादित वत्स का 3,214.29 रुपये की दर से अग्रिम से समायोजित किया जाना था। अवलोकन में यह पाया गया कि जनवरी 2007 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जनवरी 2007) ₹. 1.22 करोड़ का समायोजन मार्च 2007 में किया गया।

5.1.5.7 रुपये 5.13 लाख की शुल्क की वसूली न होना

"रोगी पशु कल्याण समिति" का गठन फरवरी 1999 में म.प्र.सरकार द्वारा किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक टीकाकरण (एच.एस., एफ.एम.डी.बी.क्यू.) पर ₹. 1 की दर से शुल्क वसूला जाएगा। उपसंचालक, दुर्ग के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2003-07 के दौरान 22 विकासखंडों द्वारा टीकाकरण शुल्क का ₹. 5.13 लाख की वसूली नहीं की गई। (परिशिष्ट 5.3) लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपसंचालक दुर्ग ने बताया (जून 2007) कि सभी विकासखंडों को वसूली के लिए निर्देश दिये गये थे।

दुर्ग के सभी 22 विकास खण्डों द्वारा रोगी पशु कल्याण समिति की ओर 5.13 लाख रुपये का शुल्क वसूल न किया जाना।

5.1.6- राज्य कोषालय नियमावली / प्राप्तियां एवं भुगतान नियमावली का अनुसरण

जांच में पाया गया कि रोकड़ पुस्तक तथा भुगतान पंजियों के संधारण में निहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। इन अनियमितताओं से धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, इसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार है -

5.1.6.1 रोकड़ पुस्तक का संधारण

सात जिलों⁵/इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कुछ कार्यालयों द्वारा रोकड़ पुस्तक के संधारण में कोषालय नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था।

रोकड़ पुस्तकों के संधारण में त्रुटियां।

(i) रोकड़ पुस्तक में की गई प्रविष्टियों की जांच रोकड़ पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। परंतु दंतेवाड़ा में 60 माह की जांच में से 37 माह में ऐसा नहीं किया गया।

(ii) रोकड़ पुस्तक के योग की जांच एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग एवं अंजोरा फार्म में 60 माह की जांच में क्रमशः 44, 58, 23 व 14 माहों में यह नहीं होना पाया गया था।

⁵ संचालनालय रायपुर, (सं.सं.प.से.) जगदलपुर एवं बिलासपुर, (उ.स.प.से.) दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग और अंजोरा

- (iii) प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन तथा सत्यता प्रमाणपत्र, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। 60 माहों की जाँच में पाया गया कि रायपुर (संचालनालय) में 57 माह, दंतेवाड़ा में 33 माह, कांकेर में 57 माह, दुर्ग में 26 माह तथा बिलासपुर में 48 माह में यह नहीं किया गया था।
- (iv) प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर रोकड़ शेष का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। परंतु जांच किए गए 60 माह में दंतेवाड़ा में 12 माह, कांकेर में 22 माह, बिलासपुर में 43 माह तथा अंजोरा फार्म में 13 माह में यह नहीं किया गया था।

जांच में यह भी पाया गया कि कोषालयों से आहरण एवं प्रेषण का पुनर्मिलान सभी सात आहरण एवं अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। कार्यालय के रोकड़ियों तथा भण्डारक से सुरक्षा प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं की गईं। इस प्रकार महत्वपूर्ण नियंत्रणों की उपेक्षा की गई है।

5.1.6.2 पावती का प्राप्त न होना

दंतेवाड़ा में अभिलेखों की नमूना जांच में यह अवलोकित किया गया कि बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण माह अक्टूबर 2004 से फरवरी 2007 के दौरान नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि 42.66 लाख रुपये का भुगतान म.प्र.पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 की अवधि में किया गया। परंतु बैंक ड्राफ्ट की पावती अप्राप्त रही।

इंगित करने पर उपसंचालक दंतेवाड़ा ने उत्तर दिया कि बैंक ड्राफ्ट पंजी को अद्यतन किया जावेगा तथा पावती की प्राप्तियों के लिए पत्राचार किया जा रहा था।

5.1.7 आंतरिक गतिविधि सह स्कंध नियंत्रण

5.1.7.1 कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वत्सोत्पादन

कृत्रिम गर्भाधान के मापदंडों के अनुसार वत्सोत्पादन कृत्रिम गर्भाधान का 30 प्रतिशत होना चाहिए। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तीन जिलों⁶ में इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया जबकि बिलासपुर तथा दुर्ग में सभी वर्षों में कमी दर्ज की गई। यह अवलोकन किया गया कि पाटन एवं बालोद पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वत्सोत्पादन कम रहा क्योंकि अनुपयोगी माइक्रोस्कोप के कारण मृत सीमन का निर्धारण नहीं किया गया तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात किये जाने वाले परीक्षण अपर्याप्त थे।

यह इंगित किए जाने पर संचालक ने बताया (मई 2007) कि ग्रामीणों में जागरूकता की कमी, उपयोग में लाये गये स्ट्रू की गुणवत्ता तथा कृत्रिम गर्भाधान के बाद समुचित देखभाल न होने से कृत्रिम गर्भाधान की सफलता विरोधात्मक रूप से प्रभावित हुई।

अप्रभावकारी कार्यपालन नियंत्रण के कारण कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वत्सोत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न होना।

⁶ जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर

5.1.7.2 प्राथमिक पशु चिकित्सालय इकाई की स्थापना

अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा के कारण पशुधन के स्वास्थ्य की देखरेख सुनिश्चित न होना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसार वर्ष 2001 तक प्रति 5,000 पशु इकाइयों पर एक प्राथमिक पशु चिकित्सालय (प्रा.प.चि.) होना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रदेश की कुल 1.34 करोड़ (गणना 2003) पशु इकाइयों के लिए 1,522 प्रा.प.चि.से जिनमें चिकित्सालय, औषधालय, चलित इकाई तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र शामिल थे। इस प्रकार प्रति 8,865 पशु इकाईपर एक प्राथमिक पशु चिकित्सालय था। यह भी पाया गया कि दंतेवाड़ा तथा कवर्धा जिलों में प्रति 17,000 पशु इकाई पर एक प्राथमिक पशु चिकित्सालय था, यह निर्धारित मापदण्ड से अत्यधिक कम था।

यह दर्शाता है कि पशु चिकित्सालयों पर अत्यधिक दबाव होने के कारण पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

इंगित करने पर सह-संचालक ने बताया (मई 2007) कि म.प्र.सरकार (फरवरी 1999) द्वारा नए पशु चिकित्सालयों की स्थापना न करने का निर्णय लिया गया था जिसका अनुपालन छ.ग. शासन द्वारा भी किया गया।

उत्तर में यह नहीं बताया गया कि पर्याप्त प्राथमिक पशु चिकित्सालयों के अभाव में पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार सुनिश्चित की गई।

5.1.7.3 स्ट्रा की खपत पर पर्यवेक्षण न होना

मापदंड के अभाव में स्ट्रा का अत्यधिक नष्ट होना।

स्ट्रा एक प्लास्टिक की नलिका है जिसमें 0.26 से 0.50 मि.ली. हिमिकृत वीर्य तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है तथा स्ट्रा को हटा दिया जाता है। नमूना जांच में यह पाया गया कि जगदलपुर में वर्ष 2002-03 में 41 प्रतिशत तक उपयोगित स्ट्रा नष्ट⁷ हो गया था। संचालनालय ने स्ट्रा के उपयोग से नष्ट होने वाले स्ट्रा में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए। नष्ट होने वाले स्ट्रा में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए इसका मापदण्ड निर्धारण किया जाना चाहिए।

5.1.7.4 भण्डारों का भौतिक सत्यापन

रायपुर (संचालनालय), दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग तथा बिलासपुर में वर्ष 2005-06 में स्कंध एवं भंडार लेखा संधारित नहीं किए गए जिससे चोरी की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि कमी/अधिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

इंगित किए जाने पर बताया गया (फरवरी 2007) कि लेखाओं का संधारण कर लिया जायेगा।

पुनः पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, अंजोरा में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 तक भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

⁷
$$\frac{\text{नष्ट हुए स्ट्रा} = \text{स्ट्रा प्रदाय} - \text{कृत्रिम गर्भाधान}}{\text{स्ट्रा प्रदाय}} \times 100$$

यह इंगित करने पर उप संचालक ने बताया (जून 2007) कि संचालनालय, रायपुर द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए किसी दल का गठन नहीं किया। अतः भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5.1.8 अनुश्रवण सह आंतरिक लेखा परीक्षा

अनुश्रवण

5.1.8.1 टीका प्रदाय एवं प्राप्ति में भिन्नता

टीकों के प्रदाय एवं उपयोग में अनुश्रवण न होना।

चिकित्सालय (बालोद व पाटन) तथा उप संचालक, दुर्ग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, दुर्ग द्वारा 2,65,000 टीकों (एच.एस., बी.क्यू.एंथ्रेक्स) का प्रदाय किया गया जबकि उपरोक्त दोनों चिकित्सालयों द्वारा कुल 2,78,400 टीकों को प्राप्त किया गया। पुनः टीकों के उपयोग में भिन्नता पाई गई। उपसंचालक दुर्ग को कुल 2,04,517 टीकों की संख्या बताई गई, जबकि संचालक रायपुर को यह संख्या 1,98,683 बताई गई, जिसे **परिशिष्ट 5.4** में दर्शाया गया है।

उत्तर में उपसंचालक दुर्ग ने बताया (जून 2007) कि लिपिकीय कर्मचारियों के अभाव में उपरोक्त भिन्नता पाई गई। तथापि, आंकड़ों का पुनर्मिलान कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जावेगा।

5.1.8.2 निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों का अनुश्रवण न करना

विभाग द्वारा निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर अनुश्रवण करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने तथा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गायों में प्रजनन क्षमता विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2005-06 में निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता की स्थापना करने हेतु एक योजना बनाई। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन माह के प्रशिक्षण एवं आवश्यक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। पशु पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत 300 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व किट प्रदाय हेतु वर्ष 2005-06 में 20.43 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

पाँच जिलों⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि जिला स्तर पर इन कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर अनुश्रवण नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखा परीक्षा

5.1.8.3 आंतरिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा कार्ययोजना का न होना।

आंतरिक लेखा परीक्षा विभागीय नियमों एवं कार्यविधि के अनुसरण स्तर की देखरेख व मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्ष 2002-03 में एक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं दो लेखा परीक्षकों के पद स्वीकृत किए गए, परंतु वे सभी पद मार्च 2007 तक रिक्त थे। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षा

⁸ जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर

कार्य अन्य कर्मचारियों द्वारा निर्मित दलों द्वारा किया गया। इनके द्वारा 18 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 152 कंडिकाएं शामिल हैं, जारी किया गया था।

विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं किया था। वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक आंतरिक लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर अनुसरण निरंक रहा। विभाग के पास न तो कोई लेखापरीक्षा कार्य योजना थी न ही लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों एवं लेखापरीक्षा की समयावधि से संबंधित कोई पंजी का संधारण किया गया था।

5.1.8.4 महालेखाकार निरीक्षण पर लंबित कंडिकाएं

31 दिसंबर 2006 तक कुल सात निरीक्षण प्रतिवेदनों⁹ के 49 कंडिकाओं में से 35 कंडिकायें निराकरण के लिए लंबित थीं।

अनुसंशाएं-

- प्रभावशाली बजट नियंत्रण के लिए व्यय नियंत्रण पंजी का संधारण किया जाना चाहिए।
- रोकड़ पुस्तक के संधारण करते समय प्रावधानों का संहतीय कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।
- उपयोग में लाये गये स्ट्रा के नष्ट होने से संबंधित मापदण्डों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- स्कंध एवं भंडार का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
- आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

⁹ संचालनालय रायपुर (स.सं.प.से.) जगदलपुर एवं बिलासपुर (उ.सं.प.से.) दतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग और अंजोरा

छठवाँ अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

6.1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2006 को सात सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) की तुलना में 31 मार्च 2007 को आठ सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित), कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाये अनुसार है:

| क्र. सं. | निगम का नाम | भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए प्राधिकार | लेखा परीक्षा व्यवस्था |
|----------|--|---|--|
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी.एस.ई.बी.) | विद्युत प्रदाय (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के नियम 14 सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 (2) (डी) के अंतर्गत | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम | राज्य भण्डार गृह निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8) | चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा |

इसके अलावा, राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) का गठन किया (अक्टूबर 2001) जिसकी लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम (पी.एस.यू)

6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में निवेश

क्रमशः मार्च 2006 एवं मार्च 2007 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के नौ कार्यरत उपक्रमों (सात सरकारी कम्पनियों और दो सांविधिक निगम) एवं दस कार्यरत उपक्रमों (आठ सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम) में कुल निवेश¹ निम्नानुसार था:

¹ वित्त लेखों के साथ आँकड़ों का मिलान लम्बित है।

(करोड़ रुपये में)


| वर्ष | कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | | | |
|---------|---|---|----------------|---------|----------------------|
| | | अंश पूंजी | अंश परायणता धन | ऋण | योग |
| 2005-06 | 9 | 39.01 | - | 958.71 | 997.72 |
| 2006-07 | 10 | 39.01 | 4.00 | 2277.16 | 2320.17 ² |

कार्यरत सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2006 के 3.91 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 96.09 प्रतिशत के ऋण रूपी कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2007 को कुल निवेश क्रमशः 1.85 प्रतिशत एवं 98.15 प्रतिशत था।


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्न कंडिकाओं में दिया गया है:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

मार्च 2006 एवं 2007 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण) और इनका प्रतिशत निम्न पाई चार्टों में दर्शाया गया है:



² सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 964.23 करोड़ रुपये था (अंश पूंजी, अंश परायणता धन एवं ऋण का योग)



6.1.3 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | कम्पनियों की संख्या | कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेश | | | |
|---------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | | अंश पूंजी | अंश परायणता धन | ऋण | योग |
| 2005-06 | 7 | 14.89 | - | 12.00 | 26.89 |
| 2006-07 | 8 | 14.89 | 4.00 | 37.12 | 56.01 |

इन सरकारी कम्पनियों में शासकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति का अंश पूंजी और ऋण के रूप में ब्यौरा **परिशिष्ट 6.1** में विवरण दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2006 को 55.37 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 44.63 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2007 को कुल निवेश क्रमशः 33.73 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत था।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में दो कार्यरत सांविधिक निगमों में निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

| निगम का नाम | 2005-06 | | 2006-07 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| | पूँजी | ऋण | पूँजी | ऋण |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | 23.12 | 946.71 | 23.12 ³ | 2240.04 |
| छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम | 1.00 | निरंक | 1.00 | निरंक |
| योग | 24.12 | 946.71 | 24.12 | 2240.04 |

कार्यरत सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2006 के 2.48 प्रतिशत अंश पूँजी स्वरूप एवं 97.52 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2007 को कुल निवेश 1.07 प्रतिशत एवं 98.93 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंश पूँजी और ऋण के रूप में निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

6.1.5 बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारंटियाँ, देयताओं की माफी और ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारंटियाँ, देयताओं की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन संबंधी विवरण **परिशिष्ट 6.1 तथा 6.3** में दिए गए हैं।

2006-07 तक तीन वर्षों के लिए अंश पूँजी तथा ऋणों के रूप में बजटीय व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को अनुदान/सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

| | 2004-05 | | | | 2005-06 | | | | 2006-07 | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | कम्पनियों | | निगम | | कम्पनियों | | निगम | | कम्पनियों | | निगम | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| बजट से अंशपूँजी व्यय बजट से दिए गए ऋण | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | -- | -- | 1 | 1.00 | - | - |
| अन्य अनुदान/सहायता | - | - | 1 | 47.28 | 1 | 11.00 | - | - | 1 | 5.00 | - | - |
| कुल निगम | 2 | 40.84 | 1 | 75.46 | 5 | 59.72 | 1 | 129.79 | 5 | 148.45 | 1 | 538.63 |
| बजट से अंशपूँजी व्यय बजट से दिए गए ऋण | 3⁴ | 41.84 | 1⁴ | 122.74 | 5⁴ | 71.22 | 1⁴ | 129.79 | 5⁴ | 154.45 | 1⁴ | 538.63 |

वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने एक सरकारी कम्पनी⁵ (1.32 करोड़ रुपये) तथा एक सांविधिक निगम⁶ (325.16 करोड़ रुपये) द्वारा लिए गये कुल 326.48 करोड़ रुपये

³ ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 4.11.2004 के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की अवितरित अंश पूँजी 14.4.2001 को 2311.50 लाख रुपये थी जिसे अस्थायी रूप से अंश पूँजी का सम्पत्ति पर अनुपात में 2311.50 लाख रुपये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को प्रभाजित किया।

⁴ ये उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्हें वर्ष के दौरान, अंश पूँजी, ऋण, अनुदान और सहायता के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

⁵ छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम।

⁶ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल।

के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अंत में एक सरकारी कम्पनी⁷ (1.81 करोड़ रुपये) तथा एक सांविधिक निगम⁸ (222.89 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 224.70 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। एक कम्पनी द्वारा 2006-07 के दौरान राज्य सरकार को देय/दत्त प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन 1.25 लाख रुपये था।

6.1.6 पी.एस.यू. द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619(ब) सहपठित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सरकारी कम्पनियों के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अन्तिम रूप से बनाये जाने आवश्यक है। इन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अन्दर विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाना है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में इनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जाता है, इनका लेखापरीक्षण किया जाता है तथा इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

आठ सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों में से किसी भी कम्पनी द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए अपने लेखों को 30 सितम्बर 2007 तक अन्तिम रूप नहीं दिया। अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान चार कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम ने पूर्व वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2007 को समस्त कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से पांच वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

| क्र.सं. | कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या | | अवधि जबसे लेखे बकाया हैं | वर्षों की संख्या जब से लेखे बकाया हैं | परिशिष्ट 6.2 के क्रम संख्या का संदर्भ | |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | सरकारी कम्पनियां | सांविधिक निगम | | | सरकारी कम्पनियां | सांविधिक निगम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 1 | - | 2002-03 से 2006-07 | 5 | अ-6 | -निरंक- |
| 2. | 1 | 2 | 2003-04 से 2006-07 | 4 | अ-3 | ब-1,2 |
| 3. | 2 | - | 2004-05 से 2006-07 | 3 | अ-4,5 | निरंक |
| 4. | 3 | - | 2005-06 से 2006-07 | 2 | अ-1,7,8, | निरंक |
| 5. | 1 | - | 2006-07 | 1 | अ-2 | निरंक |
| | 8 | 2 | | | | |

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पी.एस.यू. द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण और अंगीकृत कर लिए गए हैं। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में जानकारी दी गई थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पी.एस.यू. के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

⁷ छत्तीसगढ़ निःशुक्त जन वित्त एवं विकास निगम।

⁸ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल।

6.1.7 कार्यरत पी.एस.यू.की वित्तीय स्थितियाँ और कार्य संचालन परिणाम

अद्यतन अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पी.एस.यू. (सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट 6.2** में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार कार्यरत तीन⁹ सरकारी कम्पनियों ने 11.62 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई तथा चार सरकारी कम्पनियों¹⁰ एवं दो सांविधिक निगमों¹¹ ने क्रमशः 4.81 करोड़ रुपये तथा 144.29 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अपनी प्रथम लेखा अंतिम रूप नहीं दिए हैं।

6.1.8 सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति

वर्ष 2001-02 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रबंध को निर्गत किया (दिसम्बर 2006) जो कि विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है (सितम्बर 2007)। वर्ष 2002-03 का एस.ए.आर.प्रक्रियाधीन है।

6.1.9 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन (अक्टूबर 2001) पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अधीन इन उद्देश्यों के साथ किया गया कि राज्य में विद्युत दर निर्धारण, विद्युत उत्पादन पारिषण एवं वितरण सम्बन्धी मामलों में सलाह किया जा सके। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति को लेकर दो सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने अपने लेखे वर्ष 2005-06 तक का पूर्ण कर लिए हैं। आयोग ने 2006-07 के दौरान दो टैरिफ आदेश जारी किए हैं।

6.1.10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पी.एस.यू.के लेखों की, की गई लेखा परीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 की अवधि के दौरान तीन सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के लेखे लेखापरीक्षा हेतु चयन किए गए। पी.एस.यू.की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

⁹ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

¹⁰ छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम।

¹¹ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम।

| विवरण | सरकारी कम्पनियाँ | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| | लेखों की संख्या | राशि (लाख रुपये में) |
| लाभ में वृद्धि | 1 | 513.00 |
| लाभ में कमी | 1 | 3.50 |
| महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना | 1 | 19.98 |

वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गई है:

6.1.11 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2005-06)

पुनर्जन्म आधिक्य (फसलों की बिक्री दर्शाता है) का पुनर्जन्म व्यय के साथ निवल (नेटिंग) करने में कम्पनी के विद्यमान नीति से भिन्नता के परिणाम स्वरूप 5.13 करोड़ रुपये से स्कंध एवं लाभ को वर्ष के लिए कम दिखाया गया।

6.1.12 छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम लिमिटेड (2004-05)

व्ययों के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 3.50 लाख रुपये से चल दायित्व को कम दिखाया गया तथा उसी राशि से लाभ को अधिक दिखाया गया है।

6.1.13 सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा वाणिज्यिक अध्याय पर चर्चा की स्थिति

सितम्बर 2007 तक कोपू में चर्चा की गई समीक्षाओं/कण्डिकाओं एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक अध्याय) की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित समीक्षाओं एवं कण्डिकाओं की संख्या | चर्चा की गई कण्डिकाओं की संख्या |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 1999-2000 | 5 ¹² | 4 |
| 2000-01 | 7 ¹³ | 7 |
| 2001-02 | 2 | 1 |
| 2002-03 | 7 | 2 |
| 2003-04 | 8 | -- |
| 2004-05 | 3 | 3 |
| 2005-06 | 6 ¹⁴ | - |

6.1.14 619 - ब कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 -ब के अंतर्गत तीन मानी गयी सरकारी कम्पनियाँ (सभी कार्यरत) आती थी। **परिशिष्ट 6.4**, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार समता अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों के माध्यम से निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

¹² मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की दो समीक्षाओं से संबंधित।

¹³ मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की एक समीक्षा से संबंधित।

¹⁴ छत्तीसगढ़ सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की एक समीक्षा सहित।

6.1.15 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई आपत्तियां, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हुआ, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रमुखों द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर छः सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मार्च 2007 तक आठ पी.एस.यू. के संबंध में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में सितम्बर 2007 के अंत तक 484 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1208 कंडिकाएँ लम्बित थीं। इनमें से 1142 कंडिकाओं वाले 468 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं दिए गए थे। 30 सितम्बर 2007 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 6.5** में दिया गया है।

इसी प्रकार पी.एस.यू. की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएँ, तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्पणियाँ, छः सप्ताह में भेजने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा अग्रेषित की जाती हैं। पाँच प्रारूप कंडिकाएँ तथा एक समीक्षा दो विभागों नामशः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (एक कंडिका) तथा ऊर्जा विभाग (चार कंडिकाएँ एवं एक समीक्षा) को अप्रैल एवं सितम्बर 2007 के दौरान अग्रेषित की गई थी, दो कंडिकाएँ (खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक कंडिका तथा ऊर्जा विभाग का एक कंडिका) तथा समीक्षा (ऊर्जा विभाग) का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2007)।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन यह सुनिश्चित करे कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजने में असफल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रक्रिया विद्यमान है, (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की गई है और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

6.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा समीक्षा।

मुख्यांश

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में कमी के वजह से परियोजना निरूपण एवं नियोजन प्रभावी नहीं था। छः त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम योजनाओं में से कोई भी पूर्ण नहीं हुआ, यद्यपि पूर्ण होने की अनुसूचित समयावधि फरवरी 2004 एवं नवम्बर 2005 था। जगदलपुर शहर योजना इसके स्वीकृत होने के दो वर्ष बाद भी शुरू नहीं हुआ था।

(कंडिकार्यें 6.2.12, 6.2.15 एवं 6.2.16)

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करके विहित स्तर 15 प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया था। परियोजना लागत 350 करोड़ रुपये में से 195.13 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी वर्ष 2006-07 के दौरान हानियाँ 15.65 प्रतिशत से 47.66 प्रतिशत की बीच रहा।

(कंडिका 6.2.21)

निरंतर उच्च दर पर फीडर टिपिंग एवं वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

(कंडिकार्यें 6.2.26 एवं 6.2.28)

राज्य सरकार से मण्डल को निधि हस्तांतरण करने 12 माह तक की विलंब। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 40.99 करोड़ रुपये की निधि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मार्गदर्शिका के प्रतिकूल रोक लिया।

(कंडिका 6.2.8)

वितरण ट्रांसफार्मर तथा उपभोक्ता के मीटरीकृत की धीमी गति होने के कारण अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा अप्रभावी रहा।

(कंडिका 6.2.22)

6.2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.ओ.पी.) तथा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम ओ पी के सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये (मई 2000)। राज्य निर्माण पश्चात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एम ओ यू अंगीकृत किया गया (नवम्बर 2000)।

विशिष्ट योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से उपपारेषण, वितरण जालतंत्र के उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकृत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एम ओ पी ने त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) की शुरुआत की (फरवरी 2001) ए पी डी पी को नया नाम त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) दिया गया (2002-03)।

ए पी डी आर पी का मुख्य उद्देश्य है समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी व सी) हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत करना, ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना, उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करना, प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) तथा कम्प्यूटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली अवधारणा को अंगीकृत करना। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के नौ: योजनाएं¹ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वीकृत किया (अगस्त 2002 एवं दिसम्बर 2006)।

अंततः सात योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने एम ओ पी के साथ समझौता ज्ञापन किया (अक्टूबर /दिसम्बर 2002 एवं जून 2006)। दो योजनाओं (अंबिकापुर एवं रायगढ़) के संबंध एम ओ यू अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं (सितम्बर 2007)। मण्डल द्वारा छः योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया जिसमें 195.13 करोड़ रुपये व्यय हुआ (मार्च 2007)। छत्तीसगढ़ में ए.पी.डी.आर.पी.योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एम ओ पी ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) को सलाहकार/सम्मति देने वाला (ए सी सी) नियुक्त किया (दिसम्बर 2001)

मण्डल का प्रमुख सभापति है जिसकी सहायता चार सदस्यों (उत्पादन, उत्पादन परियोजनाएं,पारेषण एवं वितरण तथा वित्त) तथा सचिव करते हैं। ए पी डी आर पी का क्रियान्वयन मुख्य अभियंता (संचारण एवं संधारण) रायपुर के कार्यालय में स्थापित ए पी डी आर पी कक्ष द्वारा किया जाता है। एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी (ए पी डी आर पी) के रूप में नियुक्त किए हैं। कार्यपालन अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की सहायता से अपने संबंधित वृत्तों में ए पी डी आर पी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अधीक्षण अभियंताओं (संचारण एवं संधारण) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है।

6.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान ए पी डी आर पी के क्रियान्वयन को मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन समीक्षा की गई थी (मार्च -मई 2007) तथा बिना प्रतिस्थापन वाले सरल निदर्शन विधि से छः योजनाओं² में से चार³ का चयन विस्तृत अध्ययन के लिए किया गया था।

¹ अगस्त 2002 में तीन वृत्त योजनाएं बिलासपुर, रायपुर एवं राजनांदगांव वृत्त के लिए अनुमोदित किया, नवम्बर 2002 में तीन शहरी योजनाएं भिलाई शहर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर के लिए अनुमोदित किया गया, सितम्बर 2005 में जगदलपुर शहर योजना अनुमोदित तथा दो शहरी योजनाएं अंबिकापुर एवं रायगढ़ के लिए दिसम्बर 2006 में अनुमोदित किया।

¹ बिलासपुर, रायपुर तथा राजनांदगांव वृत्तों, भिलाई शहर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर।

¹ भिलाई शहर, दुर्ग शहर, रायपुर नगर एवं रायपुर वृत्त।

² बिलासपुर, रायपुर तथा राजनांदगांव वृत्तों, भिलाई शहर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर।

³ भिलाई शहर, दुर्ग शहर, रायपुर नगर एवं रायपुर वृत्त।

6.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

ए पी डी आर पी के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि :

- उपयुक्त नियोजन के साथ परियोजनाएं सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी, आशान्वित लाभ प्राप्ति की सुनिश्चितता हेतु ए पी डी आर पी का क्रियान्वयन समय अनुसूची के अनुसार किया गया था;
- एम ओ ए के वचनबद्धता के अनुसार लक्ष्यों की उपलब्धिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विद्यमान थी;
- उपलब्ध निधियों का उपयोग दक्षता, मितव्ययता एवं प्रभावी ढंग से किया गया था;
- एम ओ पी द्वारा निर्दिष्ट स्तर चिन्ह के अनुसार ए टी व सी हानियां घटायी गई थी;
- निविदा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शिता ढंग से संचालित किया गया था तथा प्रतियोगिता दरें सुनिश्चित की गई थी; और
- विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार हुआ जिससे उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि हुई है।

6.2.4 लेखापरीक्षण सिद्धांत

ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन का निर्धारण निम्न संदर्भों में किया गया:

- ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय (एम.ओ.पी.) द्वारा जारी मार्गदर्शिकायें;
- मंडल एवं एम ओ पी के मध्य हस्ताक्षरित एम ओ ए;
- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के परिवर्द्धन पर परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण हेतु एम ओ पी द्वारा जारी मार्गदर्शिकाएँ;
- ए पी डी आर पी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन; और
- विभिन्न निष्पादन मापदण्डों नामशः ए टी एंड सी क्षयो, ऊर्जा की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में एम ओ पी द्वारा दिसम्बर 2005 में अनुदेशों के माध्यम से विहित निर्दिष्ट स्तर चिन्ह मापदण्डों।

6.2.5 लेखापरीक्षण रीति

लेखापरीक्षण में निम्नलिखित रीतियों का पालन किया गया:

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की परीक्षण;
- एम ओ ए तथा एम ओ पी के मार्गदर्शिकाएं का परीक्षण;
- एम ओ पी की समीक्षा सभा के सूक्ष्म एवं ए पी डी आर पी की प्रगति प्रतिवेदन की संवीक्षा;
- विभिन्न निष्पादन सूचकों के साथ ही संबंधित सहायक अभिलेखों/ आँकड़ों के प्रतिवेदनों का विश्लेषण; और
- ए पी डी आर पी के लेनदेनों की लेखाकरण से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण।

6.2.6 लेखा परीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन समीक्षा के परिणाम, लेखा परीक्षा निष्कर्ष के रूप में प्रबंधन/शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए लेखा परीक्षा समिति (ए आर सी पी एस ई) की सभा में विचार विमर्श किया गया (1 अक्टूबर 2007), जिसमें राज्य शासन की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग तथा मण्डल की ओर से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) एवं सदस्य (वित्त) ने भाग लिया। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय प्रबंधन/शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई हैं।

6.2.7 वित्तीय प्रबंधन

एम ओ पी की मार्गदर्शिकाओं (जून 2003) के अनुसार ए पी डी आर पी के लिए 50 प्रतिशत कोष एम ओ पी द्वारा, (25 प्रतिशत) अनुदान तथा (25 प्रतिशत) ऋण राज्य शासन को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के संयोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत कोष की व्यवस्था राज्य विद्युत मंडल द्वारा, ऊर्जा वित्त निगम/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम या अन्य वित्तीय संस्थानों से काउंटर पार्ट कोष के रूप में की जाएगी। मंडल ने योजना की लागत का शेष 50 प्रतिशत आंतरिक स्रोतों से पूरा करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2002) एम ओ पी ने 159.21 करोड़ रु. (ऋण 79.60 करोड़ रु. तथा अनुदान 79.61 करोड़ रु.) कार्यान्वयन के विचारधीन छः परियोजनाओं के लिए निर्गमित किया (अप्रैल 2002 तथा मार्च 2005)।

6.2.8 राज्य शासन द्वारा कोष के स्थानांतरण में विलम्ब

एम ओ पी की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार राज्य शासन को एम ओ पी से ए पी डी आर पी कोष प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर मण्डल को स्थानांतरित करना है। ऐसा करने में विफल होना कोष के परिवर्तन के तुल्य है तथा संबंधित राशि पर 10 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित केन्द्रीय योजना सहायता की अगली किश्तों से वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन द्वारा कोष निगमन में 12 महीनों तक का विलंब का विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया:

मण्डल को ए पी डी आर पी कोष के निगमन में एक वर्ष के विलंब के अलावा राज्य शासन ने एम ओ पी के दिशा निर्देशों के विरुद्ध रु.40.99 करोड़ का समायोजन मण्डल के विभिन्न देयकों से किया

(राशि करोड़ रुपये में)

| राज्य शासन से प्राप्त कोष | | मण्डल को निर्गमित कोष | | विलंब महीनों में | राज्य शासन द्वारा राशि का समायोजन |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| प्राप्ति दिनांक | राशि | निर्गम दिनांक | राशि | | |
| 4.4.2002 | 10.00 | 25.7.2002 | 10.00 | 3½ | -- |
| 24.10.2003 | 43.07 | 21.3.2004 | 6.29 | 5 | 36.78 |
| 9.2.2005 | 106.14 | 31.3.2005 | 94.56 | 1½ | 4.21 |
| | | 17.3.2006 | <u>7.37</u> 101.93 | 12 | |
| एम ओ पी को 175 करोड़ रु निर्गमित करना था जो कि 50 प्रतिशत घटी हुई ए प डी आर पी परियोजना लागत 350 करोड़ रु का था । 15.79 करोड़ रु कार्य के 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर निर्गमित किया जाना था । | | 159.21 | 118.22 | | 40.99 |

स्रोत: एम.ओ.पी. तथा राज्य सरकार का अनुमोदन / स्वीकृत आदेश

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि न केवल कोष निर्गमन में विलंब किया गया बल्कि राज्य शासन द्वारा एम ओ पी द्वारा सहायता के रूप में देय राशि 40.99 करोड़ रु (36.78 करोड़ रु देय के संबध में मण्डल से तथा 4.21 करोड़ रु देय ए पी डी आर पी ऋण पर मूलधन तथा ब्याज के प्रति) का समायोजन किया गया । यह एम ओ पी के दिशा निर्देशों के विरुद्ध था । इतना ही नहीं; मण्डल को कोष निर्गमन पर विलंब के परिणामस्वरूप निम्नलिखित वित्तीय प्रभाव हुआ:

- कोष निर्गमन में विलंब के कारण एम ओ पी ने इसे कोष का परिवर्तन माना तथा संबधित राशि पर 10 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित अगली किश्त से वसूली योग्य माना।
- जैसा कि मण्डल ने कोष विलंब से प्राप्त किया अतः मंडल 9 से 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदायगी के लिए उत्तरदायी था , बावजूद इस तथ्य के कि मण्डल ने कोष का उपयोग नहीं किया।
- कोष निर्गमन में विलंब के कारण परियोजना का उद्देश्य प्रभावित हुए।

6.2.9 मण्डल द्वारा पृथक बैंक खाते का परिचालन नहीं किया गया

एम ओ ए के अनुसार मण्डल को किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोलना था । ए पी डी आर पी से प्राप्त कोष और/या इन उद्देश्यों के लिए चिन्हित आंतरिक सत्रातों से और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण इस खाते में जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि मण्डल द्वारा कोष प्राप्ति अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई तथा पृथक बैंक खाता दो वर्ष विलंब के पश्चात खोला गया (मई 2004)। एम ओ पी से प्राप्त कोष इस खाते में जमा करने के बजाए इसे मण्डल के कोष में मिला दिया

गया। मण्डल का वार्षिक लेखा 2002-03 से लंबित था। एम ओ पी से प्राप्त सहायता के लिए पृथक बैंक खाता न होने के कारण तथा वार्षिक खाते को अंतिम रूप न देने के कारण लेखापरीक्षा एम ओ पी द्वारा योजना के लिए प्राप्त सहायता के उपयोग तथा विचलन को सत्यापित करने में अक्षम था।

मण्डल ने बताया कि (अक्टूबर 2007) ए.पी.डी.आर.पी.कक्ष के व्यय प्रगति प्रतिवेदन का व्यय की संबंधित शीर्षों में की गई प्रविष्टि से मिलान के पश्चात शीघ्र ही अउपयोगित कोष के साथ ही अन्य संबंधित कोष पृथक ए पी डी आर पी लेखा में जमा की जाएगी। उत्तर से इंगित होता है कि बैंक खाते खोलने में असमान्य विलम्ब हुआ तथा पृथक बैंक खाता खोलने के बावजूद कोष को खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया जो की ए पी डी आर पी मार्गदर्शिकाओं का उल्लंघन था।

6.2.10 उच्च लागत उधारियों का प्रतिधारण

पर्याप्त अतिरिक्त कोष होने के बावजूद मंडल द्वारा ए.पी.डी.आर.पी. के उच्च लागत ऋण भाग का गैर निस्तारण के परिणामस्वरूप परिहार्य ब्याज

मण्डल ने, उत्तम वित्तीय अवस्था के परिप्रेक्ष्य में, एम ओ पी को ए पी डी आर पी के अधीन केवल अनुदान आहरण करने तथा ऋण न लेने का आशय सूचित किया (नवम्बर/दिसम्बर 2002)। बावजूद इसके, मण्डल ने संपूर्ण ए पी डी आर पी कोष की राशि 159.21 करोड़ रु. जिसमें 79.60 करोड़ रु. ऋण का भाग था, जिस पर ब्याज की दर 9 से 11.5 प्रतिशत थी, आहरित किया (जुलाई 2002 से मार्च 2006)। यह पाया गया कि मण्डल ने आधिक्य कोष जिसकी राशि 202 करोड़ रु. से 1347.50 करोड़ रु. के बीच थी को बैंक में आवधिक जमा के रूप में वर्ष 2006-07 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान जिस पर मण्डल को अधिकतम 8.34 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। इस प्रकार उच्चतम ब्याज दर से ऋण कोष का आहरण, आधिक्य कोष की उपलब्धता की दृष्टि से वाणिज्यिक रूप से न्यायोचित नहीं था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कोष (ऋण राशि सहित) विलंब से निर्गमित किया। मण्डल ने मार्च 2007 तक रु.2.23 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान किया।

मण्डल ने बताया कि (अक्टूबर 2007) मण्डल द्वारा एम ओ पी को ए पी डी आर पी के अधीन केवल अनुदान राशि निर्गमन करने के अनुरोध के प्रत्युत्तर के अभाव में मण्डल ने ए पी डी आर पी ऋण आहरित किया था। यह भी बताया गया कि ए पी डी आर पी के अधीन अनुदान तथा ऋण का समान भाग निर्गमित करने पर ए पी डी आर पी सहायिकी के ऋण भाग पर प्रभावी दर मान्य दर के आधे के बराबर था।

उत्तर तार्किक नहीं है। ऋण से संबंधित देय ब्याज प्राप्त अनुदान की मात्रा से अनपेक्षित थी। इतना ही नहीं, मण्डल संपूर्ण आहरित ऋण राशि आहरण के तत्काल बाद अपने आधिक्य राशि से वापिस कर सकता था तथा अतिरिक्त ब्याज के बोझ से बच सकता था। इस प्रकार, ए पी डी आ पी ऋण के प्रतिधारण के परिणामस्वरूप 2.23 करोड़ रु. का परिहार्य ब्याज भुगतान हुआ।

6.2.11 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में विलंब

एम ओ ए के अनुसार हितग्राही को केन्द्र सरकार को कार्य का द्विमासिक प्रतिवेदन भेजेगा जो कोष के उपयोग तथा परियोजना की प्रगति दर्शाता हो। 72.24 करोड़ रु. की लागत का कार्य मार्च 2005 तक किया गया, जिसमें से 59.85 करोड़ रु. वर्ष

2005-06 के दौरान छः ए पी डी आर पी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबन्धित थी। इस कार्य के विरुद्ध 70.34 करोड़ रु. तथा 55.13 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया गया था (अप्रैल 2007)। प्रारंभ से (अगस्त 2002) मार्च 2005 तक के कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सलाहकार सह परामर्शदाता को प्रदान किया गया (मार्च/अप्रैल 2006), जो कि अभी तक संवीक्षा के अधीन है, इसके बाद इसे एम ओ पी को भेजा जाना है। यद्यपि 65.58 करोड़ रु. लागत की कार्य पूर्णता इन परियोजनाओं के संबन्ध में वर्ष 2006-07 में प्रतिवेदित की गई, उपयोगिता प्रमाण पत्र एन. टी. पी.सी को अभी तक प्रेषित नहीं की गई है (मार्च 2007)।

मण्डल ने बताया कि (अक्टूबर 2007) प्रारंभ में तैयार किया गया उपयोगिता खाता सलाहकार सह परामर्शदाता द्वारा कार्य को पुराने उपकरण द्वारा करने के कारण निरस्त कर दिया गया। ऐसे सभी उपकरण नये उपकरणों से प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा उपयोगिता खाता पुनः प्रेषित किया गया जो कि विलंब का कारण था। तथ्यात्मक रूप से मण्डल न केवल नये ट्रांसफार्मर के संस्थान से संबंधित ए पी डी आर पी के दिशा निर्देशों का अनुसरण करने में असफल रहा बल्कि एम.ओ.ए.के निर्देशों के अनुसार उपयोगिता खाता प्रेषित करने में भी असफल रहा, जिसके कारण भविष्य में एम ओ पी अनुदान का निर्गमन प्रभावित हुआ तथा मण्डल ऊर्जा आपूर्ति में सुधार तथा ए टी व सी हानि को कम करने इत्यादि का लाभ नहीं उठा सका।

परियोजना निरूपण

6.2.12 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के निरूपण में कमियाँ

एन.टी.पी.सी.ने सलाहकार सह परामर्शदाता के रूप में ए.पी.डी.आर.पी.के अधीन क्रियान्वित छः योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया (जुलाई-नवम्बर 2002)। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में एन टी पी सी द्वारा कहा गया कि प्रमाणिक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण (इलेक्ट्रॉनिक फीडर मीटर की अनुपलब्धता, अपूर्ण सब-स्टेशन आँकड़ा, उपभोक्ता सूचकांक की अनुपलब्धता इत्यादि) प्रस्ताव अति प्रवाह की प्रतिवेदित दशाओं, निम्न वोल्टेज तथा लंबी दूरियों की लाईन के आधार पर तैयार किया गया। यह भी एक कमजोर प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई एस) को दर्शाता है, जिसमें सुधार लाना ए पी डी आर पी का लक्ष्य है। अभिलेखों की संवीक्षा से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं:

- ए.पी .डी.आर.पी.के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण नामशः ए टी व सी क्षय को घटाना, आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि आदि के संबन्ध में डी पी आर में विभिन्न निष्पादन मापदंड से संबन्धित विद्यमान स्तर चिन्ह का प्रदर्शन तथा लक्ष्य का निर्धारण जिसे निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त किया जाए दर्शाया जाना था। यद्यपि डी पी आर में वर्तमान स्तर चिन्ह का उल्लेख नहीं था तथा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। निर्धारित लक्ष्य के अभाव में न तो निष्पादन में सुधार को मूल्यांकित किया जा सकता है न ही वृत्त के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व/जवाबदेही डाली जा सकती है। डी.पी.आर.में उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत मीटरींग उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं था, जो कि एम ओ ए की आवश्यक शर्त थी।

डी.पी.आर.में स्तर चिन्ह का विद्यमान स्तर निर्दिष्ट नहीं किया तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये कोई विशिष्ट अवधि निश्चित नहीं की।

- एम ओ पी के दिशा निर्देशों के अनुसार (सितम्बर 2002) डी पी आर में चयनित वृत्त के प्रणाली में सुधार हेतु संपूर्ण आवश्यकताओं को समावेश करना चाहिए। डी पी आर में यह कहा गया कि ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन हेतु तीन वृत्तों⁴ को चुना गया, यह प्रावधान प्राथमिकता मद के रूप ए पी डी आर पी के अधीन कोष की सीमित उपलब्धता की दृष्टि से किया गया। यह प्रदर्शित करता है कि डी पी आर पूर्ण और विस्तृत नहीं थी। उन्हें विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए थी एवं निष्पादन चरणगत रूप से प्राथमिकता तथा कोष की उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए था।
- मंडल ने एम ओ पी को सूचित किया (मार्च 2006) कि ए पी डी आर पी की असंतोषजनक प्रगति का मुख्य कारण एन टी पी सी द्वारा प्रारंभ में बनाई गई डी पी आर का स्तर अच्छा न होना था। यद्यपि, जैसा की ऊपर कहा गया, तथ्य यह है कि एन टी पी सी को इलेक्ट्रॉनिक मीटर के संबन्ध में प्रमाणिक आँकड़ा अनुपलब्धता, अपूर्ण सब-स्टेशन आंकड़े, उपभोक्ता सूचकांक का अभाव था। अतः मंडल का तर्क काम करने के बाद का विचार है। मंडल द्वारा एन टी पी सी को बाद में सूचित किया गया (मार्च 2006) कि योजना निरूपण के दौरान शहरी क्षेत्र में ए टी व सी क्षय को 15 प्रतिशत से नीचे घटाने पर विचार नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि डी पी आर में पर्याप्त रूप से ए टी व सी क्षय को कम करने के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया गया तथा वास्तविक रूप से 15 प्रतिशत के स्तर से इंकार किया गया था जैसा कि कंडिका 6.2.21 में कहा गया है।

6.2.13 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से विचलन

लेखा परीक्षा के दौरान डी पी आर के प्रावधानों में निम्नानुसार विचलन पाया गया:

- अनुमोदित डी पी आर (अगस्त /नवम्बर 2002) के अनुसार वोल्टेज प्रणाली में सुधार हेतु 17.82 करोड़ रुपये की लागत का 14908 एल टी कैपेसीटर संस्थापित करना था। तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद तथा अनुमोदित डी पी आर के प्रतिकूल मण्डल ने पूर्व अनुभव के आधार पर एल टी कैपेसीटरों के संस्थापन के कुछ समय बाद ही कैपासीटर के कार्य न करने के कारण एल टी कैपासीटर संस्थापन न करने का निर्णय लिया (जनवरी 2006)। इस तथ्य को डी पी आर तैयार करते समय या मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते समय विचार किया जाना चाहिए था। एल टी कैपासीटर के स्थान पर एच टी कैपासीटर का संस्थापन का निर्णय (जनवरी 2007) को भी अभी तक (सितम्बर 2007) पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी प्रकार समग्र वोल्टेज प्रणाली में सुधार तथा लाईन क्षय में कमी का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। मण्डल ने कहा (अक्टूबर 2007) कि कार्यरत ए पी डी आर पी योजना के अधीन 360 एच टी कैपेसीटर का संस्थापन किया गया था (सितम्बर 2007) तथा शेष एच.टी. कैपासीटर का संस्थापन प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 14908 एल टी कैपासीटर के स्थान पर 1334 एच टी कैपासीटर की संस्थापन किया जाना है, वास्तविक उपलब्धि केवल 27 प्रतिशत थी (सितंबर 2007) इस वजह से उप परेषण तथा वितरण नेटवर्क का उन्नयन तथा सुदृढीकरण

⁴ बिलासपुर, रायपुर एवं राजनांदगांव वृत्तों

कार्य में विलंब हुआ तथा पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार संबंधित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

- छ: डी पी आर के अनुसार 182 नये 33/11 के वी सब स्टेशन की स्थापना करनी थी। जिसमें से 1.6 एम वी ए क्षमता के ट्रांसफार्मर के 83 सब स्टेशन (45.60 प्रतिशत) का निर्माण किया जाना था, परंतु केवल 15 सब स्टेशन स्थापित किया गया (मार्च 2007)। यह पाया गया कि ए पी डी आर पी योजना के प्रावधान के अनुसार 1.6 एम वी ए क्षमता के ट्रांसफार्मर के स्थान पर 3.15 एम वी ए क्षमता के ट्रांसफार्मर 33/11 के वी के सब स्टेशन के निर्माण का मण्डल ने निर्णय लिया (जुलाई 2005)। शेष 68 सब स्टेशन के लिए अतिरिक्त अनुमानित लागत 8.25 करोड़ रुपये के विचलन के एम ओ पी से अनुमोदित नहीं लिया गया था (सितंबर 2007)। इस प्रकार विचलन के कारण मण्डल 2.06 करोड़ रुपये (अतिरिक्त लागत का 25 प्रतिशत) का अनुदान एम ओ पी से प्राप्त करने से वंचित रहा।

6.2.14 परियोजना का निष्पादन

निम्नलिखित सारणी में स्वीकृत परियोजना लागत मार्च 2007 तक किये गये व्यय तथा संशोधित योजना लागत के विरुद्ध प्राप्ति का प्रतिशत दिखाया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| वृत्त/शहर योजना | एम ओ पी द्वारा अनुमोदित योजना लागत (अगस्त 2002 से नवम्बर 2002) | संशोधित योजना लागत (नवंबर 2006) | कार्यारंभ दिनांक | कार्यपूर्णता की अनुसूचि दिनांक | 31.3.07 तक व्यय | संशोधित योजना लागत पर व्यय प्रतिशत |
|-------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| बिलासपुर वृत्त | 125.82 | 104.97 | 26.8.2002 | 26.2.2004 | 59.36 | 56.66 |
| रायपुर वृत्त | 143.14 | 119.42 | 26.8.2002 | 26.8.2004 | 71.29 | 59.69 |
| राजनांदगांव वृत्त | 59.07 | 49.27 | 26.8.2002 | 26.8.2004 | 34.16 | 69.33 |
| भिलाई शहर | 15.81 | 15.81 | 27.11.2002 | 27.11.2005 | 7.21 | 45.60 |
| दुर्ग शहर | 13.33 | 13.33 | 27.11.2002 | 27.11.2005 | 5.78 | 43.66 |
| रायपुर नगर | 47.20 | 47.20 | 27.11.2002 | 27.11.2005 | 17.33 | 36.71 |
| योग | 404.37 | 350.00 | | | 195.13 | |

(स्रोत: एम ओ पी अनुमोदित आदेश, डी पी आर, मण्डल का ए पी डी आर पी प्रगति प्रतिवेदन आदि)

इलेक्ट्रॉनिक मीटर के मूल्य में कमी के कारण एम ओ पी द्वारा तीन⁵ परियोजनाओं की अनुमानित लागत 54.37 करोड़ रु. से अधोगामी पुनरक्षित किया गया (नवम्बर 2006)। छ: परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 350 करोड़ रु. के विरुद्ध एम ओ पी ने 159.21 करोड़ रु. (25 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण) निर्गमित किया। ए पी डी आर पी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल परियोजना लागत का 75 प्रतिशत व्यय होने के बाद एम.ओ.पी.के कुल अंश का 25 प्रतिशत एम ओ पी द्वारा निर्गमित किया जाएगा। सारणी से देखा जा सकता है कि वास्तविक कार्य पूर्णता अनुसूची फरवरी 2004 तथा नवंबर 2005 के बीच थी, के विरुद्ध छ परियोजनाओं की उपलब्धियाँ केवल 36.71 से 69.33 प्रतिशत थी। एम ओ पी ने योजना को मार्च 2008 तक पूर्ण करने की अनुमति मण्डल को दी (मई 2007)।

⁵ बिलासपुर वृत्त, रायपुर वृत्त तथा राजनांदगांव वृत्त

6.2.15 परियोजना की धीमी प्रगति

छ: ए.पी.डी.आर.पी.
परियोजना के
कार्यन्वयन में 22 से 43
माह का विलम्ब।

परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार छ योजनाओं के कार्य को फरवरी 2004 तथा नवम्बर 2005 तक पूर्ण किया जाना था, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है। यद्यपि, कोई भी परियोजना अनुसूचित समय के अनुसार पूर्ण नहीं हुई (सितम्बर 2007), जबकि 22 से 43 माह का विलंब हुआ। एम.ओ.पी. मार्ग दर्शिका में विहित टर्नकी अनुबंध के विरुद्ध विभागीय कार्य कराने के कारण भी विलम्ब हुआ। टर्नकी आधार पर कार्य कराने से निविदा क्रय में प्रशासकीय विलम्ब को दूर किया जा सकता था।

घटकवार डी पी आर का विस्तृत विवरण तथा इसके विरुद्ध मार्च 2007 तक की संप्राप्ति परिशिष्ट 6.6 में दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि (परिशिष्ट 6.6) सात मर्दे जिसमें कैपासीटर, डी टी का आधुनिकीकरण, सब स्टेशन की पुनरोद्धार तथा आँकड़ा लॉगींग शामिल है, के प्रकरण में भौतिक प्रगति या तो शून्य थी या नगण्य थी। यह भी पाया गया कि अन्य महत्वपूर्ण भागों नामशः निर्वात परिपथ विच्छेदक के साथ 11 के वी का अतिरिक्त बे की उपलब्धता के संबध में धीमी प्रगति थी (27 प्रतिशत)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम ओ पी के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्नकी ठेका देने के बजाए कार्य का विभागीय संपादन जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर कैपासीटर एवं निर्वात परिपथ विच्छेदक इत्यादि की स्थापना आदि, कार्य में विलंब का मुख्य कारण था, जैसा कि कंडिका 6.2.17 में वर्णित किया गया। विलंब के परिणामस्वरूप योजना समय सीमा आधिक्य से प्रभावित हुई इसके अलावा छ: ए पी डी आर पी योजनाओं के अधीन कार्य का 75 प्रतिशत भाग पूर्ण न होने के कारण 15.79 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2007)। असामान्य विलंब के परिणामस्वरूप अनुमानित लागत के पुनरिक्षण के कारण अनुदान की राशि में 13.59 करोड़ रु. (54.37 रु. का 25 प्रतिशत) की कमी हुई।

6.2.16 जगदलपुर शहर योजना के प्रारंभ में विलंब

स्वीकृति की तिथि से
24 माह के बाद भी
जगदलपुर शहर
योजना प्रारम्भ नहीं हुई
थी।

एम ओ पी ने जगदलपुर वृत्त योजना के अधीन जगदलपुर शहर योजना को टर्नकी आधार पर 36 महीने में पूर्ण करने (सितम्बर 2008) का अनुमोदन किया (सितम्बर 2005)। मण्डल ने आठ माह बीत जाने के बाद एम ओ ए, एम ओ पी को भेजा (जून 2006)। यद्यपि कार्यपूर्णता की आधे से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है (सितम्बर 2007) तथा मंडल ने अभी तक निविदा प्रक्रिया के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के कार्यान्वयन में विलंब का मुख्य कारण टर्नकी अनुबंध के लिए ठेका विशिष्टि को अंतिम रूप देने में विलंब होना था।

मण्डल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि टर्नकी दर अंतिम रूप दे दी गई है, तथा ए पी डी आर पी कार्य की जगदलपुर शहर योजना को पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही कार्य आदेश जारी किया जा रहा है। अतएव जगदलपुर शहर के नागरिक विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति का लाभ नहीं उठा सकी।

6.2.17 ठेका क्रियान्वयन के लिए टर्नकी तंत्र का पालन न होना

एम ओ पी के दिशा निर्देशों के अनुसार ए पी डी आर पी का कार्य टर्नकी आधार पर किया जाना है। एम ओ ए पर हस्ताक्षर के बाद छ: माह के भीतर मण्डल द्वारा

परियोजना क्रियान्वयन तंत्र को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह पाया गया कि मंडल ने किसी टर्नकी परियोजना क्रियान्वयन तंत्र को अंतिम रूप नहीं दिया था तथा अधिकतम⁶ कार्य विभागीय रूप से किया था। योजनागत परियोजना क्रियान्वयन तंत्र के अभाव में फील्ड कार्यालयों ने कार्य पुराने/मरम्मत किए हुए यंत्रों से किया, जिसकी कोई निष्पादन गारंटी नहीं थी तथा ए पी डी आर पी के मानकों के अनुरूप भी नहीं थी। मण्डल ने ए पी डी आर पी के अधीन 1605 पुराने/मरम्मत किए हुए ट्रांसफार्मरों को स्थापित किया (अगस्त 2002 से मार्च 2006)। ऐसे स्थापित पुराने और मरम्मत किए हुए ट्रांसफार्मर पर सलाहकार सह परामर्शदाता ने यह कहते हुए आपत्ति की कि ऐसे कार्य ए पी डी आर पी के अधीन वित्त पोषण की अर्हता नहीं रखते (सितम्बर 2004), ऐसे यंत्रों को नये ट्रांसफार्मर से पुनः स्थापित कर दिया गया (अप्रैल 2006 से जुलाई 2007)। यदि मण्डल कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एन टी पी सी जो कि सलाहकार सह परामर्शदाता है से परामर्श लिया होता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। सलाहकार सह परामर्शदाता से परामर्श न करने के फलस्वरूप पुराने ट्रांसफार्मरों को परिवर्तित करने में श्रम तथा परिवहन पर 90.67 लाख ₹ का परिहार्य व्यय उत्पन्न हुई। इससे वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना लंबित हुई तथा 33/11 के वी के सब स्टेशन के निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं हो सका नये ट्रांसफार्मरों की आवश्यक स्थापना का कार्य टर्नकी आधार पर करके इसे टाला जा सकता था।

मण्डल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि प्रचलित व्यवहार अनुसार शुरूआत में कार्य विभागीय आधार पर किया गया तथा बाद में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के कारण क्रय प्रक्रिया धीमी हो गई। इसलिए मुख्य कार्यों जैसे उपभोक्ता सूचकांक, नये 33/11 के वी सब स्टेशन के निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए टर्नकी आधार पर ठेका देना प्रारंभ किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए पी डी आर पी के दिशा निर्देशों में कार्य को टर्नकी आधार पर करने पर बल दिया गया था। यदि ऐसा किया गया होता तो मण्डल अपनी श्रमशक्ति का उपयोग कार्य के पर्यवेक्षण तथा निगरानी में करता, जिससे कार्य निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न हो गया होता।

6.2.18 ए पी डी आर पी सीमा से बाहर कार्य का निष्पादन

ए पी डी आर पी में कार्यशील उपभोक्ता मीटर को बदलने का प्रावधान नहीं है। यद्यपि यह पाया गया कि छः⁷ ए पी डी आर पी योजनाओं के अधीन कार्यशील 5.56 लाख एकल/तृतीय फेस इलेक्ट्रो-मेकेनिकल मीटर को इलेक्ट्रानिक मीटर से परिवर्तन करने पर मंडल को 45.12 करोड़ ₹ का व्यय उठाना पड़ा (मार्च 2007)। इस प्रकार ए पी डी आर पी कोष 45.12 करोड़ ₹ से विचलित हुआ। यह पाया गया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र परिशुद्ध इलेक्ट्रानिक मीटर की स्थापना के लिए दिया गया तथा यह इंगित नहीं होता था कि कोष का उपयोग वर्तमान मीटर के प्रतिस्थापन हेतु हुआ या गैर मीटर उपभोक्ताओं के संबंध में हुआ।

कार्यशील इलेक्ट्रो-
मेकेनिकल मीटर के साथ
इलेक्ट्रो मीटर के बदलने में
45.12 करोड़ रुपये का
व्यय जो कि
ए.पी.डी.आर.पी. के कार्य
क्षेत्र में नहीं है।

⁶ मीटरों के संस्थापन, वितरण ट्रांसफार्मरों, केपिसिटरों, एल.टी.लाइन्स इत्यादि। वितरण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, 33/11 के वी उपकेंद्रों का निर्माण।

⁷ बिलासपुर वृत्त, रायपुर वृत्त, राजनांदगाँव वृत्त, भिलाई शहर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर।

6.2.19 विलंब के कारण अतिरिक्त प्रतिबद्धता

उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए टर्नकी अनुबंध देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 53.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीयबद्धता

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में छः⁸ ए पी डी आर पी योजना के अधीन (मार्च 2003 से मार्च 2007) 59.69 करोड़⁹ रु. लागत की 33/11 के वी 182 सब स्टेशन के निर्माण का प्रावधान था। मण्डल ने विभिन्न उपकेन्द्रों समूह का निर्माण कार्य विभिन्न समय में किया तथा 39.95¹⁰ करोड़ रु. की लागत के 108 सब स्टेशन (59 प्रतिशत) का निर्माण अर्द्ध टर्नकी¹¹ आधार पर पूर्ण किया (मार्च 2007)। 108 सब स्टेशन की वास्तविक औसत लागत (37 लाख रु. प्रति सब स्टेशन) के आधार पर शेष 74 सब स्टेशन का निर्माण 27.38 करोड़ रु. में किया जा सकता था। यद्यपि मण्डल ने विलंब से निविदा आमंत्रित किया (मई 2005) तथा ए पी डी आर पी के अधीन 82.98 करोड़ रु. की निविदा लागत के 33/11 के वी के 76 सब स्टेशन (74 जो नहीं किया गया था सहित) के निर्माण का ठेका टर्नकी आधार पर दिया गया (जून 2006)। इस कार्य की प्रति सब स्टेशन औसत लागत (1.09 करोड़ रु.) 108 सब स्टेशन का वास्तविक औसत लागत रु.37 लाख प्रति सब स्टेशन से बहुत अधिक थी। उच्चतर दर का मुख्य कारण कच्चे माल तथा श्रम लागत में अत्यंत वृद्धि (78 से 200 प्रतिशत) बताया गया। इसलिए टर्नकी आधार पर शेष 74 सब स्टेशन के निर्माण का ठेका देने में विलंब के परिणामस्वरूप मण्डल को 53.42 करोड़¹² रु. का अतिरिक्त प्रतिबद्धता हुई।

मण्डल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि 33/11 के वी सब स्टेशन में उपयोग होने वाली मुख्य मदों की लागत में अत्यंत वृद्धि हुई तथा उच्चतर तकनीकी को अंगीकार किया गया था, जो कि अनुमोदित डी पी आर में शामिल नहीं थी। यह भी कहा गया कि पुनर्क्षित प्रस्ताव एम ओ पी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ए पी डी आर पी के अपेक्षानुसार सभी सब स्टेशन के लिए प्रारंभ से ही टर्नकी आधार पर ठेका देने से कार्य समय पर सम्पन्न हो गया होता तथा उपकरणों की लागत में वृद्धि की स्थिति का परिहार्य किया जा सकता था। इस प्रकार विभागीय रूप से कार्य करने तथा विभिन्न औपचारिकताओं जैसे निविदा, अनुमोदन, आदेश निर्गमन सामग्री अधिप्राप्ति आदि के कारण समय तथा लागत अधिक लगी।

⁸ बिलासपुर वृत्त, रायपुर वृत्त, राजनांदगाँव वृत्त, भिलाई शहर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर।

⁹ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक उपकेन्द्र की अनुमानित औसत लागत 32.80 लाख रु.।

¹⁰ प्रत्येक उपकेन्द्र की वास्तविक लागत 37.00 लाख रुपये।

¹¹ अर्द्ध टर्नकी अनुबंध में मण्डल मुख्य उपकेन्द्र उपकरण की पूर्ति किया नामशः पावर ट्रांसफार्मर निर्वात परिपथ विच्छेदक (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर), कंट्रोल पेनल, वितरण ट्रांसफार्मर एवं लाईटनिंग एरेस्टर। शेष सामग्री जैसे लोहा एवं इस्पात संरचना, धातु के पात्र, मैदान को बराबर करना, बाड़े का धातुकरण तथा उपकरण के लिए नींव तथा फिलिंग का कार्य इत्यादि ठेकेदार द्वारा क्रय करके कार्य क्रियान्वित करना है।

¹² (82.98 करोड़ रुपये ÷ 76 X 74) - 27.38 करोड़ रुपये = 53.42 करोड़ रुपये

6.2.20 अभिलेखों का समुचित रख रखाव न होना

ए पी डी कार्यों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव तथा व्यय के लेखे के संदर्भ में अनुसरणीय प्रक्रिया, लेखा शीर्ष को इंगित करते हुए मंडल ने निर्देश जारी किया (जनवरी 2002)। चार¹³ ए पी डी आर पी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आठ¹⁴ संभागों के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि ए पी डी आर पी योजना का कुल व्यय (66.32 करोड़ रु.) का संकलन उक्त आठ संभागों के वितरण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय विवरण के आधार पर किया जा रहा था। वितरण केन्द्रों द्वारा निष्पादित कार्यों की विवरणों को अद्यतन प्रभाग स्तर पर कार्यों की पंजियों में किए जाने थे तथा संपत्तियों की पंजियों को अद्यतन कार्यों की पंजियों से किया जाना था। यह पाया गया कि चार¹⁵ संभागों में पृथक कार्य पंजियों का संधारण नहीं किए गए थे तथा सभी आठ संभागों में कार्य पंजी में प्रविष्टियां अपूर्ण थीं। ए पी डी आर पी के अधीन निर्मित संपत्तियों के लिए किसी भी संभाग ने संपत्ति पंजी नहीं रखा था। परिणामतः छः ए पी डी आर पी योजनाओं के अधीन कार्यान्वयन हेतु 195.13 करोड़ रु. का व्यय कार्य पंजी से मिलान नहीं किया गया तथा लेखापरीक्षा में सत्यापन योग्य नहीं था। इतना ही नहीं, इस व्यय से निर्मित संपत्तियों का विवरण ज्ञात नहीं था। उचित अभिलेख के अभाव में व्यय की प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ए पी डी आर पी कक्ष के व्यय प्रतिवेदन तथा पदांकित लेखाकरण शीर्ष के मध्य अंतर पुनरमिलान के अधीन है तथा इसे दिसम्बर 2007 तक पूर्ण किया जायेगा। यद्यपि तथ्यात्मक रूप से मंडल द्वारा अभिलेखों के रखरखाव हेतु जारी निर्देशों का पालन पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं हुआ।

कार्यक्रम उद्देश्यों की संप्राप्ति

6.2.21 उच्च समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक क्षय

6.2.21 ए टी व सी¹⁶ में क्षय को 15 प्रतिशत के नीचे कमी करना ए पी डी आर पी का प्राथमिक उद्देश्य था। एम ओ पी के मतानुसार (दिसम्बर 2005) इस मापदंड की प्राप्ति संभव थी जहाँ कहीं क्रियान्वयन 25 प्रतिशत से अधिक थी। ए पी डी आर पी में सम्मिलित क्षेत्रों में वर्ष 2006-07 में ए टी व सी क्षय 15.65 और 47.66 प्रतिशत के बीच था जबकि कुल परियोजना लागत 350 करोड़ रु. में से 195.13 करोड़ रु. (55.75 प्रतिशत) व्यय हो चुका है। निम्न सारणी में तीन वृत्तों तथा तीन शहरों जिसमें ए पी डी आर पी योजना कार्यान्वित की जा रही है में ए टी व सी क्षय का प्रतिशत दिखाया गया है।

¹³ भिलाई शहर, दुर्ग शहर, रायपुर नगर और रायपुर वृत्त।

¹⁴ भिलाई, धमतरी, दुर्ग-1, रायपुर, रायपुर नगर पूर्व एवं रायपुर नगर पश्चिम ओ एवं एम प्रभागों एवं एस.टी.आर.ई.दुर्ग एवं रायपुर प्रभागों।

¹⁵ धमतरी, दुर्ग-1, रायपुर एवं रायपुर नगर पूर्व ओ एवं एम प्रभागों

¹⁶ ए.टी.व सी. क्षय, ऊर्जा जिसके लिये वास्तविक राजस्व की वसूली हुई है पर आदान ऊर्जा का आधिक्य दर्शाता है।

बिलासपुर और राजनांदगांव वृत्त के संबंध में ए टी व सी हानियाँ आधार वर्ष की तुलना में अधिक थी।

| वृत्त/शहर | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| बिलासपुर वृत्त | 41.24 | 46.54 | 47.15 | 46.23 | 47.66 |
| रायपुर वृत्त | 43.03 | 42.27 | 41.30 | 36.66 | 27.24 |
| राजनांदगांव वृत्त | 31.81 | 32.62 | 30.84 | 32.62 | 35.77 |
| भिलाई शहर | 35.39 | 34.53 | 36.41 | 34.10 | 29.65 |
| दुर्ग शहर | 38.27 | 32.94 | 39.15 | 44.91 | 25.76 |
| रायपुर नगर | 22.20 | 16.34 | 15.57 | 17.46 | 15.65 |

स्रोत: मण्डल का स्तर चिन्ह मापदंड विवरण

उक्त सारणी के विश्लेषण से निम्न पाया गया:

- रायपुर नगर को छोड़कर शेष सभी वृत्तों तथा शहरों में ए.टी.व सी.क्षय में निरन्तर बढ़ोत्तरी है;
- यद्यपि रायपुर वृत्त, भिलाई नगर तथा दुर्ग नगर में सुधार था
- बिलासपुर तथा राजनांदगांव वृत्त के संबंध में क्षय वर्ष 2002-03 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 में वृद्धि हुई । यद्यपि इन योजनाओं पर प्रक्षेपित व्यय का 57 से 69 प्रतिशत व्यय हो चुका है फिर भी मण्डल ने कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

यह भी पाया गया कि:

- रायपुर नगर वृत्त (तीन प्रभाग-उरला, नगर पूर्व तथा नगर पश्चिम) के संबंध में कुल पारेषण तथा वितरण (टी एवं डी) क्षय¹⁷ वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में क्रमशः 15.57, 13.94 तथा 16.82 प्रतिशत था। उरला प्रभाग जो ए पी डी आर पी योजना में शामिल नहीं था तथा जो केवल एच टी उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है में उक्त तीन वर्षों में टी एवं डी क्षय एक प्रतिशत से कम था, जबकि शेष दो प्रभागों (नगर पूर्व तथा नगर पश्चिम प्रभाग) के संबंध में, जहां ए पी डी आर पी योजना लागू थी, में टी व डी क्षय समान अवधि के लिए उच्च विस्तार 27.33 से 32.20 प्रतिशत के मध्य थी। यद्यपि कुल मिलाकर रायपुर नगर वृत्त का कुल टी व डी क्षय नियंत्रण योग्य है जबकि रायपुर पूर्व तथा रायपुर पश्चिम प्रभाग में ए पी डी आर पी योजना के अधीन 17.12 करोड़ रु. व्यय होने के बाद भी टी व डी क्षय अधिक था;
- वर्ष 2006-07 में स्तर चिन्ह से 15 प्रतिशत अधिक ए टी व सी क्षय हुआ जिसके कारण 1074.46 एम यू अर्थात् 355.46 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई;
- वर्ष 2006-07 में सभी प्रभागों/वृत्तों में टी व डी क्षय रायपुर नगर प्रभाग को छोड़कर अधिक था। टी व डी क्षय इन पाँच संभागों/वृत्तों¹⁸ के संबंध में 25.96 और 43.85 प्रतिशत के मध्य थी;

¹⁷ टी एवं डी क्षय आदान ऊर्जा का प्रभासित ऊर्जा पर आधिक्य दर्शाता है

¹⁸ बिलासपुर वृत्त, रायपुर वृत्त, राजनांदगांव वृत्त, भिलाई शहर एवं दुर्ग शहर

- आगत ऊर्जा, मीटर तथा बिल ऊर्जा के आँकड़े के समर्थन में कोई क्रियात्मक विवरण नहीं था, जिसके अभाव में ए टी व सी/ टी व डी क्षय की सत्यता लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं कर सकी;
- छत्तीसगढ़ राज्य में ए टी व सी क्षय के संबंध में मण्डल द्वारा एम ओ पी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी एस ई आर सी) को उपलब्ध कराये गये आँकड़ों में निम्नानुसार विचलन था:

| नाम | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| सी एस ई आर सी | 43.17 | 38.68 | 38.87 | 45.07 | उपलब्ध नहीं |
| एम ओ पी | 42.99 | 36.70 | 36.55 | 36.77 | 36.24 |

(स्रोत: मंडल द्वारा सी एस ई आर सी तथा एम ओ पी को भेजा गया ए टी व सी क्षय आँकड़े)

किसी प्रमाणिक तथा विश्वसनीय आँकड़ों की प्राप्ति हेतु इन विचलनों में मिलान करने की आवश्यकता थी। मण्डल की विद्यमान परिस्थिति से आगत ऊर्जा मीटर तथा प्रभारित ऊर्जा के संबंध में प्रमाणिक आँकड़ों का संधारण न करना आदि प्रकट होता है। अविश्वसनीय आँकड़ों के कारण टैरीफ निर्धारण तथा राजस्व एवं पारेषण क्षय का निर्धारण अविश्वसनीय था तथा ए पी डी आर पी का वास्तविक प्रभाव सत्यापित नहीं हुआ।

6.2.22 अप्रभावी ऊर्जा लेखापरीक्षा

अत्यधिक संख्या में गैर मीटर डीटीएस एवं उपभोक्ताओं के कारण ऊर्जा लेखापरीक्षा द्वारा सभी 11 केवी फीडर शामिल नहीं किया जा सका।

एम ओ पी तथा मण्डल के मध्य हुए एम ओ ए (अक्टूबर 2002) में ऊर्जा लेखापरीक्षा तथा वास्तविक मीटर वाचन के आधार पर प्रत्येक 11 के वी फीडर का लेखांकन का प्रावधान था। यह पाया गया कि छ: ए पी डी आर पी वृत्त और शहरों के विद्यमान 907 फीडरों (मार्च 2007) में से केवल 120 फीडरों (13 प्रतिशत) को मण्डल ने उपभोक्ता स्तर तक ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किया। बड़ी संख्या में गैर मीटर डी टी तथा उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता सूचकांक का पूर्ण न होने; जैसा कि कंडिका 6.2.24 और 6.2.25 में वर्णित है, के कारण सभी फीडरों को ऊर्जा लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया जा सका। नमूना जांच इंगित करता है कि अक्टूबर 2006 से फरवरी 2007 के मध्य चिन्हित 20 फीडरों में ए टी व सी क्षय 26 से 85 प्रतिशत के बीच था। इन चिन्हित फीडर के संबंध में उपभोक्ता स्तर तक 100 प्रतिशत मीटरिंग के दृष्टिगत लगातार उच्च लाईन क्षय सुधारात्मक कार्य में कमी को इंगित करता है। आगत ऊर्जा तथा बिक्रीत ऊर्जा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न होने के कारण मौद्रिक मूल्य की गणना नहीं की जा सकी।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ए टी व सी क्षय को मान्य सीमा तक कम करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही जैसे लंबे फीडर का विभाजन, चोरी प्रभावित क्षेत्र में कण्डक्टर को पी वी सी केबल में परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई पंप कनेक्शन से पृथकता आदि किया जा रहा है। यद्यपि, तथ्य यह है कि ए टी व सी क्षय अभी भी अधिक है जो इंगित करता है कि उपपारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं उन्नयन का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ।

6.2.23 कृषिगत पंप कनेक्शन के संबध में ऊर्जा उपभोग निर्धारण

तीन¹⁹ ए पी डी आर पी वृत्तों के ए टी व सी क्षयों की गणना हेतु बिल प्रभारित ऊर्जा से संबधित आँकड़ों में वर्ष 2004-07 के दौरान बिल प्रभारित ऊर्जा के 27 से 46 प्रतिशत के मध्य जो निर्धारित ऊर्जा थी शामिल था। तीन वृत्तों में बिक्रीत कुल इकाइयों में से कृषिगत पंप उपभोक्ताओं द्वारा उपभोगित ऊर्जा 17 से 36 प्रतिशत के मध्य थी। कृषिगत पंप बिना किसी मीटर के निर्गमित किए गए तथा उपभोग का मूल्यांकन कुछ पंप कनेक्शन में स्थापित जाँच मीटर की औसत उपभोग के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण उचित नहीं है, परिणामतः ए टी व सी क्षयों के गणना हेतु स्रोत आँकड़े की सत्यता पर प्रतिकूल असर हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- सी एस ई आर सी ने अपने टैरीफ आदेश में कहा है (जून 2005) कि मण्डल को उपभोग का वास्तविक निर्धारण के लिए कम से कम एक प्रतिशत कृषिगत उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराना चाहिए। मण्डल ने कुल 1,57,924 पंप के विरुद्ध 771 जाँच मीटर (लागत 17.05 लाख रू.) राज्य में स्थापित किए (जुलाई 2006 तक), जो कि मात्र 0.49 प्रतिशत था। इस प्रकार वास्तविक उपभोग के निर्धारण के लिए आवश्यक संख्या में जाँच मीटर समस्त पम्पों के लिए स्थापित नहीं किया गया।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि श्रम शक्ति तथा उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण एक ही समय में बड़ी संख्या में जाँच मीटर स्थापित करना संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मण्डल कृषिगत पंपों में पर्याप्त संख्या में मीटर की स्थापना का लक्ष्य कार्य निष्पादन विभागीय आधार के बजाए टर्नकी आधार पर करने से प्राप्त कर सकता था। कम से कम एक प्रतिशत जाँच मीटर की स्थापना कृषिगत उपभोक्ताओं में न होने के कारण, जैसा कि सी एस ई आर सी ने सिफारिश किया था, मण्डल उपभोग का निर्धारण वास्तविक आधार पर करने की स्थिति में नहीं है।

- वर्ष 2005-07 के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 12²⁰ वितरण केन्द्रों (डी सी) के कृषिगत पंप के संबध में ऊर्जा के निर्धारण में एकरूपता नहीं थी। एक डी सी (रायपुर ग्रामीण) में औसत उपभोग के स्थान पर उच्च अभिलेखित उपभोग लिया गया तथा तीन²¹ डी सी में अंगीकृत औसत ईकाइयों का आधार उपलब्ध नहीं था। मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि फील्ड अभियंताओं को एकरूपता के आधार पर कृषिगत पंप के लिए उपभोग का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश दिए जायेंगे।

यद्यपि रायपुर वृत्त में 15,500 पम्पों में (3.43 करोड़ रू.) वास्तविक उपभोग के अभिलेख के लिए मीटर स्थापित किये गये थे (मार्च 2007), मीटर वाचन नहीं किया गया तथा उपभोगित ऊर्जा का निर्धारण कुछ जाँच मीटर पम्पों (कुल 771) के आधार पर किया गया तथा स्थापित मीटरों की उपयोगिता अप्रभावी थी।

¹⁹ बिलासपुर, रायपुर एवं राजनांदगांव वृत्तों

²⁰ रायपुर ग्रामीण, धरसीवां, सारागाँव, माना, आरंग (शहर), आरंग (ग्रामीण), रेवा, तिल्दा, तुलसी, सिलयारी, खरोरा एवं छाती।

²¹ रेवा, तिल्दा एवं खरोरा

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि कृषिगत पंपमीटर वाचन का कार्य बाहरी एजेंसी से करवाने का प्रयास असफल हो गया क्योंकि बाहरी एजेंसी के मीटर वाचक अन्य गतिविधियों में लिप्त थी। इसके कारण कुल 1,57,924 पंप के विरुद्ध और अधिक जाँच मीटर उपभोग के निर्धारण के लिए आवश्यक है, तथा बाहरी एजेंसी को बदलने की भी आवश्यकता है।

6.2.24 उपभोक्ता तथा डी टी की शत प्रतिशत मीटरिंग प्राप्त न करना

एम ओ ए के प्रावधान के अनुसार फीडर मीटरिंग, आदान बिन्दु से 11 के वी फीडर तक जिसमें डी टी मीटरिंग शामिल है, एम ओ ए पर हस्ताक्षर के छः माह के भीतर (अप्रैल 2003) होना चाहिए। एम ओ ए में गैर भीतर उपभोक्ताओं के लिये टेंपर प्रुफ स्टेटिक। उच्च शुद्धता ऊर्जा मीटर की स्थापना एम ओ ए हस्ताक्षर होने के दो साल के भीतर (अक्टूबर 2004) करना भी निर्दिष्ट था। फीडर, डी. टी. तथा उपभोक्ता मीटरिंग, प्रभावकारी ऊर्जा लेखापरीक्षा, लेखांकन तथा परिणामवर्ती ए टी व सी क्षय में कमी के लिए आवश्यक है। यह पाया गया कि यद्यपि मण्डल ने 77 से 100% फीडर मीटरिंग का आँकड़ा प्राप्त किया, किंतु डी.टी. मीटरिंग तथा उपभोक्ता मीटरिंग की प्रगति धीमी थी, जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

- ए पी डी आर पी वृत्त/शहर में 28,375 डी टी स्थापित (मार्च 2007) के विरुद्ध केवल 9,839 डी. टी. (35 प्रतिशत) 983.90 लाख रुपये की लागत से मीटरीकृत किया था। डी टी मीटर की स्थापना में धीमी प्रगति के लिए अभिलेख में कोई कारण उपलब्ध नहीं था।
- ए पी डी आर पी क्षेत्र में मार्च 2007 के अंत में 4.50 लाख (कुल उपभोक्ता का 28%) गैर मीटर एस एल पी बी पी एल²² उपभोक्ता और कृषिगत पंप उपभोक्ता थे; और
- यद्यपि एम ओ ए की शर्तों एवं उपबंधों के अनुसार कोई भी नया कनेक्शन बिना मीटर के निर्गमित नहीं किया जाना चाहिए (अप्रैल 2003 से मार्च 2007)। मंडल ने 2.68 लाख कनेक्शन बिना मीटर के एम ओ ए हस्ताक्षर (अक्टूबर 2002) होने के बाद जारी किया (1.58 लाख कनेक्शन एस एल पी / बी पी एल उपभोक्ताओं तथा 1.10 लाख कनेक्शन कृषिगत पंप उपभोक्ताओं को)। बिना मीटर के कनेक्शन जारी करने का कोई अभिलेखित कारण उपलब्ध नहीं था।

ए आर सी पी एस ई बैठक के दौरान (अक्टूबर 2007) प्रबंध ने कहा कि मीटर का स्टाक न होने के कारण तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पंप कनेक्शन के निर्गमन का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता के कारण बिना मीटर के कनेक्शन निर्गमित किया गया। तथ्य यह है कि बिना मीटर के कनेक्शन यह कहते हुए निर्गमित किया कि मीटर उपलब्ध नहीं है जबकि वर्तमान कार्यशील मीटर बदले गए यद्यपि ए पी डी आर पी ऐसा करने की अनुमति नहीं देता जैसा कि कंडिका 6.2.18 में वर्णित किया गया।

22

एकल बत्ती बिंदु/ गरीबी रेखा नीचे

6.2.25 उपभोक्ता सूचकांक

एम ओ ए के अनुसार (अक्टूबर 2002) पांच²³ वृत्त /शहर द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र के संबंध में उपभोक्ता सूचकांक एम ओ ए के हस्ताक्षरित होने के एक वर्ष के अंदर तैयार किया जाना था। चार शहर/नगर²⁴ में यह कार्य एक एजेंसी को फरवरी 2007 तक पूर्ण करने के लिए दिया गया (फरवरी 2006)। यह पाया गया कि फर्म ने किसी भी शहर/नगर में कार्य पूर्ण नहीं किया था (अगस्त 2007)। यह ऊर्जा लेखापरीक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी जैसा कि पैरा 6.2.21 में चर्चा की गई।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि विलंब का मुख्य कारण ठेकेदार द्वारा जी आई एस²⁵ पर आधारित नक्शों के लिए अनुमति प्राप्त करने में समस्या का सामना करना था। यह प्रत्युत्तर एम ओ ए के बाद चार वर्ष विलंब से यह कार्य देने के कारणों को नहीं दर्शाया था। विलंब से कार्य को देने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संचालन समस्याओं को कम नहीं किया जा सका। उपभोक्ता सूचकांक की अपूर्णता ने मण्डल को प्रभावी ऊर्जा लेखापरीक्षा के क्रियान्वयन से वंचित कर दिया।

6.2.26 विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को फीडर ट्रीपिंग की आवृत्ति और फीडर के आउटऐज की औसत अवधि, डी टी एस की असफलता की दर, उपभोक्ता समस्याओं की संख्या आदि के संबंध में नापा जाता है। ए पी डी आर पी के उद्देश्य में शामिल है विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करना तथा परिणामतः उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करना। जबकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ इसके साक्ष्य निम्न हैं:

6.2.27 फीडर ट्रीपिंग और आउटऐज

ए पी डी आर पी वृत्त और शहर में फीडर ट्रीपिंग और आउटऐज **परिशिष्ट 6.7** में दिखाया गया है। एम ओ पी ने विहित किया था कि फीडर आउटऐज प्रतिमाह प्रति फीडर एक से कम रहना चाहिए। यह पाया गया कि दुर्ग शहर के संबंध में फीडर ट्रीपिंग प्रतिमाह प्रति फीडर के मापदंड से नीचे लाया गया है। रायपुर नगर, भिलाई शहर और राजनांदगांव वृत्त के संबंध में असफलता की दर कमी की प्रवृत्ति दिखा रही है वहीं बिलासपुर और रायपुर वृत्त के संबंध में विफलता की दर निरंतर बहुत उच्च है। रायपुर वृत्त में 2005-06 में यह सर्वोच्च 41 था। उच्च फीडर आउटऐज अपर्याप्त प्रतिबंधक रखरखाव को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एन टी पी सी ने डी पी आर में इंगित किया था कि सब स्टेशन के फीडर की असफलता / रूकावट के विस्तृत वर्णन अपूर्ण था और असफलता/रूकावट के विस्तृत वर्णन को अंकित करने के लिए विस्तृत प्रारूप बनाने का सुझाव दिया था। मंडल ने अभी तक कोई प्रारूप का निर्माण नहीं किया था (सितम्बर 2007)। विस्तृत रखरखाव योजना को बनाने के लिए आवश्यक आंकड़े अभी भी संकलित नहीं कर रहे थे।

एम ओ पी के एक ट्रीपिंग मानक के विरुद्ध दुर्ग शहर को छोड़कर सभी में फीडर ट्रीपिंग 41 ट्रीपिंग प्रति फीडर प्रति माह तक उच्च थी।

²³ भिलाई शहर, बिलासपुर नगर, दुर्ग शहर, रायपुर वृत्त एवं रायपुर नगर

²⁴ भिलाई शहर, बिलासपुर नगर, दुर्ग शहर एवं रायपुर नगर

²⁵ भौगोलिक सूचना प्रणाली

उच्च डी टी विफलता दर

6.2.28 23.45 करोड़ रु. (डी टी के लिए कुल प्रावधान का 60.99 प्रतिशत) व्यय करने (मार्च 2007 तक) के बाद डी टी की विफलता दर एम ओ पी के मापदंडों के अनुसार विहित (दिसम्बर 2005) 1.5 प्रतिशत से कम नहीं हुई। मंडल द्वारा तैयार प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि ए पी डी आर पी वृत्त/शहरों के संबन्ध में 2002-07 के दौरान डी टी की विफलता की दर 4.32 से 25.14 के मध्य में थी। निम्नलिखित सारणी ए पी डी आर पी वृत्त/शहरों के संबन्ध में वर्ष की 2006-07 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों तक की डी टी विफलता दर का विस्तृत उल्लेख वर्षवार प्रदर्शित करता है:

| ए पी डी आर पी वृत्त/शहर | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| रायपुर वृत्त | 15.00 | 17.00 | 20.22 | 18.02 | 15.54 |
| बिलासपुर वृत्त | 24.63 | 23.00 | 25.14 | 23.31 | 20.59 |
| राजनांदगांव वृत्त | 16.10 | 16.62 | 18.06 | 13.85 | 15.91 |
| रायपुर नगर | 7.20 | 7.48 | 6.48 | 7.90 | 4.32 |
| दुर्ग शहर | 9.81 | 9.69 | 9.33 | 8.17 | 8.63 |
| भिलाई शहर | 8.35 | 9.03 | 9.69 | 9.27 | 10.00 |

स्रोत: बोर्ड की डी टी विफलता प्रतिवेदन

निर्धारित 1.5 प्रतिशत के नीचे के लक्ष्य की तुलना में डीटी की असफलता सभी एपीडीआरपी वृत्तों में बहुत ज़ेरी बनी रही।

- उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है आधार वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2006-07 में डी टी की विफलता की दर में कमी रायपुर नगर में सार्थक तथा बिलासपुर, राजनांदगांव वृत्त और दुर्ग शहर में नगण्य थी। तथापि विफलता दर ए पी डी आर पी द्वारा विहित 1.5 प्रतिशत के मापदंडों से उच्च बनी रही। प्रबंधन ने डी टी विफलता दर के उच्चता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

मंडल ने कहा (अक्टूबर 2007) कि ए पी डी आर पी के अधीन शहरों में डी टी विफलता की दर को 1.5 प्रतिशत तक करने के विशेष प्रयास जैसे प्रत्येक डी टी में अर्थिंग की जाँच एवं प्रतिस्थापन किया जा रहा है। तथापि यह तथ्य अभी भी है कि डी टी की विफलता की उच्च दर ने उपभोक्ता को निरंतर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लाभ से वंचित किया।

- लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उच्च डी टी विफलता दर को नियंत्रित करने के लिए ए पी डी आर पी के अधीन प्रस्तावित 16407 डी टी में दिसम्बर 2005 तक सुधार कार्य के विरुद्ध मण्डल ने केवल 1212 डी टी का सुधार कार्य पूर्ण किया (मार्च 2007) तथा इन कार्यों को न करने का कारण अभिलेखित नहीं था।

मण्डल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि प्रत्येक डी टी में सुधार के लिए वास्तविक आवश्यकता 10000 रूपये से 12000 रूपये के विरुद्ध अपर्याप्त प्रावधान (3500 रु.) के कारण कोई भी एजेंसी कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं थी। तत्पश्चात् प्रबंधन ने ए आर सी पी एस ई की बैठक के दौरान (अक्टूबर 2007) कहा कि एम ओ पी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तथ्य यह है कि राज्य सरकार से ए पी डी आर पी कोष की प्राप्ति में 45 दिन से 12 माह विलंब के कारण

ऐसी बढ़ोत्तरी स्वभाविक थी। इसके अलावा प्रत्युत्तर यह भी इंगित करता है कि बोर्ड डी पी आर को तैयार करते समय वास्तविक कोष का आंकलन करने एवं तदानुसार उपलब्ध कराने में असफल रहा। ए पी डी आर पी योजनाओं के स्वीकृति के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी मंडल ने संशोधित प्रस्ताव तैयार नहीं किया (सितम्बर 2007) परिणामतः कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

6.2.29 उपभोक्ता शिकायत केन्द्र की स्थापना नहीं

डी पी आर में सभी ए पी डी आर पी वृत्त और शहरों में 59.40 लाख रुपये की लागत से 26 उपभोक्ता शिकायत केन्द्र की स्थापना अपेक्षित था। जबकि यह पाया गया कि मण्डल ने यह कार्य अभी तक चालू नहीं किया था (सितम्बर 2007)। यह भी पाया गया कि कोई प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) नहीं थी या विभाग/वृत्त/मण्डल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत की विस्तृत रूप में आवधिक रिपोर्टिंग की प्रणाली नहीं थी। किसी सहायक आँकड़ों या अभिलेखों के अभाव में ए पी डी आर पी वृत्त/शहरों द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के संबन्ध में प्रदान किये गये आंकड़ें जो वर्ष 2002 से 2007 (परिशिष्ट 6.7) के दौरान 3,856 से 5,04,000 थी जिसका लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणन संभव नहीं था।

निगरानी और नियंत्रण

6.2.30 वितरण सुधार समिति की बैठक नियमित रूप से न होना

6.2.30 एम ओ ए के अनुसार एम ओ ए के हस्ताक्षरित होने के एक माह के अंदर एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एस.एल.डी.आर.सी.) की स्थापना राज्य सरकार, एन टी पी सी, एम ओ पी के प्रतिनिधि और एस ई बी के प्रमुख को सम्मिलित करते हुए की जानी चाहिए। एस एल डी आर सी को दो माह में एक बैठक करनी चाहिए तथा ए पी डी आर पी परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति, एम ओ यू और एम ओ ए की शर्तों की आज्ञानुकूलता की समीक्षा करनी चाहिए। एस एल डी आर सी की स्थापना निर्दिष्ट समय से सात माह विलंब से की गई (जून 2003)। यह पाया गया कि ए पी डी आर पी के प्रारंभ से मार्च 2007 तक 21 बैठक के विरुद्ध मात्र 3 बैठक हुई। इस प्रकार ए पी डी आर पी हेतु उच्च स्तर की पर्याप्त निगरानी का राज्य में अभाव था।

कार्यों के निष्पादन पर निगरानी अपर्याप्त थी।

6.2.31 सुधार और प्रशासनिक उपाय

महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सुधार लक्ष्य अभी तक प्राप्त किया जाना है जैसा कि नीचे बताया गया है:

- यद्यपि मंडल ने वृत्त के अधीक्षण अभियंता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी ई ओ) के रूप में तथा कनिष्ठ अभियंता को फीडर प्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया, फिर भी वितरण वृत्तों को एक स्वतंत्र लाभ केन्द्र के रूप में संचालन के लिए कोई प्रशासनिक उपाय नहीं किए।

- सी एस ई बी ने निष्पादन मानकों नामशः ए टी व सी हानि की कमी, डी टी विफलता की दर, फीडर आउटएज, विद्युत चोरी आदि के संबंध में सी.ई.ओ./फीडर प्रबंधकों लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती।

निष्कर्ष

त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विलंब हुआ तथा प्रक्षेपित तिथि के 22 से 43 माह बीत जाने के बाद भी कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई। समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी 15 प्रतिशत के विहित स्तर तक प्राप्त नहीं हुई। ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रभावी नहीं थी। वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग निम्न थी और 100 प्रतिशत उपभोक्ता मीटरिंग लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। फीडर ट्रीपिंग और ट्रांसफार्मर वितरण की विफलता की दर उच्च बनी रही। इसके कारण अपेक्षित विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार तथा परिणामतः उपभोक्ता संतुष्टि का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। मंडल ने त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम से संबधित कार्यों पर होने वाले व्ययों का अभिलेखन करने के लिए यथोचित अभिलेख नहीं रखा था।

अनुशंसाएँ

मण्डल को:

- ए पी डी आर पी परियोजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी कक्ष की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए;
- कार्य रजिस्ट्रों और संपत्ति रजिस्ट्रों की संधारण जो कि संबधित कार्यों पर होने वाले व्यय के अभिलेखन के लिए नियमों के अनुसार आवश्यक है यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी;
- एक निपुण फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम के द्वारा ए टी व सी हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित करे;
- ग्रीड और सब स्टेशन स्तर पर अधिकारियों, प्रमुख नागरिकों और किसानों को सम्मिलित करते हुए एक निगरानी समिति की स्थापना करे; और
- सभी प्रमुख मापदण्डों नामशः फीडर ट्रीपिंग, आउटएज, वितरण ट्रांसफार्मर पर भार घटक, उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली बनाये। शिकायत की प्रकृति के आधार पर 24 से 72 घण्टों के अन्दर शिकायतों का संतोषजनक रूप से निराकरण करना चाहिए।

6.3 लेनदेन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

6.3.1 आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष लेने के कारण हानि

निर्वात परिपथ विच्छेदक के क्रय में आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष लेने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को 81.37 लाख रुपये की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने 400 निर्वात परिपथ विच्छेदक (वी.सी.बी.) (11 के वी एवं 33 के.वी.) के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित किया (अक्टूबर 2002) टेण्डर में उल्लेखित मात्रा अनुमानित था। टेण्डर की निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार मण्डल का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि मूल आदेश के छः माह के अंदर मात्रा विस्तार करने पर मूल आदेश के शत प्रतिशत मात्रा तक वही दर, शर्तें एवं उपबंध रहेगी। 11 के.वी. वी.सी.बी. एवं 33 के.वी.वी.सी.बी. का न्यूनतम मूल्य क्रमशः 1,36,685 रुपये एवं 2,61,056 रुपये था।

यद्यपि मण्डल द्वारा इस निविदा के विरुद्ध 800 वी.सी.बी. (400+अतिरिक्त 400 वी.सी.बी.) क्रय करने का विकल्प अपनाया था। जबकि, मण्डल द्वारा 3 माह के अंदर (नवम्बर 2003) 200 वी सी बी पूर्ति करने का आदेश दिया था (अगस्त 2003)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल की वास्तविक आवश्यकता 922 वी.सी.बी. था। मण्डल द्वारा फिर से 200 वी.सी.बी. पूर्ति करने का आदेश दिया (दिसम्बर 2003) जिसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरा किया गया। जबकि, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त 363 वी सी बी के आदेश को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि पूर्ति की शर्तों का पहले ही पालन कर दिया गया है। इसके बाद मण्डल द्वारा नये सिरे से निविदा आमंत्रित किया (अक्टूबर 2004) तथा 595 वी सी बी (दोनों 11 के.वी. एवं 33 के.वी.) पूर्ति करने का आदेश उच्च दर पर दिया (अप्रैल 2005)। जिससे 400 वी सी बी के विरुद्ध 81.37 लाख रुपये का अधिक खर्च हुआ। यदि मण्डल मूल आदेश 400 वी सी बी का करता तो मण्डल अतिरिक्त 400 वी सी बी का आदेश 6 माह के अंदर दे सकता था जिससे मण्डल को 81.37 लाख रुपये की बचत होती।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2007) कि सम्पूर्ण आवश्यकता निविदा द्वारा नहीं खरीदी जा सकी क्योंकि निविदा आमंत्रित करते समय फील्ड से आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई थी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा अपने प्रथम आदेश में 400 वी सी बी के क्रय का आदेश न देकर निविदा में निर्दिष्ट अधिकार का प्रयोग नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप 81.37 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला शासन को संदर्भित किया गया था (मई 2007), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

6.3.2 अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता

दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिलों में कर्मचारी आवासगृहों के निर्माण में अशुद्ध आवश्यकता निर्धारण से निविदा के अंतिमीकरण में हुई विलंब के कारण मण्डल को 57.77 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता उठाना पड़ा।

- मण्डल द्वारा दंतेवाड़ा जिले में 59 कर्मचारी आवासगृहों के निर्माण के लिए 2.02 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत का प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृत किया (जनवरी 2003)। उचित प्रक्रिया पश्चात् निविदा खोला गया (अप्रैल 2003)। तत्पश्चात् निर्माण कार्यों में व्ययों के न्यूनतमीकरण के परिप्रेक्ष्य में आवासगृहों की आवश्यकता का पुनर्निर्धारण 29 किया गया (मार्च 2004)। बातचीत के बाद न्यूनतम बोली बोलने वाला 1998 के दरों की अनुसूची को 36 प्रतिशत से घटाकर 34.50 प्रतिशत करने को तैयार हुआ था अर्थात् 1.16 करोड़ रुपये। इन दरों की वैधता समय समय पर बढ़ाते हुए 15 जून 2004 तक किया गया था। मण्डल द्वारा प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात ही समझौते अनुबंध मूल्य 1.16 करोड़ रुपये के कार्य आदेश का अनुमोदन स्वीकृत कर सका (जुलाई 2004)। न्यूनतम बोली बोलने वाला निश्चित शर्तों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार था जिसमें से एक धारा था श्रम एवं सामग्री के लिए मूल्यवृद्धि (एस्कलेशन)।

चूँकि फर्म का उपर्युक्त शर्तें पश्चात निविदा शर्तें थीं, मण्डल द्वारा निविदा निरस्त कर दिया (सितम्बर 2004) दो बार (दिसम्बर 2004 एवं दिसम्बर 2005) निविदा आमंत्रित करने के पश्चात अंतिम रूप से कार्य आदेश समझौते अनुबंध मूल्य 1.56 करोड़ रुपये का दिया गया परिणामतः अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता 40 लाख रुपये का हुआ।

- ऐसी ही प्रकरण में, 132 के.वी. उपकेन्द्र कांकेर में 46 कर्मचारी आवासगृहों के निर्माण के लिए प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 2002)। उचित प्रक्रिया के पश्चात निविदा खोला गया (अप्रैल 2003)। तत्पश्चात निर्माण कार्यों में व्ययों के न्यूनतमीकरण को ध्यान में रखते हुए आवासगृहों की आवश्यकता का पुनर्निर्धारण (मार्च 2004) 21 किया गया। समझौते के बाद, न्यूनतम बोली बोलने वाला दरों की अनुसूची से ऊपर दर को 29.79 प्रतिशत से 24.20 प्रतिशत घटाने को तैयार हो गया अर्थात् 79.27 लाख रुपये तथा प्रस्ताव की वैधता समय समय पर बढ़ाकर 15 मई 2004 तक कर दिया गया।

मण्डल द्वारा प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण, बढ़ायी गयी वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात ही समझौते अनुबंध मूल्य 79.27 लाख रुपये का कार्य आदेश का अनुमोदन स्वीकृत किया जा सका। बोली बोलने वाले द्वारा 15 मई 2004 के पश्चात प्रस्ताव के वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए, निविदा निरस्त किया गया (जुलाई 2004)।

सितम्बर 2004 में नए सिरे से निविदा आमंत्रित किया गया तथा समझौता अनुबंध मूल्य 97.04 लाख रुपये का कार्य आदेश दिया गया (अगस्त 2005), परिणामतः अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता 17.77 लाख रुपये का हुआ।

यद्यपि इन दोनों प्रकरणों में निविदाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब होने के कारण, मण्डल को 57.77 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता उठाना पड़ा।

प्रबंधन/शासन ने बताया (फरवरी /जून 2007) कि दंतेवाड़ा एवं काँकर जिलो में क्रमशः 59 एवं 46 कर्मचारी आवासगृहों निर्माण के लिए प्रशासकीय अनुमोदन उस समय वहाँ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर स्वीकृत किया गया था (दिसम्बर 2002 /जनवरी 2003)। किन्तु बाद में कर्मचारियों की संख्या में बहुत अधिक कमी आने से परिवर्तन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गयी थी, जो कि कुछ समय ले ली तथा अनुबंध देने के निर्णय में हुई विलम्ब न्यायोचित मान सकते हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवासगृहों की संख्या का पुनर्निर्धारण पूरा हो चुका था (मार्च 2004), मण्डल क्रमशः 15 जून 2004 तथा 15 मई 2004 की वैधता अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने में चूक किया। यद्यपि प्रस्ताव के वैधता अवधि के भीतर निविदा के अंतिमीकरण करने में विलम्ब के परिणामतः अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता 57.77 लाख रुपये का उठाना पड़ा।

6.3.3 निविदा के धारा लागू न करने के कारण हानि

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी.एस.पिनो की आपूर्ति न करने के कारण तथा तत्पश्चात दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध लागत एवं जोखिम धारा लागू किये बिना मण्डल द्वारा उच्च दरों पर खरीदी के कारण मण्डल को 16.82 लाख रुपये की हानि हुई।

मण्डल द्वारा 11/33 के.वी.जी.एस. पिनो की आपूर्ति हेतु फ्री आन रेल (एफ.ओ.आर.) गन्तव्य दर नीचे दिये अनुसार न्यूनतम मूल्यों पर पाँच¹ फर्मो को आदेश दिया (अप्रैल 2003):

| क्र. सं. | मर्दे | कुल आदेशित मात्रा (संख्या) | दर (रुपयों में) | कुल मूल्य (लाख रुपयों में) |
|------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | 11 के.वी.जी.एस. पिनो | 1,53,000 | 23.48 | 35.92 |
| 2. | 33 के.वी.जी.एस. पिनो | 28,560 | 73.15 | 20.89 |
| योग | | | | 56.81 |

आपूर्ति अनुसूची के अनुसार आपूर्ति मई 2003 से जुलाई 2004 के दौरान किया जाना था। पचास प्रतिशत मात्रा की सुपुर्दगी (मई से दिसम्बर 2003) करने के पश्चात, चार फर्मो द्वारा सुपुर्दगी करने से मुकर गये जबकि पाँचवें फर्म (स्टैण्डर्ड फेब्रिकेटर्स) द्वारा कच्चा सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किसी भी प्रकार की आपूर्ति नहीं किया गया। क्रय आदेश के उपबंध के अनुसार यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समयावधि में सामग्री की सुपुर्दगी करने में चूक करता है, तो मण्डल आपूर्तिकर्ता के जोखिम एवं लागत पर सामग्री क्रय कर सकता है। किन्तु मण्डल द्वारा इस संबध में कोई कार्यवाही नहीं किया

¹ हेमको इण्डस्ट्रीज, सुशीला इण्डस्ट्रीज, फिरोटेक, हाईटेंशन एवं स्टैण्डर्ड फेब्रिकेटर्स।

था, जबकि, आवश्यकता होने के कारण नये सिरे से निविदा आमंत्रित कर (अगस्त 2004) उच्च दरों (प्रति 11 के.वी. का 42.15 रूपये तथा प्रति 33 के.वी. का 121.08 रूपये) पर सामग्री क्रय किया गया (दिसम्बर 2004) जिससे अतिरिक्त व्यय 22.10 लाख रूपये हुआ। मण्डल द्वारा जोखिम क्रय धारा लागू न कर अतिरिक्त व्यय के दोषी आपूर्तिकर्ताओं से वसूली के संबंध में कार्यवाही करने में असफल रहा। परिणामतः बैंक गारंटी राशि के वसूली के समायोजन के पश्चात मण्डल को 16.82 (22.10 लाख - 5.28 लाख² रूपये) लाख रूपये की हानि हुई।

शासन/प्रबंधन ने बताया (जुलाई /जनवरी 2007) कि धरोहर राशि जमा की छूट जो फर्मों को थी उसे तीन वर्षों के लिए वापस ले लिया तथा सुरक्षा निधि की राशि भी हरण कर ली गई है। उत्तर मान्य नहीं। यद्यपि सुरक्षा निधि (5.28 लाख रूपये) के हरण के पश्चात भी 16.82 लाख रूपये वसूल करना था किन्तु मण्डल द्वारा क्रय आदेश में जोखिम एवं लागत धारा प्रावधान के बावजूद इस राशि को आपूर्तिकर्ताओं से वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया। मण्डल ने इन फर्मों को काली सूची में भी शामिल नहीं किया।

6.3.4 देयों की वसूली न होना

मण्डल द्वारा, दोषी उच्च दाब उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने में असाधारण विलम्ब परिणामतः 27.55 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई।

अनुबंध के अधीन दो वर्षों के लिए मण्डल द्वारा हनुमान माईनर ऑयल (प्राइवेट) लिमिटेड (उपभोक्ता) को उच्च दाब कनेक्शन जारी किया (14 जनवरी 2003) उपभोक्ता द्वारा विद्युत चार्जस (4.15 लाख रूपये) का भुगतान न किए जाने के कारण उनका विद्युत पूर्ति अवरुद्ध कर दिया गया (जून 2003) तत्पश्चात पुनः जोड़ दिया गया (फरवरी 2004) क्योंकि उपभोक्ता द्वारा अवशिष्ट राशि का 50 प्रतिशत 7.46 लाख रूपये का भुगतान कर दिया साथ ही शेष राशि 7.46 लाख रूपये का भुगतान दो समान मासिक किश्तों में चालू माह के बिल के साथ करने के लिए सहमत हो गया था। मार्च 2004 माह के बिल के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा 8.39 लाख रूपये का धनादेश जारी किया (19 अप्रैल 2004) जो कि अनादृत हो गया (मई 2004)। विद्युत आपूर्ति पुनः 24 मई 2004 को अवरुद्ध कर दिया। उपभोक्ता को जनवरी 2005 तक के लिए जो कि उच्च दाब अनुबंध के समाप्त होने की अवधि थी बिल जारी किया गया तथा सुरक्षा निधि राशि के समायोजन के पश्चात 27.55 लाख रूपये की राशि वसूली योग्य थी (जुलाई 2007)।

विनियम साध्य विलेख अधिनियम (अधिनियम) के अधीन देय वसूली के लिए मण्डल को बैंक द्वारा धनादेश अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को नोटिस दिया जाना था तथा नोटिस दिए जाने के 45 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत वाद दायर किया जाना था। कानूनी मत (जून 2004) के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रभावी वसूली सरल है, इसके बावजूद मण्डल द्वारा इस अधिनियम के तहत वाद दायर नहीं किया था। दो वर्ष व्यतीत होने के बाद मण्डल द्वारा सिविल

² सुरक्षा जमा से राशि वसूल हुई।

वाद दायर करने की अनुमति दिया था (मार्च 2006) तथा वकील नियुक्ति किया गया। कोर्ट फीस 1.43 लाख रुपये जमा किया गया (नवम्बर 2006) तथा सिविल वाद दायर किया गया (जनवरी 2007) जो कि सुनवाई के लिए विचारधीन है (सितम्बर 2007)। यद्यपि मण्डल द्वारा लगभग 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही वसूली के लिए कार्यवाही कर सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2007) कि राजस्व निर्देश नियमावली में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रायपुर द्वारा अनादृत धनादेश उपभोक्ता को लौटाकर भुगतान करने के लिए निवेदन किया। यद्यपि अनादृत धनादेश उपलब्ध नहीं था अतः अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत वाद मान्य नहीं था। उत्तर दर्शाता है कि राजस्व निर्देश नियमावली को अधिनियम के साथ केन्द्रित नहीं किया था। इसलिए शासन को चाहिए कि नियमावली के प्रावधानों की जाँच करे तथा आवश्यक होने पर प्रभावी परिवर्तन ऐसे प्रकरणों में मण्डल एवं शासन के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम

6.3.5 निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी (मैनीपुलेशन)

दीमक रोधी उपचार कार्य आदेश एवं क्रियान्वयन के निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी जिससे संदेहात्मक व्यय 20.69 लाख रुपये हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (निगम) द्वारा निगम के विभिन्न गोदामों के 20 लाख वर्गफीट में खण्ड आधार पर दीमकरोधी उपचार कार्य के लिए साप्ताहिक समाचार पत्र³ में बिना प्रसारण के जानकारी के निविदा आमंत्रित किया (मई 2004) चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे (मई 2004) तथा न्यूनतम दर 6.95 रुपये प्रति वर्गफीट का प्रस्ताव नेशनल पेस्ट कंट्रोल (एन पी सी) का प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकार कर लिया गया। 13 शाखाओं के गोदामों के 3.04 लाख वर्ग फीट के लिए कार्य आदेश दिया गया जून 2004 फर्म को 20.69 लाख रुपये का भुगतान किया गया (जुलाई से दिसम्बर 2004)।

लेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फील्ड कार्यालयों से दीमक उपचार हेतु कोई माँग नहीं आया था। विषय की शुरुआत मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं निगम के पदेन सभापति के आदेश (फरवरी 2004) से हुआ था जिसमें कहा गया था कि एन पी सी द्वारा निगम के विभिन्न गोदामों में कीड़ा नियंत्रण की आवश्यकता निर्धारण के संबंध में सर्वेक्षण किया था तथा उसी फर्म को कीड़ा नियंत्रण उचार हेतु कार्य आदेश दिया जाना था।

छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार के क्रय नियमों के अनुसार अनुबंध की अनुमानित लागत 20 लाख रुपये से अधिक होने पर दो बहुचलन वाले राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार

³ समाचार पत्र के पूर्व वृत्तान्त की जाँच की गई तथा यद्यपि यह दैनिक सांघ्या समाचार पत्र के रूप में तथा स्वामित्व श्री मिलन कुमार भट्टाचार्य दिखाया गया है, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से सत्यापन पर पाया गया कि यह साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में पंजीकृत (पंजीयन संख्या 71491) था तथा कुमारी सुमन दीक्षित का स्वामित्व था।

पत्र में निविदा आमंत्रण सूचना करने के पश्चात ही अनुबंध दिया जाना चाहिए था। इसी तरह केवल उन्हीं फर्मों से क्रय किया जाना चाहिए जो वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत हो तथा जिसे आयकर विभाग से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त हो। चूँकि निविदा आमंत्रण को विस्तृत रूप से प्रसारित नहीं किया गया था जिससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। साथ ही फर्म से वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन का प्रमाण तथा आय कर विभाग से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना आदेश दे दिया गया (जून 2004)।

दोषपूर्ण निविदा आमंत्रण तथा फर्म के विश्वसनीयता के सत्यापन के बिना कार्यदेश देना फर्मों के चयन में पारदर्शिता का अभाव प्रकट करता है तथा 20.69 लाख रुपये के भुगतान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। लेखापरीक्षा द्वारा मामला ध्यान में लाने पर (अगस्त 2006) शासन ने कहा विभागीय जाँच की जा रही है (अक्टूबर 2006) तथा जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जांच की प्रगति अप्राप्त था (सितम्बर 2007)।

रायपुर
दिनांक

(सुवीर मल्लिक)
महालेखाकार, छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट- 1.1

(संदर्भ कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

भाग - अ: शासकीय लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा

शासकीय लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

भाग 1: समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग 2: आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रदाय के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है तब आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग 3: लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों के कुछ लेन देन जैसा कि लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचन्त, प्रेषणों इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं यह लेन-देन विधान मण्डल द्वारा दत्तमत नहीं होते हैं।

भाग ब: वित्त लेखाओं का खाका

(संदर्भ कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

| | |
|------------------|---|
| विवरण क्रमांक 1 | राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश का प्रदर्शन करता है- राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियाँ और व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत मदें, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं भुगतान आदि |
| विवरण क्रमांक 2 | इसमें वर्ष 2006-07 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाते हुए पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निहित है । |
| विवरण क्रमांक 3 | इसमें सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ चालन व्यय और संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि दिए गए हैं |
| विवरण क्रमांक 4 | इसमें राज्य के ऋणों की स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से उधारियां, अन्य अनुगृहिताओं और ऋणों की सेवाएं निहित हैं, का सारांश दर्शाता है । |
| विवरण क्रमांक 5 | राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों और अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतान और वसूलियों की बकाया, इत्यादि का सारांश दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 6 | सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी का सार दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 7 | ऐसे शेषों से निर्मित नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 8 | 31 मार्च 2007 की स्थिति में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 9 | वर्ष 2006-07 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व और व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 10 | वर्ष के दौरान प्रभारित और दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 11 | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 12 | इसमें राजस्व व्यय के लेखे योजना, राज्य योजनागत और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पृथक रूप से लघु शीर्षों के |

| | |
|------------------|---|
| | अधीन एवं पूंजीगत व्यय के लेखे मुख्य शीर्ष वार दर्शाए गए हैं। |
| विवरण क्रमांक 13 | वर्ष 2006-07 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 14 | वर्ष 2006-07 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनियों अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेश का विवरण दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 15 | वर्ष 2006-07 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय एवं इस व्यय के लिए जिन मुख्य स्रोतों से निधियाँ जुटाई गईं को दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 16 | ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सम्बंधित लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों के विस्तृत लेखे दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 17 | छत्तीसगढ़ सरकार के ऋणों और अन्य ब्याजधारी बाध्यताओं का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है। |
| विवरण क्रमांक 18 | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत लेखा, वर्ष के दौरान ऋणों की राशि का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2007 की स्थिति में शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण दर्शाता है। |
| विवरण क्रमांक 19 | यह आरक्षित निधियों/जमा लेखों के चिन्हित शेषों का विवरण दर्शाता है। |

भाग स: पहले अध्याय में उपयोग में लाये गये शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार

(संदर्भ कंडिका 1.2 पृष्ठ 4)

| शब्द | संगणना के आधार |
|---|--|
| उत्प्लावकता का मापसूचक | माप सूचक की वृद्धि की दर (प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (प्रतिशत) |
| अन्य माप सूचक (Y) से उत्प्लावकता का मापसूचक (X) | माप सूचक की वृद्धि दर (X) माप सूचक की वृद्धि दर (Y) |
| वृद्धि की दर | $[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$ |
| अंश परिवर्तन/माप सूचक की परिवर्तन दर | व्यय अथवा राजस्व जैसा भी प्रकरण हो, में पांच वर्षों में अंश प्रतिशत की प्रवृत्ति के माप सूचक |
| विकास व्यय | सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ |
| भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान) | ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100 |
| ब्याज वृद्धि | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारत ब्याज दरें |
| दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत | ब्याज की प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष ऋणों एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100 |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान |
| चालू राजस्व से शेष | राजस्व प्राप्तियां ऋण '2048 - ऋण की कमी या परिहार्यता' के अंतर्गत ऋणों के अतिरिक्त सभी आयोजनागत अनुदानों एवं योजनेत्तर राजस्व व्यय |

परिशिष्ट -1.2

(संदर्भ कंडिका 1.2 एवं 1.6; पृष्ठ 4 एवं 21)

31 मार्च 2007 को छत्तीसगढ़ शासन के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

| 31-03-2006 को | | देयताएं | 31-03-2007 को | |
|---------------|---------------------|---|---------------|----------|
| 7827.75 | | आंतरिक ऋण | | 8503.42 |
| | 2627.73 | ब्याज सहित बाजार ऋण | 2606.06 | |
| | 75.94 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 2.37 | |
| | 1065.50 | अन्य संस्थाओं से ऋण | 1100.19 | |
| | | अर्थोपाय अग्रिम | - | |
| | | भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविक्रय | - | |
| | 4058.58 | केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति | 4794.80 | |
| 2230.77 | | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | | 2272.81 |
| | 0.68 | 1984-85 से पूर्व के ऋण | 0.68 | |
| | 2.99 | आयोजनेत्तर ऋण | 5.80 | |
| | 2201.79 | राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण | 2239.44 | |
| | 0.19 | केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण | 0.19 | |
| | 25.12 | केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण | 26.70 | |
| 40.00 | | आकस्मिकता निधि | | 37.17 |
| 1563.23 | | लघु बचत, भविष्य निधियां आदि | | 1576.17 |
| 1107.21 | | निक्षेप | | 1439.33 |
| 939.36 | | आरक्षित निधियां | | 789.68 |
| -9.23 | | उचन्त एवं विविध शेष | | 47.46 |
| 13699.09 | | योग | | 14666.04 |
| परिसंपत्तियाँ | | | | |
| 6792.67 | | अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय | | 8990.77 |
| | 102.74 | कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश | 159.64 | |
| | 6689.93 | अन्य पूंजीगत परिव्यय | 8831.13 | |
| 1188.43 | | ऋण एवं अग्रिम | | 1604.61 |
| | 765.06 | ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण | 708.63 | |
| | 430.00 | अन्य विकास ऋण | 904.16 | |
| | - 6.63 [#] | सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण | (-) 8.18 | |
| 40.00 | | आकस्मिक निधि को विनियोग | | 40.00 |
| 2.01 | | अग्रिम | | 1.90 |
| 222.74 | | प्रेषण शेष | | 195.93 |
| 1312.49 | | नगद | | 2302.37 |
| | 0.22 | कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | 0.22 | |
| | -485.40 | रिजर्व बैंक में निक्षेप | (-) 611.85 | |
| | 14.70 | स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय नगद शेष | 20.90 | |
| | 1782.97 | नगद शेष निवेश एवं चिन्हित निधि निवेश | 2893.10 | |
| 4114.11 | | शासकीय लेखे में घाटा | | 1504.07 |
| | -5481.77 | (i) संचित घाटा | (-)4114.11 | |
| | -13.69 | (ii) विविध शासकीय लेखा | (-) 40.76 | |
| | | (iii) जोड़िये : चालू वर्ष का राजस्व घाटा | - | |
| | 1381.35 | (iv) घटाईये : चालू वर्ष की राजस्व आधिक्य | 2650.80 | |
| 26.64 | | अन्तर्राज्यीय समाशोधन | | 26.39 |
| 13699.09 | | योग | | 14666.04 |

सम्पत्तियाँ एवं दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच बंटवारा न होने के बजह से ऋणात्मक शेष।

परिशिष्ट- 1.3

(संदर्भ कड़िका 1.2 पृष्ठ 4)

वर्ष 2006-07 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | | | |
|-----------------|---------|---|----------|----------|--|---------|---------|----------|
| 2005-06 | 2006-07 | | 2005-06 | 2006-07 | | | | |
| | | | | आयोजनेतर | आयोजनगत | योग | | |
| अनुभाग क राजस्व | | | | | | | | |
| 8838.49 | I. | राजस्व प्राप्तियाँ | 11453.24 | 7457.14 | राजस्व व्यय | 6194.03 | 2608.41 | 8802.44 |
| | 4051.91 | कर राजस्व | 5045.70 | 2186.91 | सामान्य सेवाएं | 2629.32 | 9.77 | 2639.09 |
| | | | | 2847.73 | सामाजिक सेवाएं | 1749.93 | 1708.96 | 3458.90 |
| | 1229.53 | कर भिन्न राजस्व | 1451.34 | 1224.07 | शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति | 685.66 | 722.41 | 1408.07 |
| | | | | 292.87 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 181.79 | 160.18 | 341.97 |
| | 2507.82 | संघीय करों का राज्यांश | 3198.80 | 311.51 | जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास | 99.10 | 478.52 | 577.62 |
| | 224.95 | आयोजनेतर अनुदान | 350.44 | 11.59 | सूचना एवं प्रसारण | 14.42 | 0.52 | 14.94 |
| | | | | 490.44 | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 414.65 | 118.53 | 533.18 |
| | 525.48 | राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 856.39 | 27.00 | श्रम एवं श्रम कल्याण | 19.76 | 9.98 | 29.74 |
| | | | | 487.67 | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार | 331.57 | 216.26 | 547.83 |
| | 298.80 | केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान | 550.57 | 2.58 | अन्य | 2.97 | 2.58 | 5.55 |
| | | | | 2089.85 | आर्थिक सेवाएं | 1357.38 | 870.68 | 2228.06 |
| | | | | 989.87 | कृषि एवं संलग्न गतिविधियाँ | 585.12 | | |
| | | | | 577.85 | ग्रामीण विकास | 299.15 | 344.62 | 643.77 |
| | | | | - | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | - | - | - |
| | | | | 123.00 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 93.87 | 42.37 | 136.24 |
| | | | | 136.68 | ऊर्जा | 135.23 | 48.26 | 183.49 |
| | | | | 75.97 | उद्योग एवं खनिज | 31.99 | 55.17 | 87.16 |
| | | | | 161.65 | परिवहन | 203.81 | 26.71 | 230.52 |
| | | | | 3.64 | विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 0.45 | 7.24 | 7.69 |
| | | | | 21.19 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 7.76 | 20.70 | 28.46 |
| | | | | 332.65 | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 457.39 | 19 | 476.39 |
| | II. | अनुभाग ख को अग्रनित 641.10 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा | | 1381.35 | II- अनुभाग ख को अग्रनीत राजस्व बचत | | | 2650.80 |
| 8838.49 | | योग - क | 11453.24 | 8838.49 | योग - क (I + II.) | | | 11453.24 |
| अनुभाग ख अन्य | | | | | | | | |
| 701.44 | III | स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष | 1312.49 | - | III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकल्प | | | |
| | IV | विविध पुंजीगत प्राप्तियाँ | | | IV पुंजीगत परिचय | 29.02 | 2169.08 | 2198.10 |
| | | | | 27.57 | सामान्य सेवाएं | 3.03 | 71.76 | 74.79 |
| | | | | 367.32 | सामाजिक सेवाएं | 1.38 | 501.59 | 502.97 |
| | | | | 77.26 | शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति | - | 133.85 | 133.85 |
| | | | | 38.48 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | - | 75.63 | 75.63 |
| | | | | 43.07 | जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास | - | 114.48 | 114.48 |

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | | |
|-------------|--|---------|---------|-------------------|----------|---------|------|
| 2005-06 | | 2006-07 | 2005-06 | | 2006-07 | | |
| | | | | | आयोजनेतर | आयोजनगत | योग |
| | | | 0.34 | सूचना एवं प्रसारण | 0.28 | - | 0.28 |

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | | |
|-------------|--|---------|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 2005-06 | | 2006-07 | 2005-06 | | 2006-07 | | |
| | | | | | आयोजनेतर | आयोजनगत | योग |
| | | | 183.73 | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | - | 159.19 | 159.19 |
| | | | 22.02 | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार | 1.10 | 14.68 | 15.78 |
| | | | 2.42 | अन्य सामाजिक सेवाएं | | 3.76 | 3.76 |
| | | | 1102.02 | आर्थिक सेवाएं | 24.61 | 1595.73 | 1620.34 |
| | | | 26.30 | कृषि एवं संलग्न गतिविधियां | 0.11 | 80.53 | 80.64 |
| | | | 45.52 | ग्रामीण विकास | - | 155.09 | 155.09 |
| | | | 547.07 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | - | 636.41 | 636.41 |
| | | | 25.00 | ऊर्जा | - | 0.02 | 0.02 |
| | | | 51.44 | उद्योग एवं खनिज | - | 68.78 | 68.78 |
| | | | 403.98 | परिवहन | 24.50 | 647.75 | 672.25 |
| | | | 2.71 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | - | 7.15 | 7.15 |
| | | | 1496.91 | योग (पूँजीगत लेखे) | 29.02 | 2169.08 | 2198.10 |

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | |
|-------------|---------|---|----------|----------|---|-----------|
| 2005-06 | | | 2006-07 | 2005-06 | | 2006-07 |
| | V | अन्तर्राज्यीय समाशोधन | 1.98 | | V अन्तर्राज्यीय समाशोधन | 1.73 |
| 17.92 | VI | ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ | 354.95 | 337.48 | VI ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण | 771.13 |
| | 1.97 | विद्युत परियोजनाओं से | 56.43 | 205.25 | विद्युत परियोजनाओं हेतु | निरंक |
| | 1.96 | सरकारी सेवकों से | 1.55 | 0.06 | सरकारी सेवकों को | निरंक |
| | 13.99 | अन्य से | 296.97 | 132.17 | अन्य को | 771.13 |
| 1381.35 | | अधनीत राजस्व बचत | 2650.80 | - | VII अधनीत राजस्व घाटा | |
| 1234.35 | | लोक ऋण प्राप्तियाँ | 936.97 | 443.55 | VIII लोक ऋणों का पुनर्मुग्तान | 219.26 |
| | 1178.07 | अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण | 881.84 | 278.84 | अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण | 206.17 |
| | | अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन | -- | - | अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन | -- |
| | 56.28 | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 55.13 | 164.71 | केन्द्र सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्मुग्तान | 13.08 |
| -- | | आकस्मिता निधि को विनियोग | | - | IX आकस्मिता निधि को विनियोग | - |
| -- | | आकस्मिकता निधि को अन्तरित राशि | | - | X आकस्मिकता निधि से व्यय | 2.83 |
| 10806.61 | | लोक लेखा प्राप्तियाँ | 13982.52 | 10551.24 | XI लोक लेखा संवितरण | 13744.28 |
| | 379.39 | लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ | 409.28 | 398.66 | लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ | 399.62 |
| | 247.16 | आरक्षित निधियाँ | 404.99 | 58.56 | आरक्षित निधियाँ | 554.67 |
| | 6580.76 | उचन्त एवं विविध | 7903.87 | 6594.52 | उचन्त एवं विविध | 7865.21 |
| | 2579.27 | प्रेषण | 3589.16 | 2594.69 | प्रेषण | 3562.34 |
| | 1020.03 | निक्षेप एवं अग्रिम | 1675.22 | 904.81 | निक्षेप एवं अग्रिम | 1362.44 |
| | XII | भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष | | 1312.49 | XII वर्ष के अंत में रोकड़ शेष | 2302.37 |
| | | | | 0.22 | कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण | 0.22 |
| | | | | -485.40 | रिजर्व बैंक के पास जमा | (-)611.85 |
| | | | | 14.70 | स्थायी रोकड़ अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष | 20.90 |
| | | | | 1782.97 | रोकड़ शेष निवेश तथा चिन्हित निधियों का निवेश | 2893.10 |
| 14141.67 | | योग ख | 19239.70 | 14141.67 | योग ख | 19239.70 |

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ कडिका 1.8 पृष्ठ 4)

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

| 2005-06 | स्रोत | 2006-07 | |
|----------|---|-----------|----------|
| राशि | | राशि | राशि |
| 8838.49 | 1. राजस्व प्राप्तियां | | 11453.24 |
| 17.92 | 2. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | | 354.95 |
| 790.80 | 3. लोक ऋण में वृद्धि | | 717.71 |
| 270.79 | 4. लोक लेखे से प्राप्तियां | | 238.23 |
| (-)19.27 | अ. लघु बचतों में वृद्धि | 9.66 | |
| 115.22 | ब. निक्षेपों एवं अग्रिमों में वृद्धि | 312.78 | |
| 188.60 | स. आरक्षित निधियों में वृद्धि | (-)149.68 | |
| - | द. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव | (+)26.81 | |
| (-)13.76 | ई. उच्चत एवं विविध | (+)38.66 | |
| | अंतिम नगद शेष में कमी | | |
| 9918 | योग | | 12764.13 |
| | उपयोग | | |
| 7457.14 | 1. राजस्व व्यय | | 8802.44 |
| 337.48 | 2. विकास एवं अन्य प्रयोजनों हेतु उधार | | 771.13 |
| 1496.91 | 3. पूंजीगत व्यय | | 2198.10 |
| -- | 4. आकस्मिकता निधि लेन-देनों का निवल प्रभाव | | 2.83 |
| 15.42 | 5. लोक लेखे से उपयोग | | |
| - | अ. उच्चत एवं विविध लेन-देनों का निवल प्रभाव | | |
| - | ब. विविध सरकारी लेखा | | |
| 15.42 | स. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव | | |
| 611.05 | 6. अंतिम नगद शेषों में वृद्धि | | 989.88 |
| | 7. अन्तर्राज्यीय समाशोधन | | (-)0.25 |
| 9918 | योग | | 12764.13 |

परिशिष्ट 1.1,1.2 एवं 1.3 हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

- विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जाएं।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण परिशिष्ट-1.2 में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य ह्रास या भण्डार के आंकड़े इत्यादि में भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।
- उच्चत एवं विविध शेषों में जारी परन्तु भुगतान नहीं किए गए बैंक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित समाशोधन सम्मिलित हैं।
- रोकड़ शेष में समाविष्ट 'रिजर्व बैंक में जमा' से संबंधित लेखों में प्रतिबिम्बित आंकड़ों यथा 18.82 करोड़ रुपये (क्रेडिट) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 593.03 लाख रुपये (डेबिट) के मध्य 18.82 करोड़ रुपये (क्रेडिट) का अंतर था। 31 मार्च 2007 के लेखों को बंद करने के पश्चात मिलान योग्य निवल अंतर की राशि 4.32 करोड़ रुपये (क्रेडिट) थी।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ कंडिका 1.2 एवं 1.6 पृष्ठ 4 एवं 21)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | भाग क - प्राप्तियाँ | | | | | |
| 1. राजस्व प्राप्तियाँ | 4376(81) | 5417 (77) | 5959(71) | 7249(79) | 8838(88) | 11453(90) |
| (i) कर राजस्व | 1993(46) | 2327(43) | 2588(43) | 3228(45) | 4052 (46) | 5046(44) |
| विक्रय, व्यापार, आदि पर कर | 940(47) | 1102(47) | 1299(50) | 1674(52) | 2089(52) | 2843(56) |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 314(16) | 362(16) | 402(15) | 458(14) | 635(15) | 707(14) |
| मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 121(6) | 148(06) | 171(7) | 248(8) | 313(8) | 390(8) |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 196(10) | 252(11) | 230(9) | 287(9) | 395(10) | 302(6) |
| अन्य कर | 422(21) | 463(20) | 486(19) | 561(17) | 620(15) | 804(16) |
| (ii) कर भिन्न राजस्व | 722(16) | 957(18) | 1124(19) | 1244(17) | 1229(14) | 1451(13) |
| खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 454(63) | 538(56) | 630(56) | 680(55) | 721(59) | 813(56) |
| वानिकी तथा वन्य जीवन | 98(14) | 106(11) | 141(13) | 160(13) | 203(17) | 206(14) |
| अन्य | 170(5) | 313(33) | 677(12) | 404(12) | 305(25) | 432(30) |
| (iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश | 1176(27) | 1350(25) | 1570(26) | 1876(26) | 2508(28) | 3199(28) |
| (iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान | 485(11) | 783(14) | 677(12) | 901(32) | 1049(12) | 1757(15) |
| 2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2) | 4376 | 5417 | 5959 | 7249 | 8838 | 11453 |
| 4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 04 | 19 | 11 | 15 | 18 | 355 |
| 4 (अ) अन्तर्राज्यीय समाशोधन | 05 | -- | -- | -- | -- | 02 |
| 5. लोक ऋण प्राप्तियाँ | 995(18) | 1613 (23) | 2432(29) | 1910(21) | 1234(12) | 937(7) |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त) | 654(66) | 1179(73) | 1978(81) | 1481(78) | 1178(95) | 882(94) |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 341(34) | 434(27) | 454(19) | 429(22) | 56(5) | 55(6) |
| 6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+4(अ)+5) | 5380 | 7049 | 8402 | 9174 | 10090 | 12747 |
| 7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. लोक लेखा प्राप्तियाँ | 5620 | 6924 | 7071 | 9295 | 10807 | 13982 |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8) | 11000 | 13973 | 15473 | 18469 | 20897 | 26729 |

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | भाग - ख व्यय/संवितरण | | | | | |
| 10. राजस्व व्यय | 4945(90) | 5530(86) | 6600(81) | 7103(84) | 7457(80) | 8802(75) |
| आयोजनागत | 1017(21) | 1270(23) | 1541(23) | 1620(23) | 2008(27) | 2608(30) |
| योजनेत्तर | 3928(79) | 4260(77) | 5059(77) | 5483(77) | 5449(73) | 6194(70) |
| सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित) | 1746(35) | 1839(33) | 2154(33) | 2494(35) | 2186(29) | 2639(30) |
| सामाजिक सेवाएँ | 1915(39) | 2086(38) | 2269(34) | 2431(34) | 2848(38) | 3459(39) |
| आर्थिक सेवाएँ | 1150(23) | 1443(26) | 1917(29) | 1926(27) | 2090(28) | 2228(25) |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 133(3) | 162(03) | 260(4) | 252(4) | 333(5) | 476(6) |
| 11. पूंजीगत व्यय | 476(9) | 820(13) | 1016(12) | 1279(15) | 1497(16) | 2198(19) |
| आयोजनागत | 455(96) | 819 (99.9) | 1014 (99.8) | 1276(99.8) | 1493 (99.7) | 2169(98.7) |
| योजनेत्तर | 21(4) | 01(0.1) | 2 (0.2) | 3(.02) | 4(0.3) | 29(1.3) |
| सामान्य सेवाएँ | 20(4) | 19(02) | 22(2) | 29(2) | 28(2) | 75(3) |
| सामाजिक सेवाएँ | 106(22) | 137(17) | 186(18) | 256(20) | 367(24) | 503(23) |
| आर्थिक सेवाएँ | 350(74) | 664(81) | 808(80) | 994(78) | 1102(74) | 1620(74) |
| 12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण | 50(1) | 58(01) | 558(7) | 113(1) | 337(4) | 771(6) |
| 12 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन | 31 | 01 | -- | -- | -- | 02 |
| 13. कुल व्यय (10+11+12+12(अ)) | 5502 | 6409 | 8174 | 8495 | 9291 | 11773 |
| 14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 184 | 413 | 778 | 1152 | 444 | 219 |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त) | 45(24) | 47(11) | 89(11) | 124(11) | 279(63) | 206(94) |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 139(76) | 366(89) | 689(89) | 1028(89) | 165(37) | 13(6) |
| 15. आकस्मिक निधि में विनियोग | (-) 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15) | 5686 | 6822 | 8952 | 9647 | 9735 | 11992 |
| 17. आकस्मिक निधि संवितरण | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 18. लोक लेखा संवितरण | 5223 | 6644 | 6824 | 8536 | 10551 | 13744 |
| 19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18) | 10909 | 13466 | 15776 | 18183 | 20286 | 25739 |

| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|--|----------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | भाग - ग घाटा | | | | | |
| 20. राजस्व घाटा (+)/राजस्व बचत (-) (1-10) | (-)569 | (-)113 | (-)641 | (+)146 | (+)1381 | (+)2651 |
| 21. राजकोषीय घाटा (3+4+4(अ)-13) | 1117 | 973 | (-)2204 | (-)1231 | (-)435 | (+)37 |
| 22. प्राथमिक घाटा (21-23) | (-)386 | (-)163 | (-)1150 | (-)79 | (+)527 | (+)1063 |
| | भाग - घ अन्य आंकड़े | | | | | |
| 23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित) | 731 | 810 | 1054 | 1152 | 962 | 1026 |
| 24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत) | 0.01 | 3.56 | 3.5 | 04 | 03 | 05 |
| 25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता ¹ | 701.29 | 799.14 | 1060.15 | 1195.70 | 1925.60 | 2592.55 |
| 26. लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिन) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 29545 | 31588 | 38610 | 45999 [#] | 51921 [#] | 57782 [#] |
| 29. बकाया ऋण (वर्षान्त) | 7421 | 9245 | 11144 | 12240 | 13273 ³ | 14113 |
| 30. बकाया गारंटियां* (वर्षान्त) | 466 | 266 | 295 | 620 | 855 | 486 |
| 31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त) | 508 | 309 | 807 | 1343 | 1782 | 2483 |
| 32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | 59 | 72 | 70 | 71 | 80 | 63 |
| 33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी | 1597 | 2023 | 2438 | 3042 | 3580 | 2968 |

टिप्पणियाँ: कोष्ठक में आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के पूर्ण योग के निकटतम प्रतिशत को दर्शाते हैं।

* उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य बंटवारे हेतु मध्यप्रदेश में 10,549 करोड़ रुपये रोके गए।

¹ स्रोत: विनियोजन लेखे तथा शासन से प्राप्त सूचनाएँ

[#] वर्ष 2004-05 से 2005-06 तक के आंकड़े बदल दिये गये हैं एवं वर्ष 2006-07 के आंकड़े राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े आना शेष है।

² चालू वर्ष के वित्त लेखे में प्रारंभिक शेष के आंकड़ों को बदल दिया गया है

परिशिष्ट- 1.6

(संदर्भ कडिका 1.5.4 पृष्ठ 21)

वर्ष 2006-07 में उपयोग न किए गए अनुदानों/ऋणों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | कुल जारी अनुदान | व्यय | शेष राशि |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | पंचायती राज संस्था | 857.10 | 794.88 | 62.22 |
| 2 | संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास | 289.72 | 185.57 | 104.15 |
| 3 | संचालक, स्वास्थ्य सेवायें | 1.59 | 1.19 | 0.40 |
| 4 | आयुक्त, आदिवासी विकास | 7.62 | 5.25 | 2.37 |
| 5. | आयुक्त, उच्च शिक्षा | 48.12 | 35.99 | 12.13 |
| 6. | नगर निगम एवं नगरपालिका | 581.59 | 544.14 | 37.45 |
| 7. | संचालक, स्वास्थ्य शिक्षा | 2.10 | -- | 2.10 |
| | योग | 1787.84 | 1567.02 | 220.82 |

परिशिष्ट 2.1

(कण्डिका 2.3.1 पृष्ठ 37)

वे प्रकरण जिसमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा।

(करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | कुल प्रावधान | बचत की राशि | प्रावधान का प्रतिशत |
|---------------------------|---------------|---|--------------|-------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (अ)- राजस्व दत्तमत | | | | | |
| 1 | 1 | सामान्य प्रशासन | 47.62 | 8.32 | 17.47 |
| 2 | 2 | सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय | 4.85 | 1.90 | 39.18 |
| 3 | 3 | पुलिस | 472.64 | 68.42 | 14.48 |
| 4 | 5 | जेल | 47.96 | 11.58 | 24.15 |
| 5 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 890.27 | 252.77 | 28.39 |
| 6 | 8 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | 180.05 | 70.88 | 39.37 |
| 7 | 9 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 6.57 | 2.36 | 35.92 |
| 8 | 10 | वन | 369.94 | 38.76 | 10.48 |
| 9 | 11 | वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 33.67 | 5.09 | 15.12 |
| 10 | 13 | कृषि | 121.99 | 23.21 | 19.03 |
| 11 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 77.17 | 12.24 | 15.86 |
| 12 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 24.88 | 4.56 | 18.33 |
| 13 | 17 | सहकारिता | 29.08 | 8.79 | 30.23 |
| 14 | 18 | श्रम | 10.50 | 4.04 | 38.48 |
| 15 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 306.83 | 86.12 | 28.07 |
| 16 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 166.14 | 17.78 | 10.70 |
| 17 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 21.50 | 6.71 | 31.21 |
| 18 | 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 47.57 | 38.57 | 81.08 |
| 19 | 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | 11.15 | 1.27 | 11.39 |
| 20 | 28 | राज्य विधान मण्डल | 13.52 | 3.69 | 27.29 |
| 21 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 54.68 | 11.69 | 21.38 |
| 22 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 247.22 | 51.93 | 21.01 |
| 23 | 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | 6.63 | 1.78 | 26.85 |
| 24 | 34 | समाज कल्याण | 14.82 | 2.55 | 17.21 |
| 25 | 36 | परिवहन | 11.14 | 3.30 | 29.62 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|-----|---|----------------|----------------|-------|
| 26 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 139.54 | 107.08 | 76.74 |
| 27 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 244.20 | 48.68 | 19.93 |
| 28 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 941.51 | 225.00 | 23.90 |
| 29 | 43 | खेल एवं युवक कल्याण | 5.85 | 1.08 | 18.46 |
| 30 | 44 | उच्च शिक्षा | 155.59 | 36.48 | 23.45 |
| 31 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 61.34 | 22.32 | 36.39 |
| 32 | 49 | अनुसूचित जाति कल्याण | 18.50 | 2.63 | 14.22 |
| 33 | 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व | 4.73 | 1.53 | 32.35 |
| 34 | 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | 15.90 | 4.17 | 26.23 |
| 35 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 220.92 | 94.48 | 42.77 |
| 36 | 56 | ग्रामोद्योग | 32.76 | 3.82 | 11.66 |
| 37 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 424.94 | 79.71 | 18.76 |
| 38 | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 160.12 | 109.65 | 68.48 |
| 39 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 481.23 | 61.23 | 12.72 |
| 40 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण | 285.35 | 104.15 | 36.50 |
| 41 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 76.10 | 18.47 | 24.27 |
| 42 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 146.87 | 17.98 | 12.24 |
| योग (अ) | | | 6633.84 | 1676.77 | |
| (ब) राजस्व भारित | | | | | |
| 43 | 1 | सामान्य प्रशासन | 6.93 | 2.93 | 42.28 |
| 44 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 101.69 | 10.35 | 10.18 |
| 45 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 14.80 | 4.07 | 27.50 |
| 46 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 10.13 | 1.71 | 16.88 |
| योग (ब) | | | 133.55 | 19.06 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|-----|---|----------------|----------------|--------|
| (स) पूंजीगत दत्तमत | | | | | |
| 47 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 3.85 | 1.58 | 41.04 |
| 48 | 8 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | 4.08 | 3.88 | 95.10 |
| 49 | 10 | वन | 10.23 | 2.53 | 24.73 |
| 50 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 5.03 | 5.00 | 99.40 |
| 51 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 14.80 | 4.07 | 27.50 |
| 52 | 17 | सहकारिता | 69.78 | 17.62 | 25.25 |
| 53 | 18 | श्रम | 3.18 | 3.18 | 100.00 |
| 54 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 15.75 | 5.76 | 36.57 |
| 55 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 65.79 | 28.95 | 44.00 |
| 56 | 23 | जल संसाधन विभाग | 332.02 | 64.11 | 19.31 |
| 57 | 25 | खनिज विभाग से संबंधित व्यय | 10.00 | 1.29 | 12.90 |
| 58 | 27 | स्कूल शिक्षा | 7.42 | 1.81 | 24.39 |
| 59 | 36 | परिवहन | 20.00 | 16.88 | 84.40 |
| 60 | 37 | पर्यटन | 9.30 | 2.15 | 23.12 |
| 61 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 81.53 | 55.34 | 67.88 |
| 62 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 472.94 | 99.37 | 21.01 |
| 63 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल | 324.33 | 93.56 | 28.85 |
| 64 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 143.65 | 25.75 | 17.93 |
| 65 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 20.25 | 8.17 | 40.35 |
| 66 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 3.00 | 1.38 | 46.00 |
| 67 | 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 24.54 | 18.31 | 74.61 |
| 68 | 67 | लोक निर्माण कार्य भवन | 159.20 | 27.28 | 17.14 |
| 69 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 87.73 | 35.43 | 40.39 |
| 70 | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 280.00 | 207.29 | 74.03 |
| 71 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 44.34 | 21.79 | 49.14 |
| 72 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 29.00 | 21.71 | 74.86 |
| योग (स) | | | 2241.74 | 774.19 | |
| महायोग (अ+ब+स) | | | 9009.13 | 2470.02 | |

परिशिष्ट- 2.2
(कंडिका 2.3.1 पृष्ठ 37)

प्रकरण जिनमें अनुदानों को योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही

(करोड़ रुपये में)

| सं. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत राशि | बचत का प्रतिशत |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|----------|----------------|
| (अ) | राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 3 | पुलिस | 2055-109-121- केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100 |
| 2 | 3 | पुलिस | 2070-107-5544-होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 100 |
| 3 | 8 | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | 2029-797-6753- पर्यावरण निधि का स्थानांतरण | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100 |
| 4 | 8 | - " | 2029-797-6754- अघोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरण | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100 |
| 5 | 8 | - " | 2216-03-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6764-दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 6 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 2852-80-800-1001- अतिरिक्त केन्द्र सहायता- 6711- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 100 |
| 7 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2210-80-800-1201- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें- 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम अंतर्गत अनुदान | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 100 |
| 8 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2215-01-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 8223- रायगढ़ जल प्रदाय योजना | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |
| 9 | 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 2853-02-797-5390- खनिज निधियों में स्थानांतरण | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100 |
| 10 | 27 | स्कुल शिक्षा | 2202-80-800-1201- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य) - 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम अंतर्गत अनुदान | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 100 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत राशि | बचत का प्रतिशत |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|----------|----------------|
| (अ) | राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 11 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 3054-04-105-4855- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100 |
| 12 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 2055-003-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 5723- बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 13 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2408-01-190-6033- एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों में खाद्य वितरण | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 100 |
| 14 | 39 | - - | 2408-01-102-0801 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य-5427 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत वित्तीय सहायता | 25 | 0.00 | 25 | 100 |
| 15 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना- 6755- कम्प्यूटर शिक्षा योजना | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 100 |
| 16 | 41 | - - | 2202-80-796-800-1202-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ- 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 100 |
| 17 | 41 | - - | 2210-01-796-110-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना- 5481-स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 18 | 41 | - - | 2210-80-800-1202- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ -6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 100 |
| 19 | 41 | - - | 2225-02-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना- 5470- छत्तीसगढ़ आदिवासी हवाई प्रशिक्षण अकादमी को अनुदान | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 100 |
| 20 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 4235-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -5560- राज्य स्तरीय साधन केन्द्र | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत राशि | बचत का प्रतिशत |
|---------------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (अ) राजस्व दत्तमत | | | | | | | |
| 21 | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 2515-102-1202-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें -5442- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100 |
| 22 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2202-80-789-1203- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें-6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 100 |
| 23 | 64 | - " - | 2210-80-789-1203- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें-6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 100 |
| 24 | 64 | - " - | 2215-01-789-191-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2181-शहरी जल प्रदाय योजना | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 25 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण | 2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (सामान्य) -6807- एकीकृत आवास एवं गंदी बस्तियों का विकास | 56.80 | 0.00 | 56.80 | 100 |
| 26 | 69 | - " - | 2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6808- लघु एवं मध्यम जन संख्या वाले शहरों का अघोसंरचना विकास योजना | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 100 |
| योग - अ | | | | 338.71 | 0.00 | 338.71 | |
| (ब) पूँजीगत दत्तमत | | | | | | | |
| 27 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5617- औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क निर्माण | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 100 |
| 28 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6779 उर्जा विकास हेतु संयुक्त इंटरप्राइसेज/ अधिशासी | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 29 | 17 | सहकारिता | 4408-02-195-0910- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 5054- गोदाम का निर्माण | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत राशि | बचत का प्रतिशत |
|-----------|----------------|---|---|------------|---------------|----------|----------------|
| (ब) | पूँजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 30 | 17 | - - | 4425-107-0910- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 5666- एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 100 |
| 31 | 17 | - - | 6408-02-190-0910- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम - 5054- गोदामों का निर्माण (मार्केटिंग फेडरेशन) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100 |
| 32 | 17 | - - | 6425-107-0910- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम - 5666- एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 100 |
| 33 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 4216-01-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552- कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100 |
| 34 | 23 | जल संसाधन | 4701-39-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 35 | 23 | - - | 4701-40-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 36 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना | 4701-41-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना - 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 37 | 41 | - - | 4701-42-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना - 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | बचत राशि | बचत का प्रतिशत |
|-------------|----------------|--|--|------------|---------------|----------|----------------|
| 38 | 41 | - - | 4701-43-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना - 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| (ब) | पूँजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 39 | 41 | - - | 4701-44-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना - 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 40 | 41 | - - | 4701-45-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना - 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 41 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 4225-01-789-109-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -5025- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम अंशपूजी धन वेष्ठन | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |
| 42 | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 4059-01-051-1001- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (सामान्य)-6737- राज्य योजना आयोग हेतु भवन का निर्माण कार्य | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |
| 43 | 67 | - - | 4059-01-051-0101- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (सामान्य)-5691- वित्त भवन कार्य | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| 44 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 4225-02-796-277-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना- 5480- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1)) | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 100 |
| 45 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 4210-01-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -1353- चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालय | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100 |
| योग (ब) | | | | 41.66 | 0.00 | 41.66 | 100 |
| योग (अ + ब) | | | | 380.37 | 0.00 | 380.37 | |

परिशिष्ट- 2.3

(कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 38)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपये में)

| सं. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | लेखा शीर्ष | अप्रयुक्त बजट प्रावधान |
|----------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| (अ) | केन्द्र प्रवर्तित योजना | | | |
| 1 | 8 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन | 2029-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6337- भू-अभिलेख का अद्यतिकरण | 1.30 |
| 2 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2215-01-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-8305-शहरी जल प्रदाय योजना | 10.00 |
| 3 | 27 | स्कूल शिक्षा | 2202-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5660- एन.पी.ई.जी.ई.एल. | 4.00 |
| 4 | 27 | स्कूल शिक्षा | 2202-01-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 6794-सूचना तकनीकी | 2.51 |
| 5 | 37 | पर्यटन | 5452-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7630- केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश | 2.15 |
| 6 | 40 | आयाकट विभाग से संबंधित व्यय | 4705-210-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2823- फील्ड चैनल का निर्माण कार्य | 1.50 |
| 7 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (टी.एस.पी.)6794-सूचना प्रौद्योगिकी | 2.51 |
| 8 | 41 | - " - | 2215-01-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (टी.एस.पी.)-6813- जल अशुद्धता समस्या का उन्मूलन | 3.00 |
| 9 | 41 | - " - | 2225-02-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (टी.एस.पी.)-518-ग्रामीण बैंक योजना | 1.00 |
| 10 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 4202-02-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6733-मिनी टूल रूम की स्थापना | 1.70 |
| 11 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (एस.सी.पी.)-6794-सूचना प्रौद्योगिकी | 1.68 |
| 12 | 64 | - " - | 2215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (एस.सी.पी.)-6813-जल अशुद्धता समस्या का उन्मूलन | 1.00 |
| 13 | 67 | लोक निर्माण कार्य- भवन | 4403-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5620- पशुरोग नियंत्रण | 1.18 |
| योग (अ) | | | | 33.53 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | लेखा शीर्ष | अप्रयुक्त बजट प्रावधान |
|---|---------------|---|--|------------------------|
| (ब) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना | | | | |
| 14 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 2403-800-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5069- डेयरी विकास | 3.55 |
| 15 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2211-800-0801- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य -2498-परम्परागत गर्भनिरोधक का प्रदाय | 6.44 |
| 16 | 19 | - " - | 2211-800-0801- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य -6106-यूनिवर्सल इम्युनिजेशन | 6.00 |
| 17 | 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2408-01-102-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य -5427-विकेन्द्रकृत उत्पादन योजनांतर्गत आर्थिक सहायता | 25.00 |
| 18 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 2235-02-103-0801- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य -8687- बालिका समृद्धि योजना | 3.00 |
| 19 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 2210-02-101-0801- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य -5712-एलोपैथिक चिकित्सालय में औषधियों की भारतीय पद्धति के लिए विशेष क्लीनिक की स्थापना | 4.20 |
| योग (ब) | | | | 48.19 |
| (स) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/विशेष घटक योजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित करना | | | | |
| 20 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 2225-02-796-190-0602-स्वरोजगार योजना | 2.00 |
| 21 | 64 | अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना | 2801-06-789-800-0603-5084 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार | 1.54 |
| 22 | 64 | अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना | 2801-06-789-800-0603-5230 मजार/टोला का विद्युतीकरण | 1.18 |
| योग (स) | | | | 4.72 |
| महायोग (अ+ब+स) | | | | 86.44 |

परिशिष्ट - 2.4

(कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 39)

प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

| क्रं सं | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | मूल अनुदान/ विनियोग | पूरक अनुदान/ विनियोग | वास्तविक व्यय | बचत |
|------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (राजस्व दत्तमत) | | | | | | |
| 1 | 1 | सामान्य प्रशासन | 43.06 | 4.56 | 39.30 | 3.76 |
| ग्र | 2 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 3.90 | 0.95 | 2.95 | 0.95 |
| 3 | 3 | पुलिस | 445.16 | 27.49 | 404.22 | 40.94 |
| 4 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 889.23 | 1.04 | 637.50 | 251.73 |
| 5 | 8 | भू राजस्व तथा जिला प्रशासन | 176.31 | 3.74 | 109.17 | 67.14 |
| 6 | 13 | कृषि | 114.18 | 7.82 | 98.78 | 15.40 |
| 7 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 73.49 | 3.68 | 64.93 | 8.56 |
| 8 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 23.28 | 1.60 | 20.32 | 2.96 |
| 9 | 16 | मछली पालन | 7.59 | 0.21 | 7.48 | 0.11 |
| 10 | 18 | श्रम | 10.03 | 0.46 | 6.46 | 3.57 |
| 11 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 304.27 | 2.56 | 220.70 | 83.57 |
| 12 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 164.54 | 1.59 | 148.36 | 16.18 |
| 13 | 23 | जल संसाधन विभाग | 102.33 | 4.76 | 101.13 | 1.20 |
| 14 | 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 46.96 | 0.61 | 9.00 | 37.96 |
| 15 | 27 | स्कूल शिक्षा | 728.34 | 35.70 | 711.17 | 17.17 |
| 16 | 28 | राज्य विधान मण्डल | 13.49 | 0.02 | 9.83 | 3.66 |
| 17 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 50.56 | 4.12 | 42.99 | 7.57 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------------------|-----|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 18 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 227.89 | 19.34 | 195.29 | 32.60 |
| 19 | 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | 6.22 | 0.41 | 4.85 | 1.37 |
| 20 | 33 | आदिम जाति कल्याण | 435.42 | 0.13 | 396.56 | 38.86 |
| 21 | 38 | बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 130.89 | 8.65 | 32.46 | 98.43 |
| 22 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 840.08 | 101.44 | 716.51 | 123.57 |
| 23 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 5.75 | 0.10 | 4.77 | 0.98 |
| 24 | 44 | उच्च शिक्षा | 146.81 | 8.78 | 119.11 | 27.70 |
| 25 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 26.25 | 1.17 | 25.15 | 1.10 |
| 26 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 59.42 | 1.92 | 39.02 | 20.40 |
| 27 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 214.84 | 6.08 | 126.44 | 88.40 |
| 28 | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें | 160.00 | 0.12 | 50.47 | 109.53 |
| 29 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 70.71 | 5.39 | 57.63 | 13.08 |
| 30 | 80 | त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 556.07 | 26.25 | 543.19 | 12.88 |
| 31 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 141.98 | 4.88 | 128.89 | 13.09 |
| योग (अ) | | | 6219.05 | 285.57 | 5074.63 | 1144.42 |
| (ब) राजस्व भारत | | | | | | |
| 32 | 1 | सामान्य प्रशासन | 6.69 | 0.24 | 4.00 | 2.69 |
| 33 | 28 | राज्य विधान मण्डल | 0.42 | 0.10 | 0.11 | 0.31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------------------------|-----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 34 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 10.06 | 0.07 | 8.42 | 1.64 |
| 35 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| योग (ब) | | | 17.18 | 0.49 | 12.53 | 4.65 |
| (स) पूंजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 36 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 10.80 | 4.00 | 10.73 | 0.07 |
| 37 | 23 | जल संसाधन विभाग | 301.81 | 30.22 | 267.91 | 33.90 |
| 38 | 27 | स्कूल शिक्षा | 7.30 | 0.12 | 5.61 | 1.69 |
| 39 | 38 | बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 74.99 | 6.54 | 26.19 | 48.80 |
| 40 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 440.65 | 32.29 | 373.57 | 67.08 |
| 41 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 142.60 | 1.05 | 117.90 | 24.70 |
| 42 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 16.97 | 3.28 | 12.08 | 4.89 |
| 43 | 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें | 24.45 | 0.09 | 6.23 | 18.22 |
| 44 | 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय | 27.98 | 0.03 | 27.80 | 0.18 |
| 45 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 0.55 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| 46 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 84.60 | 3.13 | 52.30 | 32.30 |
| 47 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 41.34 | 3.00 | 22.55 | 18.79 |
| 48 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 9.00 | 20.00 | 7.29 | 1.71 |
| योग (स) | | | 1183.04 | 104.04 | 930.42 | 252.62 |
| (द) पूंजीगत भारित | | | | | | |
| 49 | 23 | जल संसाधन विभाग | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.24 |
| 50 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 0.10 | 0.42 | 0.07 | 0.03 |
| योग (द) | | | 0.40 | 0.65 | 0.13 | 0.27 |
| महायोग (अ + ब + स +द) | | | 7419.67 | 390.75 | 6017.71 | 1401.96 |

परिशिष्ट- 2.5

(कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 39)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | मूल अनुदान/विनियोग | पूरक अनुदान/विनियोग | वास्तविक व्यय | बचत |
|---------------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (अ) राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 5 | जेल | 32.95 | 15.01 | 36.38 | 11.58 |
| 2 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 62.24 | 8.96 | 66.21 | 4.99 |
| 3 | 10 | वन | 301.16 | 68.78 | 331.18 | 38.76 |
| 4 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 28.21 | 5.46 | 28.58 | 5.09 |
| 5 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 192.42 | 54.86 | 247.10 | 0.18 |
| 6 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 11.51 | 9.99 | 14.79 | 6.71 |
| 7 | 24 | लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल | 257.43 | 2.00 | 257.98 | 1.45 |
| 8 | 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | 8.49 | 2.66 | 9.88 | 1.27 |
| 9 | 32 | जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय | 19.32 | 12.50 | 29.79 | 2.03 |
| 10 | 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 140.85 | 103.35 | 195.52 | 48.68 |
| 11 | 46 | विज्ञान और तकनीकी | 6.96 | 1.00 | 7.69 | 0.27 |
| 12 | 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व | 1.71 | 3.02 | 3.20 | 1.53 |
| 13 | 56 | ग्रामोद्योग | 24.18 | 8.58 | 28.94 | 3.82 |
| 14 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 339.40 | 85.54 | 345.23 | 79.71 |
| 15 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 204.11 | 277.13 | 420.00 | 61.24 |
| 16 | 65 | विमानन विभाग | 7.98 | 1.48 | 9.17 | 0.29 |
| 17 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 28.58 | 17.45 | 44.25 | 1.78 |
| 18 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण | 14.85 | 270.50 | 181.20 | 104.15 |
| 19 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 400.47 | 144.72 | 529.45 | 15.74 |
| योग (अ) | | | 2082.82 | 1092.99 | 2786.54 | 389.27 |
| (ब) राजस्व भारित | | | | | | |
| 20 | 10 | वन | 13.15 | 5.37 | 18.44 | 0.08 |
| 21 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 0.05 | 0.40 | 0.44 | 0.01 |
| 22 | 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | 0.70 | 0.60 | 1.04 | 0.26 |
| योग (ब) | | | 13.90 | 6.37 | 19.92 | 0.35 |
| (स) पूंजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 23 | 3 | पुलिस | 0.00 | 3.50 | 2.97 | 0.53 |
| 24 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 1.84 | 2.00 | 3.82 | 0.02 |
| 25 | 17 | सहकारिता | 35.29 | 34.49 | 52.16 | 17.62 |
| 26 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 21.92 | 43.86 | 36.84 | 28.94 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 27 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 83.51 | 501.50 | 571.53 | 13.48 |
| 28 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 1.6 | 201.95 | 199.08 | 4.47 |
| 29 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 103.76 | 106.79 | 207.72 | 2.83 |
| 30 | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 127.56 | 31.64 | 131.92 | 27.28 |
| 31 | 80 | त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 40.19 | 7.00 | 47.07 | 0.12 |
| योग (स) | | | 415.67 | 932.73 | 1253.11 | 95.29 |
| महायोग (अ + ब + स) | | | 2512.39 | 2032.09 | 4059.57 | 484.91 |

परिशिष्ट - 2.6

(कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 39)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(राशि करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | अंतिम आधिक्य |
|---------------------------|---------------|---|---------------|------------------|---------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (अ) राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 4 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 8.71 | 11.53 | 20.52 | 0.28 |
| 2 | 67 | लोक निर्माण - कार्य | 121.01 | 5.20 | 126.41 | 0.20 |
| योग (अ) | | | 129.72 | 16.73 | 146.93 | 0.48 |
| (ब) पूंजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 3 | 24 | लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल | 215.93 | 66.40 | 283.34 | 1.01 |
| 4 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 31.04 | 10.0 | 44.67 | 3.63 |
| योग (ब) | | | 246.97 | 76.40 | 328.01 | 4.64 |
| महायोग (अ + ब) | | | 376.69 | 93.13 | 474.94 | 5.12 |

परिशिष्ट - 2.7
(कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 39)

योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

| सं. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य की राशि | आधिक्य का प्रतिशत |
|----------|---------------|-------------------------|---|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| (अ) | राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2215-01-005-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-1196- ग्रामीण जल प्रदाय सर्वे एवं खोज | 0.45 | 1.86 | 1.41 | 313.33 |
| 2 | 20 | - - | 2215-01-005-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4184-सर्वे तथा शहरी एवं आंशिक शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना और बड़े शहरों में जल निकासी योजना | 0.25 | 1.28 | 1.03 | 412.00 |
| 3 | 20 | - - | 2215-01-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5367-भिलाई जल प्रदाय योजना (एस ए डी ए) | 0.60 | 4.70 | 4.10 | 683.33 |
| 4 | 20 | - - | 2215-01-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5592-रायपुर जल प्रदाय योजना द्वितीय चरण | 0.10 | 1.44 | 1.34 | 1340.00 |
| 5 | 20 | - - | 2215-01-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8538- महासमुंद जल वृद्धि योजना | 0.25 | 1.36 | 1.11 | 444.00 |
| 6 | 23 | जल संसाधन विभाग | 2701-80-052-697- औजार एवं सयंत्र | 0.15 | 3.77 | 3.62 | 2413.33 |
| 7 | 23 | - - | 2701-80-799-9191- भण्डार | 0.29 | 2.76 | 2.47 | 851.72 |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य की राशि | आधिक्य का प्रतिशत |
|----------------|---------------|---|--|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 8 | 24 | लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल | 3054-01-337-134-अनुसूचित और मरम्मत साधारण मरम्मत | 0.30 | 2.81 | 2.51 | 836.67 |
| 9 | 27 | स्कूल शिक्षा | 2202-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - 5634- कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना | 1.25 | 2.92 | 1.67 | 133.60 |
| 10 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना | 2215-01-796-191-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना- 6473- जगदलपुर जल प्रदाय योजना | 0.50 | 5.20 | 4.70 | 940.00 |
| 11 | 44 | उच्च शिक्षा | 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7238- भारतीय कला विश्व विद्यालय खैरागढ़ | 1.40 | 2.89 | 1.49 | 106.43 |
| 12 | 44 | उच्च शिक्षा | 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3444- महाविद्यालयों को पोषक अनुदान | 1.30 | 2.84 | 1.54 | 118.46 |
| 13 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 3054-04-337-1467-जिला एवं अन्य सड़के | 20.00 | 49.96 | 29.96 | 149.80 |
| 14 | 67 | लोक निर्माण कार्य -भवन | 2059-80-799-1051-भण्डार | 1.50 | 3.56 | 2.06 | 137.33 |
| 15 | 67 | - " - | 2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम | 0.80 | 9.10 | 8.30 | 1037.50 |
| 16 | 67 | - " - | 2059-01-051-6220-लोक निर्माण कार्य विभाग | 0.15 | 1.22 | 1.07 | 713.33 |
| 17 | 67 | - " - | 2216-80-001-2300-निर्देश एवं प्रशासन-स्थापना शुल्क का प्रोराटा शेयर (अनुदान संख्या)- 67-2059-लोक निर्माण कार्य से स्थानांतरण | 2.30 | 10.89 | 8.59 | 373.48 |
| योग (अ) | | | | 31.59 | 108.56 | 76.97 | |

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | योजना का नाम | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य की राशि | आधिक्य का प्रतिशत |
|----------------------|----------------|-------------------------|--|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| (ब) | पूँजीगत दत्तमत | | | | | | |
| 18 | 23 | जल संसाधन विभाग | 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना सामान्य-4416- सर्वे | 0.05 | 3.32 | 3.27 | 6540.00 |
| 19 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना | 4701-35-796-800-0312- नाबार्ड प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 3.75 | 9.19 | 5.44 | 145.07 |
| 20 | 41 | - " - | 4702-796-800-0102- अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोगना-4416-सर्वे | 1.02 | 3.44 | 2.42 | 237.25 |
| 21 | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -1481-जिला प्रशासन | 0.41 | 2.07 | 1.66 | 404.88 |
| 22 | 67 | - " - | 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -2450-न्याय प्रशासन | 0.58 | 2.79 | 2.21 | 381.03 |
| 23 | 67 | - " - | 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -3885- लोक निर्माण विभाग भवन | 1.10 | 5.13 | 4.03 | 366.36 |
| 24 | 67 | - " - | 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -4485- सामान्य प्रशासन विभाग (भवन) | 1.00 | 3.76 | 2.76 | 276.00 |
| 25 | 67 | लोक निर्माण कार्य - भवन | 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -4143 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सेवाओं के लिए | 3.07 | 6.40 | 3.33 | 108.47 |
| 26 | 67 | - " - | 4216-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -5918- सामान्य प्रशासन विभाग | 1.00 | 2.59 | 1.59 | 159.00 |
| 27 | 67 | - " - | 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -2789-शासकीय प्राथमिक शाला का निर्माण मूलभूत सेवाओं के लिए | 0.02 | 1.61 | 1.59 | 7950.00 |
| योग (ब) | | | | 12.00 | 40.30 | 28.30 | |
| महायोग (अ +ब) | | | | 43.59 | 148.86 | 105.27 | |

परिशिष्ट - 2.8

(कड़िका 2.3.6; पृष्ठ 39)

कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है

(करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान एवं लेखाशीर्षक का नाम | मूल एवं पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | पुनर्विनियोजन पूर्व आधिक्य | पुनर्विनियोजन / समपण | अंतिम आधिक्य |
|----------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय-2235-60-800-1982-दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता | 0.20 | 0.31 | 0.11 | -0.02 | 0.13 |
| 2 | 3 | पुलिस -2055-001-3680- राज्य मुख्यालय | 8.06 | 8.81 | 0.75 | -0.05 | 0.80 |
| 3 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय -2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय | 5.2 | 8.1 | 2.90 | -0.29 | 3.19 |
| 4 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय -2039-001-1470- जिला कार्यापालिक स्थापना | 8.74 | 9.91 | 1.17 | -0.46 | 1.63 |
| 5 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय - 2403-001-1468 जिला और संभाग स्तर | 2.48 | 3.29 | 0.81 | -0.01 | 0.82 |
| 6 | 23 | जल संसाधन विभाग-2701-80-001-815- कार्यपालिक स्थापना | 24.60 | 44.13 | 19.53 | -1.26 | 20.79 |
| 7 | 23 | जल संसाधन विभाग-4701-80-002-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना | 2.00 | 2.88 | 0.88 | -0.60 | 1.48 |
| 8 | 33 | आदिम जाति कल्याण-2225-02-277-3492-माध्यमिक विद्यालय | 76.42 | 79.23 | 2.81 | -2.99 | 5.80 |
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-01-796-001-0102-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना -2721- प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर | 7.1 | 7.87 | 0.77 | -0.34 | 1.11 |
| 10 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित-5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के स्थानीय विकास कार्यक्रम | 14.96 | 17.18 | 2.22 | -0.58 | 2.80 |
| 11 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -4702-796-800-0102-अनुसूचित जन जाति क्षेत्र उपयोजना -4416-सर्वे | 1.02 | 3.44 | 2.42 | -0.33 | 2.75 |
| 12 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग-4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 717-आई.टी.आई. | 3.53 | 6.25 | 2.72 | -0.66 | 3.38 |
| 13 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय-3054-04-337-1467-जिला एवं अन्य सड़कें | 20 | 49.96 | 29.96 | -0.05 | 30.01 |

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान एवं लेखाशीर्ष का नाम | मूल एवं पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | पुनर्विनियोजन पूर्व आधिक्य | पुनर्विनियोजन / समपण | अंतिम आधिक्य |
|----------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 14 | 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय-4515-800-0101- राज्य आयोजना सामान्य- 8284-राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना | 23.53 | 23.78 | 0.25 | -0.01 | 0.26 |
| 15 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (एस.सी.पी.) -326-अछूतेपन का उन्मूलन हेतु परियोजनायें | 0.1 | 0.5 | 0.40 | -0.05 | 0.45 |
| 16 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5054-04-789-800-0103-एस.सी.पी.अनुसूचित जातियों के लिए -9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण | 41.35 | 44.06 | 2.71 | -1.75 | 4.46 |
| 17 | 80 | त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थानों को वित्तीय सहायता-2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 48 | 51.46 | 3.46 | -0.85 | 4.31 |

परिशिष्ट- 2.9

(कड़िका 2.3.6; पृष्ठ 39)

गलत पुनर्विनियोग
कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण द्वारा
अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप निम्नानुसार अंतिम रूप से आधिक्य रहा

(करोड़ रुपये में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम एवं लेखाशीर्ष | मूल एवं पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध बचत | पुनर्विनियोग/समर्पण | अंतिम आधिक्य |
|---------|---------------|---|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
| 1 | | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- 2049-03-104-4033-विभागीय ऋण पर ब्याज | 10.88 | 2.39 | 8.49 | -10.88 | 2.39 |
| 2 | | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- 2049-03-104-4487-सा.भ.नि. पर ब्याज | 131.54 | 117.02 | 14.52 | -131.54 | 117.02 |
| 3 | | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- 2049-04-101-3707-राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज | 47.47 | 40.37 | 7.1 | -7.35 | 0.25 |
| 4 | 1 | सामान्य प्रशासन-3451-090-4327-सचिवालय | 2.63 | 2.22 | 0.41 | -0.43 | 0.02 |
| 5 | 2 | सामान्य प्रशासन -2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग | 3.57 | 1.46 | 2.11 | -2.21 | 0.10 |
| 6 | 5 | जेल-056-101-938- केन्द्रीय एवं जिला जेलें | 23.95 | 21.60 | 2.35 | -2.49 | 0.14 |
| 7 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय-2054-097-1026- कोषालय स्थापना | 6.34 | 5.78 | 0.56 | -0.61 | 0.05 |
| 8 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय- 2030-03-001-1480-जिला शुल्कें | 3.48 | 2.74 | 0.74 | -0.75 | 0.01 |
| 9 | 8 | भूराजस्व एवं जिला प्रशासन-2029-102-1058-होल्डिंग का संकलन (चकबंदी) | 1.29 | 0.02 | 1.27 | -1.29 | 0.02 |
| 10 | 8 | भूराजस्व एवं जिला प्रशासन -2029-102-2833-फोरकाष्ट अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी का कार्यालय | 16.91 | 0.60 | 16.31 | -16.81 | 0.50 |
| 11 | 9 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय-4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 3427- मशीनें एवं उपकरण छपाई मशीनों की खरीद | 0.50 | 0.16 | 0.34 | -0.50 | 0.16 |
| 12 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय-2852-80-800-5520- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास सहकारी निगम, रायपुर | 1.99 | 1.40 | 0.59 | -0.61 | 0.02 |
| 13 | 15 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-2202-01-789-101-0603-भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित -4691- अनुसूचित जाति की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ | 2.60 | 1.22 | 1.38 | -1.51 | 0.13 |
| 14 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय-2217-05-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) -6752-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार | 2.70 | 1.43 | 1.27 | -1.37 | 0.10 |
| 15 | 23 | जल संसाधन विभाग-4700-06-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 2884- बाँध तथा संलग्न कार्य | 3.01 | 0.07 | 2.94 | -3.00 | 0.06 |
| 16 | 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल- 5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4336-राज्य में राज्यमार्ग सड़कों का निर्माण | 7.77 | 5.70 | 2.07 | -2.82 | 0.75 |
| 17 | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन-2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी | 2.34 | 1.63 | 0.71 | -0.75 | 0.04 |
| 18 | 33 | अदिम जाति कल्याण-2225-02-277-2675-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ | 29.13 | 27.01 | 2.12 | -2.90 | 0.78 |

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम एवं लेखाशीर्ष | मूल एवं पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध बचत | पुनर्विनियोग/समर्पण | अंतिम आधिक्य |
|---------|---------------|---|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
| 19 | 33 | आदिम जाति कल्याण-2225-02-277-2772-प्राथमिक शालायें | 176.28 | 151.76 | 24.52 | -27.45 | 2.93 |
| 20 | 33 | आदिम जाति कल्याण -2225-02-277-495- आश्रम और शालायें | 24.21 | 22.42 | 1.79 | -1.86 | 0.07 |
| 21 | 33 | आदिम जाति कल्याण -2225-02-277-583-उच्चतम माध्यमिक शालायें | 63.19 | 58.41 | 4.78 | -6.98 | 2.20 |
| 22 | 34 | समाज कल्याण-2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -5650- जिला निःशुक्त पुनर्वास केन्द्र | 0.97 | 0.15 | 0.82 | -0.83 | 0.01 |
| 23 | 34 | समाज कल्याण-2235-02-101-0101-5490-राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम | 1.67 | 1.34 | 0.33 | -0.39 | 0.06 |
| 24 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होनेवाला सहायता अनुदान-2059-01-053-5723-बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 7.63 | 0.98 | 6.65 | -6.80 | 0.15 |
| 25 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान-2059-60-053-5723-बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 7.63 | 0.98 | 6.65 | -6.81 | 0.16 |
| 26 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान -2216-01-106-5723-बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 22.89 | 0.70 | 22.19 | -22.23 | 0.04 |
| 27 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान -2406-01-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) -5723- बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 20.66 | 15.10 | 5.56 | -7.41 | 1.85 |
| 28 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान -3054-03-103-5723-बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान | 32.80 | 3.61 | 29.19 | -31.82 | 2.63 |
| 29 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान -4217-01-051-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)-5723-बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान | 50.00 | 3.17 | 46.83 | -49.29 | 2.46 |
| 30 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-2202-01-796-101-0102- अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोगना-5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना | 3.50 | 2.39 | 1.11 | -1.84 | 0.73 |
| 31 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना -2202-01-796-101-0102- अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोगना-5176- मिनी आई.टी.आई. की स्थापना | 5.36 | 2.58 | 2.78 | -4.31 | 1.53 |
| 32 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-4225-02-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्रों हेतु सुविधाओं का विकास (अनुच्छेद 275)-5480- | 37.88 | 36.39 | 1.49 | -1.93 | 0.44 |
| 33 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-4702-796-800-0312- लघु सिंचाई योजना- 5189- | 70.50 | 52.41 | 18.09 | -19.40 | 1.31 |
| 34 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना -4702-796-800-0102- लघु सिंचाई योजना | 56.10 | 47.14 | 8.96 | -11.70 | 2.74 |
| 35 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण-2204-103-2323- निर्देशन एवं प्रशासन | 1.15 | 0.77 | 0.38 | -0.39 | 0.01 |
| 36 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग-2203-112-502-ईजीनियरिंग महाविद्यालय | 10.70 | 4.91 | 5.79 | -6.41 | 0.62 |
| 37 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय-2235-02-102-0801- सी एस एस सामान्य-5355-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण | 1.40 | 0.09 | 1.31 | -1.33 | 0.02 |

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम एवं लेखाशीर्ष | मूल एवं पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध बचत | पुनर्विनियोग/समर्पण | अंतिम आधिक्य |
|---------|---------------|--|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
| 38 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2215-01-102-4377-सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की पूर्ति | 5.00 | 1.80 | 3.20 | -3.26 | 0.06 |
| 39 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-01-101-96-निष्काशितों को राहत | 3.00 | 0.87 | 2.13 | -2.33 | 0.20 |
| 40 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-01-102-2661-पेयजल की पूर्ति | 2.00 | 1.14 | 0.86 | -2.00 | 1.14 |
| 41 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-02-101-2018-नगद दान | 40.00 | 20.68 | 19.32 | -19.51 | 0.19 |
| 42 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत | 5.00 | 2.72 | 2.28 | -3.37 | 1.09 |
| 43 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाड़, नियंत्रण कार्य की मरम्मत और पुनःस्थापना | 20.00 | 3.38 | 16.62 | -18.95 | 2.33 |
| 44 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से आपदा राहत निधि में स्थानांतरण | 55.00 | 0.04 | 54.96 | -55.00 | 0.04 |
| 45 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय -2245-80-800-5492-पशुओं का टीकाकरण/पशुओं के टीकाकरण का प्रावधान | 6.00 | 0.01 | 5.99 | -6.00 | 0.01 |
| 46 | 64 | अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना-2225-01-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस सी पी-5191-अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास सहायता | 2.49 | 1.01 | 1.48 | -1.60 | 0.12 |
| 47 | 64 | अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना -2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस सी पी-2179-अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम | 24.00 | 8.54 | 15.46 | -16.15 | 0.69 |
| 48 | 66 | पिछड़ा वर्ग कल्याण-2225-03-277-0101-9410-हज समिति को सहायता अनुदान | 0.60 | 0.30 | 0.30 | -0.40 | 0.10 |
| 49 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन-4202-03-796-800-0102 -5226- मुलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम | 2.56 | 0.59 | 1.97 | -2.11 | 0.14 |
| 50 | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2202-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | 65.00 | 47.52 | 17.48 | -19.74 | 2.26 |
| 51 | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2202-02-191-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए | 9.79 | 8.10 | 1.69 | -2.45 | 0.76 |

परिशिष्ट-2.10
(कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 39)

बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण नीचे दिये गये हैं:-
(करोड़ रुपये में)

| सं. क्रं. | अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मूल पूरक अनुदान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध बचत | पुनर्विनियोजन | अंतिम बचत |
|-----------|---------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 3 | पुलिस-2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना) | 207.25 | 193.58 | 13.67 | 1.06 | 14.73 |
| 2 | 10 | वन-2406-01-101-3877-संभागीय वन वृत्त | 109.27 | 108.43 | 0.84 | 0.18 | 1.02 |
| 3 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-4210-02-103-1201-ई.ए.पी.(सामान्य) - 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान | 6.99 | 2.31 | 4.68 | 0.39 | 5.07 |
| 4 | 23 | जल संसाधन विभाग-2701-80-001-275-अभियाना स्थापना | 5.73 | 3.20 | 2.53 | 0.06 | 2.59 |
| 5 | 23 | जल संसाधन विभाग - 2701-80-001-3556-मुख्यालय यूनिट स्थापना यूनिट-1 | 6.74 | 6.03 | 0.71 | 1.20 | 1.91 |
| 6 | 23 | जल संसाधन विभाग - 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3264- वृत्त स्थापना | 1.10 | 0.56 | 0.54 | 0.10 | 0.64 |
| 7 | 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल- 3054-04-337-134- अनुक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत | 75.00 | 72.81 | 2.19 | 1.42 | 3.61 |
| 8 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-4701-08-796-800-0102- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य | 9.00 | 7.54 | 1.46 | 10.00 | 11.46 |
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना -4701-33-796-800-0102- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य | 22.54 | 5.92 | 16.62 | 34.86 | 51.48 |
| 10 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल-5054-03-796-101-0102-5418-छ.ग.राज्य के चातुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरीडोर का निर्माण | 61.82 | 54.59 | 7.23 | 5.50 | 12.73 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|--|-------|-------|-------|------|-------|
| 11 | 45 | लघु सिंचाई कार्य-4702-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 9284-स्थापना | 15.10 | 5.66 | 9.44 | 2.65 | 12.09 |
| 12 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय-402-102-3142- भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना | 14.06 | 12.33 | 1.73 | 0.46 | 2.19 |
| 13 | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन-2059-60-053-3645- शासकीय उच्चतम माध्यमिक शालाओं/ महाविद्यालय भवनों की मरम्मत | 5.00 | 3.39 | 1.61 | 0.55 | 2.16 |
| 14 | 67 | लोक निर्माण कार्य - 4202-01-202-0101-3490- माध्यमिक शालाओं का निर्माण कार्य | 27.98 | 17.23 | 10.75 | 0.73 | 11.48 |
| 15 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-4210-02-796-103-4143- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत | 6.71 | 4.36 | 2.35 | 0.85 | 3.20 |

परिशिष्ट- 2.11
(कड़िका 2.3.6; पृष्ठ 39)

प्रकरण जिनमें अधिक व्यय को आवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अत्याधिक आवर्धन हुआ

(करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम एवं लेखाशीर्ष | मूल पूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध आधिव्यय | पुनर्विनियोजन | अंतिम बचत |
|----------|---------------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 8 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन-2029-102-2503-सर्वे, समाधान और भू-अभिलेख का संचालन | 1.24 | 2.38 | 1.14 | 1.36 | 0.22 |
| 2 | 8 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन -2029-102-3132-भू-रिफार्म कार्यालय | 0.37 | 1.23 | 0.86 | 0.92 | 0.06 |
| 3 | 8 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन -2029-103-1472- जिला व्यय | 34.27 | 42.06 | 7.79 | 10.49 | 2.70 |
| 4 | 10 | वन-2406-01-102-3531- प्राकृतिक उत्पादों का परिवर्तन (बांस वन के साथ) | 5.25 | 7.98 | 2.73 | 3.00 | 0.27 |
| 5 | 23 | जल संसाधन विभाग-4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -2898-बांध और उसके संलग्न कार्य | 30.65 | 38.02 | 7.37 | 8.80 | 1.43 |
| 6 | 23 | जल संसाधन विभाग-4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4416-सर्वे | 0.50 | 0.96 | 0.46 | 1.00 | 0.54 |
| 7 | 23 | जल संसाधन विभाग -4701-34-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2898-बांध और उसके संलग्न कार्य | 20.50 | 28.11 | 7.61 | 9.00 | 1.39 |
| 8 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 2215-01-796-191-0102-अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोगना-6774-दंतेवाड़ा जल प्रदाय योजना | 0.10 | 1.39 | 1.29 | 1.30 | 0.01 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|--|------|------|------|------|------|
| 9 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -2702-02- 796-016-0102- - 5707- शकम्बरी परियोजना | 2.16 | 3.07 | 0.91 | 1.06 | 0.15 |
| 10 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़के और पूल- 5054-03-796-337- 0102- 3710-राज्य के लिए राज्य मार्ग | 3.60 | 4.84 | 1.24 | 3.00 | 1.76 |
| 11 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़के और पूल - 5054-04-796-800- 0102- 3539-जिला मुख्य सड़के | 2.42 | 2.77 | 0.35 | 1.70 | 1.35 |
| 12 | 45 | लघु सिंचाई कार्य- 2702-02-016-0101- 5707- राज्य आयोजना (सामान्य) 5707- शाकम्बरी परियोजना | 2.84 | 6.26 | 3.42 | 3.62 | 0.20 |
| 13 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय- 2235-02-102- 0801- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9131- एकीकृत बाल विकास योजनांतर्गत आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण | 1.68 | 2.04 | 0.36 | 0.44 | 0.08 |
| 14 | 64 | अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना - 2702-02- 789-016- 0103- 5707- शाकम्बरी परियोजना | 0.68 | 1.02 | 0.34 | 0.36 | 0.02 |
| 15 | 67 | लोक निर्माण कार्य - भवन-4059-01-051- 0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4485- सामान्य प्रशासन विभाग (भवन) | 1.00 | 3.76 | 2.76 | 3.50 | 0.74 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|---|-------|-------|-------|-------|------|
| 16 | 67 | लोक निर्माण कार्य- भवन- 4202-02-105- 0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 515- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का निर्माण | 5.48 | 6.95 | 1.47 | 1.85 | 0.38 |
| 17 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन-4202-01-796- 203-0102- 5086- महाविद्यालय भवनों का निर्माण | 2.99 | 4.04 | 1.05 | 1.84 | 0.79 |
| 18 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन -4210-02-796- 103-0102- 1209- ग्रामीण योजना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | 0.07 | 0.88 | 0.81 | 1.94 | 1.13 |
| 19 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन -4225-02-796- 277-0102- 9840- शैक्षणिक संस्थानों के भवनों का निर्माण | 7.21 | 7.77 | 0.56 | 2.72 | 2.16 |
| 20 | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ- 4701- 32-800-0311- नाबाड परियोजनाएँ (सामान्य)- 5188- मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य (नाबाड) | 10.00 | 21.87 | 11.87 | 12.00 | 0.13 |
| 21 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय- 4210-03-105-0101- राज्य आयोजना सामान्य-1352- चिकित्सा महाविद्यालय | 9.58 | 10.41 | 0.83 | 0.85 | 0.02 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|---|------|------|------|------|------|
| 22 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-2202-01- 796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -3496- माध्यमिक शालायें | 6.75 | 6.97 | 0.22 | 2.48 | 2.26 |
| 23 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2202-01- 796-101-0102- 5216-हाई स्कूल | 6.33 | 6.77 | 0.44 | 1.30 | 0.86 |

परिशिष्ट- 2.12
(कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 39)
बजट प्रावधान का व्यपगत होना

(करोड़ रुपये में)

| स. क. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल उपलब्ध बचत | समर्पित राशि | समर्पित नहीं की गई राशि | कुल बचत का प्रतिशत |
|--------------------------|---------------|---|----------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (अ) राजस्व दत्तमत | | | | | | |
| 1 | 3 | पुलिस | 68.42 | 3.87 | 64.55 | 94.34 |
| 2 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 252.78 | 1.29 | 251.49 | 99.49 |
| 3 | 10 | वन | 38.77 | 27.67 | 11.10 | 28.63 |
| 4 | 13 | कृषि | 23.21 | 0.00 | 23.21 | 100.00 |
| 5 | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 100.00 |
| 6 | 17 | सहकारिता | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 100.00 |
| 7 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 86.12 | 0.00 | 86.12 | 100.00 |
| 8 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 17.78 | 0.00 | 17.78 | 100.00 |
| 9 | 23 | जल संसाधन विभाग | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 100.00 |
| 10 | 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 38.57 | 3.07 | 35.50 | 92.04 |
| 11 | 27 | स्कूल शिक्षा | 52.88 | 0.00 | 52.88 | 100.00 |
| 12 | 29 | न्याय प्रशासन और निर्वाचन | 11.69 | 1.14 | 10.55 | 90.25 |
| 13 | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 51.94 | 0.07 | 51.87 | 99.87 |
| 14 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 48.68 | 0.00 | 48.68 | 100.00 |
| 15 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 225.00 | 100.21 | 124.79 | 55.46 |
| 16 | 44 | उच्च शिक्षा | 36.48 | 0.00 | 36.48 | 100.00 |
| 17 | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें | 109.65 | 0.12 | 109.53 | 99.89 |
| 18 | 64 | अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना | 61.23 | 24.71 | 36.52 | 59.64 |
| 19 | 69 | नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग नगरीय कल्याण | 104.15 | 0.00 | 104.15 | 100.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-------------------------|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------|
| 20 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 18.47 | 0.00 | 18.47 | 100.00 |
| 21 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 100.00 |
| 22 | 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | | 5.55 | 12.43 | 69.13 |
| योग (अ) | | | 1306.55 | 167.70 | 1138.85 | |
| (ब) | राजस्व भारित | | | | | |
| 23 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 100.00 |
| योग (ब) | | | 10.36 | 0.00 | 10.36 | |
| (स) | राजस्व दत्तमत | | | | | |
| 24 | 17 | सहकारिता | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 100.00 |
| 25 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 100.00 |
| 26 | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 28.95 | 0.00 | 28.95 | 100.00 |
| 27 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 13.48 | 8.46 | 5.02 | 37.24 |
| 28 | 23 | जल संसाधन विभाग | 64.12 | 17.91 | 46.21 | 72.07 |
| 29 | 36 | परिवहन | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 100.00 |
| 30 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 99.37 | 8.80 | 90.57 | 91.14 |
| 31 | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल | 93.56 | 38.00 | 55.56 | 59.38 |
| 32 | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 100.00 |
| 33 | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 100.00 |
| 34 | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 35.43 | 10.01 | 25.42 | 71.75 |
| 35 | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 207.29 | 150.00 | 57.29 | 27.64 |
| 36 | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | 21.78 | 0.00 | 21.78 | 100.00 |
| 37 | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 21.71 | 0.00 | 21.71 | 100.00 |
| योग (स) | | | 678.98 | 233.18 | 445.80 | |
| महायोग (अ. ब. स) | | | 1995.89 | 400.88 | 1595.01 | |

परिशिष्ट - 2.13

(कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 39)

निधियों का समर्पण

31 मार्च 2007 के कुल राशि के समर्पण के लिए जारी स्वीकृतियाँ

(हजार रुपयों में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या | लेखे का प्रकार | 28.2.07 तक | 1.3.07 से 30.3.07 | 31मार्च 2007 को | योग |
|---------|-----------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा | राजस्व (भारित) | -- | 2109288 | -- | 2109288 |
| 2 | लोक ऋण | पूँजीगत (भारित) | -- | -- | 2683236 | 2683236 |
| 3 | 1 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 94686 | 94686 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 29967 | 29967 |
| 4 | 2 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 10776 | 10776 |
| 5 | 3 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 38701 | 38701 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 200 | 200 |
| 6 | 5 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 115179 | 115179 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 11 | 11 |
| 7 | 6 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 12863 | -- | 12863 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 35 | -- | 35 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 29912 | -- | 29912 |
| 8 | 7 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 81440 | 81440 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 566 | 566 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 129 | 129 |
| 9 | 8 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 670798 | -- | 670798 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 68 | -- | 68 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 28949 | -- | 28949 |
| 10 | 9 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 17866 | 17866 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 10 | 10 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 9200 | 9200 |
| 11 | 10 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 276741 | -- | 276741 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | 6000 | 300 | -- | 6300 |
| 12 | 11 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 51103 | -- | 51103 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 15 | -- | 15 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 32227 | 32227 |
| | | पूँजीगत (भारित) | -- | -- | 1284 | 1284 |
| 13 | 12 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 1667 | -- | 1667 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 50000 | -- | 50000 |
| 14 | 15 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 3012 | 23892 | 26904 |
| 15 | 16 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 924 | -- | 924 |
| 16 | 21 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 66399 | -- | 66399 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 84613 | -- | 84613 |
| 17 | 23 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 179145 | -- | 179145 |
| 18 | 24 | राजस्व (भारित) | 250 | -- | -- | 250 |
| 19 | 25 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 30744 | -- | 30744 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 50 | -- | 50 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 12900 | -- | 12900 |
| 20 | 26 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 12692 | 12692 |
| 21 | 28 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 692 | -- | 692 |
| 22 | 29 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 11417 | 11417 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|----|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 23 | 30 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 671 | -- | 671 |
| 24 | 31 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 600 | 600 |
| 25 | 33 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 475750 | 475750 |
| 26 | 34 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 18288 | -- | 18288 |
| 27 | 35 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 3370 | 3370 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 60 | 60 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 460 | 460 |
| 28 | 38 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 1092935 | -- | 1092935 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 558811 | -- | 558811 |
| 29 | 40 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 6867 | -- | 6867 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 7850 | -- | 7850 |
| 30 | 41 | राजस्व (दत्तमत) | 14906 | 20481 | 966691 | 1002078 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | 100 | 23694 | 64197 | 87991 |
| 31 | 42 | पूँजीगत (दत्तमत) | 380000 | -- | -- | 380000 |
| 32 | 43 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 10970 | 10970 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | -- | 10 | 10 |
| 33 | 46 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 2710 | 2710 |
| 34 | 47 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 232265 | 232265 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 88510 | 88510 |
| 35 | 49 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 13622 | 13622 |
| 36 | 55 | राजस्व (दत्तमत) | -- | -- | 959612 | 959612 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 15000 | 15000 |
| 37 | 56 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 22533 | -- | 22533 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 10 | -- | 10 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 221 | -- | 221 |
| 38 | 57 | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 148500 | -- | 148500 |
| 39 | 58 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 0 | 1171290 | 1171290 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 0 | 2000 | 2000 |
| 40 | 59 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 1200 | -- | 1200 |
| 41 | 60 | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 0 | 99 | 99 |
| 42 | 64 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 247144 | -- | 247144 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 30767 | -- | 30767 |
| 43 | 65 | राजस्व (दत्तमत) | -- | 2895 | -- | 2895 |
| | | राजस्व (भारित) | -- | 10 | -- | 10 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 4500 | -- | 4500 |
| 44 | 66 | राजस्व (भारित) | -- | 0 | 9023 | 9023 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 0 | 5783 | 5783 |
| 45 | 67 | राजस्व (भारित) | -- | 0 | 50 | 50 |
| 46 | 68 | पूँजीगत (दत्तमत) | 80100 | 0 | 20000 | 100100 |
| 47 | 75 | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 18000 | -- | 18000 |
| 48 | 76 | पूँजीगत (दत्तमत) | 1500000 | 0 | -- | 1500000 |
| 49 | 78 | राजस्व (भारित) | -- | 6582 | -- | 6582 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 296 | -- | 296 |
| 50 | 80 | राजस्व (भारित) | -- | 337657 | -- | 337657 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | 358 | -- | 358 |
| 51 | 82 | राजस्व (भारित) | -- | 40189 | 15304 | 55493 |
| | | पूँजीगत (दत्तमत) | -- | -- | 400 | 400 |
| योग - | | | 1981356 | 6200677 | 7221255 | 15403288 |

परिशिष्ट-2.14

(कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 40)

**अविवेकपूर्ण और अवास्तविक समर्पण
प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया**

(करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | कुल उपलब्ध बचत | अभयार्पित राशि |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| (अ) | राजस्व (दत्तमत) | | | |
| 1 | 1 | सामान्य प्रशासन | 8.32 | 9.47 |
| 2 | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 4.99 | 8.14 |
| 3 | 33 | आदिम जाति कल्याण | 38.98 | 47.58 |
| 4 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 107.09 | 109.29 |
| 5 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग | 22.32 | 23.23 |
| 6 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 94.48 | 95.96 |
| 7 | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 79.71 | 117.13 |
| योग (अ) | | | 355.89 | 410.80 |
| (ब) | राजस्व भारित | | | |
| 8 | | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | 172.71 | 210.93 |
| 9 | 1 | सामान्य प्रशासन | 2.92 | 3.00 |
| योग (ब) | | | 175.63 | 213.93 |
| (स) | पूंजीगत दत्तमत | | | |
| 10 | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 1.58 | 2.99 |
| 11 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 55.34 | 55.88 |
| 12 | 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 8.17 | 8.85 |
| 13 | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 1.38 | 1.50 |
| 14 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 2.82 | 3.08 |
| योग (स) | | | 69.29 | 72.30 |
| महायोग (अ + ब + स) | | | 600.81 | 697.03 |

परिशिष्ट-2.15

(कंडिका 2.4; पृष्ठ 40)

पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

(रूपये में)

| स. क्रं. | स्वीकृतियों की संख्या | अनुदान संख्या | राशि | अनियमितता का विवरण |
|----------|-----------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 11 | 17, 22, 29, 31, 41, 64 : 69 | 56,65,47,100 | स्वीकृतियों वा 2007-08 में जारी की गई |
| 2 | 15 | 3, 13, 14, 20, 30, 34, 39, 41, 43, 56, 64 : 79 | 22,14,66,576 | स्वीकृतियों नियमानुसार तैयार नहीं की गई |
| 3 | 5 | 2 : 44 | 43,03,72,302 | अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुई |
| 4 | 6 | 13, 36, 41, 45, 64 : 82 | 7,36,46,000 | विवरण उपलब्ध नहीं था |
| 5 | 2 | ब्याज अदायगी, 67 | 17,14,48,000 | बजट प्रावधान से अधिक राशि का पुनर्विनियोजन |
| 6 | 1 | 23 | 2,32,00,000 | गलत पुनर्विनियोजन |
| 7 | 1 | ब्याज अदायगी | 5,00,000 | आधिक्य राशि का समर्पण |
| योग: | | | 1487179978 | |

परिशिष्ट - 2.16
(कंडिका 2.5; पृष्ठ 40)
व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | कुल प्रावधान 2006-07 | कुल व्यय 2006-07 | मार्च 2007 में व्यय | कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत |
|----------|---------------|---|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 9 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 7.67 | 4.42 | 2.39 | 54 |
| 2 | 11 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 102.23 | 93.73 | 72.15 | 77 |
| 3 | 17 | सहकारिता | 98.85 | 72.44 | 47.72 | 66 |
| 4 | 21 | आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 606.50 | 586.32 | 519.28 | 89 |
| 5 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 221.07 | 58.65 | 34.54 | 59 |
| 6 | 43 | खेल एवं युवा कल्याण | 20.84 | 19.76 | 16.50 | 84 |
| 7 | 46 | विज्ञान और तकनीकी | 7.96 | 7.68 | 6.83 | 89 |
| 8 | 53 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| 9 | 56 | ग्रामोद्योग | 35.31 | 31.37 | 12.8 | 41 |
| 10 | 59 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 160.12 | 50.47 | 35.47 | 70 |
| 11 | 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय | 28.00 | 27.79 | 11.72 | 42 |
| 12 | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण | 289.72 | 185.57 | 102.72 | 55 |
| 13 | 77 | बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 50 |
| 14 | 83 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
| | | योग | 1592.12 | 1151.9 | 870.82 | |

परिशिष्ट-2.17

(कंडिका 2.6.2; पृष्ठ 41)

प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचते सारभूत रही

(करोड़ रुपये में)

| स. क्रं. | अनुदान संख्या एवं नाम | मुख्य शीर्ष | योजना शीर्ष | कुल अनुदान | कुल व्यय | बचत | |
|-------------|--|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पूल | 3054-1826 | बी.टी.कार्य | 24.00 | 18.47 | 5.53 | |
| 2 | | 3054-4090 | विशेष मरम्मत | 20.00 | 11.31 | 8.69 | |
| 3 | | | 5054-4151 | वृहद पुलों का निर्माण | 37.88 | 33.00 | 4.88 |
| 4 | | | 5054-3775 | रेलवे ओव्हर ब्रिज | 50.00 | 37.16 | 12.84 |
| 5 | | | 3054-4090 | विशेष मरम्मत | 10.00 | 5.54 | 4.46 |
| 6 | | | 3054-4557 | सुदृढ़ीकरण | 30.00 | 26.04 | 3.96 |
| 7 | | | 25- खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 2853-4643 | क्षेत्रीय स्थापना | 5.07 | 3.11 |
| 8 | 2853-4640 | जिला स्थापना | 4.43 | 3.09 | 1.34 | | |
| 9 | | 4853-6701 | खनिज निधि से व्यय | 10.00 | 8.71 | 1.29 | |
| 10 | 36- परिवहन | 2041-101-4280 | संग्रह प्रभार | 4.94 | 3.45 | 1.49 | |
| 11 | 55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 2235-5354 | एकीकृत सेवा योजना | 46.60 | 1.31 | 45.29 | |
| 12 | | 2235-9050 | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना | 99.00 | 42.46 | 56.54 | |
| योग: | | | | 341.92 | 193.65 | 148.27 | |

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1.6.1; पृष्ठ 46)

डी.पी.आर. से प्राक्कलन में अन्तर दर्शानेवाला विवरणपत्रक

| स.क्र. | मार्ग का नाम | कि.मी. | अनुबंध क्रमांक | डी.पी.आर. में प्रावधान | प्राक्कलन में प्रावधान | उच्चतर या निम्नतर विशिष्टियां | अंतर हेतु कारण |
|--------|----------------------|------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 | मानपुर-देवभोग मार्ग | 169 कि.मी. | 82 डी एल/2002-03 | 60मीमी डीबीएम/ 50 मीमी बीएम 25 मीमी एडीबीसी पार्श्व नालियां | 50 मी मी बी.एम 20 मी मी एम एस एस | निम्नतर | यातायात गणना के अलग परिणाम, जलग्रहण क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया |
| 2 | कोतमी-कटघोरा मार्ग | 84.6 कि.मी. | 1डीएल/2004-05 | 20 मी मी पी सी | 50 मीमी बी एम 25 मीमी एसडीबीसी | उच्चतर | यातायात गणना के अलग परिणाम |
| 3 | अंबिकापुर-रामानुजगंज | 1-3 और 18-30 कि.मी. | 11डीएल/2002-03 | 20 मी मी ओजीपीसी सीलकोट | 50 मीमी बीएम 25 मीमी एसडीबीसी | उच्चतर | कोई विशिष्ट कारण नहीं |

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.1.6.2; पृष्ठ 46)

कॉरीडोर योजनान्तर्गत अनुबंधों का ब्यौरा

| स.क्र. | मार्ग का नाम | टेकेदार का नाम सुश्री/श्री | अनुबंध क्रमांक एवं वर्ष | टेके की संभावित राशि (करोड़ रु. में) | भुगतान का ब्यौरा (करोड़ रु.में) | निविदा जारी करने की तिथि | प्रशासकीय अनुमोदन का क्रमांक एवं दिनांक (करोड़ रु.में) | तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक (करोड़ रु.में) |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|---|
| पेन्ड्रा रोड संभाग | | | | | | | | |
| 1 | क्योंचि-कॉसबहारा मार्ग लंबाई 92.8 कि.मी. एनएस क्रमांक 2 | मैकनल्ली भारत इंजी. कंपनी कोलकाता | 19 डी एल/ 2003-04 | 19.01 | 46 एवं अंतिम देयक का भुगतान 17.08 | 10/12/2002 | 30-01-03 121.89 | 23.05.03 18.37 |
| जशपुर संभाग | | | | | | | | |
| 1 | लुडेग-तपकारा-लावकारा मार्ग लंबाई 55.60 कि.मी. पू.प.क्र.3 | दशमेश कंसट्रक्शन पत्थलगांव | 216 डी एल/ 2002-03 | 12.48 | 32 एवं अपूर्ण अंतिम 5.86 | 4/10/2002 | 19-2-03 32.41 | 01-05-03 12.48 |
| 2 | बगीचा-बचौली मार्ग लंबाई 23 कि.मी. पू.प. क्र.4 | विनयकुमार सिंह पुत्र स्व. श्री एल.बी.सिंह, अंबिकापुर | 218 डी एल/ 2002-03 | 4.26 | 10 एवं अपूर्ण अंतिम 5.29 | 4/10/2002 | 16-1-2003 25.20 | 23-5-2003 4.26 |
| 3 | बगीचा-चिरईडांड मार्ग लंबाई 47 कि.मी. पू.प. क्र.4 | विनयकुमार सिंह पुत्र स्व.श्री एल.बी.सिंह,अंबिकापुर | 217 डी एल/ 2002-03 | 12.22 | 17 चल लेखा देयक 7.60 | 4/10/2002 | 16-1-2003 25.20 | 13.75 |
| 4 | कुनकरी-तपकरा मार्ग लंबाई-21 कि.मी. पू.प. क्र.4 | बी-इंजीनियर्स एवं बिल्डर्स भुवनेश्वर | 215 डी एल/ 2002-03 | 3.44 | 5 एवं अपूर्ण 0.39 | 4/10/2002 | 16-1-2003 25.20 | 3.44 |
| रायपुर संभाग क्रमांक तीन | | | | | | | | |
| 1 | दुधावा वाइफरकेशन कॉंकेर-देवभोग मार्ग लंबाई169 कि.मी. पू.प. क्रमांक 1 | संजय अग्रवाल रायपुर | 82 डी एल/ 2002-03 | 20 | 25 च.ले. देयक रु. 28.61 6 च.ले. देयक(मूल्यवृद्धि) 1.23 | 4/10/2002 खोली गई तारीख 6-11-2002 | 8-1-2003 28.92 | 25-07-2003 31.81 |

| कोरबा संभाग | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------|-------|--|-----------|--------------------|-------------------|
| 1 | कोतमी-कटघोरा मार्ग लंबाई 80 कि.मी. पू.प. क्रमांक 3 | एम.के. गुप्ता सिलिगुढी, पश्चिमबंगाल | 100 डी एल/ 2002-03 | 26.04 | 4 च.ले. देयक 1.45 | 4/12/2002 | 19.2.2003 32.41 | 1-5-2003 19.61 |
| अंबिकापुर संभाग | | | | | | | | |
| 1 | अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग स.उ.द. क्रमांक 1 अ लंबाई-16 कि.मी. | लालबाबू सिंह, सरगुजा | 11 डी एल/ 2002-03 | 3.31 | 10 एवं अंतिम देयक 3.51 | जन. 02 | 16.1.2003 59.39 | 2003-04 59.59 |
| 2 | बिलासपुर-कटघोरा-अंबिकापुर मार्ग लंबाई-68 कि.मी. | | | | | | | |
| (अ) | सवार सतह का उन्नयन लंबाई 15 कि.मी. | बजरंगलाल अग्रवाल, सूरजपुर | 13 डी एल/ 2002-03 | 3.33 | 8 एवं अंतिम देयक का भुगतान 5.04 | 15.5.2002 | 16.1.2003 59.39 | 2003-04 59.59 |
| (ब) | सवार सतह का उन्नयन लंबाई 17 कि.मी. | बजरंगलाल अग्रवाल, सूरजपुर | 16 डी एल/ 2002-03 | 3.28 | 12 एवं अंतिम देयक का भुगतान 4.00 | 15.5.2002 | 16.1.2003 59.39 | 2003-04 59.59 |
| (स) | सवार सतह का उन्नयन लंबाई 6 कि.मी | व्ही.के. सिंह | 5 डी एल/ 2003-04 | 2.38 | 11 एवं अंतिम देयक का भुगतान 2.16 | 15.5.2002 | 16.1.2003 59.39 | 2003-04 59.59 |

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.1.8.1; पृष्ठ 49)

विनाशवान मर्दों पर प्रतिभूत अग्रिम की स्वीकृति के कारण ठेकेदार को अनुचित सहायता को दर्शानेवाला विवरणपत्रक

| स.क्र. | चल बिल देयक क्र. | मद | मात्रा | दर (रु घन मीटर में) | राशि | 75% राशि का भुगतान जो अग्रहय थी | वसूली बिल/देयक क्र. | वसूल की गई राशि | अवधि | दिन |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 रा च /बिल देयक 7डीएल/06.05.2003 | गिट्टी 26.50 मिमी | 5016 घनमीटर | 250 | 1254000 | 1332375 | 5वाँ चल देयक 2डीएल/4.8.2003 | 1332375 | 6.5.2003 से 3.8.2003 | 90 |
| | | गिट्टी 13.20 मिमी | 1140 घनमीटर | 275 | 313500 | | | | | |
| | | गिट्टी 11.20 मिमी | 760 घनमीटर | 275 | 209000 | | | | | |
| 2 | 5 वां च/देयक 2 डीएल/4.8.2003 | गिट्टी 26.50 मिमी | 7639 घ.मी. | 791 | 6042449 | 5400330 | 8 वाँ च.देयक 28 डीएल/17.12.2003 | 1868493 | 4.8.2003 से 16.12.2003 | 135 |
| | | डामर | 71.76 मी टन | 16137 | 1157991 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 10 वां चल देयक 27डीएल/23.1.2003 | 155881 | 17.12.2003 से 22.1.2004 | 37 |
| 4 | 8वाँ च/देयक 21डीएल/29.3.2004 | गिट्टी 26.50 घ.मी. | 5557 घ.मी. | 791 | 4395587 | 4702790 | | | | |
| | | आरसीसी ह्यूम पाईप 1200 मिमी | 57 मी. | 3000 | 171000 | | | | | |
| | | आरसीसी ह्यूम पाईप 1000 मिमी | 22 मी | 2500 | 55000 | | | | | |
| | | यातायात वाणिज्यिक कर | | | 111550 31188 | | | | | |
| | | गिट्टी 26.50 मिमी. | 1000 घन.मी. | 791 | 791000 | | | | | |
| | | गिट्टी 20.00 मिमी. | 1300 घन मी. | 550 | 715000 | | | | | |

| स.क्र. | चल बिल देयक क्र. | मद | मात्रा | दर (रु घन मीटर में) | राशि | 75% राशि का भुगतान जो अग्रहय थी | वसूली बिल/देयक क्र. | वसूल की गई राशि | अवधि | दिन |
|----------------------------|------------------|----|--------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-----|
| 5 | | | | | | | 16 वां च देयक क्र. 11 डीएल/17.6.2004 | 5215891 | 23.1.2004 से 28.3.2004 | 66 |
| 6 | | | | | | | 19 वां चल देयक क्र 42डी एल/8.2.2005 | 1862855 | 29.3.2004 से 16.6.2004 | 80 |
| 7 | | | | | | | 20 वां चल देयक क्र 60डीएल/23.2.2005 | 1000000 | 17.6.2004 से 7.2.2005 | 236 |
| | | | | | योग | 11435495 | | | | |
| यथा 1.14 करोड रुपये | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.1.9.1; पृष्ठ 54)

कॉरीडोर योजना पर मदों हेतु परीक्षणों की आवृत्ति को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

| स.क्र. | व्योरे | परीक्षणों के नाम | अपेक्षित आवृत्ति | मात्रा | | अपेक्षित परीक्षण की संख्या | परीक्षण संचालित किए गए | प्रतिशतता |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | परिमाण | इकाई | | | |
| 1 | मिट्टी का एम्बैकमेन्ट | सी बी आर | 1परीक्षा/500 घ मी | 1350229.60 | घन मी. | 2700 | 0 | 0 |
| | | शुष्क घनत्व | 1परीक्षा/500 घ मी | 1350229.60 | घन मी | 2700 | 0 | 0 |
| 2 | सब बेस (रेत) | शुष्क घनत्व | 1परीक्षा/500 घ मी | 54322.62 | घन मी | 109 | 0 | 0 |
| | | सी बी आर | 1परीक्षा/500 घ मी | 54322.62 | घन मी | 109 | 0 | 0 |
| 3 | सब बेस (मुरम) | सी बी आर | 1परीक्षा/500 घ मी | 259427.39 | घन मी | 519 | 117 | 23 |
| | | एल एल | 1परीक्षा/500 घ मी | 259427.39 | घन मी | 519 | 68 | 13 |
| | | पी आई | 1परीक्षा/500 घ मी | 259427.39 | घन मी | 519 | 91 | 18 |
| 4 | डब्ल्यू बी एम | फलेकीनेस एवं इलोगेशन | 1परीक्षा/200 घ मी | 313679.13 | घन मी | 1568 | 284 | 18 |
| | | इम्पैक्ट वैल्यू | 1परीक्षा/200 घ मी | 313879.13 | घन मी | 1568 | 392 | 25 |
| 5 | बिटुमिनस मेकेडम (बीएम) | फलेकीनेस एवं इलोगेशन | 1परीक्षा/50 घ मी | 61878.27 | घन मी | 1238 | 86 | 7 |
| | | इम्पैक्ट वैल्यू | 1परीक्षा/50 घ मी | 61878.27 | घन मी | 1238 | 99 | 8 |
| | | बाइन्डर कंटेंट | 1परीक्षा/400 मी ट | 123756.55 | मी.टन | 309 | 146 | 47 |
| | | डेन्सिटी आफ कांपैक्टेड लेयर | 1 परीक्षा/150 घ.मी. | 862734.68 | व मी | 3451 | 64 | 2 |
| 6 | डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (डीबीएम) | फलेकीनेस एवं इलोगेशन | 1परीक्षा/50 घ मी | 37368.14 | घन मी | 747 | 29 | 4 |
| | | इम्पैक्ट वैल्यू | 1परीक्षा/50 घ मी | 37368.14 | घन मी | 747 | 37 | 5 |
| | | बाइन्डर कंटेंट | 1परीक्षा/400 घ मी | 74736.27 | व मी | 187 | 127 | 68 |
| | | डेन्सिटी आफ कांपैक्टेड लेयर | 1परीक्षा/250 घ मी | 1494725.00 | मी टन | 5979 | 0 | 0 |
| | | मार्शल टेस्ट | 3परीक्षा/400 एम टी | 74736.27 | घन मी | 561 | 0 | 0 |

| स.क्र. | ब्यौरे | परीक्षणों के नाम | अपेक्षित आवृत्ति | मात्रा | | अपेक्षित परीक्षण की संख्या | परीक्षण संचालित किए गए | प्रतिशतता |
|--------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | परिमाण | इकाई | | | |
| 7 | एसडीबीसी | फलेकीनेस एवं इलोगेशन | 1परीक्षा/50 घ मी | 22978.67 | घन मी | 460 | 22 | 5 |
| | | इम्पैक्ट वैल्यू | 1परीक्षा/50 घ मी | 22978.67 | व मी | 460 | 29 | 6 |
| | | बाइन्डर कंटेंट | 1परीक्षा/400 एम टी | 45957.34 | मी टन | 115 | 19 | 17 |
| | | जेन्सिटी आफ कांपैक्टेड लेयर | 1परीक्षा/250 व मी | 919146.76 | व मी | 3677 | 0 | 0 |
| | | मार्शल टेस्ट | 3 परीक्षा/400 एम टी | 45957.34 | मी टन | 345 | 0 | 0 |
| 8 | ओजीपीसी | फलेकीनेस एवं इलोगेशन | 1परीक्षा/50 घ मी | 56.34 | घन मी | 1 | 0 | 0 |
| | | इम्पैक्ट वैल्यू | 1परीक्षा/50 घ मी | 56.34 | घन मी | 1 | 0 | 0 |
| | | बाइन्डर कंटेंट | 1परीक्षा/400 एम टी | 112.68 | मी टन | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 पैरामीटर | | | योग | 29826 | 1610 | 5 |

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.1.9.4; पृष्ठ 55)


मार्ग के डूबने के कारण शासन को हुई हानि को दशाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | कि.मी. | टेक कोट (वर्ग मी में) | बी.यू.एस.जी. (घन मी में) | बी.एम. (घ मी में) | एम एस एस (वर्ग मी में) | महायोग |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 9/2- 12/2 कि.मी. | 10620.00 | 147.15 | 595.36 | 10620.00 | |
| 2 | 1-17 कि मी | 53506.56 | 20.29 | 2489.10 | 44194.10 | |
| कुलयोग | | 64126.56 | 167.44 | 3064.46 | 54814.10 | |
| दर | | 7.50 | 1280.00 | 1985.00 | 49.00 | |
| योग | | 4,80,949.20 | 2,14,319.36 | 60,82,953.10 | 26,85,890.90 | 94,64,112 |
| जोड़िये 18.93% 1791557 | | | | | | |
| 11255669 | | | | | | |
| यथा 1.13 करोड़ रुपये | | | | | | |

परिशिष्ट -3.6

(कंडिका 3.2.3; पृष्ठ 60)

स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग का संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट 3.7

(कंडिका 3.2.6; पृष्ठ 61)

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए यदिक्षित चयन किए गए नमूना स्कूलों की सूची

| स.क्रं. | प्राथमिक शाला/केन्द्र का नाम | जिला जांजगीर | |
|----------------|--|--------------|---------------------------------------|
| रायपुर | | 6. | प्रा.शा. नया सैवई डीहपारा |
| 1. | प्रा.शा. टिकरापारा "अ" रायपुर | 7. | प्रा.शा. नयामुडपार नवागढ़ |
| 2. | प्रा.शा. छोट्टेगोबरा, मैनपुर | 8. | प्रा.शा. गौशाला नैला, नवागढ़ |
| 3. | प्रा.शा. दर्शीपारा, गरियाबंद | 9. | प्रा.शा. नयाखैरा, नवागढ़ |
| 4. | प्रा.शा. देवरीबहरा, गरियाबंद | 10. | प्रा.शा. नयागुठिया, नवागढ़ |
| 5. | प्रा.शा. दबनई, देवभोग | 11. | प्रा.शा. चारपारा, मालखरौंदा |
| 6. | प्रा.शा. आमापारा "ब" रायपुर | 12. | प्रा.शा. सराईपाली, उभरा |
| 7. | प्रा.शा. जगन्नाथ नगर, रायपुर | 13. | प्रा.शा. नयासवरीडेरा, धोधरा |
| 8. | प्रा.शा. मौहरेंगा, तिल्दा | 14. | प्रा.शा. सदर, जांजगीर |
| 9. | प्रा.शा. रंगोरा, कसडोल | 15. | प्रा.शा. कलमी, मालखरौंदा |
| 10. | प्रा.शा. जमनाडीह, बिलाईगढ़ | 16. | प्रा.शा. अर्जुनी, अकलतरा |
| 11. | प्रा.शा. कन्या अमीनपारा, रायपुर | 17. | प्रा.शा. गौंडपारा, कोतमीसोनार, अकलतरा |
| 12. | प्रा.शा. आबादीपारा, परसदा, अभनपुर | 18. | प्रा.शा. मिशन, जांजगीर |
| 13. | प्रा.शा. पौंसरी, बलौदाबाजार | 19. | प्रा.शा. मझाठा, पामगढ़ |
| 14. | प्रा.शा. पुरेना, बलौदाबाजार | 20. | प्रा.शा. सोनडीह, अकलतरा |
| 15. | प्रा.शा. उद्योगनगरी, रायपुर | कोरबा | |
| 16. | प्रा.शा. जलबिहार कालोनी, रायपुर | 1. | प्रा.शा. डीडासराई, कोरबा |
| 17. | प्रा.शा. आमागांव, गरियाबंद | 2. | प्रा.शा. बरभांठा (नोनदरहा), करतला |
| 18. | प्रा.शा. बम्हनी, छुरा | 3. | प्रा.शा. टिकरीपारा (धोधोतराई), करतला |
| 19. | प्रा.शा. धटौद, गरियाबंद | 4. | प्रा.शा. रिशदी, कोरबा |
| 20. | प्रा.शा. तेलीबांधा, रायपुर | 5. | प्रा.शा. अमलीडुंगू, कोरबा |
| जगदलपुर | | 6. | प्रा.शा. कुदुरमाल, कोरबा |
| 1. | प्रा.शा. जामगांव, बास्तानार | 7. | प्रा.शा. कचौरा, करतला |
| 2. | प्रा.शा. गुडरापारा, केसकाल | 8. | प्रा.शा. द्वारीपारा, छुईया, करतला |
| 3. | प्रा.शा. नयापारा, केसकाल | 9. | प्रा.शा. ठिठौली चिचौली, करतला |
| 4. | प्रा.शा. मंगरू कचौड़ा, हल्वा कचौड़ा, जगदलपुर | 10. | प्रा.शा. सीतामढी, कोरबा |
| 5. | प्रा.शा. इंदिरा गांधी, जगदलपुर | 11. | प्रा.शा. बस्ती, कटघोरा |
| 6. | प्रा.शा. कोकरालपारा, केसकाल | 12. | प्रा.शा. बासिन पौंडीउपरोरा |
| 7. | प्रा.शा. चरकई, फरसगांव | 13. | प्रा.शा. उचलैंगा, पौंडीउपरोरा |
| 8. | प्रा.शा. सुरंगियापारा, जगदलपुर | 14. | प्रा.शा. देवगांव, कटघोरा |
| 9. | प्रा.शा. बंनचपई फरसगांव | 15. | प्रा.शा. पम्प हाउस, कोरबा |
| 10. | प्रा.शा. गट्टीपलना, फरसगांव | 16. | प्रा.शा. नयाशांतिनगर, पाली |
| 11. | प्रा.शा. चिचाडीपलना, बड़ेराजपुर | 17. | प्रा.शा. घौराभाठा, पाली |
| 12. | प्रा.शा. जिरागांव, कुम्हाली जगदलपुर | 18. | प्रा.शा. पण्डरीपानी, पाली |

| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 13. | प्रा.शा. गुफापाल, कुकानार दर्भा | 19. | प्रा.शा. घोधीपारा, पाली |
| 14. | प्रा.शा. नयापुजारी पारा, सादरा लोहंडीगुड़ा | 20. | प्रा.शा. लालघाट, कोरबा |
| 15. | प्रा.शा. बहादुरगुड़ा, जगदलपुर | धमतरी | |
| 16. | प्रा.शा. बौदकापदर सालना माकड़ी | 1. | प्रा.शा. कन्या मगरलोड |
| 17. | प्रा.शा. टेकापाल, कोंडागांव | 2. | प्रा.शा. भैंसमुडी, मगरलोड |
| 18. | प्रा.शा. सरपंचपारा, कोंडागांव | 3. | प्रा.शा. बालक, मगरलोड |
| 19. | प्रा.शा. कोंगेरा, कोंडागांव | 4. | प्रा.शा. नया मथुरा नगर मगरलोड |
| 20. | प्रा.शा. डोंगरीगुड़ा, कुरंदी, जगदलपुर | 5. | प्रा.शा. कन्या आमडीह, धमतरी विकास खण्ड |
| | जांजगीर | 6. | प्रा.शा. नया बस्तीपारा, धमतरी विकास खण्ड |
| 1. | प्रा.शा. दर्सी, बम्हनीडीह | 7. | प्रा.शा. नया शीतलापारा, धमतरी विकास खण्ड |
| 2. | प्रा.शा. सीलादेही, बम्हनीडीह | 8. | प्रा.शा. नया भरीपारा, धमतरी विकास खण्ड |
| 3. | प्रा.शा. बैहागुडरू | 9. | प्रा.शा. उन्नत प्राथमिक शाला आमडीह धमतरी वि. खं. |
| 4. | प्रा.शा. भाटापारा, जैजेपुर | 10. | प्रा.शा. बालक आमडीह धमतरी वि. खं. |
| 5. | प्रा.शा. बस्ती-पारा, जांजगीर | 11. | प्रा.शा. बालक मेघा, मगरलोड |
| | धमतरी | कवर्धा | |
| 12. | प्रा.शा. कन्या, मेघा मगरलोड | 5. | प्रा.शा. भीमपुरी, कवर्धा विकास खण्ड |
| 13. | प्रा.शा. सैन्हाभांठा, मगरलोड विकास खण्ड | 6. | प्रा.शा. देवपुरा, पंडरिया विकास खण्ड |
| 14. | प्रा.शा. नयापोटियाडीह (नयापारा) धमतरी विकास खण्ड | 7. | प्रा.शा. मोतिमपुर, पंडरिया विकास खण्ड |
| 15. | प्रा.शा. आबादीपारा धमतरी विकास खण्ड | 8. | प्रा.शा. सिरमाडबरी, पंडरिया विकास खण्ड |
| 16. | प्रा.शा. पोटियाडीह, धमतरी विकास खण्ड | 9. | प्रा.शा. बांझीमैहा, पंडरिया विकास खण्ड |
| 17. | प्रा.शा. उन्नत सोरम धमतरी विकास खण्ड | 10. | प्रा.शा. मैनपुरा, पंडरिया विकास खण्ड |
| 18. | प्रा.शा. नया गौठानपारा, धमतरी विकास खण्ड | 11. | प्रा.शा. पेंडरीखुर्द, कवर्धा विकास खण्ड |
| 19. | प्रा.शा. नया सोरम, धमतरी विकास खण्ड | 12. | प्रा.शा. रौहा, पंडरिया विकास खण्ड |
| 20. | प्रा.शा. बेलतरा, धमतरी विकास खण्ड | 13. | प्रा.शा. विजई, कवर्धा विकास खण्ड |
| 21. | प्रा.शा. नया रामसागर पारा, धमतरी विकास खण्ड | 14. | प्रा.शा. जोराताल, कवर्धा विकास खण्ड |
| 22. | प्रा.शा. नया साइफन पारा, धमतरी विकास खण्ड | 15. | प्रा.शा. मगरदा, कवर्धा विकास खण्ड |
| 23. | प्रा.शा. मुजगहन, धमतरी विकास खण्ड | 16. | प्रा.शा. दुल्लापुर, कवर्धा विकास खण्ड |
| | कवर्धा | 17. | प्रा.शा. तालपुर, कवर्धा विकास खण्ड |
| 1. | प्रा.शा. जेवडनखुर्द, कवर्धा विकास खण्ड | 18. | प्रा.शा. कूबाखुर्द पंडरिया विकास खण्ड |
| 2. | प्रा.शा. चारभांठाखुर्द, कवर्धा विकास खण्ड | 19. | प्रा.शा. चारभांठा, कवर्धा विकास खण्ड |
| 3. | प्रा.शा. अमलीडीह, कवर्धा विकास खण्ड | 20. | प्रा.शा. मोहतरा खुर्द, पंडरिया विकास खण्ड |
| 4. | प्रा.शा. दशरंगपुर, पंडरिया विकास खण्ड | | |

परिशिष्ट -3.8

(कंडिका 3.3.6; पृष्ठ 84)

निधियों की जारी में विलम्ब दर्शाने वाली विवरण

| वित्तीय वर्ष 2002-03 | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------|---|---|
| स. क्रं. | भारत सरकार से जारी | | राज्यों से जारी | | 15 दिनों के बाद विलंब (दिनों में) (लाख रुपये में) | ब्याज 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (लाख रुपये में) |
| | पत्र क्रं./दिनांक | जारी राशि (लाख रुपये में) | पत्र क्रं./दिनांक | जारी राशि | | |
| 1. | 11020/06/2002/गग्रजप्रका/पीटीएम-1-1/09-05-02 | 1163.10 | 792/ 02/08-07-02 | 1163.00 | 44 | 9.81 |
| 2. | 11020/06/2002/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/15-07-02 | 58.40 | | | | |
| 3. | 11020/06/2002/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/13-01-03 | 1221.50 | | | | |
| 4. | 11020/06/2002/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/28-03-03 | 500.00 | 1241/-10-12-10-03-34-2/4-6-2003 | 500.00 | 51 | 4.89 |
| वित्तीय वर्ष 2003-04 | | | | | | |
| 5. | 11020/06/2003/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/13-05-03 | 950.50 | 471/ -11-3/34-2/03/ 29-03-04 | 950.50 | 321 | 55.59 |
| 6. | 11020/38/2003/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/29-07-03 | 229.23 | 16/ -11-3-32-2/03/ 03-01-04 | 229.23 | 142 | 6.24 |
| 7. | 11032/02/2003/गग्रजप्रका/पीटीएम/05-08-03 | 673.00 | | | | |
| 8. | 11020/38/2003/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/17-03-04 | 229.23 | 470/ -11-3/34-2/03/ 29-03-04 | 229.23 | -- | -- |
| 9. | 11020/06/2003/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/17-03-04 | 950.50 | | | | |
| वित्तीय वर्ष 2004-05 | | | | | | |
| 10. | 11020/06/2004/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/08-06-04 | 983.00 | | | | |
| 11. | 11020/06/2004/गग्रजप्रका/पीटीएम -1/27-10-04 | 347.00 | 141/11-07-05 342 / 04 /22-01-05 | 347 | 71 | 4.72 |
| 12. | 11020/06/2004/गग्रजप्रका/पीटीएम -1/17-11-04 | 350.00 | | | | |
| 13. | 11020/06/2004/ गग्रजप्रका/पीटीएम -1 /24-03-05 | 589.80 | 1509/1002/01-08-05 | 589.80 | 114 | 12.89 |
| वित्तीय वर्ष 2005-06 | | | | | | |
| 14. | 11020/06/2005/गग्रजप्रका/पीटीएम-1/21-05-05 | 2577.00 | 1593/1394/34-2/22-08-05 | 2577.00 | 77 | 38.05 |
| 15. | 11020/06/2005/गग्रजप्रका/पीटीएम -1/30-09-05 | 375.49 | 2450/2000/34-2/13-12-05 | 375.49 | 58 | 4.17 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------------|---------|------------|---------------|
| 16. | 11034/29/2003/ गग्रजप्रका/पीटीएम-2/10-02-06 | 59.77 | 1852/1565/34- 2/14-07-06 | 59.77 | 138 | 1.58 |
| 17. | 11020/06/2002/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1/24-03-06 | 1978.95 | 2008/1564/34- 2/27-07-06 | 1978.95 | 109 | 41.36 |
| 18. | 11020/06/2005/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 /31.3.2006 | 89.00 | 2792/1987/34- 2/28-10-06 | 89.00 | 195 | 3.32 |
| वित्तीय वर्ष 2006-07 | | | | | | |
| 19. | 11020/06/2002/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 -1/03-05-06 | 2919.50 | | | | |
| 20. | 11011/2/2006/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 -1/09-10-06 | 355.00 | 3149/2317/34- 2/08-12-06 | 355.00 | 44 | 2.99 |
| 21. | 11020/06/2006/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 /22.12.2006 | 355.00 | | | | |
| 22. | 11020/06/2006/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 1/22-12-06 | 1198.46 | | | | |
| 23. | 11014/15/2006/ गग्रजप्रका/पी टीएम-2 /26-12-06 | 733.44 | | | | |
| 24. | 11020/06/2006/ गग्रजप्रका/पी डी डब्ल्यू एस-1 /22-02-07 | 1721.00 | | | | |
| | | | | | योग | 185.61 |

परिशिष्ट-4.1

(कंडिका 4.1.1; पृष्ठ 111)

आदेशित एवं प्राप्त उपकरणों का विवरण

| स. क्रं | सिविल सर्जन का नाम | उपकरण का नाम | प्रदायकर्ता का नाम | क्रय आदेश क्रं | मात्रा | कीमत (राशि लाख रुपये में) | क्रय आदेशानुसार निर्मित (मेक) | वास्तव में प्राप्त निर्मित (मेक) |
|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | बिलासपुर | विशेषीकृत लेप्रोस्कोपिक प्रणाली | नाहर मेडिकल एजेन्सी, धमतरी | 1485/17.3.05, 1613/24.3.05 1707/28.3.05 | 07 | 56.00 | जुवान जुवान चीन | टियान-सोन इण्डोस्कोप |
| 2 | धमतरी | टिपनोमीटर | - तदैव- | 1553/17.3.05 | 01 | 1.93 | माइको डाइग्नोसटिक जर्मनी | आरफी 500 एम.के.आई.एस जर्मनी |
| 3. | कांकेर | विशेषीकृत लेप्रोस्कोपिक प्रणाली | - तदैव- | 1487/17.3.05, 1617/24.3.05 | 05 | 40.00 | जुवान जुवान चीन | टियान-सोन इण्डोस्कोप |
| 4. | कांकेर | सिपटोमेटिक इवेन्ट रिकार्डर | - तदैव- | 1665/28.3.05 | 02 | 12.00 | इन्सट्रुमेंटिक्स यू.एस.ए. | डाटेक्स ओमेडा |
| 5. | कांकेर | टी. एम. टी. मशीन | सर्जी-एड-फार्मा, रायपुर | 1647/28.3.05 | 01 | 2.63 | रिर्कांडर एण्ड मेडीकेयर सिस्टमस् लिमिटेड | उपलब्ध नहीं |
| 6. | कांकेर | शेडोलेस ओ. टी. लाइट | सोनू मेडिकल एजेन्सी, रायपुर | 1511/17.3.05 | 03 | 3.74 | आर.के.खुल्लर दिल्ली | उपलब्ध नहीं |
| 7. | जगदलपुर | विशेषीकृत लेप्रोस्कोपिक प्रणाली | नाहर मेडिकल एजेन्सी, धमतरी | 1669-70/28.3.05 1709-10/28.3.05 | 04 | 32.00 | जुवान जुवान चीन | टियान-सोन इण्डोस्कोप |
| 8. | दंतेवाड़ा | - तदैव- | - तदैव- | 1669-70/28.3.05 1709-10/28.3.05 1487-88/17.3.05 | 05 | 40.00 | जुवान जुवान चीन | -तदैव- |
| योग | | | | | 28 | 188.30 | | |

परिशिष्ट-4.2

(कंडिका 4.1.2; पृष्ठ 112)

(अ) मेसर्स हिन्दुस्तान सिरिज एवं मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड और महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दरों के बीच तुलना

| | | |
|----------------------------|---|--|
| सामग्री | मेसर्स हिन्दुस्तान सिरिज एवं मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड के साथ हुए दर संविदा वैधता दिनांक 9.6.04 से 8.6.05 के अनुसार प्रति इकाई दर (रुपये में) | महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दिनांक 1.2.04 से 31.3.05 तक वैध दर संविदा के अनुसार प्रति इकाई दर (रुपये में) |
| डिस्पोसेबल सिरिज 2 एम.एल. | 1.90 | 1.12 |
| डिस्पोसेबल सिरिज 5 एम.एल. | 2.10 | 1.30 |
| डिस्पोसेबल सिरिज 10 एम.एल. | 3.30 | 1.75 |
| डिस्पोसेबल सिरिज 20 एम.एल. | 8.26 | 4.21 |
| शर्तें | - 4.6 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर अतिरिक्त | -- 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क -- 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर अतिरिक्त -- दो लाख रुपये से अधिक मूल्य के आदेश पर एक प्रतिशत दूट -- पाँच लाख रुपये से अधिक मूल्य के आदेश पर दो प्रतिशत दूट |

(ब) विवरण जहाँ सामग्री का क्रय महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दरों की तुलना में उच्च दरों पर मेसर्स हिन्दुस्तान सिरिज एवं मेडिकल डिवाइसेस के साथ हुए दर संविदा के अनुसार किया गया था।

| स. क्र. | सामग्री का विवरण | मेसर्स हिन्दुस्तान के दर संविदा के अनुसार प्रति इकाई दर (सभी कर/व्यय शामिल) | महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दर संविदानुसार प्रति इकाई दर | प्रति इकाई दरों में अन्तर (3-4) | आदेशित मात्रा | महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के दरों की तुलना में अतिरिक्त भुगतान की गई राशि (5X6) | प्रदाय आदेश क्र. और दिनांक | दूट की राशि जिसका लाभ रुपये पाँच लाख से अधिक मूल्य के आदेश पर जो महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान के क्रय पर था नहीं लिया जा सका। |
|------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|--|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | डिस्पोसेबल सिरिज 2 एम.एल. | 1.9874 | 1.2580 | 0.7294 | 30,00,000 | 21,88,200 | 594, 30/07/ 04 | 75,480 |
| 2. | डिस्पोसेबल सिरिज 5 एम.एल. | 2.1966 | 1.4602 | 0.7364 | 10,00,000 | 7,36,400 | | 29,204 |
| 3. | डिस्पोसेबल सिरिज 10 एम.एल. | 3.4518 | 1.9656 | 1.4862 | 20,00,000 | 29,72,400 | | 78,624 |
| 4. | डिस्पोसेबल सिरिज 20 एम.एल. | 8.6400 | 4.7287 | 3.9113 | 30,000 | 1,17,339 | | 2,837 |
| कुल | | | | | 60,30,000 | 60,14,339 | -- | 1,86,145 |

कुल हानि = रुपये (60,14,339 + 1,86,145) = रुपये 62,00,484.00 (62 लाख रुपये)

परिशिष्ट-4.3

(कड़िका 4.1.2; पृष्ठ 113)

(अ) महानिदेशक प्रदाय एवं निपटान से दर संविदा के अंतर्गत पंजीकृत फर्म जिन्हें चार प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

| स. क्र. | फर्म का नाम (कोष्ठक में फर्म के अधिकृत प्रदायकर्ता का नाम) | प्रदाय आदेश क्र. | प्रदाय आदेश का दिनांक | सामग्री का नाम | प्रति ईकाई दर (सभी कर/व्यय शामिल) | मात्रा | प्रदाय का दिनांक | सभी कर/ व्यय सहित सहमत दरों के अनुसार मान्य राशि | वास्तविक भुगतान की राशि | अतिरिक्त भुगतान की राशि |
|----------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (6*7) | 10 | 11 (9-10) |
| 1. | मेसर्स इस्कान, जोधपुर (मेसर्स नेताम इण्डस्ट्रीज, भोपाल और मेसर्स नेपच्यून, भोपाल) | 119 | 7-जून -05 | डिस्पोसेबल सिरिज 1 एम.एल. | 2.26 | 4,00,000 | 3/10/05 | 9,04,000.00 | 9,40,160.00 | 36,160.00 |
| | | | | | | 3,72,000 | 14/11/05 | 8,40,720.00 | 8,74,348.80 | 33,628.80 |
| | | | | | | 4,18,000 | 29/11/05 | 9,44,680.00 | 9,82,467.20 | 37,787.20 |
| | | | | | | 4,10,000 | 29/11/05 | 9,26,600.00 | 9,63,664.00 | 37,064.00 |
| | | | | | | 4,10,000 | 29/11/05 | 9,26,600.00 | 9,63,664.00 | 37,064.00 |
| | | | | | | 5,60,000 | 12/12/05 | 12,65,600.00 | 13,16,224.00 | 50,624.00 |
| | | | | | | 4,10,000 | 27/12/05 | 9,26,600.00 | 9,63,664.00 | 37,064.00 |
| | | | | | | 3,50,953 | 20/01/06 | 7,93,153.78 | 8,24,879.93 | 31,726.15 |
| | | | | | | 39,047 | 20/1/06 | 88,246.22 | 91,776.07 | 3,529.85 |
| | | | | | | 46,962 | 11/2/06 | 1,06,134.12 | 1,10,339.00 | 4,204.88 |
| | | | | | | 72,450 | 11/2/06 | 1,63,737.00 | 1,70,286.48 | 6,549.48 |
| | | | | | | 25,389 | 11/2/06 | 57,379.14 | 59,674.31 | 2,295.17 |
| | | 20,059 | 11/2/06 | | | 45,333.34 | 47,146.67 | 1,813.33 | | |
| | | 39,047 | 11/2/06 | | | 88,246.22 | 91,776.07 | 3,529.85 | | |
| | | 3,06,093 | 11/2/06 | | | 6,91,770.18 | 7,19,440.99 | 27,670.81 | | |
| | | 1,85,000 | 11/2/06 | | | 4,18,100.00 | 4,34,824.00 | 16,724.00 | | |
| | | 3,25,000 | 11/2/06 | | | 7,34,500.00 | 7,63,880.00 | 29,380.00 | | |
| | | 2,10,000 | 23/2/06 | | | 4,74,600.00 | 4,93,584.00 | 18,984.00 | | |
| | | 4,10,000 | 28/2/06 | | | 9,26,600.00 | 9,63,664.00 | 37,064.00 | | |
| | | 2,90,000 | 7/3/06 | | | 6,55,400.00 | 6,81,616.00 | 26,216.00 | | |
| | | 5,00,000 | 16/3/06 | | | 11,30,000.00 | 11,75,200.00 | 45,200.00 | | |
| | | 93,400 | 12/6/06 | | | 2,11,084.00 | 2,19,527.36 | 8,443.36 | | |
| | | 3,31,600 | 29/6/06 | | | 7,49,416.00 | 7,79,392.64 | 29,976.64 | | |
| | | 3,60,000 | 7/7/06 | | | 8,13,600.00 | 8,46,144.00 | 32,544.00 | | |
| | | 2,54,800 | 19/8/06 | | | 5,75,848.00 | 5,98,881.92 | 23,033.92 | | |
| | | 2,05,600 | 21/8/06 | | | 4,64,656.00 | 4,83,242.24 | 18,586.24 | | |
| | | 2,46,000 | 22/8/06 | | | 5,55,960.00 | 5,78,198.40 | 22,238.40 | | |
| 54,300 | 30/8/06 | 1,22,718.00 | 1,27,626.72 | 4,908.72 | | | | | | |
| 54,300 | 30/8/06 | 1,22,718.00 | 1,27,626.72 | 4,908.72 | | | | | | |
| 1,05,000 | 13/10/06 | 2,37,300.00 | 2,46,792.00 | 9,492.00 | | | | | | |
| 5,48,000 | 11/11/06 | 12,38,480.00 | 12,88,019.20 | 49,539.20 | | | | | | |
| 2. | मेसर्स लिनको, अंबाला (मेसर्स नेपच्यून, भोपाल और मेसर्स नेताम इण्डस्ट्रीज, भोपाल) | 274 | 23-जुलाई -05 | इलेक्ट्रिक निडिल एवं सिरिज डिस्ट्रायर | 2,090.00 | 46 | 20/9/05 | 96,140.00 | 99,986.00 | 3,846.00 |
| | | | | | | 32 | | 66,880.00 | 69,555.00 | 2,675.00 |
| | | | | | | 13 | | 27,170.00 | 28,257.00 | 1,087.00 |
| | | | | | | 16 | | 33,440.00 | 34,778.00 | 1,338.00 |
| | | | | | | 22 | | 45,980.00 | 47,819.00 | 1,839.00 |
| | | | | | | 69 | | 1,44,210.00 | 1,49,978.00 | 5,768.00 |
| | | | | | | 900 | 20/10/06 | 18,81,000.00 | 19,56,240.00 | 75,240.00 |
| 62 | 18-मई -06 | | | | | | | | | |
| 3. | मेसर्स साउटेक (मेसर्स फल्गूनी मेडीकल स्टोर्स, रायपुर) | 270 | 23-जुलाई-05 | - तदेव - | 2,090.00 | 1,374 | 17/8/05 | 28,71,660.00 | 29,86,526.40 | 1,14,866.40 |
| | | | | | | 274 | | 1,000 | 20/9/05 | 20,90,000.00 |
| योग - अ | | | | | | | | 2,54,56,260.00 | 2,64,74,470.12 | 10,18,210.12 |

(ब) संचालक के साथ दर संविदा किए गए फर्मों को वाणिज्यिक कर के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण

| स. क्र. | फर्म का नाम (कोष्ठक में अधिकृत प्रदायकर्ता का नाम) | प्रदाय आदेश क्र. | प्रदाय आदेश दिनांक | सामग्री कूट संख्या और नाम | इकाई दर (समी कर/व्यय सहित) | मात्रा | प्रदाय का दिनांक | मान्य राशि | वास्तविक भुगतान की गई राशि (6x7) | अधिक भुगतान राशि (10-9) | रिमार्क (केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर 4 प्रतिशत की दर से) |
|-----------------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | मेसर्स अल्फा लेब (मेसर्स वीरदीप, मुंबई) | 796 | 14-मार्च -06 | इंजेक्शन डाइजेपाम - 2 एम.एल. | 1.17 | 1,00,000 | 23/03/06 | 1,15,000.00 | 1,17,000.00 | 2,000.00 | न्यूनतम दर रु. 1.15 था। |
| | | 790 | | | | 1,13,330 | 23/03/06 | 1,30,329.50 | 1,32,596.10 | 2,266.60 | -- |
| | | 782 | | | | 50,000 | 23/03/06 | 57,500.00 | 58,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 2. | मेसर्स एवन्टीस, मुंबई (मेसर्स साइनेटेफिक ड्रग्स) | 233 | 4-सितम्बर - 06 | 125 बी-एंटी रेबीज वेक्सीन | 220.00 | 2,896 | 22/09/06 | 6,37,120.00 | 6,62,604.80 | 25,484.80 | -- |
| | | | | | | 1,000 | 22/09/06 | 2,20,000.00 | 2,28,800.00 | 8,800.00 | -- |
| | | | | | | 2,000 | 10/11/06 | 4,40,000.00 | 4,57,600.00 | 17,600.00 | -- |
| 3. | मेसर्स भारत सेरम (मेसर्स आर्यन) | 235 | | 124- एंटी सेरम स्नेक वेनम आई.पी. | 332.00 | 6,000 | 03/10/06 | 19,92,000.00 | 20,71,680.00 | 79,680.00 | -- |
| | | 282 | 18-अक्टूबर - 06 | 123-एंटी टिटनेस इंजेक्शन | 784.24 | 1,200 | 26/10/06 | 9,41,088.00 | 9,78,731.52 | 37,643.52 | -- |
| 4. | मेसर्स हिन्दुस्तान बी.पी.एल. (मेसर्स मेकर्स) | 245 | 11-जून -04 | 187-सी रेनीटिडाइन | 1.37 | 50,000 | 29/10/04 | 68,500.00 | 71,651.00 | 3,151.00 | केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर 4.6 प्रतिशत की दर से। |
| | | 565 | 30-जुलाई 4 | 178-पोविडान सल्यूशन | 89.07 | 1,650 | 29/10/04 | 1,46,965.50 | 1,53,725.91 | 6,760.41 | - तदैव - |
| | | | | | | 5,000 | 29/10/04 | 4,45,350.00 | 4,63,164.00 | 17,814.00 | -- |
| | | | | | | 5,000 | 29/10/04 | 4,45,350.00 | 4,63,164.00 | 17,814.00 | -- |
| | | | | | | 5,000 | 29/10/04 | 4,45,350.00 | 4,63,164.00 | 17,814.00 | -- |
| | | 273 | 11-जून -04 | 75-जेन्टामाइसिन | 2.17 | 48,000 | 29/10/04 | 1,04,160.00 | 1,08,326.40 | 4,166.40 | -- |
| | | 1430 | 15-मार्च -05 | | 1.37 | 80,000 | 23/03/05 | 1,09,600.00 | 1,13,984.00 | 4,384.00 | -- |
| | | 1430 | | 187- सी रेनीटिडाइन | | 1,60,000 | 23/03/05 | 2,19,200.00 | 2,29,283.20 | 10,083.20 | केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर 4.6 प्रतिशत की दर से। |
| | | 245 | 11-जून -04 | | | 60,000 | 29/09/04 | 82,200.00 | 85,981.20 | 3,781.20 | - तदैव - |
| 5. | मेसर्स माउंट मेटूर (मेसर्स मेकर्स) | 273 | | 75-जेन्टामाइसिन | 2.17 | 2,00,000 | 29/10/04 | 4,34,000.00 | 4,51,360.00 | 17,360.00 | -- |
| | | 273 | | | | 1,20,000 | 29/10/06 | 2,60,400.00 | 2,72,404.46 | 12,004.46 | -- |
| | | 241 | | 178-पोविडान सल्यूशन | 89.07 | 1,600 | 29/09/04 | 1,42,512.00 | 1,49,067.55 | 6,555.55 | केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर 4.6 प्रतिशत की दर से। |
| 6. | मेसर्स वेलक्यूर ड्रग्स, दिल्ली | 351 | | 72-सिप्रोफ्लैकसिन | 56.78 | 19,000 | 1/10/04 | 9,88,000.00 | 10,78,820.00 | 90,820.00 | न्यूनतम दर रु 52 था। |
| योग - ब | | | | | | | | 88,69,975.00 | 92,74,772.14 | 4,04,797.14 | -- |
| कुल योग- अ + ब | | | | | | | | 3,43,26,235.00 | 3,57,49,242.26 | 14,23,007.26 | |

परिशिष्ट - 4.4

(कंडिका 4.1.2; पृष्ठ 113)

महानिदेशक, प्रदाय एवं निपटान से दर संविदा के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों से एक एम.एल. डिस्पोजेबल सिरिज के क्रय के विरुद्ध छूट का लाभ न लेने के कारण भुगतान की गई अधिक राशि का विवरण

| आदेश क्र. और दिनांक | देयक क्र. और दिनांक | मात्रा | प्रति इकाई दर (सभी कर/व्यय सहित) | भुगतान की गई राशि (3x4) | छूट की राशि जो काटी नहीं गई (स्तंभ 5 का 2%) |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | (रूपये में) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1037/ 05.11.04 | 220/ 18.01.05 | 7,55,600 | 2.11 | 15,95,537.00 | 31,911.00 |
| 1038/ 05.11.04 | 222/ 08.02.05 | 7,55,600 | 2.11 | 15,95,537.00 | 31,911.00 |
| 1039/ 05.11.04 | 223-226/ 22.02.05 | 18,88,800 | 2.11 | 39,88,423.00 | 79,768.00 |
| | 228-238/ 03.03.05 | | | | |
| योग | | 34,00,000 | | 71,79,497.00 | 1,43,590.00 |

परिशिष्ट- 4.5

(कंडिका 4.3.5; पृष्ठ 123 एवं 124)

(अ) ठेकेदार "अ" द्वारा प्राप्त की गई छूट का विवरण पत्रक

(राशि रूपये में)

| मात्रा/पाइप की लम्बाई | डि.जि.एम.डि (म.नि.प्र.नि) दर प्रति लिटर | लागत | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर शेष | योग |
|-----------------------|---|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. (1X2) | 4. (16 % X 3) | 5. (2 % X 4) | 6. (4+5) |
| 5,835 मीटर | 1302.75 | 76,01,546 | 12,16,247 | 24,325 | 12, 40,572 |

(ब) ठेकेदार द्वारा प्राप्त किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वाणिज्य कर पर छूट का गणना पत्रक

(राशि रूपये में)

| | |
|---|------------------|
| पत्रक (फर्म)डी में प्रदर्शित ठेकेदार " ब " द्वारा क्रय की गई सामग्री की कीमत | 2,55,30,594 |
| (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में उपभोगित छूट | 41,66,593 |
| (ब) पाइप एवं सामग्रियों की कीमत (3.28 करोड़ रूपये) पर 8 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर पर उपभोगित रियायत | 26,27,840 |
| कुल (अ + ब) | 67,94,433 |

सकल कुल योग: 80,35,005

परिशिष्ट- 4.6

(कंडिका 4.3.6; पृष्ठ 125)

यू.एस.ओ.आर. एवं सि.एस.आई.डि.सि. दरों के मध्य डि.आई. के-9 पाइप के लागत के अंतर

(रूपये में)

| पाइप का व्यास | डि.आई.पाइप की मात्रा (मीटर में) | सि.एस.आई.डि.सि. दर अनुबंध* के अनुसार प्रचलित दर (3/05) (प्रति मीटर) परिशिष्ट 4.7 में की गई गणानुसार | संपूर्ण मद का यू.एस.ओ.आर. दर** (प्रति मीटर) | यू.एस.ओ.आर. के अनुसार विछाने की दर (प्रति मीटर) | यू.एस.ओ.आर.के अनुसार रबर गेसकट जोड़ने की दर (प्रत्येक) | रबर गेसकट के संख्या | संपूर्ण मद की लागत यू.एस.ओ.आर. के अनुसार | यू.एस.ओ.आर.के अनुसार विछाने का लागत | यू.एस.ओ.आर. के अनुसार जोड़ने का लागत | यू.एस.ओ.आर.के अनुसार विछाने एवं घटाने के बाद सामग्री की लागत | प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार 75 प्रतिशत जोड़ने के बाद प्राकलन में सामग्री की लागत | सि.एस.आई.डि.सि. के दर अनुबंध के अनुसार डि.आई. (के-9) पाइप की लागत | प्राकलित लागत एवं यू.एस.ओ.आर. के लागत की अंतर | यू.एस.ओ.आर. एवं सि.एस.आई.डि.सि. के मध्य लागत का अंतर | स्फीतित दर |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | (2x4) | (2x5) | (6x7) | {8-(9+10)} | (11+75 %) | (2x3) | (12-11) | (13-11) | (14-15) |
| 100 मि.मी. | 2507.50 | 880.63 | 603 | 5 | 27 | 460 | 1512023 | 12538 | 12420 | 1487065 | 2602364 | 2208180 | 1115299 | 721115 | 394184 |
| 150 मि.मी. | 4769.50 | 1330.12 | 891 | 8 | 45 | 890 | 4249625 | 38156 | 40050 | 4171419 | 7299983 | 6344007 | 3128564 | 2172588 | 955976 |
| 200 मि.मी. | 1456.90 | 1770.43 | 1198 | 10 | 50 | 270 | 1745366 | 14569 | 13500 | 1717297 | 3005270 | 2579339 | 1287973 | 862042 | 425931 |
| 250 मि.मी. | 543.40 | 2320.82 | 1567 | 14 | 63 | 98 | 851508 | 7608 | 6174 | 837726 | 1466021 | 1261134 | 628295 | 423408 | 204887 |
| 300 मि.मी. | 1111.40 | 2939.11 | 1988 | 17 | 72 | 202 | 2209463 | 18894 | 14544 | 2176025 | 3808044 | 3266527 | 1632019 | 1090502 | 541517 |
| कुल योग | | | | | | | 10567985 | 91765 | 86688 | 10389532 | 18181682 | 15659187 | 7792150 | 5269655 | 2522495 |
| दर विश्लेषण सी एस आई डी सी की दर अनुबंध के आधार पर कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (परियोजना), संभाग बिलासपुर के द्वारा अपनायी गयी क्रिया विधि द्वारा तैयार किया गया है। | | | | | | | | | | | | | | | |
| सम्पूर्ण मद - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा जारी यू.एस.ओ.आर. के मद क्रं. 4.1 के अनुसार 80 से 300 मि.मी. व्यास के सीमेंट मोटार के अंतरिम सतह के-9 कास्ट आयरन डीआई दाब पाईप की आपूर्ति, बिछाना तथा साकेट एवं स्पाईगोट द्वारा जोड़ना | | | | | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट- 4.7
(कंडिका 4.3.6; पृष्ठ 126)

सी.एस.आई.डी.सी.दर अनुबंध के अनुसार डी.आई. (के-9) पाइप के प्रचलित दर (3/2005) का विवरण पत्रक।

| डी.आई. (के-9) पाइप के डायामिटर | सी.एस.आई.डी.सी. के अनुसार मूल दर | उत्पाद शुल्क (क्रं.-2 के 16.32 प्रतिशत की दर से) | कुल योग | डी.जी.एस.डी. प्रभार (क्रं.-4 के 0.5 प्रतिशत की दर से) | कारखाना से परिवहन प्रभार (क्रं.-4 के 5.5 प्रतिशत की दर से) | कुल योग | उतारने का भाड़ा (क्रं. 7 के 5 प्रतिशत) | कर (क्रं.-7 के 12.7 प्रतिशत) (9.2 1.5 2) | सकल कुल योग |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---------|---|--|---------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | (2 x 16.32%) | (2+3) | (4 x 0.5 %) | (4 x 5.5%) | (4+5+6) | (7x5%) | (7x12.7%) | (7+8+9) |
| 100 मि.मी. | 606.82 | 99.03 | 705.85 | 3.53 | 38.82 | 748.20 | 37.41 | 95.02 | 880.63 |
| 150 मि.मी. | 916.55 | 149.58 | 1066.13 | 5.33 | 58.64 | 1130.10 | 56.50 | 143.52 | 1330.12 |
| 200 मि.मी. | 1219.95 | 199.10 | 1419.05 | 7.10 | 78.05 | 1504.19 | 75.21 | 191.03 | 1770.43 |
| 250 मि.मी. | 1599.21 | 260.99 | 1860.20 | 9.30 | 102.31 | 1971.81 | 98.59 | 250.42 | 2320.82 |
| 300 मि.मी. | 2025.25 | 330.52 | 2355.77 | 11.78 | 129.57 | 2497.12 | 124.86 | 317.13 | 2939.11 |

नोट- दर विश्लेषण सी एस आई डी सी की दर अनुबंध के आधार पर कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (परियोजना), संभाग बिलासपुर के द्वारा अपनायी गयी क्रिया विधि द्वारा तैयार किया गया है।

परिशिष्ट - 4.8

(कंडिका 4.3.8; पृष्ठ 129)

700-बिस्तरीय अस्पताल (उपभोक्ता क्रं. 900058) के उच्च दाब कनेक्शन पर विद्युत घटक अधिभारों के कारण अधिक भुगतान की गई राशि का विवरण

| माह | न्यूनतम 375 के.वी.ए. प्रतिमाह के विरुद्ध शुद्ध अधिकतम मांग | 500 के.वी.ए. के संदर्भ में शुद्ध अधिकतम मांग का प्रतिशत | आवश्यक औसत विद्युत घटक 0.90 के विरुद्ध अभिलिखित मासिक औसत विद्युत घटक | भुगतान किए गए विद्युत घटक प्रभार (रुपये) |
|--------------|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नवम्बर-2000 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 40,089.60 |
| दिसम्बर-2000 | 304 | 61 | 0.70 | 35,264.00 |
| जनवरी-2001 | 240 | 48 | 0.77 | 18,096.00 |
| फरवरी-2001 | 320 | 64 | 0.75 | 27,840.00 |
| मार्च-2001 | 344 | 69 | 0.80 | 19,952.00 |
| अप्रैल-2001 | 364 | 73 | 0.82 | 16,889.60 |
| मई-2001 | 400 | 80 | 0.80 | 23,200.00 |
| जून-2001 | 408 | 82 | 0.79 | 26,030.40 |
| जुलाई-2001 | 384 | 77 | 0.78 | 26,726.40 |
| अगस्त-2001 | 464 | 93 | 0.79 | 29,603.20 |
| सितम्बर-2001 | 440 | 88 | 0.91 | 0.00 |
| अक्टूबर-2001 | 360 | 72 | 0.95 | 0.00 |
| नवम्बर-2001 | 304 | 61 | 0.94 | 0.00 |
| दिसम्बर-2001 | 248 | 50 | 0.91 | 0.00 |
| जनवरी-2002 | 184 | 37 | 0.91 | 0.00 |
| फरवरी-2002 | 288 | 58 | 0.94 | 0.00 |
| मार्च-2002 | 312 | 62 | 0.97 | 0.00 |
| अप्रैल-2002 | 344 | 69 | 0.98 | 0.00 |
| मई-2002 | 368 | 74 | 0.98 | 0.00 |
| जून-2002 | 344 | 69 | 0.98 | 0.00 |
| जुलाई-2002 | 328 | 66 | 0.98 | 0.00 |
| अगस्त-2002 | 312 | 62 | 0.99 | 0.00 |
| सितम्बर-2002 | 328 | 66 | 0.98 | 0.00 |
| अक्टूबर-2002 | 336 | 67 | 0.95 | 0.00 |
| नवम्बर-2002 | 312 | 62 | 0.92 | 0.00 |
| दिसम्बर-2002 | 288 | 58 | 0.92 | 0.00 |
| जनवरी-2003 | 375 | 75 | 0.93 | 0.00 |
| फरवरी-2003 | 375 | 75 | 0.93 | 0.00 |
| मार्च-2003 | 340 | 68 | 0.88 | 3,944.00 |
| अप्रैल-2003 | 420 | 84 | 0.90 | 0.00 |
| मई-2003 | 441.870 | 88 | 0.75 | 38,454.00 |
| जून-2003 | 421 | 85 | 0.82 | 19,534.40 |
| जुलाई-2003 | 411 | 82 | 0.80 | 23,838.00 |
| अगस्त-2003 | 431 | 86 | 0.78 | 29,997.60 |
| सितम्बर-2003 | 463 | 93 | 0.77 | 34,910.20 |
| अक्टूबर-2003 | 449 | 90 | 0.76 | 36,458.80 |
| नवम्बर-2003 | 451 | 90 | 0.71 | 49,700.20 |
| दिसम्बर-2003 | 356 | 71 | 0.67 | 47,490.40 |
| जनवरी-2004 | 353 | 71 | 0.70 | 40,948.00 |
| फरवरी-2004 | 347 | 69 | 0.71 | 38,239.40 |
| मार्च-2004 | 468 | 94 | 0.74 | 43,430.40 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------|------------|-----------|-------------|---------------------|
| अप्रैल-2004 | 433 | 87 | 0.78 | 30,136.80 |
| मई-2004 | 520 | 104 | 0.80 | 31,320.00 |
| जून-2004 | 547 | 109 | 0.77 | 44,787.60 |
| जुलाई-2004 | 522 | 104 | 0.86 | 12,620.80 |
| अगस्त-2004 | 483 | 97 | 0.83 | 19,609.00 |
| सितम्बर-2004 | 511 | 102 | 0.84 | 18,165.60 |
| अक्टूबर-2004 | 421 | 84 | 0.83 | 17,092.60 |
| नवम्बर-2004 | 367 | 73 | 0.80 | 21,286.00 |
| दिसम्बर-2004 | 354 | 71 | 0.79 | 22,585.20 |
| जनवरी-2005 | 330.670 | 66 | 0.78 | 23,014.63 |
| मार्च-2005 | 438.400 | 88 | 0.78 | 30,512.64 |
| मई-2005 | 488.265 | 98 | 0.77 | 36,815.00 |
| जून-2005 | 533.599 | 107 | 0.76 | 46,056.42 |
| जुलाई-2005 | 454.932 | 91 | 0.73 | 1,55,710.59 |
| अगस्त-2005 | 459.999 | 92 | 0.61 | 3,24,587.24 |
| सितम्बर-2005 | 497.332 | 99 | 0.73 | 2,22,100.85 |
| अक्टूबर-2005 | 431.999 | 86 | 0.72 | 1,99,081.50 |
| नवम्बर-2005 | 438.666 | 88 | 0.62 | 2,73,120.50 |
| दिसम्बर-2005 | 363.999 | 73 | 0.69 | 1,42,744.96 |
| जनवरी-2006 | 369.332 | 74 | 0.64 | 1,78,606.50 |
| मार्च-2006 | 394.167 | 79 | 0.72 | 1,82,629.76 |
| अप्रैल-2006 | 546.667 | 109 | 0.75 | 2,05,673.42 |
| मई-2006 | 561.666 | 112 | 0.79 | 1,68,506.00 |
| जून-2006 | 585 | 117 | 0.81 | 1,45,471.77 |
| जुलाई-2006 | 537.500 | 108 | 0.80 | 1,35,614.89 |
| अगस्त-2006 | 523.333 | 105 | 0.80 | 1,36,307.14 |
| सितम्बर-2006 | 523.333 | 105 | 0.81 | 1,25,353.70 |
| अक्टूबर-2006 | 513.333 | 103 | 0.80 | 1,48,010.22 |
| नवम्बर-2006 | 430 | 86 | 0.74 | 1,22,279.54 |
| दिसम्बर-2006 | 317.333 | 63 | 0.72 | 1,23,899.44 |
| जनवरी-2007 | 206.667 | 41 | 0.70 | 98,768.88 |
| फरवरी-2007 | 357.500 | 72 | 0.85 | 17,663.94 |
| मार्च-2007 | 370 | 74 | 0.90 | 0.00 |
| औसत/योग | 401 | 80 | 0.81 | 40,90,680.13 |

परिशिष्ट-4.9

(कंडिका 4.3.8 पृष्ठ 129 एवं 130)

बाह्य रोगी विभाग (उपभोक्ता क्रं. 800054) के उच्च दाब कनेक्शन पर संविदा माँग कम न करने के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण

| माह | न्यूनतम 375 के.वी.ए. प्रतिमाह के विरुद्ध शुद्ध अधिकतम मांग | 500 के.वी.ए. के संदर्भ में शुद्ध अधिकतम मांग का प्रतिशत | अप्रयुक्त मांग जिसके विरुद्ध प्रभार अदा किए गए (न्यूनतम 375 कालम-2 में दर्शित शुद्ध अधिकतम मांग) | प्रति इकाई मांग प्रभार दर (रुपये) | अधिक भुगतान किए गए प्रभारों की राशि (4 X 5) रूपये | आवश्यक औसत विद्युत घटक 0.90 के विरुद्ध अभिलिखित मासिक औसत विद्युत घटक | भुगतान किए गए विद्युत घटक प्रभार (रुपये) |
|--------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| नवम्बर-2000 | 90 | 18 | 285 | 129 | 36,765 | 0.88 | 8,352.00 |
| दिसम्बर-2000 | 75 | 15 | 300 | 129 | 38,700 | 0.71 | 8,265.00 |
| जनवरी-2001 | 125 | 25 | 250 | 129 | 32,250 | 0.72 | 13,050.00 |
| फरवरी-2001 | 75 | 15 | 300 | 129 | 38,700 | 0.75 | 6,525.00 |
| मार्च-2001 | 95 | 19 | 280 | 129 | 36,120 | 0.79 | 6,061.00 |
| अप्रैल-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.80 | 5,800.00 |
| मई-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.78 | 6,960.00 |
| जून-2001 | 90 | 18 | 285 | 129 | 36,765 | 0.79 | 5,742.00 |
| जुलाई-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.79 | 6,380.00 |
| अगस्त-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.80 | 5,800.00 |
| सितम्बर-2001 | 110 | 22 | 265 | 129 | 34,185 | 0.80 | 6,380.00 |
| अक्टूबर-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.79 | 6,380.00 |
| नवम्बर-2001 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.75 | 8,700.00 |
| दिसम्बर-2001 | 80 | 16 | 295 | 129 | 38,055 | 0.70 | 9,280.00 |
| जनवरी-2002 | 80 | 16 | 295 | 129 | 38,055 | 0.88 | 7,888.00 |
| फरवरी-2002 | 80 | 16 | 295 | 129 | 38,055 | 0.76 | 6,496.00 |
| मार्च-2002 | 90 | 18 | 285 | 129 | 36,765 | 0.79 | 5,742.00 |
| अप्रैल-2002 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.78 | 6,960.00 |
| मई-2002 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 0.78 | 6,960.00 |
| जून-2002 | 105 | 21 | 270 | 129 | 34,830 | 0.80 | 6,090.00 |
| जुलाई-2002 | 120 | 24 | 255 | 129 | 32,895 | 0.81 | 6,264.00 |
| अगस्त-2002 | 110 | 22 | 265 | 129 | 34,185 | 0.81 | 5,742.00 |
| सितम्बर-2002 | 120 | 24 | 255 | 129 | 32,895 | 1 | 0.00 |
| अक्टूबर-2002 | 120 | 24 | 255 | 129 | 32,895 | 1 | 0.00 |
| नवम्बर-2002 | 90 | 18 | 285 | 129 | 36,765 | 0.71 | 9,918.00 |
| दिसम्बर-2002 | 80 | 16 | 295 | 129 | 38,055 | 0.71 | 8,816.00 |
| जनवरी-2003 | 75 | 15 | 300 | 129 | 38,700 | 0.72 | 7,830.00 |
| फरवरी-2003 | 80 | 16 | 295 | 129 | 38,055 | 0.73 | 7,888.00 |
| मार्च-2003 | 110 | 22 | 265 | 129 | 34,185 | 0.78 | 7,656.00 |
| अप्रैल-2003 | 130 | 26 | 245 | 129 | 31,605 | 0.82 | 6,032.00 |
| मई-2003 | 125 | 25 | 250 | 129 | 32,250 | 0.82 | 5,800.00 |
| जून-2003 | 120 | 24 | 255 | 129 | 32,895 | 0.87 | 2,088.00 |
| जुलाई-2003 | 130 | 26 | 245 | 129 | 31,605 | 0.86 | 3,016.00 |
| अगस्त-2003 | 105 | 21 | 270 | 129 | 34,830 | 0.82 | 4,872.00 |
| सितम्बर-2003 | 115 | 23 | 260 | 129 | 33,540 | 0.81 | 6,003.00 |
| अक्टूबर-2003 | 120 | 24 | 255 | 129 | 32,895 | 1 | 0.00 |
| नवम्बर-2003 | 100 | 20 | 275 | 129 | 35,475 | 1 | 0.00 |
| दिसम्बर-2003 | 85 | 17 | 290 | 129 | 37,410 | 1 | 0.00 |
| जनवरी-2004 | 85 | 17 | 290 | 129 | 37,410 | 1 | 0.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|--------------|------------|-----------|------------|-----|---------------------|-------------|--------------------|
| फरवरी-2004 | 110 | 22 | 265 | 129 | 34,185 | 1 | 0.00 |
| मार्च-2004 | 213 | 43 | 162 | 129 | 20,898 | 1 | 0.00 |
| अप्रैल-2004 | 250 | 50 | 125 | 129 | 16,125 | 1 | 0.00 |
| मई-2004 | 230 | 46 | 145 | 129 | 18,705 | 0.91 | 0.00 |
| जून-2004 | 230 | 46 | 145 | 129 | 18,705 | 0.88 | 2,668.00 |
| जुलाई-2004 | 193 | 39 | 182 | 129 | 23,478 | 0.92 | 0.00 |
| अगस्त-2004 | 182 | 36 | 193 | 129 | 24,897 | 0.87 | 3,166.80 |
| सितम्बर-2004 | 217.330 | 43 | 157.670 | 129 | 20,339.43 | 0.91 | 0.00 |
| अक्टूबर-2004 | 197 | 39 | 178 | 129 | 22,962 | 0.90 | 0.00 |
| नवम्बर-2004 | 168 | 34 | 207 | 129 | 26,703 | 0.87 | 2,923.20 |
| दिसम्बर-2004 | 121 | 24 | 254 | 129 | 32,766 | 0.84 | 4,210.80 |
| जनवरी-2005 | 113.330 | 23 | 261.670 | 129 | 33,755.43 | 0.85 | 3,286.57 |
| मार्च-2005 | 224 | 45 | 151 | 129 | 19,479 | 0.87 | 3,897.61 |
| अप्रैल-2005 | 262 | 52 | 113 | 129 | 14,577 | 0.87 | 4,558.80 |
| मई-2005 | 278.333 | 56 | 96.667 | 129 | 12,470.04 | 0.90 | 0.00 |
| जून-2005 | 288 | 58 | 87 | 129 | 11,223 | 0.87 | 5,011.19 |
| जुलाई-2005 | 238.333 | 48 | 136.667 | 129 | 17,630.04 | 0.87 | 8,961.95 |
| अगस्त-2005 | 209.333 | 42 | 165.667 | 350 | 57,983.45 | 0.87 | 9,629.66 |
| सितम्बर-2005 | 227 | 45 | 148 | 350 | 51,800 | 0.87 | 8,900.00 |
| नवम्बर-2005 | 166.667 | 33 | 208.333 | 350 | 72,916.55 | 0.81 | 25,090.91 |
| दिसम्बर-2005 | 120 | 24 | 255 | 350 | 89,250 | 0.85 | 8,207.44 |
| जनवरी-2006 | 144 | 29 | 231 | 350 | 80,850 | 0.85 | 8,675.62 |
| मार्च-2006 | 614 | 123 | (+)114 | 350 | 0 | 0.85 | 43,117.72 |
| अप्रैल-2006 | 826 | 165 | (+)326 | 350 | 0 | 0.87 | 35,822.66 |
| मई-2006 | 782 | 156 | (+)282 | 350 | 0 | 0.88 | 25,490.79 |
| जून-2006 | 782 | 156 | (+)282 | 350 | 0 | 0.85 | 49,907.00 |
| जुलाई-2006 | 672 | 134 | (+)172 | 350 | 0 | 0.82 | 72,935.64 |
| अगस्त-2006 | 648 | 130 | (+)148 | 350 | 0 | 0.87 | 26,749.00 |
| सितम्बर-2006 | 768 | 154 | (+)268 | 350 | 0 | 0.82 | 91,134.72 |
| अक्टूबर-2006 | 238.333 | 48 | 136.667 | 350 | 47,833.45 | 0.84 | 35,642.57 |
| नवम्बर-2006 | 203.333 | 41 | 171.667 | 320 | 54,933.44 | 0.77 | 35,405.75 |
| दिसम्बर-2006 | 176.667 | 35 | 198.333 | 320 | 63,466.56 | 0.75 | 35,775.00 |
| जनवरी-2007 | 136.667 | 27 | 238.333 | 320 | 76,266.56 | 0.73 | 35,469.90 |
| फरवरी-2007 | 161.667 | 32 | 213.333 | 320 | 68,266.56 | 0.83 | 12,106.58 |
| मार्च-2007 | 231.667 | 46 | 143.333 | 320 | 45,866.56 | 0.86 | 7,902.00 |
| औसत | 196 | 39 | योग | | 24,59,921.08 | 0.84 | 8,32,473.22 |

परिशिष्ट -5.1

(संदर्भ कंडिका 5.1.5.4; पृष्ठ 140)

व्यय की अधिकता

(लाख रुपये में)

| सं.क्र. | अनुदान क्रमांक | कुल व्यय | मार्च माह में किया गया व्यय | प्रतिशत |
|---------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| 1 | अनुदान क्र.14 | 28325.39 | 5380.34 | 18.99 |
| 2 | अनुदान क्र.41 | 9003.84 | 3494.61 | 38.81 |
| 3 | अनुदान क्र.64 | 926.5 | 174.43 | 18.83 |
| 4 | अनुदान क्र.67 | 37.74 | 16.75 | 44.38 |
| 5 | अनुदान क्र.71 | 244.77 | 63.9 | 26.11 |
| 6 | अनुदान क्र.80 | 1173.55 | 520.51 | 44.35 |
| 7 | अनुदान क्र.82 | 78.71 | 37.6 | 47.77 |

परिशिष्ट -5.2

(संदर्भ कंडिका 5.1.5.5; पृष्ठ 140)

महालेखाकार के आंकड़े से विभागीय व्यय का पुनिर्मलान न होना

(लाख रुपये में)

| स.क्र. | 2002-03 | | | 2003-04 | | | 2004-05 | | | 2005-06 | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| | विभागीय व्यय पत्रक अनुसार | महालेखाकार के अनुसार | अंतर | विभागीय व्यय पत्रक अनुसार | महालेखाकार के अनुसार | अंतर | विभागीय व्यय पत्रक अनुसार | महालेखाकार के अनुसार | अंतर | विभागीय व्यय पत्रक अनुसार | महालेखाकार के अनुसार | अंतर |
| अनुदान क्र.14 | 4946.55 | 4968.78 | 22.23 | 4961.47 | 4983.65 | 22.18 | 5788.12 | 5892.73 | 104.61 | 6090.1 | 6059.96 | 30.14 |
| अनुदान क्र.41 | 362.68 | 365.29 | 2.61 | 457.8 | 451.63 | 6.17 | 1178.05 | 1118.02 | 60.03 | 2282.62 | 2257.77 | 24.85 |
| अनुदान क्र.64 | 83.72 | 84.46 | 0.74 | 88.46 | 87.51 | 0.95 | 368.46 | 365.36 | 3.1 | 199.16 | 198.99 | 0.17 |
| अनुदान क्र.67 | 107.66 | 108.48 | 0.82 | 137.11 | 136.63 | 0.48 | 8.35 | 9.54 | 1.19 | | | 0 |
| अनुदान क्र.71 | 195.16 | 177.65 | 17.51 | 198.54 | 132.93 | 65.61 | 238.32 | 211.62 | 26.7 | 271.82 | 265.66 | 6.16 |
| अनुदान क्र.80 | 15.34 | 10.7 | 4.64 | 14.51 | 11.62 | 2.89 | 14.86 | 14.47 | 0.39 | 14.71 | 14.7 | 0.01 |
| योग | | | 48.55 | | | 98.28 | | | 196.02 | | | 61.33 |

परिशिष्ट -5.3

(संदर्भ कंडिका 5.1.5.7; पृष्ठ 141)

टीकाकरण शुल्क का कम वसूली होना (लाख रू.मे)

| स. क्र. | विकासखंड का नाम | 2003-04 | | | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | |
|---------|------------------------------------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|-------|
| | | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | शेष | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | शेष | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | शेष | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | शेष |
| 1 | दुर्ग | 14800 | 14628 | 172 | 13200 | 12613 | 587 | 20080 | 14600 | 5480 | 23250 | 22600 | 650 |
| 2 | सुपेला | 5600 | 3340 | 2260 | 4320 | 2240 | 2080 | 10720 | | 10720 | 6600 | 5280 | 1320 |
| 3 | टिर्गा | 5400 | 5040 | 360 | 4400 | 4400 | 0 | 10800 | 6160 | 4640 | 6700 | 5360 | 1340 |
| 4 | ६ धमघा | 20320 | 18665 | 1655 | 24800 | 7280 | 17520 | 46560 | 11850 | 34710 | 37900 | 30320 | 7580 |
| 5 | गुण्डरदेही | | | | 17040 | 4150 | 12890 | 31120 | 28900 | 2220 | 32600 | 26080 | 6520 |
| 6 | अर्जुन्हा | 8720 | | 8720 | 8080 | 5103 | 2977 | 21760 | 8000 | 13760 | 20000 | 16000 | 4000 |
| 7 | पाटन | 33360 | 30921 | 2439 | 31200 | 29500 | 1700 | 46000 | 31100 | 14900 | 42650 | 34120 | 8530 |
| 8 | भिलाई-3 | | | 0 | 6000 | 5600 | 400 | 15600 | 14984 | 616 | 17750 | 14200 | 3550 |
| 9 | बालोद | 18640 | 15200 | 3440 | 26520 | 26520 | 0 | 42400 | 40000 | 2400 | 26600 | 21280 | 5320 |
| 10 | गुरुर | 17520 | 10000 | 7520 | 16000 | 14000 | 2000 | 37200 | 8000 | 29200 | 28200 | 22560 | 5640 |
| 11 | डोंडी | 5760 | 3680 | 2080 | 5680 | 2580 | 3100 | 16000 | 7000 | 9000 | 20200 | 16160 | 4040 |
| 12 | दल्लीराजहरा | 6880 | 5920 | 960 | 7200 | 3300 | 3900 | 15200 | 12120 | 3080 | 12400 | 9920 | 2480 |
| 13 | कुसुमकसा | 3200 | 2821 | 379 | | | 0 | 11040 | 6263 | 4777 | 6200 | 4960 | 1240 |
| 14 | भसावद | | | 0 | | | 0 | 5760 | 2560 | 3200 | | | 0 |
| 15 | घोटिया | | | 0 | 4720 | 2628 | 2092 | 9120 | 3715 | 5405 | 4400 | 3520 | 880 |
| 16 | डोंडीलोहारा | | | 0 | 27600 | 5815 | 21785 | 51680 | 32550 | 19130 | 28200 | 22560 | 5640 |
| 17 | बेमेतरा | 26400 | 23550 | 2850 | 18560 | 2010 | 16550 | 46200 | 16000 | 30200 | 32400 | 25920 | 6480 |
| 18 | नवागढ़ | 6000 | | 6000 | 9440 | 1446 | 7994 | 34800 | 15000 | 19800 | | | 0 |
| 19 | साजा | 18800 | 16432 | 2368 | 10560 | 3474 | 7086 | 33520 | 17895 | 15625 | 21800 | 17440 | 4360 |
| 20 | खमारिया | | | 0 | | | 0 | 11760 | 5001 | 6759 | 4800 | 3840 | 960 |
| 21 | क्र.बेरला | 12480 | 5984 | 6496 | 16000 | 10600 | 5400 | 38960 | 9000 | 29960 | 33800 | 27040 | 6760 |
| 22 | क्र.ए डी व्ही एस ,के व्ही एस दुर्ग | | | 0 | 21720 | 16720 | 5000 | 29200 | 24320 | 4880 | 25600 | 20480 | 5120 |
| योग | | 203880 | 156181 | 47699 | 273040 | 159979 | 113061 | 585480 | 315018 | 270462 | 432050 | 349640 | 82410 |

परिशिष्ट -5.4

(संदर्भ कंडिका 5.1.8.1; पृष्ठ 144)

टीका का प्रदाय एवं प्राप्ति में भिन्नता

| वर्ष | टीका प्रदाय डी.आई.लेब,दुर्गा के अभिलेखों के अनुसार | | | टीका प्राप्ति की संख्या (चिकित्सालय द्वारा) | | | उपयोग में लाये गये टीका की संख्या (चिकित्सालय के अभिलेखों के अनुसार) | | | उपयोग में लाये गये टीका की संख्या संचनालय को प्रतिवेदित की गई | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---|--------------|---------------|--|--------------|---------------|---|--------------|---------------|
| | एच.एस. | बी.क्यू | आन्धाक्स | एच.एस. | बी.क्यू | आन्धाक्स | एच.एस. | बी.क्यू | आन्धाक्स | एच.एस. | बी.क्यू | आन्धाक्स |
| (i) बालोद चिकित्सालय | | | | | | | | | | | | |
| 2004-05 | 18500 | 9150 | 4000 | 18500 | 16650 | 4000 | N.A | 7730 | 2834 | N.A | 7717 | 2912 |
| 2005-06 | 32000 | 18000 | 3000 | 42100 | 18000 | N.A | 24871 | 15188 | 2488 | 24880 | 14298 | 2770 |
| 2006-07 | 16400 | 9200 | 1000 | 24650 | 11000 | 1000 | 20276 | 8219 | 895 | 20441 | 7869 | 300 |
| (ii) पाटन चिकित्सालय | | | | | | | | | | | | |
| 2004-05 | 22500 | 5000 | 11000 | 22500 | 5500 | 11000 | 18464 | 4314 | 8590 | 17464 | 3813 | 4453 |
| 2005-06 | 44000 | 13000 | 10000 | 43200 | 14000 | 10000 | 30568 | 9562 | 7791 | 31108 | 9652 | 8841 |
| 2006-07 | 32300 | 10950 | 5000 | 35100 | 1000 | 200 | 29299 | 10511 | 2917 | 28199 | 10502 | 3464 |
| योग | 165700 | 65300 | 34000 | 186050 | 66150 | 26200 | 123478 | 55524 | 25515 | 122092 | 53851 | 22740 |
| योग | | | 265000 | | | 278400 | | | 204517 | | | 198683 |

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भित कड़िका 6.1.3, 6.1.4 एवं 6.1.5; पृष्ठ 149 एवं 150)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2007 को बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/ अंश पूंजी अन्य ऋण एवं लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3 (क) से 4(च) तक के आंकड़े लाख रुपये में)

| क्र. सं. | कंपनी/निगम के क्षेत्र एवं नाम | चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी (कोष्ठकों के आंकड़े अंश परायणता धन को दर्शाते हैं) | | | | | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण [@] | वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर लंबित ऋण ^{**} | | | 2006-07 के लिए ऋण अंशपूंजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3इ |
|----------|---|---|---------------|------------|-------|--------|--|-----|--|---|-------|---------|---|
| | | राज्य शासन | केन्द्र सरकार | धारक कंपनी | अन्य | योग | अंशपूंजी | ऋण | | सरकार | अन्य | योग | |
| 1. | 2. | 3 (क) | 3 (ख) | 3(ग) | 3 (घ) | 3 (ङ) | 4 (क) | 4ख) | 4(ग) | 4 (घ) | 4 (ङ) | 4 (च) | 5 |
| क. | सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यरत | | | | | | | | | | | | |
| | उद्योग | | | | | | | | | | | | |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य मद्रिशा निगम मर्यादित क्षेत्रवार योग | 14.54 | - | - | - | 14.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| | वन | | | | | | | | | | | | |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित क्षेत्रवार योग | 562.09 | 92.40 | - | - | 654.49 | - | - | | 2011.67 | - | 2011.67 | 3.07:1 (-) |
| | खनन | | | | | | | | | | | | |
| 3 | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित क्षेत्रवार योग | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | सार्वजनिक वितरण | | | | | | | | | | | | |
| 4. | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित क्षेत्रवार योग | 90.07 | - | - | - | 90.07 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 | 1.11:1 (1.11:1) |

नोट: आंकड़े अस्थायी एवं जैसा कि कम्पनियों/निगमों द्वारा अग्रेषित कालम 3 (क) से 3 (ङ) में कोष्ठकों के आंकड़े अंश परायणता धन को दर्शाते हैं।

@ बांड, ऋण पत्र, अंतर निगम जमाओं को सम्मिलित करते हुए।

** 2006-07 की समाप्ति पर लंबित ऋण, केवल दीर्घ अवधि ऋणों को दर्शाते हैं।

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

| क्र.सं. | कंपनी/निगम के क्षेत्र एवं नाम | चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी (कोस्टको के आंकड़ों अंश परायणता धन को दर्शाते हैं) | | | | | वर्ष के दौरान वजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण | वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर लंबित ऋण | | | 2006-07 के लिए ऋण अंशपूंजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3इ |
|---------|--|---|---------------|------------|-------|---------------------|--|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|
| | | राज्य शासन | केन्द्र सरकार | धारक कंपनी | अन्य | योग | अंशपूंजी | ऋण | | सरकार | अन्य | योग | |
| 1. | 2. | 3 (क) | 3 (ख) | 3(ग) | 3 (घ) | 3 (इ) | 4 (क) | 4ख) | 4(ग) | 4 (घ) | 4 (इ) | 4 (च) | 5 |
| | वित्त | | | | | | | | | | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित | 420.00 | - | - | - | 420.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित | 160.00 | - | - | - | 160.00 | - | 500.00 | - | 1600.00 | - | 1600.00 | 10:1 (6.88:1) |
| | क्षेत्रवार योग | 580.00 | - | - | - | 580.00 | - | 500.00 | - | 1600.00 | - | 1600.00 | 2:76:1 |
| | कृषि | | | | | | | | | | | | |
| 7 | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | 50.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास | | | | | | | | | | | | |
| 8 | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन एवं विकास निगम | - (400.00) | - | - | 0.08 | 0.08 (400.00) | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | (400.00) | - | - | 0.08 | 0.08 (400.00) | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| | योग (क) | 1396.70 (400.00) | 92.40 | - | 0.08 | 1489.18 (400.00) | 100.00 | 500.00 | - | 3711.67 | - | 3711.67 | 1.96:1 (0.80:1) |
| | ख सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | 2311.50 [§] | - | - | - | 2311.50 | - | - | 69913.10 | 88553.60 | 135450.82 | 224004.42 | 96.91:1 (40.96:1) |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत भंडार गृह निगम | 50.00 | - | - | 50.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग (ख) | 2361.50 | - | - | 50.00 | 2411.50 | - | - | 69913.10 | 88553.60 | 135450.82 | 224004.42 | 92.89:1 (39.26:1) |
| | महायोग (क + ख)# | 3758.20 | 92.40 | - | 50.08 | 3900.68 (400.00) | 100.00 | 500.00 | 69913.10 | 92265.27 | 135450.82 | 227716.09 | 52.95:1 (24.48:1) |

§ गठन के परिणामस्वरूप वाद में अस्थायी रूप से म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में प्रभाजित

वित्त लेखों के साथ आंकड़ों का मिलान लंबित है।

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भित कंडिका 6.1.7; पृष्ठ 152)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिए, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

| क्र. स. | क्षेत्र एवं कंपनियों का नाम | विभाग का नाम | निगमन का दिनांक | लेखाओं की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया* | शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-) | लेखापरीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव | प्रदत्त पूंजी | संचयी लाभ (+)/हानि (-) | लगाई गई पूंजी (अ) | लगाई गई पूंजी से कुल वापसी (ब) | लगाई गई पूंजी से कुल वापसी का प्रतिशत | लेखों में विलंब वर्षों में | टर्न ओवर | जनशक्ति |
|---------|--|--|-----------------|----------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| क | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13. | 14. | 15 | 16 |
| | सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यरत | | | | | | | | | | | | | | |
| | उद्योग | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य मदीरा निगम मर्यादित | वाणिज्यिक कर | 7.11.2001 | 2004-05 | 2006-07 (11/06) | 6.84 | 3.50 | 14.54 | (-)59.15 | (-)247.08 | 31.36 | - | 2 | 10245.90 | 36 |
| | क्षेत्रवार योग | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 3.50 | 14.54 | (-) 59.15 | (-)247.08 | 31.36 | - | | 10245.90 | 36 |
| | वन | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित | वन | 22.5.2001 | 2005-06 | 2006-07 (11/06) | 418.07 | 513.00 | 654.50 | 1328.36 | 3994.53 | 418.07 | 10.47 | 1 | 1984.43 | 610 |
| | क्षेत्रवार योग | -- | -- | -- | -- | 418.07 | 513.00 | 654.50 | 1328.36 | 3994.53 | 418.07 | 10.47 | | 1984.43 | 610 |
| | खनन | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित | भूमिकी एवं खनन | 7.6.2001 | 2002-03 | 2006-07 (7/06) | 55.07 | - | 55.00 | 79.31 | 132.29 | 55.07 | 41.63 | 4 | 588.12 | 246 |
| | क्षेत्रवार योग | - | -- | -- | -- | 55.07 | - | 55.00 | 79.31 | 132.29 | 55.07 | 41.63 | | 588.12 | 246 |
| | सार्वजनिक वितरण | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 13.3. 2001 | 2003-04 | 2007-08 (08/07) | (-)1080.75 | - | 90.07 | (-)5537.21 | (-)4739.65 | 2414.75 | - | 3 | 114816.29 | 508 |
| | क्षेत्रवार योग | -- | -- | -- | -- | (-)1080.75 | - | 90.07 | (-)5537.21 | (-)4739.65 | 2414.75 | - | | 114816.29 | 508 |
| | वित्त | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित | वित्त | 26.2.2001 | 2003-04 | 2005-06 (10/05) | (-)30.33 | (-)4.49 | 320.00 | (-)57.55 | 218.59 | (-)30.33 | - | 3 | 1.20 | 07 |
| 6. | छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | वाणिज्य एवं उद्योग | 16.11.1981 | 2001-02 | 2004-05 (6/05) | (-)50.84 | - | 160.00 | 94.75 | 187.00 | (-)50.84 | - | 5 | 232.02 | 203 |
| | क्षेत्रवार योग | -- | -- | -- | -- | (-)81.17 | - | 480.00 | 37.20 | 405.59 | (-)81.17 | - | | 233.22 | 210 |

* माह जिसमें लेखों की अंतिम रूप दिया गया वह कोष्ठकों में दिखाया गया है। अक्टूबर 2006 के पूर्व जिन लेखों को अंतिम रूप में दिया गया उसे गत वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।

31 मार्च 2007 को समाप्य वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|---------|--------------------|--|----|---------|------------|-----------|----------|-------|---|-----------|-----------------------|
| | कृषि | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित | कृषि | 08.10.04 | - | | प्रथम लेखे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम | समाज कल्याण | 19.07.04 | 2004-05 | 2007-08 (05/07) | 0.87 | - | 0.08 | 0.87 | 165.95 | 0.87 | 0.52 | 2 | 1.44 | 2 (प्रतिमि युक्ति पर) |
| | क्षेत्रवार योग | | | | | 0.87 | - | 0.08 | 0.87 | 165.95 | 0.87 | 0.52 | | 1.44 | |
| | योग (क) | - | - | - | - | (-)681.07 | - | 1294.19 | (-)4150.62 | (-)288.37 | 2838.95 | - | | 127869.40 | 1612 |
| ख | सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | उर्जा | 15.11.2000 | 2002-03 | 2006-07 (2/07) | 13620.00 | - | 2311.50 | 48747.00 | 227749.97 | 29491.00 | 12.95 | 4 | 241018.00 | 17569 |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम | खाद्य | 2.5.2002 | 2002-03 | 2004-05 (5/05) | 808.55 | - | 50.00 | 579.82 | 3464.99 | 809.75 | 23.37 | 4 | 2067.97 | 751 |
| | योग (ख) | -- | -- | -- | -- | 14428.55 | -- | 2361.50 | 49326.82 | 231214.96 | 30300.75 | -- | | 243085.97 | 18320 |
| | महायोग (क + ख) | -- | -- | -- | -- | 13747.48 | -- | 3655.69 | 45176.20 | 230926.59 | 33139.70 | -- | | 370955.37 | 19932 |

(अ) लगाई गई पूंजी निवल स्थायी परिसंपत्तियों (वर्क-इन-प्रोग्रेस पूंजी सहित) तथा कार्यरत पूंजी का योग, वित्त कम्पनियों/निगमों के उस प्रकरण को छोड़ जहां लगाई गई पूंजी को, प्रदत्त पूंजी, रक्षित निधि, बांडों, जमाओं और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के योग के मध्यमान के रूप में निकाला गया हो को प्रदर्शित करती है।

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भित कड़िका 6.1.5; पृष्ठ 150)

वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियां, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2007 के अंत तक लंबित प्राप्त सहायता तथा लंबित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(कालम 3 (क) से 7 तक में दर्शाये गये आंकड़े लाख रुपये में)

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान* | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में लंबित गारंटी* | | | | | वर्ष के दौरान बकाया पर स्वत्व त्याग | | | | ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया | वर्ष के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित ऋण |
|----------|--|---|---------------------|------|---------------------|---|----------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------|------------------------------------|---|
| | | केन्द्र सरकार | राज्य शासन | अन्य | योग | बैंकों से नगद साख | अन्य स्त्रोतों से ऋण | आगत के संबंध में बैंकों द्वारा दिए गए साख पत्र | विदेशी सलाहकारों या एकेडरों से करार के अंतर्गत भुगतान बंधन | योग | अपरिपक्व किए गए ऋणों का पुनर्भगतान | स्वमित्त खाज | स्वमित्त दायिक खाज | योग | | |
| 1 | 2 | 3(क) | 3(ख) | 3(ग) | 3(घ) | 4(क) | 4(ख) | 4(ग) | 4(घ) | 4(ङ.) | 5(क) | 5(ख) | 5(ग) | 5(घ) | 6 | 7 |
| क | कार्यरत सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सार्वजनिक वितरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित | 64943.00 | 6240.00 | - | 71183.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | 64943.00 | 6240.00 | - | 71183.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | वित्त | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित | 550.00 | 7587.03 | - | 8137.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | 550.00 | 7587.03 | - | 8137.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | खनन | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित | - | 871.00 | - | 871.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | - | 871.00 | - | 871.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित | - | (100.00) | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | - | (100.00) | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम | - | (47.00) | - | (47.00) | - | 131.42 (180.82) | - | - | 131.42 (180.82) | - | - | - | - | - | - |
| | क्षेत्रवार योग | - | (47.00) | - | (47.00) | - | 131.42 (180.82) | - | - | 131.42 (180.82) | - | - | - | - | - | - |
| | योग (क) | 65493 | 14698.03 (147.00) | - | 80191.03 (147.00) | - | 131.42 (180.82) | - | - | 131.42 (180.82) | - | - | - | - | - | - |
| ख | सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल | - | 13362.64 (40500.71) | - | 13362.64 (40500.71) | - | 32516.08 (22289.48) | - | - | 32516.08 (22289.48) | - | - | - | - | - | - |
| | योग (ख) | - | 13362.64 (40500.71) | - | 13362.64 (40500.71) | - | 32516.08 (22289.48) | - | - | 32516.08 (22289.48) | - | - | - | - | - | - |
| | योग (क + ख) | 65493 | 28060.67 (40647.71) | - | 93553.67 (40647.71) | - | 32647.50 (22470.30) | - | - | 32647.50 (22470.30) | - | - | - | - | - | - |

* स्तंभ 3(क) से 3 (घ) में कोष्ठक के आंकड़े अनुदानों को प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ 4(क) से 4(ङ.) के आंकड़े वर्ष के अन्त में लंबित गारंटियों को प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 6.4

(संदर्भित कंडिका 6.1.14; पृष्ठ 153)

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार मानी गयी सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(4 से 18 तक के स्तम्भों में आँकड़े लाख रुपये में)

| कम्पनी का नाम | स्थिति (कार्यरत/ अकार्यरत) | लेखों का वर्ष | प्रदत्त पूँजी | अंश पूँजी | | | ऋण | | | अनुदान | | | अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान द्वारा कुल निवेश | | | लाभ (+) हानि (-) | संचित लाभ (+)/ संचित हानि (-) |
|---|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | राज्य शासन द्वारा | राज्य शासन की कम्पनियाँ एवं अन्य द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा | राज्य शासन द्वारा | राज्य शासन की कम्पनियाँ एवं अन्य द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा | राज्य शासन द्वारा | राज्य शासन की कम्पनियाँ एवं अन्य द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा | राज्य शासन द्वारा | राज्य शासन की कम्पनियाँ एवं अन्य द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित | कार्यरत | 2006-07 | 5.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | | निरंक* | निरंक* |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित | कार्यरत | 2006-07 | 5.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | | निरंक* | निरंक* |
| छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित | कार्यरत | 2006-07 | 5.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | | निरंक* | निरंक* |

* इन कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की हैं।

परिशिष्ट 6.5

(संदर्भित कंडिका 6.1.15; पृष्ठ 154)

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| क्र. सं. | विभाग का नाम | सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | लंबित कंडिकाओं की संख्या | वर्ष जब से कंडिकाएं लंबित हैं |
|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | ऊर्जा | 1 | 465 | 1103 | 1974-75 |
| 2. | वाणिज्य एवं उद्योग | 1 | 4 | 21 | 2002-03 |
| 3. | वन | 1 | 2 | 2 | 2002-03 |
| 4. | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 2 | 5 | 53 | 2002-03 |
| 5. | भौमिकी एवं खनन | 1 | 3 | 13 | 2003-04 |
| 6. | वाणिज्यिक कर | 1 | 3 | 14 | 2003-04 |
| 7. | वित्त | 1 | 2 | 2 | 2003-04 |
| | योग | 8 | 484 | 1208 | (-) |

परिशिष्ट-6.6

(संदर्भ कंडिका 6.2.15; पृष्ठ 164)

डी.पी.आर.के अनुसार भागवार प्रावधानों का ब्यौरा और मार्च 2007 तक की उपलब्धियाँ

(राशि रु.लाख में)

| विवरण | डी पी आर के अनुसार प्रावधान | | उपलब्धियाँ | | उपलब्धियों का प्रतिशत | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | भौतिक | वित्तीय |
| 1 मिटरिंग | 656271 | 12865.15 | 573980 | 5585.81 | 87.46 | 43.76 |
| 2 बिलींग केन्द्र | 24 | 600.00 | 24 | 600.00 | 100 | 100 |
| 3 कैपेसिटर | 14950 | 2038.80 | 74 | 284.40 | 0.49 | 13.95 |
| डी.टी.का आधुनिकीकरण | 16407 | 565.91 | 1212 | 42.70 | 7.54 | 7.39 |
| 5 एम/एस एवं डाटा लॉगिंग की रिवेमिंग | 170 | 664.00 | 23 | 76.18 | 13.52 | 11.47 |
| 6 डी.टी. (नया) | 2762 | 2787.72 | 2117 | 2020.36 | 76.65 | 72.47 |
| 7 वृद्धिकरण (डी टी) | 1380 | 490.80 | 737 | 281.94 | 53.40 | 57.44 |
| 8 33/11के वी एस/एस | 189 | 6130.86 | 115 | 4146.20 | 60.85 | 67.56 |
| 9 33 लाईन्स/रिकन्ड कर्टींग,आदि | 1154.5 | 2395.13 | 1078.43 | 2611.28 | 93.41 | 109.02 |
| 10 वी सी वी के साथ अतिरिक्त बे | 40 | 220.80 | 17 | 72.61 | 42.50 | 32.88 |
| 11 11 के वी लाईन (कि.मी.) | 2393.20 | 3022.93 | 1974.91 | 2573.00 | 82.52 | 85.12 |
| 12 11के वी वी सी बी के साथ अतिरिक्त बे | 140 | 463.40 | 38 | 118.36 | 27.14 | 25.54 |
| 13 एस/एस आर एवं एम | 22 | 193.67 | 21 | 88.77 | 95.45 | 45.84 |
| 14 एल टी लाईन (कि.मी.) | 761 | 912.80 | 368.43 | 359.28 | 48.41 | 39.36 |
| 15 सब - स्टेशन उपकरण (33 एवं 11 के वी वी सी बी) | 374 | 1064.07 | 203 | 426.64 | 54.28 | 40.09 |
| 16 आई टी सामर्थ्यता | 63 | 189.00 | 63 | 189.00 | 100 | 100 |
| 17 उपभोक्ता सूचकांक | 256449 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 कार्यालय भवन | 2 | 4.00 | 1 | 3.00 | 50 | 75 |
| 19 उपभोक्ता शिकायत केन्द्र | 26 | 59.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 एस/एस भवन का पुननिर्माण | 5 | 105.00 | 4 | 16.28 | 80 | 15.50 |
| 21 टावर लाडर वाहन | 2 | 9.00 | 1 | 3.28 | 50 | 36.44 |
| 22 संचार सुविधा | | 13.00 | - | - | - | - |
| 23 बैटरियों | 3 | 1.50 | 3 | 0.96 | 100 | 64 |
| 24 लुप्त मदों की पुनःस्थापना | - | 40.20 | | 12.72 | - | 31.64 |
| योग | | 34996.29 | | 19512.77 | | 55.75 |

परिशिष्ट 6.7

(संदर्भ कंडिका 6.2.27 एवं 6.2.29; पृष्ठ 172 एवं 174)

ए.पी.डी.आर.पी. वृत्तों एवं शहरों में फीडर ट्रिपिंग, आउटेज अवधि एवं उपभोक्ता शिकायतों का ब्योरा

| ए पी डी आर पी वृत्त/शहर | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| बिलासपुर वृत्त | 11 के वी फीडरों की संख्या | 212 | 226 | 226 | 239 | 328 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | उपलब्ध नहीं | 25238 | 21365 | 65614 | 38566 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | उपलब्ध नहीं | 9 | 8 | 23 | 10 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1266684 | 245334 | 134058 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 59 | 4 | 3 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 41496 | 38844 | 34175 | 102902 | 135143 |
| रायपुर वृत्त | 11 के वी फीडरों की संख्या | 184 | 206 | 206 | 294 | 321 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | 24320 | 23532 | 11365 | 146707 | 53833 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | 11 | 9 | 5 | 41 | 14 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | 202520 | 182317 | 126684 | 1592770 | 271069 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 504000 | 437000 | 417500 | 90599 | 103598 |
| राजनांदगांव वृत्त | 11 के वी फीडरों की संख्या | 68 | 144 | 160 | 160 | 192 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | 10679 | 9207 | 9365 | 37995 | 15320 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | 13 | 5 | 5 | 20 | 7 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | 53354 | 47039 | 28880 | 33211 | 16217 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | 5 | 5 | 3 | 0.87 | 1 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 14296 | 13901 | 13795 | 6772 | 3856 |
| भिलाई शहर | 11 के वी फीडरों की संख्या | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | 1796 | 1667 | 1760 | 1643 | 569 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | 11 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | 47594 | 41837 | 19502 | 23071 | 5441 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | 23 | 25 | 11 | 14 | 9 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 25560 | 24483 | 20272 | 22857 | 16745 |
| दुर्ग शहर | 11 के वी फीडरों की संख्या | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | 662 | 423 | 362 | 529 | 426 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | 35610 | 26880 | 7827 | 4082 | 1588 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | 54 | 4 | 22 | 8 | 4 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 21948 | 18031 | 11016 | 10208 | 8556 |
| रायपुर नगर | 11 के वी फीडरों की संख्या | 66 | 69 | 72 | 68 | 102 |
| | फीडर ट्रीपिंग की संख्या | 3960 | 2773 | 3704 | 1910 | 3250 |
| | औसत ट्रिपिंग प्रति फीडर/माह | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| | ट्रिपिंग अवधि (मिनट) | 167925 | 180065 | 101497 | 28089 | 106637 |
| | प्रति ट्रिपिंग औसत समय (मिनट) | 42 | 65 | 27 | 14 | 33 |
| | उपभोक्ता शिकायतें | 112656 | 102508 | 94239 | 64880 | 57177 |